(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम विधान सभा के तृतीय सत्र का 23 वां दिवस [संख्या 19

बुधवार,

दिनांक 22 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ? ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स।

436. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):** क्या यातायात मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत बजट सत्र में ट्रैक्टर ट्राली पर बढ़ाया हुआ टैक्स माफ करने का राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त टैक्स को माफ करने के लिये आवश्यक कानूनी संशोधन करने का राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ? अगर हां, तो अब तक संशोधन क्यों नहीं किया गया है ? अब कानून में संशोधन कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने जिस दिन से ट्रैक्टर ट्राली पर कर बढ़ाया था उसी दिन से बढ़ाया हुआ टैक्स वापस लेने का आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त कर को 31-3-78 से पूर्व वापस लेने का निर्णय लेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी नहीं। क्यों कि उस समय ट्रैक्टर ट्राली माल कर से मुक्त थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार ने ट्रैक्टर ट्रोली पर माल कर की राशि घटाकर रुपये 450) कर लेने का निर्णय ले लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पिछले जुलाई महीने में जब सत्र हुआ था तब पूछने पर मन्त्री महोदय ने बताया था कि यह टैक्स नहीं लगेगा और बाद में उस तारीख से माफ कर दिया जायगा। यह आश्वासन मन्त्री महोदय ने दिया था। उसके बाद उन्होंने वापस टैक्स किस पर्पज के लिये लगाया ? अपने वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 8-11-77 के जरिये

Page No 2

(2)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

टैक्स लगा दिया तो यह वापस कैसे लगाया आपने हाउस में जवाब दिया है जिस दिन से टैक्स लगाया है उसे माफ कर देंगे तो उस आश्वासन के होते हुए भी यह कैसे हुआ? या तो आप केबिनेट में बैठते नहीं या केबिनेट के सदस्य पूछते नहीं आपको।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रोसीडिंग है, 21-7-77 को आपने पूछा था। यह टैक्स सबसे पहले 1-9-76 को पिछली सरकार ने लगाया था। फिर 8-2-77 को पिछली सरकार ने कृषि कार्य के लिये माफ कर दिया। फिर 23-4-77 को फॉर ऑल पर्पज माफ कर दिया। यह पूछा गया था कि क्या आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर देंगे? मैंने कहा था इसको लीगली एग्जामिन करवा लेंगे और कर सकते हैं तो कर लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 8-11-77 को वापस टैक्स लगाया, इसका क्या मतलब है? और अब आप क्या करने का विचार रखते हैं?

श्री केदारनाथ : आधा टैक्स तो माफ कर दिया है, इसको वित्त मंत्रीजी ने भी देख लिया है, और यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा था कि ट्रैक्टर ट्राली का टैक्स स्थगित कर दिया गया है। अभी तीन-चार आदमियों को सांगानेर थाने के पास रोक दिया गया और 850/- पर ट्रैक्टर के हिसाब से वसूल कर लिये। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि महकमे को आदेश दे दिये गये हैं कि टैक्स नहीं लिया जायगा, या सिर्फ अखबारों और आश्वासनों तक ही सीमित है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसानों के आन्दोलन में भी यह मांग थी और मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार करेंगे। अगर गवर्नमेंट की मन्शा कुछ करने की होती तो सक्यूलर निकाल देती लेकिन जो माफ किया था वह भी वसूल कर लिया। इसलिये इसके बारे में कोई स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए जिससे ट्रान्सपोर्ट और थाने वाले किसान लोगों को परेशान नहीं करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क): अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वक्त टैक्स नहीं था और फिर लगाया गया तो क्या यह किसान विरोधी नीति नहीं है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि दूसरे राज्यों में टैक्स नहीं है तो फिर यहाँ लगाने के क्या उद्देश्य हैं?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदयजी, सदन में इस टैक्स को माफ करने की राय रही है तो उसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है? अगर यह माफ नहीं किया गया तो आने वाले पांच सालों में किसान भी हमको माफ नहीं करेगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या यह सोशलिस्टिक विचार धारा के अनुकूल है।

श्री रामदेवसिंह (बिलाड़ा) : राज्य सरकार ने जो 850/– से 450/– किये हैं, क्या इसको भी वापस लेने की मन्शा रखती है?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाने के पीछे यह बेसिस या स्कोप नहीं है कि यह किसान विरोधी है या किसानों के पक्ष में है। मैं निवेदन करता हूं कि पंजाब और हरियाणा में टैक्स नहीं है, बाकी राज्यों में है। पिछली सरकार ने जाते वक्त इसको कर दिया था। अब वर्तमान सरकार सदन की भावना को देखते हुए इस पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : बैक्स्ट। श्री नवरंगसिंह !

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय. 850/- के हिसाब से जो वसूली हो रही है उसको रोका जाना चाहिए

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने गलत बयानी की है।

श्री केदारनाथ : सरकार ने संकेत दे दिया है कि हाउस की भावना को देखते हुए इस पर विचार किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन्होंने ही घोषणा की थी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय; यह मेरा आरोप है कि मन्त्री महोदय ने गलत बयानी की है। इन्होंने यह कहा कि 8-2-77 को पिछली सरकार ने इसे माफ कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, घोषणा भी हो सकती है और संकेत भी हो सकता है।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स 850/– के हिसाब से वसूल किया जा रहा है। यह माफ नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि आधा कर दिया तो इससे किसानों को क्या फायदा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने आपकी बात सुन ली और उत्तर भी दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वसूली हो रही है। वसूली बन्द होनी चाहिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय पर स्पेसिफिक आरोप लगाया है, उसका उत्तर कृपया दिलाया जाये।

श्री केदारनाथ : माननीय श्री बजरंगलालजी गलतफहमी में हैं। वैसे वह एक बहुत अच्छे वकील है, लेकिन वह गलतफहमी में हैं। मैंने निवेदन किया कि 1-9-76 को यह टैक्स लगाया गया था। 8-2-77 को कृषि के कार्य में आने वाले ट्रैक्टर ट्राली को सरकार ने मालकर से मुक्त किया और 23-4-77 को फार आल पर्पजेज मुक्त किया। यह सब इसकी स्टेजेज हैं।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि टैक्स की राशि 840 का आधा 420 होती है और 420 के ऊपर 450 है। तो इस प्रकार किसान को 420 के ऊपर ला छोड़ा जब चुनावों में हमने टैक्स माफ करने की

(श्री माधोसिंह कुशवाह)
बात कही थी, तो टैक्स माफ करना चाहिये वरना किसान 5 वर्ष बाद माफ नहीं करेगा। क्या आप इस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री हरिसिंह : सांगानेर थाने पर वसूली हो रही है।

श्री केदारनाथ : वसूली हो रही है, उसके लिये मैं देख लूंगा कि जब तक निर्णय न हो जाये तब तक कोई वसूली नहीं की जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री नवरंगसिंह !

झुन्झुनूं जिले में अध्यापकों के रिक्त पद

437. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुन्झुनूं जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेडों के कितने अध्यापकों की पोस्टें हैं तथा कितने अध्यापक कार्यरत हैं और कितनी पोस्टें खाली हैं, विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक भी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थान पड़े हैं और विभाग की स्वीकृति के अभाव में प्रशिक्षित अध्यापकों के होते हुए भी पद भरे नहीं जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक उन स्थानों पर नियुक्तियां करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है

(2) झुन्झुनूं जिले में केवल चार पद रिक्त हैं जो इसी माह में रिक्त हुए हैं। उन पर नियुक्तियां शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिला के जिला शिक्षा अधिकारी ने 50 पदों के लिये डाइरेक्टोरेट को लिख रखा है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उन पदों की स्वीकृति क्यों नहीं आई ?

दूसरी बात, आपने केवल दो पद ही खाली बताये, लेकिन झुन्झुनूं के अधिकांश स्कूलों में कहीं दो, कहीं चार और कहीं दस अध्यापक हैं। यह स्थिति क्यों है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : झुन्झुनूं जिले में जो अध्यापकों की कमी है वह इस प्रकार हैं:—

द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक : स्वीकृत पद 600, कार्य कर रहे हैं 598। इस प्रकार दो स्थान खाली हैं।

तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक : स्वीकृत पद 1801, कार्य कर रहे हैं 1799 इस प्रकार दो स्थान खाली हैं।

तो कुल मिलाकर 4 स्थान खाली हैं। जो स्वीकृत पद हैं, उनके हिसाब से चार पद रिक्त हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन ऑफिसर ने जो 50 पदों के लिये चिट्ठी लिखी है, उसके बारे में क्या पोजीशन है ? उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है।

श्री नवरंगसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि डाइरेक्टोरेट को जो जिला शिक्षा

(श्री नवरंग सिंह)

अधिकारी ने 50 पदों के लिये चिट्ठी लिखी है, उसके बारे में क्या उत्तर है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी जो सेंक्शन्ड स्ट्रेन्थ है वह बढ़ जायेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : यह जो स्ट्रेन्थ आपने बताई, वह नये स्कूलों के खोलने के पहले की है या बाद की ?

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : क्या यह सही है कि शिक्षा अधिकारी ने यह भी लिखा है कि अध्यापकों के अभाव में शिक्षा का नुकसान हो रहा है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि यह स्ट्रेन्थ नये स्कूलों के खोलने के पहले की है या बाद की ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह इस वर्ष की है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : चालू वर्ष की है।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो क्या पूरे स्कूलों में केवल चार पद ही रिक्त हैं ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : जिला शिक्षा अधिकारी ने कौनसी तारीख को चिट्ठी लिखी है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सारी पत्रावली मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन !

श्री मूलचन्द सामरिया : उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जो उत्तर आया है आपने सुन लिया।

श्री बजरंग लाल शर्मा : 50 पदों के लिये शिक्षा अधिकारी ने लिखा.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पूरा ब्यौरा तो आना चाहिये सदन में। माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा अधिकारी ने 50 पदों के लिये लिखा है, उसका क्या हुआ, तो मंत्री महोदय इसमें टालमटोल कर रहे हैं। या तो इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये, वरना असन्तोष बढ़ेगा। मंत्री महोदय से स्पेसिफिक रिप्लाई लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करने के योग्य नहीं समझता।

श्रीमती सुमित्रासिंह ; यह आपाधापी कैसे चलेगी, माननीय अध्यक्ष जी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ओंकार लाल चौहान !

राज्य प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जन जाति का आरक्षण

438. **श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं में अनु-

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सूचित जाति एवं जन-जाति का आरक्षण कोटा (रिजर्वेशन कोटा) 1974 से निर्धारित है ? यदि हां, तो राज्य में प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवाओं में अब तक कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को रोस्टर प्रणाली द्वारा लाभ दिया जाकर पदोन्नत (प्रमोशन) किया गया है ? दोनों सेवाओं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री, कार्मिक विभाग (श्री महबूब अली) : दोनों सेवाओं में 1-4-79 से आरक्षण कोटा (रोस्टर प्रणाली) लागू है। परन्तु 10-2-75 से आरक्षण की रोस्टर प्रणाली पदोन्नति में लागू की गई है और इसके कारण राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 12 व्यक्तियों को पदोन्नति में लाभ मिला है। राजस्थान न्यायिक सेवा में पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं क्योंकि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1969 व न्यायिक सेवा नियम 1955 में इसका कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार उक्त नियमों में पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू करने के लिये उच्च न्यायालय से बातचीत कर रही है परन्तु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पाया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रोस्टर प्रणाली से लाभान्वित हुए 12 व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखें।)

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब रोस्टर प्रणाली 1971 से लागू है तो प्रेक्टीकली उसको 10-2-75 से क्यों लागू किया गया ? यह चार साल का गेप क्यों ?

दूसरा, मन्त्री महोदय ने यह बताया कि राजस्थान न्यायिक सेवा में यह प्रणाली लागू नहीं है। इसके लिये राजस्थान उच्च न्यायालय से बातचीत कर रहे हैं तो यह बातचीत कब तक पूरी हो जायेगी और कब तक इस प्रणाली को लागू कर देंगे ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): और यह भी बतायें ·······

श्री शोपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : Don't disturb. पहले उनका जबाव आने दीजिये।

श्री महबूब अली : दोनों सेवाओं में 1-4-61 से आरक्षण कोटा लागू है। इनीशियल अपाइन्टमेंट्स के लिये आरक्षण कोटा 1-4-71 से ही लागू था, परन्तु 10-2-75 से यह आरक्षण कोटा पदोन्नति के लिये भी लागू किया गया। 10-2-75 से पहले पदोन्नति के लिये लागू नहीं था।

जहां तक न्यायिक सेवाओं का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय से हम बातचीत कर रहे हैं। संविधान में प्रावधान है कि इन कन्सल्टेशन विथ हाई कोर्ट।

राज्य सरकार इस रोस्टर प्रणाली को लागू करने के लिये बात कर रही है।

श्री ओंकारलाल चौहान : उच्च न्यायालय से यह बातचीत प्रमोशन के सम्बन्ध में कौन से वर्ष से शुरू की गयी ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : आप की ओर से कितनी बार बातचीत हो गयी है ?

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : कब तक यह पूरी हो जावेगी ?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : विधि मंत्रीजी ने जवाब दिया कि हम विचार करेंगे, जब यह कहा गया कि न्यायाधीश में किन को प्रमोशन दिया गया है शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स में से ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं है ।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि बिना डी. पी. सी. बैठे जो प्रोविजनल प्रमोशन दिये जाते हैं उस समय भी रोस्टर प्रणाली का पूरा ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, तो 3 वर्ष के बाद में तो उस जगह पर तो एस. सी. के व्यक्ति को क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हायर जूडिशियल सर्विसेज में परिवर्तन करने में क्या दिक्कत है ?

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न है कि रोस्टर प्रणाली पर चर्चा होती है, बड़ी लम्बी चौड़ी चर्चा होती है लेकिन रोस्टर प्रणाली के अनुसार भर्ती नहीं की जाती है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : कितनी ही बार बातचीत हो चुकी है, कितनी ही बार और होगी, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का जज के रूप में नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला : यह रोस्टर प्रणाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी लागू है क्या ?

श्री अध्यक्ष : सरकारी उत्तर पर्याप्त है ।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उत्तर नहीं आया है । कब से बातचीत शुरू हुई, क्या क्या बातचीत हुई, किस-किस अधिकारी ने बात की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सब अनावश्यक सप्लीमेन्ट्रीज हैं । यह विचाराधीन विषय है ।

श्री शोपतसिंह मक्कासर : माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलवाइये । यह टाल रहे हैं । यह प्रश्न अनावश्यक नहीं है बल्कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का एक भी व्यक्ति हायर जूडिशियल सर्विस में नहीं है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : 9 महीने के अर्से में क्या राज्य सरकार उस वार्ता में कुछ गति लाई है ? नहीं लाई है तो क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : इस बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट से, हाई कोर्ट से निरन्तर बात-

(श्री महबूब अली)

चीत कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि इस सारी कोरेस्पोन्डेन्स को हाउस में रखा जावे तो यह बात तो दूसरी है। उच्च लेवल पर बातचीत हो रही है। जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय करके राज्य सरकार अवगत करायेगी। यह जब तक न हो जाय तब तक इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सदस्य को दिखा दें जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके कक्ष में हाजिर हो जायं।

श्री शोपतसिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह (बचाना) : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया ....

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह मक्कासर : राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को लेने के लिये कोई डिसीजन ले लेगी तो उसको कोई टालने वाला नहीं है। यह आपके दिमागी स्तर पर निर्भर करता है। चपरासी के लिये तो शीघ्र हो जाता है लेकिन हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिये नहीं होता है।

श्री महबूब अली : यह सर्वथा गलत है।

श्री शिवचरणसिंह : सेन्टर में रिजर्वेशन और प्रमोशन का कोटा फिक्स्ड है। हाई कोर्ट ने यह कोटा पूरा नहीं किया तो कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने यह बात कही है कि इस प्रणाली को थोड़ा-थोड़ा बदलना चाहते है ? आन्ध्र प्रदेश का जजमेन्ट हो चुका है कि रोस्टर प्रणाली को खतम किया जाय। गृह मंत्री चरणसिंहजी ने यह बात कही है आप इस बात को मानते हैं इसलिये आप हमें टाल रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : यहां भी आप बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : माननीय अध्यक्षजी, आज सदन में भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को सर्विसेज में समुचित स्थान न मिलने के सम्बन्ध में एवं कायदे-कानून लागू न करने की बात हुई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की निवृत्तियां सारे हिंदुस्तान में होती हैं। पिछले 30 वर्ष में जो हमारी रोस्टर प्रणाली थी ....

(व्यवधान)

सुनिये। 30 वर्ष में जो संवैधानिक ओब्लीगेशन्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाये। हमने केबिनेट स्तर पर इस पर गम्भीरता से विचार किया है।

श्री शोपतसिंह मक्कासर : क्या विचार किया है ?

श्री सम्पतराम : सुनिये तो सही। अलग अलग स्टेट्स के कायदे-कानूनों को इकट्ठा कर लें। एक समिति का निर्माण किया है जिसके मुख्य मंत्रीजी अध्यक्ष हैं। मैं भी उसका मेम्बर हूं। माननीय केदारजी मेम्बर हैं। सारे प्रश्नों का बहुत जल्दी निर्णय करने वाले हैं। जहां तक हाई कोर्ट से बातचीत करने का सवाल है जैसा कि मंत्रीजी ने कहा, चीफ जस्टिस से बात कर रहे हैं

(व्यवधान)

सुनिये।

श्री मूलचन्द डागा : बजट तो आप खर्च करते हैं।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): यह बात शोभा नहीं देती है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पहली दफा हमारे राजस्थान की केबिनेट में वर्तमान जनता सरकार के बनने के बाद डिस्कस किया गया। पहली सरकार ने कभी ऐसे अहम मसलों पर विचार नहीं किया। इसके लिए हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक कमेटी बनाई है। उसमें किस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, विचार किया जायेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री शौपतसिंह मकरासर : मुख्य मन्त्रीजी ने कमेटी तो बनाई वह तो ठीक है लेकिन यह बतायें कि क्या-क्या डिसीजन लिये हैं ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस तरह बिहार में और उत्तर प्रदेश में अभी रिजर्वेशन्स किये हैं उसी प्रकार के रिजर्वेशन्स क्या राजस्थान सरकार भी करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। No more supplementary now. स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेन्ट दिये गये हैं वह दोनों ही अलग-अलग हैं। श्री महबूब अली जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है और श्री सम्पतराम जी ने स्टेटमेन्ट दिया है दोनों में कान्ट्रेडिक्शन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री मूलचन्द सामरिया : हम तो पत्रावली देखना चाहते हैं। पहले भी कांग्रेस सरकार ने कुछ निर्णय लिये थे पर कोई घोषणा नहीं हुई। वरना यह जो बातें करते हैं इनमें कोई दम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट। श्री गोपाल पचेरवाल।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री मूलचन्द सामरिया : हम तो सिर्फ पत्रावली देखना चाहते हैं।

Page No 10

(10)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपकी दयालुता का सहारा लेकर पूछ रहे हैं। वह पत्रावली दिखा दें।

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप तो इस सदन के पुराने सदस्य है। आपको तो सदन की परम्पराओं का ज्ञान है। आप तो कम से कम इस सदन की परम्पराओं को निभायें। आपका उत्तरदायित्व हो जाता है कि आप सदन की परम्पराओं को निभायें। यह क्या आप सिट एण्ड जम्प एण्ड अगेन सिट एण्ड जम्प कर रहे हैं।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री गोपाल पचेरवाल ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट। श्री नवलराय बच्चाणी !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, श्री गोपाल। पचेरवाल उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष : वह कहां हैं ? He has not caught my eye.

श्री गोपाल पचेरवाल !

आवासहीन हरिजनों को भवन निर्माण हेतु अनुदान के रूप में दी गई राशि

439. **श्री गोपाल पचेरवाल** (केशोराय पाटन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आवासहीन हरिजनों को भवन निर्माणार्थ समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता था ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ तो क्या यह अभी भी दिया जा रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार पुनः अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या विगत वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा आवासहीन हरिजनों को अनुदान देकर भवन निर्माण कराये गये हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कब-कब ? जिलेवार अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक : (1) जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा आवासहीन हरिजनों (मेहतरों) को भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता था। अब राजस्थान नहरी क्षेत्र के हरिजनों को गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान के शेष भाग के हरिजनों के लिये गृह निर्माण हेतु अनुदान की योजना ऋण स्वीकृत करने की योजना लागू होने के कारण वर्ष 1974-75 से बन्द है। राज्य सरकार द्वारा पुनः अनुदान योजना प्रारम्भ करने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। विगत वर्षों में समाज कल्याण विभाग द्वारा आवासहीन हरिजनों को अनुदान देकर भवन निर्माण कराये गये हैं। वर्ष 1970-71 से अब तक आवासहीन हरिजनों को गृह निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान के बारे में जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया-परिशिष्ट 3 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो आपने जवाब दिया है वह स्पष्ट नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टौंक और बून्दी की सूची आपने दी वह स्पष्ट नहीं है। मन्त्री महोदय कृपया बतायें कि किन-किन लोगों को टौंक और बून्दी जिले में कितना-कितना पैसा कब-कब दिया गया? इसका जवाब इसमें सही नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय, इसका जवाब दें। दूसरे, क्या राज्य सरकार अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अब हरिजनों को आवासीय मकान बनाने के लिए ऋण देने का विचार रखती है या पट्टा देने का?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, टौंक और बूंदी जिले के बारे में एक ही सूचना दी हुई है क्योंकि दोनों जिलों के अधिकारी एक ही हैं। अब जैसा कि माननीय सदस्य अलग-अलग सूचना टौंक और बून्दी की चाहते है तो उसमें काफी समय लग जायगा। माननीय सदस्य ने जो अनुदान की बात प्रश्न में पूछी है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि पट्टे देने का काम नगरपालिका और दूसरी कोई एजेन्सी का है, हमारा नहीं........

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है, यह गलत है। जैसे लोगों को अनुदान दिया जाता है जिनके पास जमीन का पट्टा ही नहीं है। इसलिये उनको अनुदान दिया जाना बताया, यह गलत है। इसमें जो सूची दी गई है वह गलत दी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि टौंक और बून्दी जिले में जिन लोगों को अनुदान दिया गया है उनकी मुझे अलग-अलग सूचना दें। मुझे यह भी बतावें कि यह अनुदान कब और कितना-कितना दिया गया? उसमें स्पष्ट बतावें। बून्दी और टौंक जिले के बारे में स्पष्ट सूची दें।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना चूंकि दो अलग-अलग जिलों से आने वाली है इसलिए अलग-अलग सूचना आने में समय लगता है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना देने की व्यवस्था कर दूंगी।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न गोपाल पचेरवाल जी ने उठाया है उसके उत्तर में मन्त्री महोदया ने यह बताया कि समाज कल्याण आफिसर बून्दी और टौंक के तो एक ही हैं, यह तो मान लिया लेकिन बून्दी और टौंक के ऑफिसेज तो अलग-अलग होंगे। आप अधिकारी से फाइलें, जो कि अलग-अलग हैं, मंगवाकर अलग-अलग चूंकि आप जवाब में दे सकती थीं और देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मन्त्री महोदया से पूछना चाहता

Page No 12

(12)

(श्री शंकर लाल)

हूं कि यह अनुदान दिया जाता था वह क्षेत्र क्या नहरी क्षेत्र में ही दिया जाता था ? दूसरी जगह अनुदान नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अनुदान जो देते हैं क्या इतनी सी रकम में मकान बनता है ?

श्री शोपतसिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण के लिये जो अनुदान दिया जाता है उसमें क्या राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग पहले पट्टे भी देखता है ? जिनके पट्टे होते हैं उन्हीं को अनुदान देते है या यों ही दे देते हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था इस प्रकार की है कि ऐसी सोसाइटीज, जो कि भवन निर्माण कराती हैं, को एल० आई० सी० के माध्यम से लोन मिलता है। समाज कल्याण विभाग उन लोगों को, जो हाउसिंग फाइनेंसिंग सोसाइटी के मेम्बर होते हैं, तीन सौ रुपये का अनुदान देती है। 100 रुपये वह लोग अपने पास से देते हैं। इस प्रकार 400 रुपये हो जाते हैं। उस पर उस सहकारी समिति को दस-दस प्रतिशत की व्यवस्था हो जाने से एल० आई० सी० से लोन की व्यवस्था हो जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : 400 रुपये से कैसे मकान बन जाता है ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं। कृपया मन्त्री महोदय बतायें कि क्या इन हाउसिंग सोसाइटीज के मेम्बर्स को सिर्फ तीन सौ रुपये ही दिये जाते है ?

समाज कल्याण विभाग 300 रुपये अनुदान देता था। कुल चार हजार रुपया हरिजनों को आबाद कराने के लिए कर्जा मिलता था उसका सम्पूर्ण ब्याज समाज कल्याण विभाग दिया करता था। यह योजना 1966 तक लागू थी। अब वह क्यों बन्द कर दी ? क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी ?

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया है कि सोसाइटीज के माध्यम से हम 300 रुपया देते हैं। यह अभी भी लागू है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1953 से अब तक जो अनुदान दिया गया है समाज कल्याण विभाग द्वारा, पहले 750 रुपये दिये जाते थे उसको अब 1000 कर दिया गया है। अब कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 300 रुपये दिये जाते हैं, यह अलग हैं। मैं उसके लिए निवेदन कर रहा हूं जो 1953 से अब तक अनुदान दिया गया है जिसकी सूची दी है और समाज कल्याण विभाग से जो अनुदान मुफ्त मिलता रहा है मैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करता हूं। जिन लोगों को अनुदान दिया गया है उनके मकान बने या नहीं ? वह अनुदान बन्द किया गया है तो क्यों ? मैं कोआपरेटिव के अनुदान के लिए निवेदन नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पहले अनुदान

Page No 13

(13)

(श्रीमती विद्या पाठक)

250 दिया जाता था उसको 300 किया गया, फिर 750 किया गया और उसके बाद 1000 हो गया। फिर यह पाया गया कि इतने पैसों में मकान नहीं बन सकता इसलिये 300 रुपया सब्सीडी के रूप में दें। इस तरह की सोसाइटीज के माध्यम से। जो एल. आई. सी. लोन देती थी, सोसाइटीज को उनके माध्यम से 4 हजार रुपये तक की व्यवस्था का इन्तजाम हुआ है। यह सारा लोन एल. आई. सी. उन सोसाइटीज को देती है।

श्री गोपाल पचेरवाल : जो अनुदान दिया जाता है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूँ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो 4 हजार रुपये मकान बनाने के लिए दिये जाते रहे हैं यह 1976 में बन्द कर दिये गये। क्या जनता सरकार वापस इसको चालू करने का विचार रखती है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में जो मकान बनाये गये वह अनुदान से बनाये गये। क्या वह अनुदान वापस चालू किया जायेगा ? मैं कोआपरेटिव के बारे में निवेदन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं जो 1953 से अनुदान मुफ्त दिया जाता था। क्या उसको वापस दिया जायेगा ? क्या लोगों के मकान बन गये और जिनको पट्टे नहीं मिले हैं उनको पट्टे दे दिये गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सप्लीमेन्ट्री का उत्तर आने दीजिए। इस पक्ष से इतना शोरगुल एक गुड प्रश्न का उत्तर आये। एक प्रश्न पर दो तीन सप्लीमेन्ट्री पूछे जायें तो मैं समझ सकता हूं व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकती है लेकिन सप्लीमेन्ट्री पर सप्लीमेन्ट्री और उसके साथ-साथ शोरगुल-ऐसी परम्परा कभी विधान सभा की मैंने पहले नहीं देखी है।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको ट्रेनिंग दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आप भी कभी-कभी उग्र हो जाते हैं, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह अनुदान बन्द किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 4 प्रश्न ही हुए हैं। हमारे प्रश्न रह जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता का जो सप्लीमेन्ट्री प्रश्न था उसका उत्तर आने दीजिए। इसके बाद मैं स्थगित प्रश्न लूंगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मैं सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछ रहा हूँ....

श्री अध्यक्ष : फिर क्यों खड़े हुए ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : 40 मिनट में 4 प्रश्न ही केवल पूछे गये हैं। हमारे प्रश्न रह जाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब से विधान सभा चली है मेरे सात बार प्रश्न आये हैं और आज भी प्रश्न हैं। मुझे अन्देशा है आज भी वह नहीं आ पायेगा और आप स्थगित नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि मेरा प्रश्न स्थगित कर दें। मुझे सन्देह है, उत्तर नहीं आयेगा।

Page No 14

(१४)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा। क्या सदन की इच्छा है कि मन्त्री महोदया उत्तर दें सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन का ?

कई माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर दें तो सुन लीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : सरकार की ओर से अनुदान पहले दिया जाता था, माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है सन् 1953 से जो अनुदान की योजना थी वह अब बन्द कर दी गयी है। उसके बारे में निवेदन है कि अनुदान में 300 रुपये विभाग की तरफ से मिलते हैं। वह योजना अभी भी जारी है। लेकिन अनुदान तभी मिलता है जब कि फाइनेन्स सोसाइटी से लोन मिलता है। वह बीच में सस्पेन्डेड इसलिए रहा कि एल. आई. सी. ने नयी फाइनेंस सोसाइटीज को लोन नहीं दिया इसलिए नये मकानों के लिए अनुदान या लोन की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसकी वजह से बीच में अनुदान सरकार की ओर से बन्द नहीं हुआ है लेकिन एल. आई. सी. से नहीं मिलने की वजह से सस्पेन्डेड रहा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरवलाल कालाबादल, स्थान ग्रहण करें। अब नहीं।

स्थगित प्रश्न श्री नाथूराम।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ! स्थगित प्रश्न। अब मैंने नाम भी पुकार लिया, श्री नाथूराम !

श्री कल्याणसिंह सांखला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 400 पुकार लिया है।

श्री नवलराय बच्चाणी : आपने एक बार मेरा नाम पुकारा था।

मेरा प्रश्न 440 है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। स्थगित प्रश्न। 440 अब नहीं।

श्री नाथूराम !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 1978)

शिक्षकों के यात्रा भत्ते के रूप में व्यय की गई राशि

78, **श्री नाथूराम (बागीदोरा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू सत्र में शिक्षा विभाग के यात्रा भत्ता व्यय के अन्तर्गत कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों का यात्रा भत्ता व्यय इस सत्र में पूर्वापेक्षा कहीं अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण हुए और उन पर कितना यात्रा भत्ता व्यय हुआ तथा चालू सत्र में कुल कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये और कितना यात्रा भत्ता व्यय होने का अनुमान है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

शिक्षामंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है। यह बड़ा व्यापक है। इसमें यह लिखा है, विगत तीन वर्षों में कितने अध्यापकों का स्थानान्तरण हुआ और कितना यात्रा व्यय हुआ ? यह प्रश्न पहले भी आया था तब भी हमने समय चाहा था और अब फिर दुबारा समय चाहा है। तीन वर्ष से कहां ट्रांसफर हुए और उन पर कितना टी० ए०, डी०ए० का व्यय हुआ, इसकी जानकारी करने के लिये समय चाहिये इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न फिर स्थगित करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी सत्र में यह प्रश्न पहले भी स्थगित किया है। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूँ कि आपके पास सारे आंकड़े हैं। इसमें घोटाले हैं। 15 सितम्बर के बाद ट्रांसफर बन्द करने की घोषणा शिक्षा मंत्री जी ने की। इस पवित्र विभाग में सरासर अन्याय हुआ है, हजारों मास्टरों के ट्रांसफर हुए और टी०ए०,डी ए० उनको देना पड़ा। इसलिए स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हजारों मास्टरों के ट्रांसफर हुए हैं। विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय हुआ है।

श्री टीकमचन्द कांत : यह आंकड़े आये थे कि पहले 15 हजार के ट्रांसफर हुए हैं और जनता सरकार के आने के बाद 8 हजार ही हुए हैं। यह जो बात कह रहे हैं कि अभी स्थानान्तरण बहुत अधिक हुए हैं, क्या यह सही है ?

श्री नाथूराम : विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। पिछले दिनों में भी हाउस में चर्चा हुई है। गये सत्र में शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा पक्षपात हुआ। विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं यह निवेदन नहीं कर रहा हूं कि वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी ने गलती की है। पिछले 8-9 महीने में गलतियां की हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपके पास नहीं है। आपने कितनी जानकारी इकट्ठी कर ली ? क्या प्रयास किये आपने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूछा है कि विगत तीन वर्षों में कितने ट्रांसफर हुए हैं। कल जो आंकड़े दिये थे वे एक वर्ष के थे। इसमें पूछा है कि कितना खर्चा हुआ, कितने ट्रांसफर हुए। पहले भी स्थगित कर दिया था, अब पता नहीं कैसे दोबारा लगवा लिया है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है विगत तीन वर्षों में जो ट्रांसफर हुए उनकी तुलना में जो पिछले वर्ष तबादले हुए वह ज्यादा हैं इसलिए आप उत्तर नहीं दे रहे हैं ?

श्री नाथूराम : मेरा प्रश्न साफ है....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एक वर्ष के आंकड़े आपने इकट्ठा कर लिये, दो वर्ष के कर लिये ? साहब 25 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा, पिछले तीन वर्षों की जानकारी मांगी है। बड़ा वाइड रेंजिंग क्वेश्चन मैं मानता हूं। कोई स्पेसिफिक इश्यू तो है नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : तबादलों की नीति पर....

Page No 16

(16)

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास जो स्थिति पहुँची है, उस स्थिति का अध्ययन करके उत्तर दिया गया है ।

श्री नाथूराम : इसको स्थगित किया जाय और इसी सत्र में उत्तर दिया जाये । अभी इनके पास उत्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता कह रहे हैं इस प्रश्न को स्थगित किया जाये, स्थगित प्रश्न को फिर स्थगित किया जाये । आपकी क्या राय है कि इसको पुनः स्थगित किया जाये ? स्थगित करने के पश्चात् मैं निवेदन करूंगा सरकार का परफार्मेंस भी एप्रोप्रियेट होना चाहिये ।

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गहराई से प्रश्न को देखा जाये । मेरे ख्याल में राजस्थान के अन्दर एजूकेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा तबादले होते हैं । गत तीन वर्षों के तबादलों के बारे में पूछा है इसकी सूचना जल्दी इकट्ठी करनी किसी भी प्रकार संभव नहीं है, काफी टाइम मिलना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : It is on record.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मन्त्री महोदय से आप इनके कक्ष में इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री मूलचन्द डागा : यह हाउस का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : अगर प्रश्न करना है तो नये रूप से एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह सवाल सदन का है । It is now property of the House. सारे सदन का सवाल है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या इस संबंध में जांच करने की घोषणा करेंगे ताकि सही जानकारी मिल जाये ? मुख्य मन्त्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है, उत्तर नहीं मिला है । गृह मन्त्री की भावनाओं का आदर करते हुए अगर कमीशन बैठा दें तो सारी कार्यवाही इंडिपेंडेंट हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह गूजर !

(व्यवधान)

श्री नाथूराम : क्या इस प्रश्न को स्थगित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित करने की व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री नाथूराम : मेरा प्रश्न साफ है, इस सत्र में कितने ट्रांसफर हुए, उनका टी. ए., डी. ए. कितना है ? इस प्रश्न को स्थगित किया जाये और इसी सत्र में जवाब दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप सरकार को ही क्यों नहीं स्थगित कर देते ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह गूजर !

श्री नाथूराम : इसी सत्र में जवाब मिलना चाहिये इस प्रश्न का । अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल साफ है, इसी सत्र में जवाब मिलना चाहिये । आपकी आज्ञा का उनको पालन करना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : जब आपने इस प्रश्न को एडमिट कर लिया, तो यह सारे सदन की प्रापर्टी बन गया। अब यह सवाल इंडिविजुअल का नहीं रहा। हाउस में जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने एडमिट नहीं किया। I have done nothing of the sort.

श्री मूलचन्द डागा : एडमिट होने के बाद आया है, साहब।

श्री अध्यक्ष : मैंने एडमिट किया उसके ऊपर सरकारी उत्तर आ चुका है। सरकार की प्रार्थना पर स्थगित हुआ क्योंकि यह वाइड रेंजिंग कवेश्चन है, तीन वर्ष की इसमें जानकारी प्राप्त की गई है।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री शोपतसिंह मक्कासर : हम कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में कोई व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करूंगा।

The question should be reframed.

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह गूजर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 मार्च, 1978)

अध्यापकों की बकाया भुगतान

90. **श्री उमरावसिंह गूजर** (महुआ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अध्यापकों की धनराशि, अकाउन्ट मद नम्बर 858 में जो जमा थी, का 1/5 भाग जुलाई, 1976 तक सभी अध्यापकों को मिलने वाला था लेकिन अभी तक अधिकतर अध्यापकों को वह नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों नहीं मिला? कितनी धनराशि उनको देनी शेष है? क्या उसका ब्याज भी राज्य सरकार देगी?

(2) क्या यह भी सही है कि दूसरी किश्त भी 25 जुलाई, 1977 तक राज्य सरकार को देनी थी, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से नहीं हुई? यदि व्यवस्था की जा रही है, तो कब तक हो जायेगी?

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रश्न भी काफी बड़ा है। इसमें यह पूछा गया है कि राजस्थान के जो अध्यापक हैं उनका मद नं० 858 में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बात न करें। पिन ड्राप साइलेंस।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : मेरा एक निवेदन है कि मन्त्री महोदय, जवाब स्पष्ट और टाइम पर नहीं देते हैं। लोगों को इसलिये असंतोष है। मन्त्री महोदय को निर्देश दिये जायं कि प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आशा करता हूं, प्रश्नोत्तर काल में सरकार की परफामेंस विशेष अच्छी होनी चाहिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : नये नये मन्त्री हैं, इनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाय।

(व्यवधान)

Page No 18

(18)

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह गूजर के प्रश्न का उत्तर आप सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उनके पास जवाब नहीं है, इसलिये पोस्टपोनमेंट चाहते हैं। आपकी कृपा का बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। आप ताड़ना नहीं दे रहे हैं। यह हमेशा पोस्टपोनमेंट चाहते रहेंगे। शिक्षा मन्त्री जी ने पहले प्रश्न को स्थगित कराया, दूसरे प्रश्न को स्थगित कराना चाहते हैं।

श्री खंगारसिंह (खारची) : इनकी एक महीने की तनख्वाह रोक दी जाये।

श्री एच० एन० शर्मा (वेगूं) : साल भर की तनख्वाह रोक दी जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कुछ नहीं सुन पा रहा हूं।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सारे प्रश्न बाकी हैं। मन्त्री महोदय पूरा उत्तर नहीं दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री के उत्तर भी नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री उमरावसिंह गूजर : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मेरा पहले का प्रश्न स्थगित कर दिया गया और आज भी प्रश्न स्थगित किया जा रहा है। उत्तर नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये वृक्ष

164. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में वर्ष 1976-77 में पांच सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र 'अधिक वृक्ष लगाओ योजना' के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाने की योजना थी एवं कितने वृक्ष लगाये गये और अब उन वृक्षों में से कितने जीवित हैं ?

(2) इस अधिक वृक्ष लगाओ योजना के अन्तर्गत कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(3) क्या व्यय की गई राशि के अनुपात में जो वृक्ष बच रहे हैं वह उचित हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

4) क्या राज्य सरकार वन खंडों में लगे वृक्षों को संख्यांकित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो यह कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(5) क्या यह सत्य है कि इस योजना के उपरान्त भी और विभाग की लापरवाही के कारण जयपुर के आस-पास के वनों की अवैधानिक ढंग से अन्धाधुन्ध कटाई जारी है? क्या राज्य सरकार इस प्रकार की कटाई की रोक थाम हेतु कोई ठोस कार्यवाही कर इस सब मामले की जांच करा कर दोषी व्यक्ति को दण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1976-77 में पांच सूत्री कार्यक्रम में 55 लाख वृक्ष लगाने की योजना थी और 83.57 लाख वृक्ष लगाये गये। सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विभाग के आपके आवेदन अनुसार जनवरी, 1977 में 66.7 प्रतिशत पौधे जीवित थे।

(2) इस योजना के अन्तर्गत एक करोड़ 61.25 लाख रुपया व्यय किये गये?

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये वृक्षों का वर्ष 1976-77 में सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विभाग से मूल्यांकन कराया गया है।

(5) यह सही नहीं है। जयपुर के आस-पास वृक्षों की कोई अवैधानिक ढंग से अन्धाधुन्ध कटाई नहीं हो रही है। इस प्रकार का मामला राज्य सरकार के समक्ष आने पर तुरन्त ठोस कार्यवाही की जावेगी।

फसलों की रक्षार्थ किसानों को जंगली जानवर मारने की अनुमति

165. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सैंचुअरी क्षेत्र के समीपस्थ ग्रामों के किसानों की फसल रक्षार्थ उन किसानों को उनके खेतों में आने वाले जंगली जानवरों को भगाने के लिये राज्य सरकार ने कोई लाइसेंस सम्बन्धी व्यवस्था कर रखी है? यदि नहीं, तो क्या वे किसान अपने हितों के लिये बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के फसल नष्ट करने वाले जानवरों को मार सकते हैं?

(2) यदि उक्त दोनों व्यवस्थाएं किसानों को उपलब्ध नहीं कराई जातीं तो क्या राज्य सरकार बढ़िया तरीके की फेन्सिंग कराने की स्थिति में है?

उत्तर

(1) जी हां। वन्य पशु सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के अन्तर्गत शिड्यूल 2 से 5 में सम्मिलित वन्य पशुओं को विशिष्ठ परिस्थितियों में मारने की अनुमति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

(2) वन्य पशु सुरक्षा अधिनियम, 1972 में समुचित व्यवस्था होने से, किसी अन्य किस्म की आवश्यकता नहीं है।

बस मालिकों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया लेना

167 श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्टेट केरिज परमिट की शर्तों के अनुसार बस मालिक को बस चलाना लाजमी है?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) क्या यह भी सही है कि बस मालिकों को निर्धारित मार्ग का किराया व समय प्रादेशिक प्राधिकारी से पास करवा कर बस में किराया सूची व समय सारिणी लगाना अनिवार्य है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बस मालिकों द्वारा प्रश्न के भाग(2)में निर्धारित किराये से ज्यादा किराया यात्रियों से लेना व निर्धारित रास्ते पर बस नहीं चलाना अनुज्ञा-पत्र की खुली अवहेलना है ?

(4) क्या यह भी सही है प्रश्न के भाग (3) में बताई गई ज्यादतियां ग्रामीण क्षेत्रों में व ग्रामीणों के साथ अधिक होती हैं जो यातायात विभाग पुलिस विभाग की उक्त मालिकों से खुली मिली भगत है ?

(5) प्रश्न के भाग (4) का जवाब अगर ना हो तो बताया जावे कि गुढ़ा बीजा केलवार सांरग वास, सोजत रोड़ व घन्टालिया मार्ग पर चलने वाली बसें क्या निर्धारित मार्ग पर निर्धारित समय से निर्धारित दर से किराया चार्ज करती हैं व चलती हैं ? यदि हां, तो बताया जावे कि बस किस स्थान से कब रवाना होती है व कहां जाकर यात्रा समाप्त होती है ? अगर यह परमिट की शर्तों के अनुसार नहीं चलती हैं तो यातायात विभाग ने परमिट की शर्तों की अवहेलना पर कब कब क्या क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(6) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर सभी यात्रियों को बस वाले न तो टिकट देते हैं और न निर्धारित किराया ही लेते हैं बल्कि बहुत थोड़े यात्रियों को ही टिकट देते हैं जिस से राज्य की चोरी होती है ? इसका पिछले वर्ष कितनी बार चैकिंग किया गया ?

(7) क्या राज्य सरकार उक्त मार्ग पर नियमितरूप से हफ्ते भर का चैकिंग लगातार कराने की व्यवस्था करेगी और उसके अनुसार बाकी कर की वसूली उक्त मालिकों से करेगी व परमिट की शर्तों की अवहेलना की कानूनी सजा उन्हें देगी ?

(8) क्या राज्य सरकार यातायात विभाग को यह हिदायत करेगी कि उड़न-दस्ते ऐसे ग्रामीण मार्गों पर अनिवार्य रूप से ऐसी गाड़ियों को हर हफ्ते चैक करें ताकि कर चोरी, यात्रियों की परेशानी समाप्त की जा सके?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ।

(3) जी हाँ।

(4) जी नहीं। शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(5) सोजतरोड से बीजागुढ़ा वाया केलवार, घंटालिया बस द्वारा गुढ़ा तक चलती है, जिनकी समय-सारिणी निम्नानुसार है :—

सोजतरोड़	रवानगी	5-00 सायं
	पहुंच	9-30 प्रातः
बीजागुढ़ा	पहुंच	7-30 सायं
	रवानगी	7-30 प्रातः

(यातायात मन्त्री)

किराया अधिक लेने अथवा परमिट की शर्तों की अवहेलना करने पर तीन बार दो मामलों में चालान किये गये एवं दो मामलों में दण्डित किया गया। एक मामला आर० टी० ए० के समक्ष विचाराधीन है।

(6) जी हां। कर की चोरी रोकने के लिये सर्वोत्तम बुद्धि से कर निर्धारण किया जाता है। पिछले वर्ष बस की तेरह दफा चैकिंग की गई थी।

(7) जी हां। इसकी चैकिंग बराबर दोषी पाये जाने वाले परमिट धारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(8) इस सम्बन्ध में निर्देश पहले ही जारी किये हुये हैं। जिनकी प्रति संलग्न है।

(निर्देश के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

डिविजनल मैनेजर के पद पर सहायक सम्भाग प्रबंधक की नियुक्ति

168. श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में डिविजनल मैनेजर के पदों पर मैकेनिकल इन्जिनियरों को लगा रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम में सहायक सम्भाग प्रबन्धक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें डिविजनल मैनेजर के पदों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अब उन्हें कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में निगम में सात सम्भाग हैं। जिनमें केवल एक उदयपुर सम्भाग में एकीकृत आगार को अवधारणा (योजना) के तहत संभाग प्रबन्धक का कार्य सम्भाग यांत्रिक अभियन्ता सम्पन्न कर रहा है।

(2) जी हां। वर्ष 1977 में चार सहायक सम्भाग प्रबन्धकों को सम्भाग प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत किया गया था तथा भविष्य में स्थान रिक्त होने पर इस पद पर और पदोन्नतियां देने पर विचार किया जावेगा।

लिफ्ट नहर से सिंचाई

169. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लिफ्ट नहर से सिंचाई महंगी पड़ेगी यह राज्य सरकार ने किस आधार पर माना? क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार की गई? यदि हां, तो कब किसके द्वारा? इस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार की रिपोर्ट लिफ्ट योजनाओं की शुरूआत करने से पूर्व भी बनाई गई? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में अब भी और काफी अध्ययन की जरूरत है? यदि हां, तो किसके द्वारा अब यह अध्ययन किया जायेगा?

उत्तर

(1) यह सर्व विदित है कि लिफ्ट नहर से सिंचाई बहाव की तुलना में सदैव महँगी होती है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पूर्व जांच पड़ताल करवाई है।

इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट वर्ष 1977 में आयुक्त, क्षेत्रीय विकास राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर के कार्यालय में मुख्य अभियन्ताओं के साथ विचार—विमर्श करके तैयार की गई है। इस रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। पिछली राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट नहीं बनाई गई।

(3) सारा मामला इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अपराधों की वृद्धि के साथ-साथ पुलिस विभाग का खर्च

170. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या पुलिस का बजट जनसंख्या व अपराध वृद्धि के साथ-साथ बढ़ा है ? यदि हां, तो निम्न तालिका में तुलनात्मक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वर्ष 1952-53		वर्ष 1957-58		वर्ष 1962-63	
प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च

वर्ष 1967-68		वर्ष 1972-73		वर्ष 1977-78	
प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च

उत्तर

जी हां। वांछित सूचना निम्न प्रकार से है—

वर्ष 1952-53		वर्ष 1957-58		वर्ष 1962-63	
प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
4—83	1056-30	2—12	1926-66	2—66	2133-99

(गृह मंत्री)

वर्ष 1967-68		वर्ष 1972-73		वर्ष 1677 78	
प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च	प्रति व्यक्ति खर्च	प्रति अपराध खर्च
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
4—84	2695-01	5-27	3359-40	8-14	3921-84

महात्मा गांधी आरोग्य सदन, भीलवाड़ा को ई. सी. जी. की मशीनें

171. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि महात्मा गांधी आरोग्य सदन भीलवाड़ा की दोनों ई. सी. जी. मशीन गत 2 वर्ष से ठीक प्रकार से रेखांकन अंकित नहीं करतीं ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन मशीनों पर कई बार नार्मल, एब्नार्मल तथा एब्नार्मल, नोर्मल में अंकित हो जाता है ?

(3) गत 2 वर्ष में इसके कारण कितने लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में मशीनें सुचारुरूप से कार्यरत हैं।

(3) मरम्मत से पहले एक पुरानी मशीन ट्रेसिंग में फ्लक्चुएशन होती थी जिसके कारण हो सकता है कुछ कठिनाई देखनी पड़ी हो।

राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबन्दी के आपरेशन।

172. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रेल, 1977 से आज तक विभिन्न जिलों में कितने नसबन्दी आॅपरेशन हुये ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में कब-कब अभियान चलाये गये और उनके क्या-क्या परिणाम रहे ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने जो उपलब्धियां विभिन्न जिलों में प्राप्त की हैं उनसे संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत अप्रेल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक विभिन्न जिलों में कुल 5812 स्वेच्छिक नसबन्दी आॅपरेशन हुवे हैं। जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शिक्षा प्रचार हेतु प्रचार अभियान 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 1977 तक पखवाड़ा मनाया गया था। माह दिसम्बर, 77 के द्वितीय पक्ष में परिवार कल्याण शिक्षा एवं सेवाएं पखवाड़ा मनाया गया था (परिणाम को जिलेवार सूची संलग्न है)

(3) नई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नीति में ज्यादा जोर बच्चे एवं माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा पर दिया जाता रहा है। नसबन्दी के द्वारा परिवार को सीमित रखने के लिये अन्य साधन भी स्वेच्छा पर उपलब्ध कराये जाते है। विभिन्न जिलों में बच्चों एवं माताओं के रोग प्रतिरक्षण में अच्छी उपलब्धि हुई है। परन्तु परिवार को सीमित करने के साधनों को अपनाने वालों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होनेकी आशा की जा सकती है। क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्णतया स्वेच्छा पर आधारित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

173. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है ?

(2) इस वर्ष राज्य के कितने ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था की गई है ?

(3) आगामी वर्ष में राज्य के कितने ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था किये जाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है ? इससे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम लाभान्वित होंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 24037 समस्या ग्रस्त ग्रामों में से कुल 20843 ग्राम इस वर्ष के अन्त तक समस्या ग्रस्त शेष रहे।

(2) जनवरी 78 के अन्त तक 332 ग्रामों में जल वितरण शुरू किया जा चुका है। वर्ष 77-78 में कुल 450 ग्रामों में जल वितरण शुरू किये जाने का लक्ष्य है।

(3) आगामी वर्ष 1978-79 में 500 ग्रामों में जल वितरण शुरू किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें किशनगंज तहसील में वर्ष 78-79 में कितने ग्राम लाभान्वित होंगे, इसकी जानकारी इस समय उपलब्ध कराना संभव नहीं है। क्योंकि यह पांच सौ ग्राम कौनसे होंगे अभी तक राज्य सरकार के स्तर पर तय नहीं किया गया है।

डूंगरपुर जिले के सिंचाई खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार

176. श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भ्रष्टाचार की सीधी जांच नहीं करायी जा सकती ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो डूंगरपुर जिले में मारगिया बांध, भांगामेमोर, भोईयों को नाका, घोड़ियों का नाका, आकर सोम का नाका शिशोद बाव की बार तथा अमरपुरा

Page No 25

(२५)

(श्री उपाध्यक्ष)

के तालाबों पर हुए घोर भ्रष्टाचार की सीधी जांच क्यों नहीं कराई गई ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई खण्ड डूंगरपुर में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जिले से कोई शिकायत हुई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा उसके अनुसार किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्डित किया गया ? यदी नहीं, तो क्यों ?

(3) मारगिया पर कार्यावधि में किन अधिकारियों द्वारा कब 2 मजदूरों की चैकिंग की गई? विस्तृत जानकारी मय नामावली के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग प्राप्त शिकायतों पर स्वयं जांच करने में सक्षम है। तथा विभाग भी पुष्ट प्रमाण मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच हेतु प्रस्ताव भिजवाता है। डूंगरपुर जिले में मारगिया बांध, भांगामेमोर, भाईयों या नाका, घोड़ियों का नाका, ढाकर खोल का नाका, शिशोद बावा की बार अमरपुरा के तालाबों पर अनियमितता की शिकायतों के सम्बन्ध में जानकारी देने पर कार्यवाही की जा सकती है।

(2) जी हां। शिकायतों की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

(3) मारगिया बांध पर अतिरिक्त जिला विभाग अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा नियमानुसार चैकिंग की गई। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य में सिंचाई की दरें

177. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की सिंचाई की दरें जिन्सों पर आधारित हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन्सों में 4, कई में 3 तथा कई में 2 पिलाई की आवश्यकता होती है ?

(3) क्या नहरी सिंचाई की दरें पिलाई पर आधारित नहीं की जा सकतीं ?

(4) राज्य सरकार इस विषय में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सिंचाई की वर्तमान जिन्सवार दरें भी इसी मूलभूत आधार पर निर्धारित है।

(3) एवं (4) राजस्थान राज्य में सिंचाई की बार बार दरें निर्धारित करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि इस प्रकार की प्रणाली में आवश्यक हो जाता है कि हर क्षेत्र को मिले, हर पाण का दिनांक सहित इन्द्राज किया जावे। अतः सिंचाई पटवारी को अपने कार्य क्षेत्र में ही

(सिचाई मंत्री)

कम से कम दो गुना श्रम करना पड़ेगा व फिर भी आशंका बनी रहेगी कि सम्बन्धित काश्तकारों को सही इन्द्राज के बारे में पूर्ण सन्तोष न हो। इस प्रणाली द्वारा यह अन्तिम न हो। इस प्रणाली द्वारा यह आशंका बनी रहेगी कि सिचाई पटवारी को प्रलोभन में लेकर सम्बन्धित काश्तकार उनके द्वारा लिये प्रत्येक पाए का इन्द्राज न करा कर सिचाई शुल्क न देने की चेष्टा करें।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त सिचाई आयोग को भी सिफारिश रही है कि सिचाई की दर जिन्सदार ही होनी चाहिये। जिन्सवार दर निर्धारित करते समय विभिण्न जिन्सों को जो पानी चाहिये, वही मूल आधार दृष्टिगत किया जाता है।

जिला भीलवाड़ा के गुवारड़ी बांध के लिये अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा

178. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1972 में गुवारड़ी बांध जिला भीलवाड़ा के पेटे आने वाली जमीन अवाप्त की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि अवाप्त की जाने वाली जमीन के काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला ?

(3) गुवारड़ो बांध जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत कितने किसानों को परेशान होना पड़ा है ?

(4) मुआवजा अभी तक न देने का क्या-क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। 29 काश्तकारों को मुआवजा देना शेष है। तथा 39 काश्तकारों ने मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया।

(3) गुवारड़ी बांध की डूब में कुल 166 काश्तकार प्रभावित हैं।

(3) शेष बचे 29 काश्तकारों को मुआवजा देने हेतु भू-अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड माह नवम्बर में ही जारी किया गया है। अवार्ड के अनुसार भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही कर दिया जावेगा। सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

विद्युत् मण्डल के मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ

179. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रांतीय विद्युत् मण्डल मजदूर फैडरेशन आर. एस. ई. बी. में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ है ? यदि हां, तो इसे किस वर्ष में मान्यता प्रदान की गई ?

(2) मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ होने के नाते विद्युत् मण्डल द्वारा फैडरेशन को क्या क्या सुविधायें दी गई है ?

Page No 27

(27)

(श्री कौशल किशोर जैन)

(3) जयपुर में पावर हाऊस रोड पर फैडरेशन को कार्यालय किस किराये पर दिया हुआ है? उसमें कितने वर्ष का किराया बाकी है?

(4) क्या यह भी सही है कि फैडरेशन को एक 'ई' टाइप क्वार्टर किराये पर दिया गया था? क्या साथ वाले एक और क्वार्टर पर फैडरेशन द्वारा विद्युत् मंडल की स्वीकृति से कब्जा किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि फैडरेशन के कब्जे में "मजदूर मैदान" भी है जो कि मण्डल की सम्पत्ति है?

उत्तर

(1) जी हां, उसे सन् 1962 में मान्यता प्रदान की गई थी।

(2) फैडरेशन को विद्युत् मण्डल द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ दी गई हैं:—

(अ) मण्डल द्वारा फैडरेशन को 'ई' टाइप क्वार्टर बिना किराये के दिया गया।

(ब) पावर हाउस के पी. बी. एक्स. टेलिफोन का एक एक्सटेंशन दिया गया।

(स) फैडरेशन के सदस्यों का निम्न विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।

(1) कार्यकारिणी के सदस्यों को एक वर्ष में 12 दिन का अवकाश।

(2) सामान्य परिषद् के सदस्यों को एक वर्ष में 4 दिन का अवकाश।

3) साधारण निकाय (जनरल बाड़ी) के सदस्यों को एक वर्ष में 4 दिन का अवकाश।

(3) एक 'ई' टाइप क्वार्टर मण्डल द्वारा फैडरेशन को निःशुल्क (फ्री आफ रेन्ट) समझौते दिनांक 26-1-70 और दिनांक 16-2-71 के अधीन दिया गया है।

(4) उपरोक्त निःशुल्क क्वार्टर के अलावा एक और 'ई' टाइप क्वार्टर फैडरेशन को किराये पर दिये जाने के आदेश दिनांक 9-8-1972 को दिये गये थे।

(5) जी हां।

भोपालगढ़ सहायक अभियन्ता के कार्यालय में विद्युत् कनेक्शन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र

180. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भोपालगढ़ सहायक अभियन्ता के कार्यालय में कितने विद्युत् कनेक्शन किसानों को 31-1-1978 को देने शेष रहे थे? कृपया सूची विद्युत् प्राप्त करने के इच्छुक किसानों की निम्न प्रकार सदन की मेज पर रखें:—

नाम	विद्युत् आवेदन प्राप्ति दिनांक	अनुमानित समय अवधि या दिनांक कनेक्शन दिये जाने का।

(2) क्या उपरोक्त आवेदकों में आधे से अधिक को कनेक्शन 31-1-78 के पहले दिये जा सकते थे? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

Page No 28

(28)

उत्तर

(1) 63 आवेदन-पत्र किसानों के कनेक्शन देने के लिए दिनांक 31-1-78 को शेष रहे थे। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(2.) जी, नहीं मुख्य रूप से किसानों द्वारा 'एल' फार्म नहीं दिये जाने एवं उसके द्वारा मोटर आदि की फिटिंग पूर्ण नहीं कराने के कारण अधिकांश कनेक्शन नहीं दिये जा सकते थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सिंचाई उप-खण्ड जयपुर द्वारा फर्मों एवं एजेन्सियों से खरीदा गया माल

181. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

जयपुर सिंचाई उप-खण्ड में दिनांक 1-1-76 से 15-2-78 तक निम्नलिखित फर्मों एवं एजेन्सियों के द्वारा कब-कब कितने-कितने रुपयों के सामान की खरीद की गई तथा सामान का उपयोग कहां किया गया ?

फर्म का नाम

1. नर्सिंग इलेक्ट्रीकल्स, एम. आई. रोड, जयपुर।

2. मेटल किंग जयपुर, झोटवाड़ा रोड जयपुर।

3. एग्रो किम्स, एम. आई. रोड जयपुर।

4. बोम्बे सेल्स कार्पोरेशन, सांगानेरी गेट, जयपुर।

5. राजपूताना क्लाथ स्टोर, पांच बत्ती, जयपुर।

6. केरला क्राकरी, पांच बत्ती, जयपुर

7. नेशनल क्राकरी, पांच बत्ती, जयपुर

8. बोम्बे डाइंग, बापू बाजार, जयपुर

9. ओ. के. पेंट, हाउस, जयपुर

10. खन्ना ब्रदर्स, राजा पार्क, जयपुर

11. इंडिया पाइप स्टोर, जयपुर

12. राजकुमार बिसनदास, जयपुर

13. दिवान स्टोर, पांच बत्ती, जयपुर

14. राजस्थान बर्तन भंडार, आतिश मार्केट, जयपुर

15. आनन्द नर्सरीज, जयपुर, दुर्गापुरा फार्म

उत्तर

सिंचाई उप-खण्ड जयपुर द्वारा दिनांक 1-1-76 से 15-2-78 तक इन फर्मों और एजेन्सियों से कुल 25, 770.50 की खरीद की गई थी। विभिन्न फर्मों द्वारा की गई खरीद का दिनांक खरीद की राशि एवं स्थान जहां वस्तु उपयोग में आई, की सूचना संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पीपाड़ शहर में सहायक अभियन्ता (विद्युत) का कार्यक्रम

182. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में कितने व कहां कहां पर सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु कितनी रेवेन्यू तथा उपभोक्ताओं की संख्या होना आवश्यक है ? क्या बिलाडा सहायक अभियन्ता की रेवेन्यू उपभोक्ताओं की संख्या व क्षेत्र की लम्बाई को देखते हुए पीपाड़ शहर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलना राज्य सरकार उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में 12 सहायक अभियन्ता (विद्युत) के कार्यालय हैं, जिनके कार्य स्थान निम्न हैं:—

(1) सहायक अभियन्ता (नगर उप-खण्ड प्रथम), जोधपुर

(2) सहायक अभियन्ता (नगर उप-खण्ड द्वितीय), जोधपुर

(3) सहायक अभियन्ता (नगर उप-खण्ड तृतीय), जोधपुर

(4) सहायक अभियन्ता (नगर उप-खण्ड चतुर्थ); जोधपुर

(5) सहायक अभियन्ता (उत्पादन उप-खण्ड), जोधपुर

(6) सहायक अभियन्ता (डी. एम. ई. उप-खण्ड), जोधपुर

(7) सहायक अभियन्ता (डी० पी० ए० पी० उप-खण्ड), जोधपुर

(8) सहायक अभियन्ता (निर्माण उप-खण्ड प्रथम), जोधपुर

(9) सहायक अभियन्ता (निर्माण उप-खण्ड द्वितीय), जोधपुर

(10) सहायक अभियन्ता (परि० एवं सं० उप-खण्ड), बिलाड़ा

(11) सहायक अभियन्ता (ग्रा० वि० भोपालगढ़, उप-खण्ड), भोपालगढ़

(12) सहायक अभियन्ता (परि एवं सं०) फलोदी उप-खण्ड, फलोदी

(2) सहायक अभियन्ता कार्यालय स्वीकृत करने के लिये मण्डल द्वारा स्वीकृत नार्म्स के अनुसार 5000 से 12000 उपभोक्ता होने चाहिये। ओ. एण्ड एम. सब-डिवीजन बिलाडा के अन्तर्गत आने वाले कुछ गांवों को आर. ई. सी. सब-डिवीजन भोपालगढ़ एवं बिलाड़ा के अन्तर्गत अभी हाल में स्थानान्तरित करने के पश्चात् पीपाड़ में नार्म्स के अनुसार सब-डिवीजन बनाना सम्भव नहीं है।

"झा समिति" द्वारा दिया गया चुंगी-कर समाप्ति का सुझाव

184. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अप्रत्यक्ष कर जांच को "झा समिति" ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में चुंगी कर को शीघ्र खत्म करने का सुझाव दिया है ?

(2) क्या समिति ने नगर परिषदों को चुंगी की आय की हानि की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों को बिक्री कर पर "टर्न ओवर" टैक्स जोड़ने का सुझाव दिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार की तरह चुंगी कर समाप्त करने का विचार रखती है ?

(३०)

(श्री कौशल किशोर जैन)

(4) क्या मनोरंजन कर भूमि व भवन कर नगर परिषदों को देने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां।

(3) विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

सुजला कॉलेजों के भवन

186. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजला कालेजों में पुस्तकालय भवन अधूरा बना हुआ कई वर्षों से पड़ा है ? यदि हां तो कब से, क्यों और उसको कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) क्या इन कालेजों में छात्रों की संख्या को देखते हुये भवन की कमी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या उक्त कालेजों में एक भी छात्रावास नहीं है जो कि होना आवश्यक है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की और अब आगे क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। सुजानगढ़ के श्री जीवन मल तापड़िया द्वारा 1,50,000 रुपये की राशि की लागत का छात्रावास बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की योजना

187. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में कितनी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालाएं हैं तथा कुल छात्रों की क्या संख्या है ?

2) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पिड़ावा में निम्नलिखित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं हैं उनमें छात्रों की संख्या उनके सामने अंकित हैं:—

नाम विद्यालय	विद्यालय स०	छात्र संख्या
प्राथमिक विद्यालय	89	5173
उच्च प्रा० विद्यालय	19	2984
माध्यमिक विद्यालय	3	584
योग....	111	8741

(2) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाली शहर का तांगा स्टेण्ड

188. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पाली में जहां बस स्टैंड बना हुआ है वहां नगरपालिका द्वारा 50,000 रुपये की राशि खर्च कर तांगा स्टैंड बनाया गया था? यदि हां, तो उस तरफ किसी प्राइवेट व्यक्ति को मकान की खिड़की या दरवाजा खोलने की अनुमति नगर विकास न्यास या नगरपालिका क्यों नहीं दे रही है?

उत्तर

यह सही नहीं है। नगरपालिका बस स्टैंड के पास तांगा स्टैंड नगरपालिका द्वारा 12,832.58 रुपये की लागत से बनाया गया था। तांगा स्टैंड की तरफ किसी प्राइवेट व्यक्ति को मकान की खिड़की या दरवाजा खोलने की अनुमति देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। खिड़की या दरवाजा खोलने को इजाजत देने से तांगा स्टेण्ड का महत्त्व ही समाप्त हो जायेगा।

जोधपुर शहर में पावटा के पास धर्मनारायण के हत्थे का सब डिवीजन प्लान

191. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में पावटा के पास धर्मनारायण के हत्थे में बने भू-खण्डों का "सब डिवीजन प्लान" जोधपुर नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किया गया था? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भू-खण्डों में 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति मकान बना चुके हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में पक्की सड़कें नहीं हैं? अगर हां, तो उनका कब निर्माण किया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में "रोड लाइट" और नालियों की व्यवस्था नहीं है? अगर हां, तो भविष्य में कथित सुविधाएं कब जुटाई जायेंगी?

(5) क्या उपरोक्त क्षेत्र में गटर-लाइन बन्द पड़ी है और "मेन होल कवर" पत्थर के लगे हुए हैं? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) यह सही नहीं है।

(4) उपरोक्त क्षेत्र में रोड लाइट की व्यवस्था है और नालियों के निर्माण हेतु भू-स्वामी ने राशि जमा नहीं कराई है।

(5) गटर लाइन चालू है। नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति के कारण उक्त क्षेत्र में पत्थर के ही मेन होल कवर लगाए गये थे।

जोधपुर शहर की गुलाब सागर व फतेह सागर नहरों की दीवारों की ऊंचाई

192. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में गुलाब सागर और फतेह सागर की दीवारें

Page No 32

(32)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

कई स्थानों पर जमीन को सतह से नीची है ? अगर हां, तो इनकी ऊंचाई सुरक्षा के लिये कब बढ़ाई जायगी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नहरों में आये दिन बच्चे व जानवर गिरते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या इस तथ्य से नगर परिषद् के अधिकारी परिचित नहीं है? अगर हां, तो सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ?

(3) इन नहरों की वार्षिक सफाई के लिए नगर परिषद् जोधपुर द्वारा गत चार वर्षों में (किन-किन वित्तीय वर्षों में) कितनी धन राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन सागरों की दीवारें भूमि से लगभग दो फुट ऊंची हैं।

(2) जी नहीं।

(3) गुलाब सागर की नहर की सफाई हेतु 1977-78 में रु० 21,636 व्यय किये गये व फतेहसागर की नहर की सफाई के लिये कोई राशि व्यय नहीं की गई।

जोधपुर शहर के लक्ष्मीनगर कालोनी का सब डिवीजन प्लान

193. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या नगर नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जालम विलास क्षेत्र, जिसका वर्तमान नाम लक्ष्मीनगर है, के भू-खण्डों का सब डिवीजन प्लान नगर परिषद् जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था ? अगर हां, तो कब ? उसका क्षेत्रफल कितना है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भू-खण्डों में 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति मकान बना चुके हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में रोड लाइट और नालियों की व्यवस्था नहीं है ? अगर हां, तो भविष्य में कथित सुविधायें कब जुटाई जावेंगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में पक्की सड़कें नहीं हैं ? अगर हां, तो उनका कब तक निर्माण किया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि कच्ची मिट्टी की सड़क होने से वहां का निवासी अपने घर से बीमार को भी टैम्पो-टैक्सी में इलाज के लिये अस्पताल नहीं ले जा पाता।

उत्तर

(1) जी हां। लक्ष्मीनगर के भू-खण्डों का सब-डिविजन नगर परिषद् द्वारा 1956 में किया गया था। उसका क्षेत्रफल 6,15,811.8(2×2) वर्ग गज है।

(2) जी हां।

(3) जी हां चूंकि उक्त क्षेत्र निजी क्षेत्र है इसलिए जब तक विकास कार्यों के लिए बासोन्दान द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी तब तक विकास कार्य कराना संभव नहीं है।

(4) जी हां। शेष उत्तर प्रश्न के खण्ड 3 में दिया जा चुका है।

(5) यह सही नहीं है कि टैम्पो-टैक्सी इस क्षेत्र में नहीं चल पाते हैं।

जोधपुर शहर की गुलाबसागर व फतेहसागर नहरों की दीवारों की मरम्मत

194. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में गुलाबसागर और फतेहसागर की नहरों की दीवारें कई स्थानों पर गिरी हुई हैं ? अगर हां, तो कब से और कहां-कहां से गिरी हुई हैं ? इनके पुनः निर्माण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या लम्बी अवधि से गिरी हुई दीवारों का पुनः निर्माण नहीं करवाना नगर परिषद् के अधिशाषी अभियन्ता की लापरवाही है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि गुलाब सागर की नहर की दीवारें गिरी हुई नहीं हैं। फतेहसागर की नहर की दीवारें दो जगह से गिरी हुई है जो कि इन्द्रसिंह ठेकेदार के पिछवाड़े की तरफ व दारू के ठेकेवाली सड़क के पास है। नगर परिषद् द्वारा इसके पुनः निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

(2) दीवारों के पुनः निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री समरथलाल व शंकरलाल सदस्य विधान सभा की ओर से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ो जाति कर्मचारी समन्वय परिषद् की राजस्थान शाखा द्वारा दलित वर्ग के कर्मचारियों की मांगों को लेकर गत 20 मार्च से की जा रही हड़ताल व भूख हड़ताल के विषय में।

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से उप-जिला खण्ड कोटपूतली में करीब 4 माह से चीनी का वितरण नहीं हो रहा है, इस विषय में।

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 13 फरवरी, 1978 को महुवा ग्राम पंचायत सेवर जिला भरतपुर में पंचायतों के चुनाव के बाद मतगणना के समय एक उम्मीदवार द्वारा पेटियां आदि जबरदस्ती छीनकर ले जाने की घटना के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री भोपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 17 मार्च, को सीकर महा विद्यालय के एक छात्र नेता पर रात्रि को साढ़े ग्यारह बजे कुछ गुण्डों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

(5) श्री सुखलाल सैणचा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम झूंठा तहसील रामपुर जिला पाली में सिमको पाइप फैक्ट्री एवं जैन केबल्स फैक्ट्री के 50 मजदूरों द्वारा गत 17 मार्च से की जा रही हड़ताल के विषय में।

(6) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य-विधान सभा की ओर से अजमेर में

(श्री अध्यक्ष)

रेलगाड़ियों को चलाने पर रुकावट डालने की घटना के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् मेहरबानी करके........

मेजर श्री फतहसिंह : दो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न स्थगन प्रस्ताव आदि पर वक्ताओं का क्रम

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया एक-एक करके बोलें। मेजर श्री फतहसिंहजी, आपको भी मौका दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस नम्बर पर स्थगन प्रस्ताव है, उसी क्रम से माननीय सदस्य बोलें। जिनके स्थगन प्रस्ताव नहीं हैं उनको बोलने नहीं दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक करके बोलें। सबको समय दूंगा। पहले समरथलाल व श्री शंकरलाल।

श्री बजरंगलाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर पहले है। इनका कोई बिजनेस नहीं है। यह कैसे बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, श्रीमान्, जिन माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और जिनको जानकारी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है या जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अस्वीकार किए गए हैं, मेरा निवेदन यह है, मान्यवर, उन सदस्यों को उसी क्रम में, जिस क्रम में उनके स्थगन प्रस्ताव हैं, बोलने की अनुमति दी जाए........

श्री अध्यक्ष : मैं यही कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : हम भी यही चाहते हैं। परन्तु, मान्यवर, जिसके स्थगन प्रस्ताव नहीं हैं, वे पहले बोलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं करने दूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न काल समाप्त होने के समय माननीय सदस्य उमरावसिंह अपनी कमजोर जुबान से एक पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे थे। वे कुछ कहना चाहते हैं क्या उनको समय नहीं दिया जाए, यह नियमों के अनुकूल है ?

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह इस सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण चौधरी, आपने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है, वह मैंने सुन लिया है और व्यवस्था दे दी है।

श्री उमरावसिंह !

श्री उमरावसिंह गूजर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मेरा पहले का प्रश्न स्थगित कर दिया और आज का प्रश्न जो है, उसका उत्तर नहीं आया है। मुझे यह बताया जाए कि आज का प्रश्न जो मेरा था, उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : फिर से स्थगित कर दिया गया है।

श्री उमरावसिंह गूजर : धन्यवाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगतारसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह 9 बजे के पहले एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : विषय क्या है ?

श्री जगतारसिंह : विषय राजस्थान के अल्प संख्यक के साथ की जा रही ज्यादतियों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किया है। आप उस पर कृपया नहीं बोलें। श्री समरथलाल !

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से कल से राजस्थान विधान सभा के सामने भूख हड़ताल की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने पत्र लिखे थे, उसमें यह निवेदन किया था—

"निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति, जन जाति वर्ग के लिये आरक्षण के अलावा कई प्रकार की सुविधाएं देने के लिये गत 30 वर्षों में कई आदेश निकाले हैं। परन्तु एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें इन सभी आरक्षण आदेशों का सही पालन होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की हमारी समस्याएँ समय-समय पर सरकार को दी गई परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया, हर बार आश्वासन ही दिया गया है।

राज्य सरकार के आरक्षण आदेशों के सन्दर्भ में और दलित वर्ग के कर्मचारियों के हितार्थ आपके समक्ष 31 सूत्री मांगें रखी जा रही हैं। 30 वर्ष तक हमारी उपेक्षा होने के कारण हमने यह यह महसूस किया है कि सरकार के आदेशों की पालना के लिये हमें संघर्ष करना होगा। बड़े ही अफसोस की बात है कि दलित वर्ग से सम्बन्धित सरकारी आदेशों की पालना के लिये हमें संघर्ष की तैयारी करनी पड़ रही है।

आपसे अनुरोध है कि दलित वर्ग की निम्न मांगों को पूरा कर अमल में लाने का कष्ट करें।

(1) डॉ॰ अम्बेडकर जयन्ती के उपलक्ष में हर बार 14 अप्रेल को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश की मांग सरकार से की जाती रही है और आश्वासन

(श्री समरथ लाल)

मिलता रहता है, जब कि अन्य राज्यों में छुट्टी रहती है। अतः 14 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जावे।

(2) राज्य सरकार अनुसूचित जाति जन जाति के लिये राजकीय संस्थानों, कार्यालयों के अधीन कार्यालयों में 33% आरक्षण के आदेश प्रदान करें।

(3) दलित वर्ग का आरक्षण, जो कि 1980 में समाप्त होने जा रहा है, कम से कम 30 वर्ष और बढ़ाया जाय।

(4) राज्य सरकार आरक्षण पूरा करने के लिये एक अभियान चलाये जिस प्रकार कि सरकार समय-समय पर आवश्यक कार्य निपटाने को काम निपटाओ सप्ताह माह का अभियान चलाती है और इस अभियान की अवधि में बकाया आरक्षण भर्ती व पदोन्नति में पूरा किया जावे तथा इस अभियान में कार्य न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही उसी प्रकार की जानी चाहिये जिस प्रकार कि सरकारी आदेश की पालना न करने पर अधिकारी के विरुद्ध की जाती है।

(5) गत 30 वर्षों में भी दलित वर्ग की समस्याओं का हल न होने व जानकर के अधिकारियों द्वारा आरक्षण पूरा न करने के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों की जांच करने के लिये आयोग का गठन किया जावे जिस प्रकार कानसिंह आयोग का गठन किया है और आरक्षण आदेशों की पालना न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति कार्यवाही की जावे।

(6) भारत सरकार की तरह राज्य सरकार भी दलित वर्ग को हर प्रकार की समस्या के लिये कमिश्नर की नियुक्ति करे कमिश्नर को सरकारी आदेशों की पालना न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार दिया जावे।

(7) दलित वर्ग के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि जिनको कि बेरोजगारी निर्वाह भत्ता दिया जाता है। इनको बी० एस० टी० सी० प्रशिक्षण में अनिवार्य भेजना बन्द किया जावे व इनको बी० एड० के प्रशिक्षण में या अच्छे व्यवसायिक प्रशिक्षणों में भेजा जावे। प्रशिक्षण में अनिवार्यता के स्थान पर ऐच्छिकता का आधार रखा जावे यह निर्वाह भत्ता तकनीकी शिक्षा या व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को दिया जावे।

श्री दाऊदयाल जोशी : ऑन ए पाइण्ट ऑफ ऑर्डर सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। नियमों के अनुसार लिखित भाषण नहीं पढ़ा जा सकता है हाउस में। हाउस की यह परम्परा रही है कि लिखित भाषण नहीं पढ़ा जाय।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में शिक्षा तथा रोजगार सेल में सभी कर्मचारी दलित वर्ग के रखे जावें।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने की परम्परा रही है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : सेठों का होता तो 6 घन्टे चलते। बाहर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, जब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आती है तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार की बातें करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते हैं इतनी गम्भीर बात। अध्यक्ष महोदय, एक न एक दिन विधान सभा के लिए समस्या पैदा हो जायगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

श्री केदारनाथ : हम सुन रहे हैं।

श्री समरथलाल : राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए "नार्मल जोन आफ प्रमोशन" का जो सिद्धान्त लागू किया हुआ है इस सिद्धान्त से दलित वर्ग के कर्मचारियों को योग्यता होने पर भी पदोन्नति नहीं मिल पाती है। कारण यह है कि समय-समय पर आरक्षण के अनुसार भर्ती न करने पर "नार्मल जोन ऑफ प्रमोशन" सिद्धान्त से आरक्षण पूरा नहीं होता। इस कारण दलित वर्ग के कर्मचारियों को इस पदोन्नति सिद्धान्त से मुक्त किया जावे तथा निर्धारित अनुभव पूर्ण सभी दलित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति पृथक से वरिष्ठता सूची तैयार करके दे दी जावे। हाल में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 349 अध्यापकों को इस सिद्धान्त से पदोन्नति देकर सैकण्डरी स्कूल प्रधानाध्यापक बनाया है इसमें दलित वर्ग का एक भी कर्मचारी पदोन्नति नहीं पा सका है। अतः इस सिद्धान्त को जब से लागू किया है तब से ही सभी दलित वर्ग के पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों को पदोन्नति दी जावे। तथा वरिष्ठता आदि का लाभ उसी तिथि से दिया जावे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दलित वर्ग के जितने भी कनिष्ठ लिपिकों का चयन किया है उनकी एवज में किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, ये 31 सूत्री मांगें माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सामने पहले ही पेश कर दी गई है। मुख्य मंत्री महोदय ने मिलने का समय दिया। जिस समय उनको मिलना चाहिए था, मुख्य मंत्री जी ने समय नहीं दिया। उनसे मिलने के लिए बंगले पर गये। विधान सभा में भी मिलने आये। यहां भी नहीं मिल सके हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घोषणाएं तो बहुत करते हैं.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर किसी समय मिल लीजिए।

श्री समरथलाल : मिलने गये लेकिन मिलने का समय नहीं दिया।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मिलने का टाइम नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

Page No 38

(38)

आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरणसिंह : यह समस्या इस प्रकार की है ।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मौजूदा सरकार के लिए वास्तव में बहुत अशोभनीय है । दो दो अनुसूचित जाति और जन जाति के मंत्री हैं, विधान सभा के बाहर आपकी कार निकलती है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारियों के बोर्ड लगे हुए हैं । वहां पर कर्मचारियों की समन्वय समिति के लोग बैठे हैं ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने यह भी कहा है कि 30 वर्षों से जो जो आदेश हुए हैं, उनकी कोई अनुपालना नहीं हुई है ।

श्री शंकरलाल : वह लोग क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं ? क्या उनकी मांगें हैं ? उन पर आपको विचार करना चाहिये । आज दो आदमी बैठे हैं, कल चार बैठेंगे, परसों 100 आदमी बैठेंगे । अभी सदन में बताया गया है कि उनकी मुख्य–मुख्य कुछ मांगें हैं । जैसे डा० अम्बेडकर जयन्ती पर अवकाश का प्रश्न हैं । दूसरे राज्यों में छुट्टी की जाती है । इसके लिए आप पॉलिसी बनायें । क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं या नहीं ? आपको छुट्टी करने में क्या दिक्कत है ? आपका नियम है. आपके आदेश होते हैं, उनकी अनुपालना नहीं होती है इसके लिए आप आयोग भी गठित कर सकते हैं । केन्द्रीय सरकार ने आयोग गठित किया है । आप भी आयोग गठित करें । आज राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी हुई जाति, अल्पसंख्यक के बारे में जो घोषणाएं हुई हैं उनकी पालना क्यों नहीं हुई ? कौन जिम्मेदार हैं ? जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें । यों तो वैसे ही आपकी आयोगों की सरकार है । इस प्रान्त में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं इसलिए यह भी उनकी मांग है कि हरिजनों पर हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए आयोग का गठन करा जावे । जनता सरकार आने के बाद हरिजन मृतकों के आश्रितों को कम से कम 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जावे । तथा सभी हत्याओं की गुप्तचर विभाग से जांच कराई जाय ।

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं समझता हूँ कि आप हरिजन हैं । हरिजनों की हत्याओं और उनके प्रति अत्याचारों के बारे में अनेक शिकायतें आपके सामने आती हैं तो आप इनकी आयोग के बारे में क्यों नहीं मांग को स्वीकार करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यों तो इनकी बहुत सी मांगें हैं लेकिन मुख्य 31 मांगें हैं जिनकी ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित हो, और राजस्थान की आम जनता का ध्यान आकर्षित हो इसलिये वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सरकार की तरफ से उन लोगों के पास जायें जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं; उनकी मांगों को सुनने का कष्ट करें और उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए सदन के अन्दर आश्वासन दें कि वे कौनसी बातें मान सकते हैं और कौनसी बातें मानने में वे असमर्थ हैं । इन सारी बातों की चर्चा

(श्री शंकरलाल)

कर रहे हैं। आपको नहीं हमको शर्म आती है कि विधान सभा के बाहर अनुसूचित जाति के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : इसके पहले कहां गये थे आप ?

श्री शंकरलाल : तब आप नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह गुजारिश करूंगा कि जब भी मैं बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो मुझे सुनते नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इसकी आपको इजाजत है लेकिन हमें सन्तोषजनक जवाब दें।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय अनुसूचित जाति के हैं इसलिये इनको प्रोटेक्शन दिया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय मंत्री ने इलजाम लगाया है कि माननीय सदस्य नहीं सुनते हैं जब माननीय मंत्री महोदय जवाब देते हैं तो....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय; बार बार सदन में इस बात की चर्चा होती रहती है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर अत्याचार होता है, उनके हकूक का हनन होता है, सरकार उनको संरक्षण नहीं देती है। कुछ बातें सदन में आई जिनकी मैंने जानकारी की कुछ दिनों बाद तो ऐसा मालूम हुआ कि राज्य की उसमें कोई गलती नहीं है। जिस घटना के बारे में माननीय सदस्य इस सदन में बोले हैं उसके बारे में जानकारी जिलाधीश से की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन हरिजनों का जिक्र किया गया है उनको बस के जरिये आपके पास भेज सकता हूं। उनका बाकायदा जमीन पर कब्जा है और गिरदावरी और राजस्व रिकार्ड सब कुछ उनके नाम से पूरा है। हां, यह बात सत्य है कि कुछ आदमी उनकी फसल काट कर ले गये। उसकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की। अब पुलिस ने उनका केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी जांच होगी।

अब मैं दूसरी बात पर आऊंगा। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इनको समय दिया और मिले नहीं। मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात हुई थी। उन्होंने मुझे अधिकृत किया उनसे चर्चा करने के लिए। वह मुझसे मिले थे। मैंने उनको 15 तारीख का समय दिया था। 15 तारीख का समय दिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी के कक्ष में उन सब विद्यार्थियों से मिला और उनसे मिलकर....

श्री समरथलाल : यह विद्यार्थियों का मसला नहीं है। यह कर्मचारियों का मसला है।

श्री नूरा : यह तो जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके बारे में है।

श्री सम्पतराम : राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिन मांगों को पढ़ रहे थे मैंने वर्बेटिम एक-एक पाइंट पर उनसे बात

Page No 40

(५०)

(श्री सम्पतराम).

की है। उनके एक-एक पाइंट पर डिटेल्स में सचिवालय में करीब दो घन्टों तक उनसे बात की है। मैंने उनको यह आश्वासन दिया है कि इसके लिए एक कमेटी बना देंगे। मुख्य मंत्रीजी उनके अध्यक्ष होंगे। वह सब बातों पर विचार कर लेगी। माननीय अध्यक्षजी, हिन्दुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्य मंत्री ऐसी कमेटी का अध्यक्ष बना हो जैसा कि राजस्थान के अन्दर बना है। इन सारे सवालों को अपने स्तर पर ले रहे हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 30 साल से जो गलतियां होती रहीं....

श्री मूलचन्द डागा : आप उस समय कहां पर थे ? 30 सालों में आप क्या मंत्री नहीं थे ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप क्या उस सरकार में विद्यमान नहीं थे ? पहले की गलतियों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं और बाद की गलतियों के लिए आप जिम्मेदार हैं, यह तो काम करने की बात नहीं है। आप पहले वाली सरकार में भी थे और बाद की सरकार में भी है। आपने पहले भी आश्वासन दिये थे और अब भी आश्वासन दे रहे हैं। कहीं तो अन्त होना चाहिए। जो लोग अपनी मांग लेकर बैठे हैं उनकी मांग पूरी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अब आप क्या करने जा रहे है, यह बता दें ?

श्री अचलाराम : गत 30 वर्षों से उपेक्षा कर रहे हैं। यह इस पेम्फलेट में है।

श्री नूरा : जो पिछली सरकार में मंत्री थे वह यह बात कहें तो इसका मतलब यह है कि वह इसको टाल रहे हैं।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, कल ही मेरी उन कर्मचारियों से, जो कि भूख-हड़ताल पर बैठे हैं, बातचीत हुई है। उनका कहना है, माननीय सहकारिता मंत्रीजी के अलावा कोई भी मंत्री राजस्थान का उनसे नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में मंत्री महोदय, सही बात नहीं कह रहे हैं।

श्री सम्पतराम : मैं जो बात कहता हूं वह केटेगरिकली सत्य होती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री सम्पतराम : अगर इस तरह की बात कहते हैं और इस तरह का आपका आर्ग्यूमेंट है तो मैं समझता हूं कि इस बात को करने का कोई आधार नहीं रहता है। मैंने खुद ने बात की है। वह मेरे पास आये तो मैं उनको मुख्य मंत्रीजी के कक्ष में ले गया हूं और उनसे बात की है। आपको पता नहीं है कि कहां पर बात कर ली गई और स्टेटमेन्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री समरथलाल : उनकी जो मांगें हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सम्पतराम : एक दफा रायसिंह-नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक लड़की के बारे में उल्लेख किया था कि

(श्री सम्पतराम)

उसके साथ बलात्कार हो गया है और जान से मार दी गई है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने उनके बाप और भाई से बात की है । उन्होंने बताया है कि यह बात गलत है ।

इसी प्रकार नागौर के अन्दर एक घटना हुई । वह चौधरियों का गांव था । एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया गया । उस केस को दबाया है पुलिस ने । उसके बाद नेगोसियेशन्स हुए तो बलात्कार करने वालों का चालान कर दिया । हैड कान्स्टेबल....

(व्यवधान)

श्री मूरा : आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री सम्पतराम : इनकी मांग है, हरिजनों पर अत्याचार करने वाले दोषी व्यक्तियों का चालान नहीं किया गया, तो हमने इसमें पुलिस के कर्मचारियों का चालान किया है, ऐसी मिसाल नहीं मिलने वाली है ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह गलत है । दो मिनट मुझे दें । माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करता हूं । माननीय मंत्रीजी घटनाओं की तफतीश करते हैं और जो कुछ करते हैं, सही है परन्तु प्रश्न यह है कि जो स्थगन प्रस्ताव हमने रखा है वह भूख हड़ताल हो रही है, उसके बारे में दिया है । उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? आप खुद शिड्यूल्ड कास्ट के हैं इसलिये हो सकता है आपके हृदय में दर्द हो लेकिन जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनका क्या होगा ?

श्री दुलाराम: माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । एक साथ जवाब आ जायगा ।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : ये कांग्रेस के लोग व्यवस्था मानना पसन्द नहीं कर रहे हैं । क्या बात है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने रायसिंह नगर की जिस हरिजन लड़की का जिक्र किया है उसके सम्बन्ध में अखबारों में स्टेटमेंट है । उसको आपने बहुत बेसलेसली कन्डेम किया है तो माननीय सदस्य का अधिकार है वह कुछ कह सकते हैं ।

श्री शंकरलाल : उसकी चर्चा होने से पहले·······

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, सरकार का दिमाग बिलकुल ओपन है, स्पष्ट है । अब भी माननीय सदस्य के दिमाग में कोई बात हो तो मेरे चेम्बर में मिल लें । जो एडिशनल फैक्ट्स देंगे, उनकी पुन: जांच कराने के लिये तैयार हूं ।

श्री दुलाराम: माननीय अध्यक्ष महोदय 13 जनवरी, 78 को····

श्री शंकरलाल : उनकी मांगों के बारे में क्या कहा....

श्री दुलाराम : राजस्थान कॉटन फैक्ट्री के बाहर एक लड़की, जिसके पिता का नाम बहराराम और दादा का रतनाराम है, काम करने गई थी।

मान्यवर, वह 6 बजे मरी हुई घास के ढेर में मिली। यह रहस्य बन जाता है कि यह लड़की कैसे मरी ? मान्यवर, 14-1-78 को डॉक्टर ने मैडिकल किया और डॉक्टर ने उस लड़की के साथ रेप होना साबित किया है....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : यदि किसी माननीय सदस्य को शकोशुबाह हो और वे किसी समय भी इन्क्वायरी कराना चाहे तो करा सकते हैं....

(व्यवधान)

मैं सही कहता हूं, इसके बाद कोई तथ्य लायेंगे, मेरा दिमाग श्रोपन है, कहें सो करने को तैयार हूं; लेकिन इस तरह की हवा न बनाई जाय....

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को सच्चाई सुनने के लिये दिमाग श्रोपन रखने की जरूरत है।

श्री सम्पतराम : मेरा दिमाग श्रोपन है। जांच करा सकते हैं। जो मैंने जांच के फैक्ट्स रखे हैं वे सही हैं...

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : 20 सूत्री कार्यक्रम पर जब आपका नाम आया तो आप विषयान्तर हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी का दिमाग श्रोपन है लेकिन रायसिंह नगर से सम्बन्धित मामले की जांच नहीं करवाई। मैडिकल रिपोर्ट में कहा है उसका मर्डर किया गया है; उसकी मन्त्री महोदय जांच करवायें। ये कहते हैं वह बिलकुल झूठ है।

श्री सम्पतराम : मेरी जांच के आधार पर यह सही है लेकिन उस को यदि आप चैलेन्ज करते हैं और मुझे कोई सुझाव देंगे तो मैं जो आप कहेंगे वह मानने को तैयार हूं लेकिन इस प्रकार राजनैतिक हवा क्यों बना रहे हैं ?

श्री नूरा : आप दुबारा जांच करवाने के आदेश दें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कौन जांच करे ? जो जांच करता है, आप उसको डिनाई कर देते हैं।

(व्यवधान)

मैडिकल रिपोर्ट मौजूद है। जिसके साथ रेप हुआ है, आप उसके लिये क्या करेंगे ? उसके लिये क्या करेंगे आप ?

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : एक महिला के साथ रेप हुआ। उसने रिपोर्ट की किन्तु आज तक कोई जवाब नहीं दिया.......

(व्यवधान)

उस विधवा ने एस. पी. पुलिस, बीकानेर को रिपोर्ट करवाई। बीकानेर के उच्च अधिकारी मुलजिम का पक्ष लेकर जांच नहीं कर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रहे हैं। आज मुलजिम खुले आम घूम रहा है। जयपुर में महिला आकर गई है उसके साथ रेप हुआ है। उस महिला ने हलफनामा पेश किया है जो आपकी मेज के नीचे पड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

सरपंच ने जबरदस्ती घुस कर रात को रेप किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संबंधित चर्चा समाप्त हो चुकी है। ट्रेजरी बेन्चेज ने कह दिया है, आप उनसे मिल सकते हैं मन्त्री महोदय उत्सुक हैं कि इस समस्या का हल निकले। बातचीत के द्वारा हल निकालने की कोशिश कीजिए। इतना सरकार को सहयोग दीजिये।

(व्यवधान)

अगर इस बारे में जवाब चाहते हैं तो फिर पूछिये। उनकी इच्छा होगी तो जवाब दे देंगे....

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : हम सहकारिता मन्त्री का उत्तर सुनना चाहते हैं।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके बारे में आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, राज्य सरकार मौन क्यों है ?

श्री शंकरलाल : यह गूंगी और बहरी सरकार है, इसलिये मौन है।

श्री दाऊदयाल जोशी : गूंगे बहरे तो आप हैं। सारे राजस्थान को लूट कर खा गये और राजस्थान को भूखा नंगा छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, आप जवाब देना चाहते हैं तो दीजिये, अन्यथा गृह मन्त्री का उत्तर पर्याप्त है।

(व्यवधान)

आपने जो कुछ कहना था वह कह डाला। माननीय शंकरलालजी ने......

(व्यवधान)

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उप खण्ड कोटपूतली में करीब चार माह से खाद्यान्नों की सप्लाई नहीं की जा रही है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज की कमी है ? यदि कमी है तो वह पूरी हो सकती है। खाद्य सप्लाई के लिये गोदाम बने हुये हैं मगर पक्षपात की दृष्टि से, रिश्वत नहीं मिली या कमीशन तय किया हुआ है, वह किसी व्यापारी ने नहीं दिया इसलिए राजस्थान भर में केवल एक उपखण्ड को चीनी नहीं दिये जाने से यह स्पष्ट है कि सप्लाई विभाग में घोटाला है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी त्योहार चले गये अब होली का त्योहार आ गया है। फिर भी गांवों में चार महीने से चीनी नहीं मिल रही है। किसी चीज को अगर आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो उसको फ्री कर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन करना है या तो हमको चीनी दी जाय और अगर चीनी देने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसे फ्री कर दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के मुख्य पत्रों में यह आया है कि अपराधों में वृद्धि हो रही है। आपने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अपराधों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? इसका कारण एक ही है कि आपने भयमुक्त समाज का नारा दिया है। तारीख 13 को बड़े गर्व के साथ आपने भाषण देते हुए कहा कि पंचायतों के चुनाव शान्तिपूर्ण हुए। मैं कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि ग्राम पंचायत मडुमा, सेवर पंचायत समिति कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र और जिला भरतपुर में चुनाव हुआ। प्रोफेसर जवाहरलाल, जो एम० ए० के समाज शास्त्र विषय के प्रोफेसर हैं, न वहां जाकर चुनाव कराया। गिरीराज को वहां पर 438 वोट मिले। छतरसिंह को मालूम हुआ कि उसके 438 वोट आ गये उन्होंने आवाज दी तो जवाहरलाल ने कमरा बन्द कर दिया। कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ दिया और सारे मत और सारा सामान लेकर उसकी टेरेलिन की पेन्ट, घड़ी लेकर भाग गये। उस केस को रजिस्टर करवाया गया। इस तरह से हमला करने वाले कौन थे? गिरीराज ने रिपोर्ट की और तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गृह मन्त्रीजी इस बात की ओर ध्यान दें। बार बार कहते हैं अरेस्ट करने के लिए तीन दिनों से बराबर भूख हड़ताल पर हैं। वोट ले गये, प्रोफेसर के कपड़े ले गये। छतरसिंह घूमता फिरता है, उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उसके साथ 11 आदमी और हैं, मुकदमा पुलिस में रजिस्टर करवाया गया उसी दिन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर; 395 डेकोइटी; रोबरी और 398 और 149 सारे केसेज थानेदार ने रजिस्टर कर लिये। बराबर अपराधों की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। मैं चार्ज लगाता हूं इस गवर्नमेंट पर, बराबर कह रहे हैं, यह अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, यह असामाजिक तत्व हैं या भयमुक्त समाज है? आज एक महीना सात दिन हो गये आपमें विश्वास करते हुए। अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी बड़ी हिम्मत से कहते हैं कि अपराध वृद्धि को रोकना चाहते हैं। प्रोफेसर पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ और लोग हड़ताल पर बैठे हैं। चार आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं गिरीराज, किशोरसिंह, रामस्वरूप और एक व्यक्ति और है जिसका नाम मुरारीलाल है, वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपराध करने वाले छत्रसिंह, मोहनलाल, रामस्वरूप कल्याण थे, इन सबके खिलाफ एफ० आई० आर० लाज कर दी गई, मुकदमा रजिस्टर हो गया। कुम्हेर के माननीय सदस्य भी यहां बैठे होंगे, महरबानी करके वे कहें कि यह बात सही है। भरतपुर के भी सारे विधायक यहां विराजमान होंगे। इस तरह से अपराध होवें और उनको संरक्षण दिया जाय। एस० पी० कहता है कि ऊपर से हुक्म है कि गिरफ्तार न करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किस आधार पर उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं? गृह मन्त्री जी दुर्भाग्य से चले गये हैं।

श्री केदारनाथ (यातायात मन्त्री): मैं सुन रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा है, अभी संभाल रहे हैं।

श्री शंकरलाल : अभी तो सदन से बाहर गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुख्य मन्त्रीजी पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बदलते हैं, शायद बदल दिया हो पोर्टफोलियो। आप बतायें कि यह सच है या नहीं ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी इस तरह की घटना हुई है, टांग तोड़ दी गई और वोटों का बक्स ले गये। नेक्स्ट डे...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने अजमेर के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : वह अभी आ रहा है। मैंने स्वीकार तो नहीं किया है। आप दो मिनट बोल लीजियेगा। पहले श्री श्योपतसिंहजी !

श्री श्योपतसिंह मकासर: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लॉ एण्ड आर्डर की बात हो रही थी, हम भयमुक्त हुए; यह तो ठीक है, जरूरी भी था, देश में भयमुक्त वातावरण बना। मगर भयमुक्त वातावरण गुण्डों के लिये नहीं बनाना था। आम जनता, जो इमर्जेन्सी के दौरान सहमी हुई थी भयमुक्त हो यह जरूरी था। लेकिन उसके साथ-साथ गुण्डा एलिमेन्ट, जो युवा कांग्रेस के साथ था, युवा कांग्रेस के साथ मिल कर जिसने एक दहशत का वातावरण सारे देश में फैलाया, आज वही गुण्डा एलीमेंट, जो युवा कांग्रेस के साथ था, एक्टिव हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : गुण्डा एलिमेंट जो सी० पी० एम० के साथ था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने साफ कहा है कि गुण्डा एलिमेंट, जो दौराने इमर्जेन्सी युवा कांग्रेस के साथ था वह अब फिर एक्टिव हो रहा है। सीकर के अन्दर भी इसी प्रकार की घटना हुई है। सीकर महाविद्यालय का प्रेसिडेन्ट था उस पर हमला किया गया लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया वहां के प्रोफेसर भी एक्टिव हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन थे वे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो भी हो घटना के प्रोटेस्ट में सीकर बन्द हुआ; इस तरह की घटना वहां पर हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गृह मन्त्रीजी अगर आप स्टेप नहीं लेंगे; अगर इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो इसके दूसरे भी कान्सीक्वेन्सेज हो सकते हैं। लोगों में गुस्सा पैदा होता है, आप गुण्डों के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो लोग प्रोटेक्शन के लिए कदम उठा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इस तरह एक्शन बहुत भयंकर हो जायगा इसलिए....

श्री श्योपत सिंह मकासर : थानेदार को हुक्म दीजिये कि अपराधियों को गिरफ्तार करें। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रदेश में हालत खराब हो जायगी। इस तरह की प्रवृत्तियों की रोकथाम करनी चाहिए। एक महीने से जो वातावरण प्रदेश में बन रहा है, गुण्डे एक्टिव हो रहे हैं, आप इसके लिए अपने अधिकारियों को खबरदार कीजिये।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, सीकर में भी मर्डर हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल सेंगचा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। वह स्थगन प्रस्ताव एक अहम प्रश्न के ऊपर था। आपने राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य दिलवाने की कृपा नहीं की। आपने उसको अस्वीकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से तथ्यों की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, कल अजमेर के अन्दर रेलों का आवागमन 6 घण्टे के लिए पूर्ण तरीके से बन्द हो गया। सारा अजमेर अशांति में डूबा हुआ था, तमाम कालेजेज बन्द रहे। आपने पोलीटेक्निक के लड़के की समस्या का समाधान नहीं किया : डी० ए० वी० कालेज के लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तीन लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने निर्मम पिटाई की झूठे मुकदमे उन पर बनाये। लड़कों को बुरी तरह से सताया जा रहा है। उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अशांति उत्पन्न हो रही है। पहले अशांति थी पोलीटेक्निक के लड़कों में, उस अशांति को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। इधर से माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था, उस पर आपने आधे घन्टे की चर्चा की इजाजत दी थी। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला। इस कारण उनमें असंतोष बढ़ गया है। ठीक उसी प्रकार से डी० ए० वी० कालेज के लड़कों की वहां के डाइरेक्टर, प्रिन्सीपल, जो अजमेर की जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, के साथ कहा सुनी के मामले में उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर लड़कों को गिरफ्तार करवाकर उनको पीटा जा रहा है। इसके कारण तमाम शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं, कानून व व्यवस्था खतरे में पड़ गयी है। राज्य सरकार क्यों नहीं ध्यान देती ?

आज हमने अखबार में पढ़ा, जनता पार्टी के 6 विधायकों, संसद सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है जिसमें हरिजनों पर अत्याचार व उनमें बढ़ते हुए असंतोष का जिक्र किया गया है। आपने उनकी स्थिति सुधारने का वायदा किया था। उनकी स्थिति सुधारना तो दूर रहा उनकी समस्याएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। सारे देश में विद्यार्थियों में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया इसलिये आप राज्य सरकार को बाध्य करें कि अजमेर में जो अशांति स्टूडेंट के अनरेस्ट के कारण है उसको साधारण तरीके से न लें। आप इसको गंभीरता से लें। आज अजमेर में अशांति है कल जयपुर में अशांति फैल जायगी। आज से 4 दिन पहले विद्यार्थियों के असन्तोष के कारण अलवर में गाड़ी 4 घन्टे तक नहीं चल पाई। जो असेंसियल सर्विसेज हैं, जिनके आधार पर समाज टिका हुआ है, वह रुक जायगी तो जन जीवन अस्त व्यस्त हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, आप गृह मन्त्री से कहें कि लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन पर

(श्री रामनारायण चौधरी)

काबू पाया जाए, स्टूडेंट अनरेस्ट को मिटाया जाए। अजमेर में जिन छात्रों को 323 व 151 के अन्दर गिरफ्तार किया गया है उनकी जमानत नहीं ले रहे हैं, उनको पुलिस पीट रही है। गृह मन्त्रीजी वक्तव्य दें और उनको रिहा करने के आदेश जारी करें।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): अध्यक्ष महोदय, 13 मार्च को ब्यावर में कुछ छात्रों के साथ रायल टाकीज के व्यवस्थापकों ने जो व्यवहार किया; मारपीट की, उसके लिए छात्रों की रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं लिखी गई। अतः दूसरे दिन 14 मार्च को कालेज के छात्रों ने पुलिस थाने और रायल टाकीज के सामने शांत प्रदर्शन किया। हमको मिली जानकारी के अनुसार उन छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया उसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए जिससे छात्रों को भी चोटें आई और पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई। इस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा उठाई थी। कलेक्टर महोदय को जांच अधिकारी नियुक्त करने का आश्वासन मुख्य मंत्री ने दिया था। इस घटना को हुए एक सप्ताह निकल गया। ब्यावर के लड़कों में बड़ा असंतोष है। अब तक वे भूख हड़ताल पर हैं, तम्बू लगाकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुझे सूचना मिली वे जिन तंबुओं में बैठे हुए थे, उनमें से एक तम्बू को भी जला दिया गया। छात्रों में बड़ा असंतोष है और आज सारा ब्यावर बन्द है, 70 हजार की आबादी का ब्यावर बन्द है....

श्री मूलचन्द डागा : यह बहरी गूंगी सरकार है।

मेजर श्री फतहसिंह : ब्यावर की जनता और विशेषकर छात्रों में असंतोष की अग्नि उत्पन्न हुई है। यह असंतोष की अग्नि राजस्थान के अन्य स्थानों के छात्रों में नहीं फैले, इसके लिए हम प्रयत्न करें। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई प्रभावशाली कदम उठाए, आग बुझाए, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे छात्रों के असन्तोष की जो अग्नि है वह अधिक प्रज्वलित हो जाए। इसके लिए अविलम्ब प्रभावशाली कदम उठाए जायं जिससे छात्रों का आन्दोलन समाप्त हो। मैंने उस समय भी सुझाव दिया था लेकिन वह दरगुजर कर दिया गया। पुलिस अधिकारी डी० वाई० एस० पी० और हैड कान्सटेबल कालूराम के विरुद्ध विद्यार्थियों के आरोप हैं कि उन्होंने ज्यादतियां कीं और झूठे मुकदमें बना रहे हैं। उसकी जांच होने तक अस्थाई तौर से उनको अजमेर बुलाया जाए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करें।

दूसरा मेरा सुझाव है कि 15 तारीख को चर्चा हुई थी, उसके बाद में मुझे विशेष जानकारी मिली है। मुख्य मंत्री ने कलेक्टर अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया, ऐसा आश्वासन दिया था लेकिन कलेक्टर, अजमेर के विरुद्ध आरोप हैं कि जिस समय विद्यार्थियों का प्रदर्शन हो रहा था पुलिस के सामने व सिनेमा के सामने, उस समय कलेक्टर, एस० डी० ओ० ब्यावर के कार्यालय में बैठा हुआ था। लोगों ने उनसे कहा कि आप भी वहां जाकर जांच करें और छात्रों को संतोष दिलायें। मुझे जानकारी मिली है कि कलेक्टर ने कहा कि अगर अब वह जायेंगे तो पुलिस का मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए मेरा नम्र

(मेजर श्री फतहसिंह)

निवेदन है कि कलेक्टर की निष्पक्षता पर हम ग्रंगुली नहीं उठा रहे हैं लेकिन लोगों को, छात्रों को यह डर है कि वह कलेक्टर निष्पक्ष तौर से जांच नहीं कर सकेंगे ....

श्री मदनसिंह दांता: दोनों बातें मत करो।

मेजर श्री फतहसिंह । I am coming to that dont disturb. justice should not only be done but it should appear to have been done.

लोगों को यह मालूम पड़े कि न्याय हो रहा है, ग्रतः जरूरी है कि कलेक्टर से जांच न कराकर किसी दूसरे निष्पक्ष व ईमानदार व्यक्ति से जांच करायें मैं नहीं कहता कि किस ग्रधिकारी से करायें यह गवर्नमेंट का काम है। श्रीमान् इस मामले में ग्रधिक रिजिड व कठोर होने की ग्रावश्यकता नहीं है। जो जनता सरकार पिछले 8 महीने में बहुत फ्लेक्सीबल ग्रौर जनेरस रही है; उसको ब्यावर के मामले में, जिसका राज्य-व्यापी प्रभाव पड़ सकता है, रिजिड रहने की ग्रावश्यकता नहीं है। 15 तारीख को यहां पर चर्चा हुई उसके बाद में 'उगम राज जी मेहता मुर्दाबाद' के नारे ब्यावर में लगाए गए, उन के घर पर जाकर रोए ....

श्री मूलचन्द डागा: जनता पार्टी को भी रोए।

मेजर श्री फतहसिंह: I am coming to that। कल हम लोग वहां जायेंगे, ग्राप लोग वहां से होकर निकलेंगे। यह जनता पार्टी व कांग्रेस का सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल नहीं है, राजस्थान का प्रश्न है। जनता हमसे पूछेगी कि ग्रापने क्या हल निकाला? इसलिए हम कल शाम को ब्यावर पहुंचें उससे पहले मैं चाहता हूँ डीवाई० एस० पी० ग्रौर हैड कान्स्टेबल को ब्यावर से ग्रस्थाईतौर से ग्रजमेर भेज दिया जाए। सरकार घोषणा करे कि कलेक्टर ग्रजमेर से इसकी जांच नहीं कराकर किसी दूसरे ग्रधिकारी से जांच करायेगी।

श्री मूलचन्द डागा: सवाल यह था कि मुख्य मंत्री ने एक तरफ सदन में ग्राश्वासन दिया कि जांच करायेंगे, दूसरी तरफ विद्यार्थियों पर मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता। विद्यार्थियों का जो जलूस निकला उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। गृह मंत्री से लगातार उसके बारे में, मैं सम्पर्क कर रहा हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, ब्यावर से 15 तारीख को विद्यार्थी ग्राये। उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी से बात की। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर से जो जांच कराने की बात है वह गलत है। ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ग्राज ग्रौर स्थिति खराब हो गयी है, ब्यावर बन्द हो गया है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा इस काण्ड की न्यायिक जांच होनी चाहिये। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। वहां पर जो पुलिस ग्रधिकारी हैं उनको तुरन्त हटाया जाना चाहिये। ग्रौर दूसरे ग्रच्छे ग्रौर ईमानदार पुलिस ग्रधिकारी ग्रजमेर से भेजे जाने चाहिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर बन्द जो आज हो गया है उसके बारे में, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति कोई ब्यावर और अजमेर तक ही सीमित नहीं है यह तो तमाम राजस्थान का हाल हो गया है। इस प्रकार की घटनायें तो अब आम हो गयी हैं। इसलिये मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह छात्रों का मसला पूरे राजस्थान का है यह कोई राजनैतिक मसला नहीं है। आप उसे राजनैतिक मसला नहीं बनावें तो अच्छा है। आज हमारे नवलगढ़ में, सीकर में झुन्झुनूं में सभी जगह स्थिति अजमेर जैसी हो रही है। पुलिस का भयंकर दमन चक्र चल रहा है। छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्हें ले जाकर पीटा जा रहा है। इसलिये आज तो ब्यावर बन्द हो गया है कल अजमेर बन्द हो सकता है और इसी प्रकार पूरे राजस्थान पर इसका असर पड़ सकता है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से इस मामले को लिया जा रहा है वैसा यह कोई सीधा मामला नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। वहां की हालत बहुत खराब है। लड़कों ने मांग की है कि कलेक्टर से उस कांड की जांच नहीं कराई जाय। इसका कारण यह है कि कलेक्टर खुद उस वक्त मौके पर हाजिर था इसलिये वह एक गवाह हो सकता है उसका जांच अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस सारे काण्ड को न्यायिक जांच करायें अन्यथा आज तो ब्यावर बन्द है कल अजमेर बन्द होगा फिर राजस्थान पूरा बन्द हो सकता है। इसलिए मसले को बहुत ही गम्भीरता से लिया जाय। आज लड़कों को वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है और लड़कों को पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। लड़के अपना घर छोड़-छोड़ कर इधर उधर भाग रहे हैं। यहां पर जिस वक्त यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया था तब जनता पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस भाई की बात की। लेकिन इसमें न तो कांग्रेस भाई का सवाल है और न कांग्रेस का सवाल है। लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है वह बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं है इसलिये मैं मुख्य मन्त्रीजी से और गृह मन्त्रीजी से यह मांग करूंगा कि इस काण्ड की न्यायिक जांच करायी जावे और इस समस्या को हल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, वहां पर छात्रों के साथ भयंकर अत्याचार हो रहा है। इसलिए इस ओर जल्दी से जल्दी महत्वपूर्ण कदम उठायें। यहां पर गृह मन्त्रीजी मौजूद हैं। मैं उनसे मांग करूंगा कि वहां पर वातावरण खराब हो रहा है इसलिये आप तुरन्त कदम उठायें, विद्यार्थियों के साथ न्याय करावें और इसकी न्यायिक जांच करावें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। गृह मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बात से बिलकुल इन्कार नहीं किया जा सकता है कि जहां पर बच्चों का सवाल हो वहां ढिलाई बरती जावे।

(श्री सम्पतराम)

इस मामले में अगर पुलिस ने कोई ज्यादती की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। इस मामले को लेकर मुझ से कई लोग मिले थे। गलती किसकी है या नहीं है यह तो जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार इस मामले में प्रयत्नशील है कि इसका कोई हल निकल आवे। मैं यहां पर माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में किसी प्रकार से रिजिड नहीं है और न ही सरकार ने इसको कोई प्रतिष्ठा का ही प्रश्न बनाया है। मेरे पास ब्यावर से कुछ माननीय लोग आये। उन्होंने बातचीत की। हमारे विधान सभा के माननीय सदस्य भी मिले। चूंकि मुख्य मन्त्रीजी ने कलेक्टर से जांच कराने के आदेश दे दिये थे इसलिये इधर-उधर चेन्ज करना उनको बिना मर्जी के नहीं हो सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसका सन्तोषजनक हल निकालने के लिये सरकार पूरी कोशिश करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : तब तक आप विद्यार्थियों का चालान नहीं करेंगे, यह सदन में आश्वासन दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, छात्रों के मामलों को लेकर ब्यावर बन्द है। आज मेरे पास ऐसी सूचना है कि अजमेर बन्द हो गया है। वहां पर 10 घन्टे तक सड़कों पर आवागमन बन्द रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले को गम्भीरता से लें और सिर्फ हुं कर इस बात को नहीं टालें। वहां छात्रों पर दफा 451-353 के केसेज लगा दिये गये हैं और काबिल जमानत के केस होते हुए भी उन लोगों को थाने में गिरफ्तार कर के पीटा जा रहा है उनकी जमानतें नहीं ली जा रही हैं। इस लिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि लड़कों के साथ जो अन्याय पुलिस कर रही है उसको बन्द किया जाय।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : कहां मारपीट की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार को इसके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : तो इसका मतलब यह हुआ कि लड़कों को पीटा जाता रहे ? इस प्रकार का अन्याय हम नहीं होने देंगे। यह ठीक बात नहीं है कि गृह मंत्री जी हंसते रहें और लड़कों के साथ अन्याय होता रहे। सरकार को सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की स्थिति खराब हो रही है। अजमेर कास्मोपॉलिटनसिटी है। अजमेर बन्द हो रहा है ब्यावर बन्द है और गृह मन्त्रीजी लड़कों को पिटवा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सारे कांड की न्यायिक जांच करायी जाय ब्यावर में जो पुलिस अधिकारी हैं उनको तुरन्त हटाया

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाय और दूसरे पुलिस अधिकारी भेजे जायें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में अपनी मांगों को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा किया जा रहा आन्दोलन

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य में अपनी मांगों को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मन्त्रीजी !

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अध्यापक कुछ अपनी मांगों को लेकर आजकल अपना असहयोग आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों के बारे में राज्य सरकार बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही है । मैं यहां सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी मांगों को लेकर वह लोग मेरे से कई बार मिल भी चुके हैं। हमने अध्यापकों की मांगों को सुना और उन पर विचार किया अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अध्यापकों की कुछ मांगें राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं कुछ मांगें उनकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित हैं जो मांगें राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं उनमें कुछ प्रशासनिक मांगें हैं और कुछ आर्थिक मांगें हैं इनके ऊपर राज्य सरकार बड़ी सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही हैं आज भी अध्यापकों के प्रतिनिधि मेरे साथ बैठने वाले हैं ऐसा लगता है कि कोई न कोई हल जरूर हम निकाल लेंगे ।

जहां तक उनकी मांगों का प्रश्न है उनकी जो मुख्य मांग है वह वेतनमान से सम्बन्धित मांग है । वेतनमान सन् 1961 से पूर्व जो थे उस समय 200 रुपया मासिक मिलते थे । 61 में 200 से 225 हुए और एक बार राणावत वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 225 से ऊपर हुए आगे 525 कर दिये गये और 76 से 1,000 से ऊपर। इस प्रकार उनके वेतनमान में वृद्धि होती रही । अब उनका कहना यह है कि जो यू. जी. सी. ने प्राध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि की है उसके अनुरूप उनके वेतनमान किये जायं । मैंने बजट डिमाण्ड के वक्त भी कहा था कि शिक्षा विभाग और अतिरिक्त सेवाओं में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिन पर विचार करना उचित है । उसके लिए कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था या एजेन्सी कायम करने का सरकार विचार करती है ताकि ये जो कर्मचारी हैं जिनकी समय-समय पर वेतनमान आदि के सम्बन्ध में कठिनाई खड़ी होती है उसको निपटा दिया जाय ।

जहां तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड के लिये उनकी मांग थी वह इसलिये थी कि जो बोर्ड....

(व्यवधान)

डागाजी, आप सुन लीजिये।

Page No 52

(52)

श्री जगतार सिंह : On a point of order, Sir

श्री अध्यक्ष : What is your point of order ?

श्री जगतार सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुझे दो मिनट ही बोलने का मौका दिया जाय । मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था ।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है । बोलने का अधिकार नहीं हैं, माननीय सदस्य ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसी भेदभाव की नीति की आप से तो उम्मीद नहीं की जा सकती हैं । सब मिल कर बात करते हैं । जो बात उठायी गयी है उसको हाउस में रख सकते हैं । यही बात रही तो फिर विरोधी पक्ष के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कक्ष में चर्चा कर सकते हैं आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है ।

श्री जगतारसिंह : बिलकुल स्पष्ट है । अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादतियां हो रहा है । दो मिनट ही मुझे दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मैंने संकेत किया है कक्ष में मिलिये ।

श्री जगतार सिंह : दो मिनट मिलने चाहिये ।

श्री सुखलाल संगणचा : दो मिनट मिलने चाहिये मुझे भी ।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं । मैं परिवर्तन नहीं कर सकता ।

श्री सुखलाल संगणचा : हम राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ।।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य हाऊस में बहुत कम बोलते हैं । वे कई बातें कहना चाहते हैं । दूसरे लोग ज्यादातर बोला करते हैं । सत्ता पक्ष में बैठे हैं वे ही बात कहते रहें तो जो इधर के माननीय सदस्यों के अधिकार हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा । हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते हैं कि आप न्याय नहीं देंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप दो मिनट हमारे माननीय सदस्यों को देकर कुछ कहने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज नहीं । जो माननीय सदस्य कम बोलते हैं मैं भी चाहूंगा कि उनको मौका दिया जाय । मेरे चेम्बर में आकर मिलें । कोई न कोई रास्ता निकाल कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आपने बयान दे दिया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा मानवता के ऊपर है ।

Page No 53

(53)

श्री अध्यक्ष : सूचना मिलेगी उसके पश्चात व्यवस्था दूंगा।

श्री सुखलाल संणचा : मेरा एक प्रस्ताव था। उसके ऊपर दो मिनट बोलने का मुझे मौका दीजिये। स्थिति खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष : Yes, two minutes.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मूलचन्द जी डागा का पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पूरा हो जाय। इससे पूर्व मैंने आपका नाम पुकारा था। उस वक्त आप नहीं थे। You lost it. तब भी दो मिनट दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : ज्यादा नहीं कहना है। 5 दिसम्बर को हमारे सब ही लोग..........

एक माननीय सदस्य : पहले उनका जवाब तो सुन लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : ये कहते हैं, दे दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : कहां दिया।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों पर यह उत्तर देने का दायित्व हैं उनकी कुछ कठिनाइयां है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब उत्तर देने के लिये मंत्री खड़े होते हैं और बोलते हैं तब भी माननीय सदस्य बीच में खड़े हो जाते हैं। मेरी कठिनाई है उसको निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

I am coming to the point. यह पोइन्ट आपके खिलाफ हो सकता है लेकिन महत्व का विषय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय अपनी दिक्कतों का वर्णन कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। आप सुनिये।

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : मैंने जो निवेदन किया उसके लिये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। देख लीजिये, मेरे बोलने के साथ साथ उधर शोरगुल शुरू हो गया....

श्री दुला राम : मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं कि यह शोरगुल हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इनको बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल एक बात....

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामनारायण जी की पार्टी के सदस्य बराबर डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। जिन माननीय रामनारायण जी के लिये मन में बड़ा आदर था, और जो मंत्री भी रह चुके हैं वह इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा दुःख होता है। कृपा करके दूसरों को मौका तो दें कि वे अपनी बात रख सकें।

Page No 54

(54)

श्री जय कृष्ण शर्मा : मेहता साहब....

(व्यवधान)

शिक्षा मंत्रीजी जो कुछ कह रहे हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं । शिक्षा मंत्री जो कहें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन पैरों पर है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री रामनारायण चौधरी : हम कोई बात आपके द्वारा ही कहते हैं । आप अनुमति देते हैं तब ही कहते हैं । यदि उसको माननीय मंत्री महोदय शोरगुल कहते हैं तो यह केवल हमारा अपमान नहीं है सदन का अपमान है । इस तरह उन्होने जनतन्त्र को धक्का पहुंचाया है ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : केवल शोरगुल के अलावा कुछ नहीं सुनाई पड़ता है । हर जगह कांग्रेस 'आई' के लोग सुनियोजित रूप से ऐसा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : कांग्रेस 'आई' के नाम से आपको चिढ़ हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह सदन का समय खराब करते हैं ....

(व्यवधान)

ये सुनना नहीं चाहते और सदन के तमाम सदस्यों का समय बरबाद करना चाहते है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । मन्त्री महोदय !

श्री रामरघुनाथ चौधरी : Point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order.

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कहा ही नहीं आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली ?

श्री अध्यक्ष : आत्मा की बात है तो स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आत्मा की शान्ति के लिए कोई शान्ति पाठ करायें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । मन्त्री महोदय !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया "शोरगुल" उस पर माननीय सदस्यों ने आपत्ति की लेकिन जो कुछ उधर हुआ उसके लिए कौन से शब्द का और प्रयोग किया जाता, यह मेरी समझ में नहीं आया । यदि आप मुझे कहने का अवसर देंगे तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा और अपनी बात भी कह सकूंगा । कृपया शान्ति से सुनें ।

जहां तक मैंने निवेदन किया कि इनकी मांगों का बोर्ड से सम्बन्ध है उसमें भी दो प्रकार की मांगें हैं । एक तो यह है कि यह कापियां जांचते हैं या इनविजीलेशन करते है तो उसकी फीस बढ़ाई जाय । दूसरी मांग यह है कि इनका जो शिक्षक संघ है जिसको कि अभी मान्यता नहीं मिली है उसको

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मान्यता देकर बोर्ड में उसका भी प्रतिनिधित्व करायें। यह मांग बोर्ड से सम्बन्धित है। तो जहां तक फीस की दर की वृद्धि का सवाल है वह मांग बोर्ड ने स्वीकार कर ली है और फीस की दर में वृद्धि भी कर दी है। जहां तक संघ के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है....

श्री रामनारायण चौधरी : पाइन्ट ग्राफ ग्राडर, मिस्टर स्पीकर, सर। इस बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न पहले रैफर हुआ है। राजस्थान पत्रिका में जिस बात का उल्लेख किया गया है उसकी पुनरावृत्ति लीडर ग्राफ दी हाउस की सीट पर बैठ कर हो रही है। एक सीट प्रोटेक्टेड है और लीडर ग्राफ दी हाउस की सीट पर बैठना उसका ग्रपमान नहीं बल्कि सारे सदन का ग्रपमान है। ग्रापकी ग्रोर लीडर ग्राफ दी हाउस की सीट सुरक्षित है। उनके ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। नई विधान सभा में यह परम्परा देखने में ग्राई है कि उधर के पक्ष वाले माननीय सदस्यों में से एक भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं होगा जो कि ट्रेजरी बैंचेज पर ग्राकर लीडर ग्राफ दी हाउस की सीट पर न बैठा हो। मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापसे व्यवस्था चाहूंगा, यह इसी तरह से बैठते रहेंगे जिस प्रकार से माननीय सदस्य बैठे हैं या सदन की कोई सैंक्टिटी ग्रौर व्यवस्था भी रखेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : प्रजातन्त्र को वह मानते हैं। वह यह व्याख्या नहीं मानते। वहां वह बैठेंगे।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहेंगे या समाप्त कर दिया?

(व्यवधान)

सरकारी पक्ष की बात तो सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक इनके संघ के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह कई बातों से जुड़ा हुग्रा है। राजस्थान में ग्रभी दो संघ चल रहे हैं ग्रौर तीसरा संघ यह बनाना चाहते हैं। इनके संघ को मान्यता दी जाय तो सब के साथ बैठकर इस पर विचार किया जा सकता है। किस को मान्यता देंगे, उस व्यवस्था के ग्राधार पर हम बोर्ड के सामने जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : ग्राधार क्या है?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे। यदि कोई कठिनाई ग्राई ग्रापका सहयोग लेंगे। पुराने सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या कहा कि जो ग्रान्दोलन कराते हैं उनका सहयोग लेंगे? इसका मतलब यह है कि विपक्षी सदस्य मिलकर उनसे ग्रान्दोलन कराते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रापके बारे में तो कभी सोचता ही नहीं हूं। ग्राप तो ऐसा कर ही नहीं सकते।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापका ग्राभार मानता हूं कि ग्राप ने मुझे यह ग्रवसर दिया। प्रोफेसर केदार, जो ग्राज हमारे मन्त्री हैं ग्रौर उधर बैठ गये हैं, की यह मांग है, उनका बयान है जो सदन में दिया है....

श्री केदारनाथ : उनसे नहीं बैठा जाता यहां।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने बयान दिया था, यह सुनाना चाहता हूं। वह कहा था; उनकी जायज बातें हैं। 15 साल में एम० ए०, एम० एस सी०, बी० एड० करने के बाद भी, वर्क लोड ज्यादा होने पर भी, वर्किंग पीरियड ज्यादा होने पर भी उनका दोष क्या है? उनकी मांगें वाजिब हैं। सैकिण्ड ग्रेड और सीनियर टीचर्स की सिनियोरिटी लिस्ट दोनों एक बनती है। यह तो है उनकी बात जो उधर बैठ गये हैं। आपके श्रीमान् भैरोंसिहजी शेखावत ने भी शिक्षा की डिमाण्ड पर यह बात कही थी। पे के मामले में जो पे कमीशन ने अपना निर्णय लिया था.......

एक माननीय सदस्य : यह नये मुख्य मन्त्री हो गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : "All the federations have accepted the principle of equal pay for equal work for determining the salaries of the Government employees."

यह आपके सामने प्रिन्सिपल ले डाउन कर दिया गया है, equal pay for equal work इस सिद्धान्त को आपको मानना चाहिए। यह है सेन्ट्रल पे कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश। अब मैं आपको कहना चाहता हूं. श्रीमान्, देखा जाय तो दोनों टीचर्स हैं और उनकी क्वालिफिकेशन एक है, वह भी एम० ए०, एम० एस सी० और एम० कॉम० है और उधर भी एम० ए०, एम० एस सी० और एम० कॉम० है। लेकिन एक बात और है कि वह अपना खर्चा कर के बी. एड. करते हैं। कालेज में जो पढ़ाने वाला है वह तो 18 घण्टे प्रति सप्ताह पढ़ाता है और स्कूल के अन्दर जो पढ़ाने वाला है, वह 33 घण्टे प्रति सप्ताह पढ़ाता है। 18 घण्टे पढ़ाने वाला तो पे लेता है, 1270 रुपया और बेचारा 33 घण्टे पढ़ाता है, ज्यादा लड़कों को पढ़ाता है और ज्यादा लड़कों से सिरफोड़ी करता है, मेहनत करता है, उसको तनख्वाह देते हैं, आप 550 रुपये। आप न्याय की बात कहिये। आपने ऊपर-ऊपर की बातें तो कहीं। मैं आपकी नीति में शक नहीं करता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक लोग आन्दोलन कर रहे हैं, उन्होंने यह बताया है कि सारे लोगों की पे बढ़ा-दी गई है। श्रीमान्, 5 सितम्बर को आप मनाते हैं "शिक्षक दिवस" और कहते क्या हैं, शिक्षक देश के निर्माता हैं और शिक्षकों से देश बनता है। आप बड़ी-बड़ी ऊंची बातें करते हैं, बड़े आदर्श के वाक्य बोलते हैं लेकिन आपने वेटरनरी डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ा दी, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर्स की तनख्वाह बढ़ा दी, तहसीलदार की तनख्वाह बढ़ा दी, पुलिस की बढ़ा दी लेकिन शिक्षक जो देश का निर्माण करता है उसकी बाबत आप मौन क्यों हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनकी क्वालिफिकेशन्स ज्यादा, काम ज्यादा तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं है। उनकी मांग और कुछ नहीं थी। उनकी मांग यह थी कि श्रीमान् भैरोंसिंह शेखावत, प्रोफेसर केदार जब इधर बैठते थे तो हमारी मांगों के लिये बड़ी वकालत करते थे। उन्होंने आश्वासन दिया था वह मैंने आपके सामने कोट किया। उधर जाने पर आज क्या हो गया। आप सत्ता में बैठ गये।....

एक माननीय सदस्य : दृष्टिकोण बदल गया।

श्री मूलचन्द डागा : एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं, वे एग्जामिनेशन्स का बाइकॉट कर रहे हैं। लड़कों की परीक्षाएं होंगी नहीं, राजस्थान के विद्यार्थी बड़े बड़े इन्जीनियरिंग कालेज में एडमीशन नहीं ले सकेंगे क्योंकि परीक्षाओं के साथ शिक्षकों ने नान-कॉआपरेशन कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने यह मांग की कि 650 से 1250 तक हमारे वेतनमान किया जाय। 50 पर्सेंट पदों पर प्रमोशन्स हम में से किये जायं। हमारी वेतन शृंखला में बढ़ोत्तरी की जाये। साथ ही साथ उन्होंने 9 मांगें रखी हैं। मैंने 3 तारीख को यह प्रश्न किया शिक्षा मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं वह एक बात जरूर कहते हैं कि हम बैठकर बात कर लेंगे। अगर आज बैठकर बातकर लेते हैं तो चार पांच दिन बाद वित्त मन्त्रीजी, जिन्हें शिक्षकों से अनुराग है, एप्रोप्रियेशन बिल लायेंगे। आपने बजट में 61 करोड़ का घाटा दिखाया है उसको आप 70 करोड़ का घाटा कर दें लेकिन राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, जिनसे हमारा भविष्य बनेगा, जिनसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनके साथ चोट न हो जाये। शिक्षक के साथ जुल्म हुआ है, आप जानते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं 29 तारीख को घाटे का बजट पेश कर दें भले ही घाटा एक अरब तक पहुँच जाये, परवाह नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मुझे ऐसी आशा है।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह !

मेजर श्री फतहसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मूलचन्दजी डागा ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है उसी रूप में, मैंने भी 9 मार्च को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था।

मान्यवर, वरिष्ठ अध्यापक हमारी माध्यमिक शिक्षा पद्धति में रीढ़ की हड्डी हैं। यह वरिष्ठ अध्यापक का पद 1956 में बनाया गया था। श्रीमान्, समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाये गये लेकिन व्यापक रूप से वरिष्ठ अध्यापकों के साथ घोर अन्याय हुआ। कैसे अन्याय हुआ इसके पक्ष में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्रीमान, वरिष्ठ अध्यापक की न्यूनतम योग्यता होती है एम० ए०, एम० एस सी० ० काम० और साथ में बी० एड०। इनका 1961 से पूर्व 200 से 400 तक का ग्रेड था। जो 61 के बाद 225 से 485 हो गया। राणावत आयोग ने 225 525 कर दिया और 1976 के बाद यह 550 1010 हुआ। इसी तरह से श्रीमान, व्याख्याता होते हैं। उनकी न्यूनतम योग्यता एम० ए०, एम० एस० सी० एम०काम० होती है लेकिन जिस तरह वरिष्ठ अध्यापक बी० एड० होता है उस तरह बी० एड० होना इनके लिये जरूरी नहीं है। इनकी कम शैक्षणिक योग्यता है। 1961 में इनको 200-450 मिलता था। अन्तर केवल 50 रु० का था, 1961 के बाद इनका 585—800 हो गया, यानि करीब 313 रुपये इनके वेतन में अन्तर आ गया। राणावत आयोग ने 374-850 तक का ग्रेड कर दिया यानि 324 रुपये का इनमें अन्तर पड़ गया और 1976 से कालेज के लेक्चरार को मिला 700-1600 तक का वेतनमान।

इसी तरह से तहसीलदार को ले लीजिये तहसीलदार की योग्यता, बी०ए०

Page No 58

(58)

(मेजर श्री फतहसिंह)

बी०एससी०, बी० काम० अर्थात केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है। 61 से पूर्व उनकी वेतन श्रृंखला 175-400 थी यानि जहां वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 200 रुपये से शुरू होता था वहां उनका वेतनमान 175 से शुरू होता था। 61 के बाद 175-485 कर दिया। वरिष्ठ अध्यापक के बराबर लाकर छोड़ दिया और राणावत कमीशन ने 275-650 कर दिया यानि वरिष्ठ अध्यापक से 125 रुपये वेतन श्रृंखला बढ़ा दी। 76 में, इनकी वेतन श्रृंखला 620-1100 कर दी। श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदार एक ऐसा पद है जिसमें भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश है, फिर भी उनकी वेतन श्रृंखला को बढ़ाया गया इसी तरह से मैं दूसरे पदों का उदाहरण नहीं देना चाहता। कोई सब इन्सपेक्टर की बात लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, उनकी कम्पलेंट होनी चाहिये।

मेजर श्री फतहसिंह : उनकी कम्पलेन्ट अवश्य होनी चाहिये।

पुलिस-सब इन्सपेक्टर की न्यूनतम योग्यता बी० ए०, बी० एस सी०, बी० काम० है। 61 में उनकी वेतन श्रृंखला 150-300 थी, 61 के बाद 200-450 कर दी और राणावत कमीशन ने 275-650 कर दी। वरिष्ठ अध्यापक से 125 रुपये और बढ़ा दिये और 76 के बाद 620-1100 तक उनका वेतनमान कर दिया। पुलिस में किस तरह से भ्रष्टाचार है, किस तरह से वे भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, किस तरह भ्रष्टाचार का सामना करते हैं यह जानते हुए भी उन लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं जब कि सीनियर टीचर निष्पक्षता से, ईमानदारी से काम करते हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है।

श्रीमान, मेरे उदाहरणों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि वरिष्ठ अध्यापकों की उपेक्षा की गई है। बताये गये आंकड़ों से यह सिद्ध हो जाता है कि जहां एक ओर वरिष्ठ अध्यापकों के समान तथा उनके नीचे भी अनेक वेतन श्रृंखलाओं में पिछले 22 वर्षों में दुगने से अधिक वृद्धि की गई है वहां वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन श्रृंखला ज्यों की त्यों बनी हुई है।

श्रीमान्, इस सदन का अधिक समय न लेता हुआ एक बात कहना चाहूंगा। इन वरिष्ठ अध्यापकों की वेतन श्रृंखला में जो बढ़ोतरी होनी चाहिये वह क्यों नहीं हुई ? इसका कारण है कि इन्होंने सत्याग्रह, आन्दोलन, हड़ताल का मार्ग अब तक नहीं अपनाया। अतः इनकी उपेक्षा की गई। श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान, महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याता के अनुसार संशोधित कर 750-1300 कर दिये जायें। मेरा दूसरा सुझाव है कि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के स्थान जब-जब भी रिक्त हों तब तब 50 प्रतिशत रिक्त स्थान वरिष्ठ अध्यापकों को लेकर भरे जायं। शिक्षा सेवाओं में भी जिस तरह वरिष्ठ वेतन श्रृंखला है, सीनियर स्केल है उसी तरह वरिष्ठ अध्यापकों के लिये सीनियर ग्रेड कायम की जानी चाहिये। जो बात माननीय मंत्रीजी ने कही है कि जो परीक्षायें होती हैं, उनमें परिवीक्षक कार्य तथा एग्जामिनेशन इनविजिलेशन वगैरह का कार्य करने वालों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाना चाहिये। मैं

(मेजर श्री फतहसिंह)

समझता हूं वरिष्ठ अध्यापकों की मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं को हल किया जाना चाहिये तभी यह हमारे लिये लाभदायक होगा।

धन्यवाद।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस विषय पर प्रस्ताव है। जैसा अभी माननीय सदस्यों ने बताया जब विरोधी पक्ष में हमारे माननीय मंत्री महोदय बैठा करते थे तब उन्होंने भी वरिष्ठ अध्यापकों की मांगों के लिये आवाज उठाई थी। मगर न मालूम कुर्सी का क्या असर है कि उधर बैठते ही सोचने की सारी प्रक्रियायें पलट जाती हैं। यही नतीजा सन् 1974 में रेल्वे स्ट्राइक के कारण हुआ था। आज भी सरकार वरिष्ठ अध्यापकों की मांगों को नहीं मान रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हजारों अध्यापक आन्दोलन की राह पर हैं। उनकी मांग है जब कि उनके वेतनमान पहले अन्य सेवाओं से अच्छे थे लेकिन अब उनके वेतनमान 500) रु० लेक्चरर्स से कम हो गये हैं। यह अच्छी बात है, सरकार को बधाई दूंगा कि लेक्चरार्स के लिये यू० जी० सी० का वेतनमान लागू किया। परन्तु आज भेदभाव की सीमा इतनी बढ़ा दी है कि हर वर्ग के कर्मचारियों को असन्तोष है। जो प्राइमरी टीचर्स हैं, उनका क्या हाल है? उस केडर में भी भयंकर असन्तोष है। इसका एक ही इलाज है कि वरिष्ठ अध्यापकों की मांग के साथ एक दूसरा पे कमीशन बैठाया जाय। आज के दिन यू० जी० सी० के वेतनमान और वरिष्ठ अध्यापक के वेतनमान में अन्तर है, वह अन्तर जमीन आसमान का हो गया है। उसको कम करने के लिये नये ढंग से विचार करें।

इसके साथ वरिष्ठ अध्यापकों को मांग है कुछ कोटा फिक्स करने की। जिस प्रकार आर० पी० एस० और आर० ए० एस० का आई० पी० एस० और आई० ए० एस० का कोटा फिक्स होता है उसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापकों में कुछ अध्यापकों को लेक्चरार के पद पर पदोन्नत किया जाय। इस आशा से वरिष्ठ अध्यापक अपने ज्ञान को बनाये रखेंगे। अगर उनका आचरण, विद्या का ज्ञान और टीचिंग अच्छा होगा तो 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत जो भी प्रतिशत राज्य सरकार तय करेगी, उसके अनुसार लेक्चरार बन जावेंगे। बेसिक एजूकेशन तो एक ही है बल्कि टीचर को एम० ए० के साथ, बी० एड० होना पड़ता है, लेक्चरार के लिये बी० एड० या एम० एड० होना आवश्यक नहीं है। मैं यह चाहूंगा जो लेक्चरार हैं उनकी भी एक्स्ट्रा परमीशन.........

(व्यवधान)

हम सब आपकी कही हुई बातों को बड़े रूप में कह रहे हैं। आप तो बहिर्गमन करते थे, हम तो आपको कुम्भकरण की नींद से जगा रहे हैं। आप अपने वायदों को पूरा कीजिये। यदि सत्ता में आकर आपने उन वायदों को पूरा नहीं किया तो जैसे डाक्टरों ने आपकी कब्र खोदी वैसे ही ये वरिष्ठ अध्यापक करेंगे। किसी कर्मचारी वर्ग को मांगों के लिये आन्दोलन नहीं करना पड़े इसलिये अगर मांगें न्यायोचित

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

हैं, वाजिब हैं तो उनसे वार्ता करें और उनकी मांग को पूरा करें, इसमें ही आपका फायदा है। या फिर यूं कहिये कि वरिष्ठ अध्यापकों की मांग गलत है। एक तरफ आप कहते हैं कि मांग उचित है लेकिन हम इसलिये मानने को तैयार नहीं हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है तो जो लेक्चरार के वेतन बढ़ाये हैं उनकी क्या जरूरत थी, यह भेद-भाव क्यों? भेदभाव इसलिये है कि भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी लेक्चरार थे इसलिये उन्होंने केवल लेक्चरार्स की परवाह की। जिस दिन वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा मन्त्री बनेगा उस दिन उनकी भी मांग पूरी कर देगा। जिस दिन प्राइमरी टीचर शिक्षा मन्त्री बनेगा उस दिन प्राइमरी स्कूलों के टीचरों की मांग को पूरी कर देगा। मेरा निवेदन है कि आप इस प्राब्लम को काम्पेक्ट रूप से सोचिये। चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो एल. डी. सी., यू डी. सी. हो, चाहे कोई पोलोटेक्निक का कर्मचारी हो, मेरा मतलब यह है कि यह किसी एक वर्ग की बात नहीं हैं तमाम कर्मचारी के लिये रास्ता खोल दिया गया है कि वे अपनी सही मांगों को पूरा करवाने के लिये एजीटेशन करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें काल अटेन्शन हो गया। पर्याप्त है।

श्री ईश्वर चन्द्र।

दो मिनट में।

श्री ईश्वर चन्द्र : दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जो अधिकांश पाइन्ट थे वे सब माननीय सदस्य ने कह दिये हैं क्योंकि माननीय सदस्य के और मेरे विचारों में काफी समानता है। उन्होंने जो बातें कही बिलकुल सही कही हैं

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने बताया कि शिक्षा मन्त्री जी ने लेक्चरार्स को जो वेतनमान नहीं दिया जाना चाहिये था, वह दे दिया। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो लोअर केडर के कर्मचारी है, वरिष्ठ अध्यापक उनके और लेक्चरार्स के वेतनमान में आपने विसंगति और असंगति पैदा कर दी है। मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं फिर कहना चाहता हूं यह आई० ए० एस० के दिमाग की उपज है। वे जो लिख कर दे देते हैं, मत्री महोदय उसको मान लेते हैं। इस प्रकार से ये मन्त्रियों की निरन्तर खिल्ली उड़ाते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा क्षेत्र की इस समस्या को जगन्नाथ सिंह जी मेहता के सामने रखा गया था उन्होंने बड़ा उपहासात्मक रवैया अपना कर कोई कार्यवाही नहीं की। अब श्रीमन् रस्तोगी साहब पधारे हैं, वह कोई रास्ता निकाल पायें, मुझे आशा नहीं है। जो अध्यापकों के दुख-दर्द को नहीं समझ सकता है वह देश के निर्माण के लिये कुछ नहीं समझ सकता है। इसलिये न तो वे वरिष्ठ अध्यापकों के लिये कुछ करना चाहते है और न ही उनके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। यदि वे सोचते हैं कि मांगों का औचित्य है और ये नेगलेक्टेड नहीं रहें, तो जन-प्रतिनिधियों की, एम० एल० एज० की, शिक्षा शास्त्रियों की और विद्वानों जिनको आप उचित समझते है, की एक समिति बना दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री माणक लाल ठाकोर कृपया दो मिनिट में।

श्री माणकलाल ठाकोर (नेनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पाली जिले में रायपुर तहसील में गांव हैं वहां सिमको फैक्ट्री है उसमें गरीब बच्चे काम करते हैं वे अपनी मांगों को लेकर कि फैक्ट्री एक्ट लागू किया जाय, लेबर एक्ट लागू किया जाय, विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं। अगर शीघ्र सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले समय में वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, वैसे श्रमिकों के प्रति आपकी बड़ी कृपा रही है। पिछले टाइम मैंने श्रम मन्त्री जी को निवेदन किया था, यह वही सिमको फैक्ट्री है जिसके लोग चालाक हैं, होशियार हैं और वे आपके उच्च अधिकारियों से मिले हुए हैं। उनको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई सुविधायें नहीं मिल रही हैं। आज पुलिस उनके किसी केस को रजिस्टर नहीं करती हैं। मैं श्रम मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा, हालांकि मेरा प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी निष्पक्ष अधिकारी को भेजकर सिमको तथा अन्य फैक्ट्रियों मजदूरों के साथ जो घटना हो रही है, फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं हो रहा है, लेबर एक्ट लागू नहीं हो रहा है उसकी तरफ आप ध्यान दें।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य की मांग वाजिब है।

श्री केदारनाथ : वह मैं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक-मंत्री महोदय।

श्री दिग्विजयसिंह।

मांग संख्या 28 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम व मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत की प्रस्तुति

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय श्री जय नारायण पूनिया।

श्री जयनारायण पूनियां (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10 करोड़ 33 लाख 74 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 28 व 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

1. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर, ग्रामीण) :

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर) :

श्री श्रोमकाश शर्मा (बून्दी) :

2. सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये स्थायी योजना न बनाए जाने की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

3. डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सुझाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बान्दीकुई) :

4. सूखा प्राशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की अन्यरगति के कारण राजस्थान में होने वाली विनाशलीला पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

5. डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्तकारों को कृषि सम्बन्धी ज्ञान ट्रेनिंग नहीं होने से कम उपज पैदा होने के कारण किसानों को ट्रेनिंग देने पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

6. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू योजनाओं को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

7. जोधपुर में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ कार्यों को मन्थर गति पर तथा व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने के लिए चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

8. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में वन विकास में बहुत ही कम राशि का बाड़मेर जिले में सन् 77-78 में प्रावधान किया है, अतः उक्त वन विकास कार्यों में सन् 78-79 में अधिक राशि प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

9. बाड़मेर जिले में सूखा आशंकित कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये ।

10. बाड़मेर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में भेड़-पालन कार्यक्रम को राज्य सरकार ने मान्यता नहीं दी है, अतः भेड़ पालकों में रोष है जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

11. भेड़ों के लिये बनाये जा रहे चारागाहों के विकास हेतु रास्ते रोक देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) :

12. तहसील शेरगढ़ में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना के तहत लिए जाने वाले कार्यों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

13. झुंझुनू और सीकर जिलों को सूखा प्राशंकित क्षेत्र घोषित नहीं करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

14. सूखा प्राशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के तहत झुंझुनू जिले में कोई कार्य नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

15. सूखा क्षेत्र में नल कूपों की खुदाई तथा भूमि समतल कार्यक्रम की उपयोगिता पर चर्चा के लिये ।

श्री करतारसिंह (किशनगढ) :

16. अजमेर जिले की पंचायत समिति क्षेत्र किशनगढ़ एवं अराई को भी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

17. जिला जालोर में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

18. सूखा आशंकित क्षेत्रों हेतु स्थाई योजना बनाने और स्थाई निर्माण कार्यों पर चर्चा के लिये !

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

19. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाई गई योजनाओं के अनुसार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) :

20. लाड़पुरा का भाडल्या, गिरधरपुरा, बोरावास, मदनगंज, डोल्या, रंथम्भकरा को सूखा क्षेत्र घोषित कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) :

21. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की समाप्ति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

22. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में अकाल एवं अभाव की स्थिति होते हुए भी इसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

23. बून्दी में सूखा होने से इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

24. सूखा आशंकित योजनाओं को क्रियान्विति में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

25. झुन्झुनू जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

26. उदयपुरवाटी (झुंझुनू) को सूखा आशंकित कार्यक्रम में शामिल कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

27. सूखा क्षेत्रों के स्थाई हल निकालने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

28. सूखा क्षेत्र कार्यक्रम पर प्राथमिकता के आधार पर काम नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

29. सूखा संभावित क्षेत्र के स्थाई निदान करने पर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

30. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत समय एवं पैसे की बरबादी के रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (चिड़ावा) :

31. जिला झुन्झुनूं में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई कार्य करने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिए।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

32. इस योजना को कागजों की अपेक्षा व्यवहारिक बनाया जावे एवं जन लाभान्वित बनाने एवं अधिकाधिक उपयोग उठाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :
श्री रंगजी (सपोटरा) :

33. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम कोड़ एवं मूडिया आदि ग्रामों को सूखा एवं आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को धन्धा दिये जाने में विलम्ब करने पर चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

34. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उचित राहत न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

35. चूरू जिले में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को अधिक सुविधाएं दिए जाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

36 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की समुचित एवं व्यापकता के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

37. जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों तथा नागौर जिले के लिये सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में कोई राशि न रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

38. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :

39. सूखा संभावित क्षेत्र में सूखा संभावित क्षेत्र की समस्याओं के स्थाई उपाय नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

40. यदि मांगटला, जंजोला, काछोला में (कुन्डया खाल) इन तीनों में एनीकट नहीं बनेंगे तो कुओं का पानी बहुत गहरा चला जायगा अतः इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त होने से बचाने के लिये चर्चा के लिये।

श्री आर० डी० यादव (चौमू) :

41. जयपुर जिले का कोई भी ग्राम सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लेने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

42. डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले लोन की राशि में लगने वाले अत्यधिक देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह(आसीन्द) :

43. तहसील आसीन्द व आधा हिस्सा मांडल व हुरड़ा तहसील में डी०पी०ए०पी० प्रोग्राम लागू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा):

44. डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न कार्य सुचारु और सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चलने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

45. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की धीमी गति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

श्री सुभाषचन्द्र आर्य (सूरजगढ़) :

46. अजमेर जिले को डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

47. जैसलमेर में डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली योजनाओं की मन्थर गति पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

48. पाली जिले को डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम में सम्मिलित कराने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंदसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :

49. तहसील आमेट की 20 में से 18 पंचायत क्षेत्रों में सूखा क्षेत्र होने पर इसे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लिये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतहपुर) :

50. पशु-पालकों को डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक धन राशि उपलब्ध कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (मण्डावा) :

51. सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) :

52. किशनगंज क्षेत्र में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की योजनाओं पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

53. बाड़मेर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर समिति के गठन न करने के कारण कार्यक्रम में बाधा पहुँचाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

54. सूखा आशंकित कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

55. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम में होने वाले पक्षपात के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

56. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों की योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

57. सूखा आशंकित क्षेत्रों को नहर द्वारा पानी उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

58. बाड़मेर जिले में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ पालन विकास के कार्यक्रम को हाथ में न लेने के कारण भेड़ पालकों में उदासीनता के विषय पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

59. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के मद में भारत सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग व्यवस्थित ढंग से नहीं किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :

60. महुआ विधान सभा क्षेत्र को सूखा आशंकित क्षेत्र घोषित किया जाय ताकि गरीब मजदूरों तथा किसानों को राहत प्राप्त हो सके इस पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

61. डी० पी० ए० पी० मद में भू-संरक्षण के सर्वे में किये जा रहे खर्चे बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

इस कार्यक्रम में जन प्रतिनिधि के सक्रिय योग एवं इसके फण्ड के उपयोग व कार्य पर एक कामन एजेन्सी के नियंत्रण की की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

बाड़मेर जिले में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पानी की खोज के विस्तृत सर्वे करने में ढिलाई बरतने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

64. सीकर, झुन्झुनूं जिलों में सूखे से बचाव के कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

65. जिला विकास अधिकरण नागौर द्वारा गलत तरह की कार्यवाहियों कर जनता को परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां) :

66. मरु प्रदेश में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले कार्य धनाभाव के कारण नहीं हो पाने पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) :

1. आग आदि से पीड़ित व्यक्तियों को उचित राहत पहुंचाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुलाम मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

2. अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

3. ओलावृष्टि एवं अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में उत्पादन की समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

4. प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में दी जाने वाली राशि के अपव्यय बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

5. रोहुआ गांव, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में बाढ़ से भरे हुए पानी को निकलवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

6. प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्र राहत पहुंचाने में विभाग की शिथिलता बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

7. जोधपुर जिले में अकाल सहायता कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

8. अकाल सहायता से बनी अधूरी सड़कों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

9. अकाल ग्रस्त क्षेत्र में कार्य न खुलने से हो रहे कष्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

10. कोटपूतली तहसील में विभाग किसी भी तरह का राहत कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) ।

11. भीम क्षेत्र में चलाये जा रहे अकाल राहत कार्यों की संख्या और मजदूर बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

12. अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी 3 रुपये से बढ़ाकर 5 रु० करने पर चर्चा के लिये ।

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

13. प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य चालू किये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

14. राजस्थान प्रान्त में जिन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है वहां राजस्व एवं अन्य सभी वसूलियों के स्थगित करने के विषय पर चर्चा के लिये ।

15. राजस्थान प्रान्त में अकाल सहायता कार्यों में मजदूरी की दर कम से कम पांच रुपये प्रति दिन तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

16. बाड़मेर जिला अकाल सहायता समिति ने जनवरी माह की मीटिंगों में जिन अकाल राहत कार्यों के खोले जाने के लिये राज्य सरकार को सिफ़ारिश की उन कार्यों को स्वीकृत कर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्र के जिन गावों में पानी का संकट है, टंकियों द्वारा पानी न पहुँचाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

18. जिला नागौर में राहत कार्य नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

19. पूर्व में जो राहत कार्य किये गये उनमें हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

20. सिरोही जिले के लोग भयंकर अकाल की स्थिति से पीड़ित हैं फिर भी विभाग द्वारा इस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

21. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र जहां अकाल की स्थिति है को अकालग्रस्त घोषित न करने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) :

22. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों को अकाल ग्रस्त घोषित करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) :

23. रेवदर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व अकाल के समय अपूर्ण कार्यों को अब अकाल सहायता के तहत पूर्ण किया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) :

24. भरतपुर जिले में गत वर्ष आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति एवं सरकार द्वारा बाढ़ के अनुपात में दी गई राहत पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

25. भरतपुर उप जिले की सैपऊ सब तहसील में बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

26. सरकार द्वारा प्राकृतिक प्रकोप ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का शीघ्र निर्णय न लेने के कारण प्रकोप से पीड़ित लोगों को समय पर राहत न मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये।

27. भारत सरकार को राजस्थान के लिये समय-समय पर पड़ने वाले अकाल का शिकार होने की संभावनाओं के कारण विशेष धन राशि की व्यवस्था कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

28. प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी हल हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने से प्रति वर्ष होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

29. सहायता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व फेमिन कोड में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

30. शेरगढ़ तहसील में सम्वत् 2023 से 29 तक अकालग्रस्त रहने वाले गांवों के लोगों से होने वाली वसूली बाबत।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

31. अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को कोई राहत पहुंचाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल):

32. भीनमाल निर्वाचन क्षेत्र के कोमता धुम्बड़िया वाली गांव, जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर बह जाने की स्थिति में है; के लिये विलेज प्रोटेक्शन हेतु व्यवस्था पर विचार की चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

33. अग्नि से पीड़ित लोगों की सहायतार्थ सिरोही में कोई बजट न होने से मौके पर सहायता नहीं मिलती इसकी चर्चा के लिये।

34. आग दुर्घटनाओं से शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु जिलाधीश कार्यालयों पर धन की व्यवस्था की चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

35. टोंक जिले में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से पीड़ित गांवों में राहत कार्य नहीं चलाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

36. ब्यावर क्षेत्र में अकाल राहत कार्य व अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

37. अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील में शीघ्र राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

38. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक एक राहत कार्य खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

39. जिला जालोर में प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने के बारे में बजट प्रावधान करने में सरकार द्वारा की गई घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांण्डल) :

40. रबी अकाल राहत कार्य जिम्मेवारी से पूर्व कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

41. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य खोलने में बरते गये पक्षपात पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

42. जिला बाड़मेर में भयंकर अकाल की स्थिति से उत्पन्न समस्या का समाधान करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़) :

43. जमवारामगढ़ क्षेत्र में राहत कार्यों के चलाने एवं उनकी असफलता पर सुझाव देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंजमण्डी):

44. बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

45. जिला बाड़मेर में सम्पूर्ण अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर, पूर्व):

46. अजमेर में वर्षा के पानी में नीचे की बस्तियों में भरे पानी को निकालने हेतु राहत पहुँचाई जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा):

46. बून्दी जिले में अकाल सहायता कार्यक्रम चालू कर वाने एवं पुराने अकाल राहत कार्यक्रमों में घोटालों की जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

48. लाडपुरा तहसील के नया गांव बोबड़ा टोल्या आदि सम्पूर्ण क्षेत्रों में सूखा पड़ने पर भी सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

49. राजस्थान में अधिक वर्षा से आने वाली बाढ़ से नुकसान, कम वर्षा से पड़ने वाले अकाल से मुकाबला करने के लिये प्राकृतिक राहत कोष बनाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नारंगी देवी (पचपदरा):

50. बाढ़; सूखा तथा अतिवृष्टि से फसलों का नष्ट होना तथा विभाग द्वारा इनकी रोक थाम हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा):

51. प्राकृतिक आपदाओं से राहत पाने संबंधी दीर्घकालीन स्थाई नीति निर्धारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू):

52. झुंझुनू जिले में अकाल के कारण लगान की वसूली स्थगित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू):

53. प्राकृतिक आपदाओं से अकाल की स्थिति पैदा होने पर सरकार द्वारा अकाल घोषित किये जाने संबंधी कोई निश्चित काइटेरिया न बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्यों के खोले जाने में होने वाले पक्षपात के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रावत राम (सुजानगढ़):

55. कस्बा सुजानगढ़ बरसात के पानी से डूब जाता है, इसके लिये स्थायी योजना स्वीकृत करने पर तथा फिलहाल जो पानी कस्बे की विभिन्न बस्तियों में भरा हुआ है उसे शीघ्र निकालने के बाबत चर्चा के लिये।

(श्री रावत राम)

56. चूरू जिले में प्रभावग्रस्त गांव में बड़े पैमाने पर शीघ्र राहत कार्य प्रारंभ किये जाये, के संबंध में चर्चा के लिए।

57. प्रभाव ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की दैनिक मजदूरी 5 रुपये तक बढ़ाई जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) :

58. सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में भीषण अकाल की हालत के बावजूद अकाल राहत के पर्याप्त कार्य नहीं खोलने एवं कर्जों की वसूली पर रोक न लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

59. झुन्झुनू जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तंगत 5000 कुए बनाने पर चर्चा के लिये।

60. झुन्झुनू जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिये चारे का प्रबंध में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

61. अकाल राहत में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी बढाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़):

62. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मुआवजा व सस्ते कर्जे की व्यवस्था लागू की जाये इस पर चर्चा के लिये।

63. ओलावृष्टि से तबाह किसानों को मुआवजा देने का कानून में प्रावधान किया जावे तथा रेवेन्यू, रेट सिचाई कर तथा अन्य करों से मुक्ति दिलाई जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : (किशन पोल बाजार, जयपुर)

64. विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने के नार्म्स बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

65. पीपल्दा क्षेत्र को काली सिंध की बाढ़ से बचाने के लिये नानेरा गांव के पास विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार के संबंध में चर्चा के लिये।

66. मांगरोल कस्बे को बाण गंगा की बाढ़ से बचाने के लिये विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार के निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

67. कुम्हेर क्षेत्र का हमेशा ही भीषण बाढ़ के कारण तीन चौथाई भाग जलमग्न हो जाता है और भारी तबाही बन जाती है अतः बाढ़ से राहत दिलाने की स्थायी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथू राम (बागीदौरा) :

68. बांसवाड़ा जिला में अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें नष्ट हो जाने से भयंकर भुखमरी के कारण बेरोजगार आदिवासी एवं हरिजनों को राहत कार्यों पर रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भैरूंलाल (शाहपुरा) :

69. अकाल से राहत के लिये स्थायी योजना बना कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरूलाल)

70. भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत घोटाला काण्ड में लिप्त भू० पू० मंत्री, अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

71. अकाल राहत के अन्तर्गत निर्माण कार्य एवं भुगतान का संचालन अलग-अलग ऐजेन्सीज द्वारा कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

72. भीलवाड़ा जिले में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

73. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ को कन्ट्रोल करने हेतु विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री गंभीर लाल मीणा (सराड़ा) :

74. सराड़ा क्षेत्र में आदिवासियों के लिये कुए खुदवाने का काम अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराया जावे इस हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

75. उदयपुर जिले में व्याप्त अकाल के कारण लोगों के भूखे मरने की स्थिति के समाधान करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये :

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

76. बामनवास पंचायत समिति वाली टोडाभीम में ओलावृष्टि एवं शीत लहर से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

77. प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत जिला झुन्झुनू में कोई कार्य करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :

श्री रंगजी (सपोटरा) :

78. महुआ निर्वाचन क्षेत्र के अनेकों ग्रामों में शीतलहर एवं ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित सहायता दिये जाने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

79. देसूरी क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान से किसानों को राहत पहुंचाने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार):

80. जिला सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि के कारण अरहर की कृषि नष्ट हो गई तथा अन्य फसलें भी खराब हो गई हैं परन्तु राजस्थान सरकार ऐसे किसानों को राहत पहुँचाने के लिये अभी तक कुछ नहीं कर रही तथा स्थानीय अधिकारी चुप हैं इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

81. अलवर जिले की प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति को भविष्य में रोकने की व्यवस्था एवं वर्तमान में राहत कार्य खोले जाने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

82. चूरू जिले में अधिक अकाल राहत कार्य खोलने एवं श्रमिकों को अधिक सुविधाएं देने बाबत चर्चा के लिये।

83. अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों को मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत मजदूरी दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

84. प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिये किसानों की फसल की बीमा योजना राहत विभाग के माध्यम से चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा(बनीपार्क,जयपुर):

85. प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति प्रदान करने हेतु राहत की समुचित योजना एवं परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

86. फलौदी तहसील के लिये प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत कार्यक्रम की कोई उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

87. प्राकृतिक आपदाओं से राहत पाने के लिये सुनियोजित एवं त्वरित कार्यक्रम अपनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

88. प्रति वर्ष राजस्थान में बाढ़ सूखा अनावृष्टि, अतिवृष्टि के लगातार चलते रहने से आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के समाधान हेतु ठोस योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :

89. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए स्थाई उपाय खोजने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (माण्डल) :

श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा) :

90. शाहपुरा क्षेत्र में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि पीड़ित स्थानों पर राहत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

91. विभाग द्वारा मवेशियों के घास के बैंक बनवाने और अकाल ग्रस्त क्षेत्र के मवेशियों को उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री आर० डी० यादव (चौमू) :

92. चौमू क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं यानि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अकाल राहत कार्य शीघ्र चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

93. पंचायत समितियों द्वारा निर्मित तालाबों जो बाढ़ के कारण खराब हो गये हैं उनका राहत कार्यों के माध्यम से पुनः निर्माण करने की चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन) :

94. सवाई माधोपुर जिले में हुई अतिवर्षा, शीत लहर एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई हानि के कारण किसानों को राहत देने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पवार (चूरू) :

अकाल राहत कार्यों पर लगने वाले मजदूरों को श्रम कानून के तहत निर्धारित

(श्री मेघराज पवांर)

दरों से मजदूरी दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

96. अकाल राहत कार्यो पर लगे श्रमिकों के लिये पेय जल व्यवस्था कराने बाबत चर्चा के लिये।

97. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को दिये जाने वाली रियायतें तथा राहतों को और अधिक उदार बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजेयेन्द्रपाल (आसीन्द):

98. तहसील आसीन्द के ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में अविलम्ब राहत कार्य खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा):

99. राजस्थान में अकाल की स्थिति के निराकरण हेतु कोई योजना विभाग द्वारा नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

100. अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के स्थायी हल हेतु ठोस योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):

101. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करके लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के विषय पर चर्चा के लिये।

102. बाड़मेर में अकालग्रस्त क्षेत्रों में पानी टैंकरों द्वारा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

103. अकाल के स्थाई हल के सम्बन्ध में मौजूदा सरकार की उदासीन नीति पर चर्चा के लिये।

श्री हनवन्तसिंह राणावत (बाली):

104. बाली क्षेत्र को जहां प्रभावग्रस्त है उसमें राहत कार्य खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर):

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़):

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

श्री हरिकृष्ण (नदबई):

105. डूंगरपुर जिले में अकाल-राहत कार्य अधिक चलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय):

श्री सुभाषचन्द आर्य (सूरतगढ़):

श्री हरिकृष्ण (नदबई):

श्री गुरुशरण छाबडा (सूरतगढ़):

106. प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त अजमेर जिले को अकाल ग्रस्त घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

107. अकाल उन्मूलन की स्थायी योजना बनाये जाने एवं अकाल संहिता में संशोधन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

108. तहसील कुम्भलगढ़ तथा आमेट के पहाड़ी क्षेत्र पर अनावृष्टि से पड़े सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिये।

Page No 75

(75)

श्री आलमअली खां (फतहपुर) :

109. राहत कार्यों के अन्तर्गत उपयोगी तथा पुख्ता कामों को लिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

110. जयपुर, ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ पर नियन्त्रण पाने के उपचार न खोजे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल संणचा (रायपुर) :

111. पाली जिले में हाल ही में ओलावृष्टि से नष्ट हुई रबी की फसल पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

112. प्राकृतिक आपदाओं से निबटने हेतु सरकार की कोई योजना नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

113. जिला जालौर को अकाल ग्रस्त घोषित करा कर राहत कार्य प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

114. ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

115. अकाल के स्थाई हल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य कराये गये जिनमें ग्रेवल, कंकड़ी, मूंगीया आदि अनेक स्थानों पर पड़े हुए हैं जिनकी माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण लाखों रुपयों का मेटीरियल ठेकेदार एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने निजी उपयोग में लाये जाने के कारण राज्य को लाखों रुपयों का नुकसान होने के विषय पर चर्चा के लिये।

117. बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुराने कार्यों के बकाया की अदायगी न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

118. जैतारण में अभाव की स्थिति का सामना करने हेतु आवश्यक राहत न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

119. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न कार्यों एवं खर्चे की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

120. तारानगर तहसील क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) :

121. महुवा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शीत लहर तथा ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को राहत कार्य खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामा) :

122. कामां क्षेत्र में ओलावृष्टि से कृषि फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा):

123. तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य बड़े पैमाने पर चालू कराने व न्यूनतम मजदूरी 5 रु० प्रति मजदूर को दैनिक दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

124. राजस्थान में अग्नि पीड़ितों के परिवारों को जो राज्य सरकार द्वारा सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है वह अपर्याप्त है जिसको बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

125. सरकार द्वारा घोषित अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में नहीं बदलने पर चर्चा के लिये ।

श्री कालूभाई मीणा (प्रतापगढ़) :

126. प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के जिन तीन सौ गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिये जाने पर भी अभी तक जो राहत कार्य चालू किये गये हैं वे बहुत कम हैं उन्हें और बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जिंगा (कुशलगढ़) :

127. अनावृष्टि व ओलावृष्टि से व्यथित ग्रामों के लोगों को उचित राहत नहीं मिलने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

128. जिला बांसवाड़ा को अभावग्रस्त घोषित किये जाने के बाद भी राहत कार्य पर्याप्त मात्रा में नहीं चलाये जाने पर चर्चा के लिये ।

129. जिला बांसवाड़ा में हमेशा अकाल से प्रभावित होने पर भी ग्राम जनता की दयनीय स्थिति बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

130. फैमिन कोड बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. आग लगने के कारण धन की क्षति पर तुरन्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

132. तहसील लाडनूं जिला नागौर में भयंकर अकाल होते हुए भी राहत कार्य नहीं खोलने पर चर्चा के लिये ।

133. अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने पर चर्चा के लिये ।

134. अकाल राहत कार्यों पर लगने वाली राशि का दुरुपयोग करने व शिकायतों को समय पर नहीं निपटाने पर चर्चा के लिये ।

135. लाडनूं तहसील के ग्राम रोजा अकालग्रस्त होने के कारण उत्पन्न पेयजल समस्या के समाधान हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये ।

136. फेमीन कोड में परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

Page No 77

(77)

(श्री हरजीराम बुरडक)

137. अकाल राहतक्षेत्रों में रिलीफ वर्क खोलने तथा उनके संचालन पर होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

138. कस्बा सुजानगढ़ जिला चुरू में बाढ़ के कारण हुई क्षतिपूर्ति व अभी तक बाढ़ के खतरे से बचने के उपाय नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

139. नागौर शहर को बाढ़ से बचाने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

140. नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों के नाम पर कुछ नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

141. अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी वसूलियां नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

142. अकाल पीड़ित इलाके में मजदूरों को मजदूरी समय पर भुगतान नहीं होना व उसमें कटौती किये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

143. खण्डेला, पीथमपुरी, सिमारला (जि० सीकर) गांवों में बाढ़ की स्थिति पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

144. बाढ़ राहत, ओलावृष्टि एवं सूखा से पड़ने वाले अकाल से बचाव करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 28 व 34 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, गत तीस सालों से अकाल राहत कार्यों पर करीब 250 से 300 करोड़ रुपया व्यय किया गया है पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं हो पाया है। पिछली राजस्थान सरकार ने कुल्हाड़ी-फावड़े खरीदे थे, वे भी मौजूद नहीं हैं। सारा धन अकाल राहत कार्यों के नाम पर डाक बंगले बनाने में खर्च कर दिया गया। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, इस बात की जांच कराई जाय कि कितनी रकम उत्पादन कार्यों पर और कितनी रकम अनुत्पादन कार्यों पर खर्च की गई है। इसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसे कामों पर व्यय न हो क्योंकि इससे राजस्थान का कोई भला नहीं होता है। राजस्थान का विकास नहीं होता है, कोई ठोस काम नहीं होता है

मेरी सबसे बड़ी मांग यह है कि अकाल राहत कार्मों पर जो मजदूर काम करते हैं उनको काम के आधार पर पैसा दिया जाता है, यह कम से कम पांच रुपया दिया जाए ताकि उनका भला हो। जिन-जिन क्षेत्रों में अकाल है, वहां पर राजस्व माफ किया जाए। साथ ही मेरा निवेदन है कि जो फेमिन कोड है, वह काफी पुराना है। उसमें संशोधन होना जरूरी है। यह मेरी मांग है।

दूसरी मांग यह है कि मुख्य मन्त्री महोदय ने अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए 32 भ्रष्ट अधिकारियों की

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

एक सूची जारी की थी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सदन में कहा था। परन्तु उसके बाद आगे क्या किया ? यह काम वहीं तक रोक दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है ? वह जांच किस स्थिति में है, आज तक इसके बारे मे सदन को नहीं बताया गया है।

तीसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए और जन सहयोग से साधन जुटाने के लिये बड़ी-बड़ी संस्थाओं और सभी दलों की एक संयुक्त समिति बनायी जाए। प्राकृतिक विपदाओं से जो लोग पीड़ित हैं, उनको लाभ पहुँचाने के लिए इस प्रकार की कमेटी का निर्माण हो जो राजनीति से ऊपर उठ कर मानवीय समस्या को हल करने के लिये काम करे। अगर राजस्थान में ऐसा हुआ तो, अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कच्ची बस्ती हो, गंदी बस्ती हो, चाहे वह कोई गांव का कोना हो, जयपुर का कोई कोना हो, या राजस्थान का कोई कोना हो, कहीं पर आग लग जाय या अतिवृष्टि से नुकसान हो जाय उसको तत्काल राहत मिलनी चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता है। इन लोगों को अधिकारियों के पास जाना होता है। वे ही पुराने नियम हैं। उनमें संशोधन होने चाहिये। जिनके मकान जल गए हों, ढह गए हों, पानी से बह गये हों उन लोगों को तत्काल वहीं पर जाकर राहत दी जाए। आज तक, हमारा राज्य कायम होने तक, वे ही नियम हैं उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। जिसके मकान गिर जाते हैं, आग से जल जाते हैं उनको इन नियमों में परिवर्तन कर जल्दी राहत दी जानी चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार फाइनेन्स कमीशन के सामने सुझाव रखे कि प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए एक राजकीय कोष राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाए। राज्य सरकार इसके लिये धन्यवाद की पात्र है कि उसने प्राकृतिक विपदाओं के लिये राष्ट्रीय कोष गठित करने का सुझाव दिया। प्रत्येक राज्य में जैसे राजस्व कोष है, वैसे ही राष्ट्रीय कोष में पैसा जमा कराया जाए चाहे प्राकृतिक विपदा किसी प्रान्त में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो जहां पर भी प्राकृतिक विपदाएं आवें, उन राज्यों को इस कोष से पैसा दिया जाए। विपक्ष के दल को जहां पर सरकारें हैं, वहां पर भी यह हो। चाहे इन्दिरा गांधी के दल की सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, वे सब यह निवेदन करें कि भारत सरकार ऐसा एक कोष स्थापित करे और उसमें सभी राज्य धनराशि दें। यह कोष बनाना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि राजस्थान में दस करोड़ मात्र फिक्स हैं चाहे राजस्थान में अकाल पड़े या बाढ़ आवे। जब कि राजस्थान में 33 हजार गांवों में से अधिकांश गांव अकाल ग्रस्त हैं तो भी हमें दस करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। भारत सरकार पर जोर डाला जाए कि इस राशि से अधिक की आवश्यकता है। इसलिये वह बढ़ी हुई राशि दे। खेद का विषय है कि यह दस करोड़ रुपया भी हमें लोन के रूप में मिलता है। अनुदान के रूप में नहीं मिलता है। इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि लोन के स्थान पर विशेष सहायता के रूप में हमें

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

भारत सरकार से धन राशि मिलनी चाहिए। 77–78 तक 1200 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर हो गया है और 60 करोड़ रुपये और हैं। इस प्रकार कुल 1260 करोड़ रुपये का कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। हमें 750 करोड़ रुपया ब्याज और लोन में चुकाना पड़ता है। इसके अलावा 235 करोड़ रुपये की हमारी वार्षिक योजना बनी हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषम स्थिति है। राजस्थान सरकार इसको कैसे पूरा करेगी? इसलिए यह मेरी पुरजोर मांग है कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को जावे और यह प्रस्ताव सारे दलों की ओर से जावे। बिना भेदभाव के, सर्वदलीय आधार पर मिल कर यह प्रस्ताव पास करें कि भारत सरकार हमें लोन नहीं, विशेष अनुदान के रूप में दे। ऐसा प्रस्ताव सभी दलों की ओर से पास हो और वे भारत सरकार पर दबाव डालें। राजस्थान में लोग पीने के पानी के लिए तड़फ रहे हैं। एक-एक बूंद के लिए तड़फ रहे हैं। क्या हालत है? आज भारत सरकार जो पर्वतीय प्रदेश हैं जैसे नागालैण्ड इन प्रदेशों को कई रियायतें दे रही है, लोन और अनुदान दे रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के सारे के सारे 199 माननीय सदस्य, मुख्य मन्त्री जी के साथ हैं। सदन में यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विधान सभा के सदस्य इस बात के लिए धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार पर नैतिक दबाव डालना है, इसमें सारा सदन एकमत है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कि भारत सरकार पर्वतीय प्रदेशों को लोन देती है। राजस्थान में 55 प्रतिशत रेगिस्तान है जहां पर 235 करोड़ रुपया केवल पीने के पानी के लिए चाहिए। कई गांवों में पीने का पानी नहीं है। नारू के कीटाणु पानी में हैं। कई प्रकार के कीड़े पानी में हैं। इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि इस रेगिस्तान प्रदेश को भी पर्वतीय प्रदेशों की तरह भारत सरकार अनुदान दे। उसी प्रकार की रियायत, सहुलियत राजस्थान को मिलनी चाहिए।

(1.58 म.प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति; पदासीन)

सभापति महोदय, माननीय सदस्य राजस्थान के हिस्से करने की बात करते हैं। उसकी मांग उठी है। जो राजस्थान रेगिस्तान में है, उसको मिटा सकते हैं। राजस्थान कैनाल का प्रथम चरण पूरा हो गया है। द्वितीय चरण प्रारम्भ होने जा रहा है। जहां की जमीन प्यासी है, उस प्यासी जमीन को इसका पानी मिल जायगा तो यह रेगिस्तान मिट जायगा। इसलिए इसका पूर्ण रूप से काम कराया जाए। पानी को गांवों तक पहुंचाया जाए। असुविधा इससे दूर होगी। कुओं में जल स्तर ऊंचा हो जाएगा।

माननीय सभापति जी, मैंने जो मांग सदन में रखी है, आशा है मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगे। एक प्राकृतिक विपदा का कोष बनाया जाय और सर्वदलीय आधार पर इस समस्या को हल करने का प्रयतन किया जाए। आशा है मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : सभापति महोदय, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि प्रदेश का कुछ हिस्सा सूखे से प्रताड़ित है और कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। यहां जो मरु प्रदेश की मांग उठायी गई है, राजस्थान के टुकड़े करने की मांग उठाई गई है, चाहे वह किसी दृष्टि से ठीक हो, लेकिन राजस्थान का एक हिस्सा जहां अकाल से, निरन्तर सूखे से प्रभावित रहता है वहां दूसरी ओर उसका एक हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहता है। यहां पानी भी है फिर भी सूखा है। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट में कहा, इस बाढ़ से 75 करोड़ रुपये की हानि हुई है। मान्यवर सभापति महोदय, जहां राजस्थान में 75 करोड़ रुपये की एक साल में हानि हुई वहां उसकी रोकथाम के लिये जो उपाय किए जा रहे हैं, उनके लिये केवल 7 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

प्रति वर्ष लगभग 75 करोड़ की हानि होती रही उसको रोकने की कोई योजना दिमाग में नहीं है। राजस्थान में बाढ़ के कारण बरबादी होती रही है, इसलिये बाढ़ को रोकने के लिये राजस्थान सरकार को इस बजट से समुचित व्यय करना चाहिये था। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार के दिमाग में बाढ़ से बचने की कोई कल्पना ही नहीं है। हमारे पूर्वी राजस्थान की जनता है, पश्चिमी राजस्थान की जनता है, दक्षिणी राजस्थान की जनता है, उसने एक विश्वास रख कर हमें यह शासन सौंपा है। इस विश्वास से हमें शासन सौंपा है कि आगे से हमारा क्षेत्र सूखे से प्रभावित नहीं होगा। जो समस्याएं आयेंगी उन पर लीपा पोती नहीं होगी। सदा-सदा के लिए हम उन समस्याओं को समाप्त कर लेंगे। आप अन्दाजा कीजिए, पहले जब-जब राजस्थान में अकाल होता था, लगातार 30 साल से हम खर्च करते आ रहे हैं। अकाल को खतम करने के लिये पहले कोई योजना नहीं बनाई गई है। जनता सरकार को अकाल को सदा-सदा के लिए समाप्त करना है। किन्तु अभी भी जो बजट आया है उसमें बावजूद जनता सरकार के एक वर्ष के शासन के इस बाढ़ की विभीषिका को, सदा-सदा के लिये समाप्त करने की कोई कल्पना नहीं है और कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा जब तक इस प्रकार की कोई परिकल्पना लेकर नहीं चलेंगे, तब तक जनता ने जिस विश्वास से हमें शासन सौंपा है, उस विश्वास योग्य हम सफल नहीं होंगे। मान्यवर भारत के प्रधान मन्त्री ने कहा था, अकाल राहत के कामों में सबसे बड़ा करप्शन कहीं हुआ है तो वह राजस्थान में हुआ है। मैंने पहले भी एक बार कहा है, मुख्य मन्त्री महोदय से बात की है आपने भ्रष्टाचार मिटाने का प्रण किया है, संकल्प लिया है इसलिये अकाल राहत कामों में हुए भ्रष्टाचार की आप जांच कीजिए। मैंने इस सम्बन्ध में मांग की थी कि जितने उच्चाधिकारी गवर्नमेन्ट के हैं, उनकी प्रापर्टी के बारे में जांच करें। सबसे नीचे के जो आदमी है, पटवारी हैं, मुंशी है, क्लर्क हैं, यदि अगर जिम्मेदार हैं तो ऊपर बैठे मन्त्री क्या कर रहे हैं? इसलिए मैंने मांग की थी और मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, जो भी खाया गया है, वह नाक से

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

निकलवा लूंगा। भ्रष्टाचार का रुपया नाक के बल निकलवाने का संकल्प किया था वह आज भी अपनी जगह कायम है। मैं मांग करता हूं कि आपकी परिकल्पना क्या है ? रुपये का व्यय कहीं हो उसका उपयोग करना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो भ्रष्टाचार की जड़ हैं, चाहे राजनैतिक नेता हों, या अधिकारी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही हो विधान सभा का जब पहला सत्र हुआ था उसके बाद भ्रष्टाचारी व्यक्ति भयभीत रहे। अधिकारियों में डर था। लेकिन आज बात करते हैं तो वह बात नहीं है। हमारी मुख्य मन्त्री में आस्था है कि वे भ्रष्टाचार मिटायेंगे। पुरजोर तरीके से वे प्रयत्नशील हैं, लोग यह मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटायेंगे। मान्यवर, मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा, बजट में परिकल्पना से रुपया लिया जा रहा है कि कोई अस्थायी काम नहीं होगा। परमानेन्ट काम होंगे। मुख्य मन्त्री महोदय ने जो घोषणा की है, उस के मुताबिक वह काम करें।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा, हमारे बराबर में हरियाणा है। वहां आप जायेंगे तो पायेंगे कि खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है। जो की फसलें लहलहा रही हैं। राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करें या हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करें तो आप पायेंगे, आप यह महसूस करेंगे कि हरियाणा के क्षेत्र में तो फसलें लहलहा रही हैं और, राजस्थान में सूखे टीले हैं। यह फर्क क्यों है बावजूद इसके कि हरियाणा का जितना बजट रहा है उसका कई गुना राजस्थान के सूखा क्षेत्र में अकाल को मिटाने के लिए खर्च किया गया है। राजस्थान में किसी नियोजित ढंग से खर्च नहीं किया गया है और हरियाणा में नियोजित ढंग से खर्च किया गया है। उसी का परिणाम यह है कि खेती लहलहा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं पश्चिमी राजस्थान में गया था। वहां ट्यूब वैल लगाया जाता है तो फसल हो जाती है। एक साल में ट्यूबवैल का खर्चा निकल जाता है। मेरा सुझाव है कि ट्यूबवैल लगाने के लिए निगम बना दिया जाये, ट्यूबवैल से पानी निकलता आये, धरती के गर्भ से पानी निकलता आये और खेतों में फसल लहलहाती जाये। मैं, मान्यवर, निवेदन करूंगा कि इस समस्या को ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा है। डेजर्ट से सूबे को सदा सदा के लिए मिटाना है तो यह आवश्यक है कि ट्यूब वैल बनाये जायं। हमारे मन्त्री महोदय का यह काम था। उन्होंने उस दिशा में क्या प्रयत्न किया ? काफी दिनों तक जनता इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आज वह चाहती है, जो हालत है, वह तुरन्त बदले। इसलिए आज जनता में विश्वास कायम रखने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय जनता में जाकर बैठें। जो भी सुझाव देते हैं, वह जाकर देखें। कहां ट्यूबवैल खोदे जा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह भी अन्त्योदय योजना की बात है। आप जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। यदि पश्चिमी राजस्थान में ट्यूबवैल की सारी

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

व्यवस्था बन जाय तो पश्चिमी राजस्थान में लोगों को खेती करने का मौका मिलेगा। वहां पर सूखापन नहीं रहेगा और हरियाली और लहलहाते हुए खेत मिलेंगे। उससे होने वाला लाभ किसानों को ही नहीं सारे राजस्थान को मिलेगा, सारे हिन्दुस्तान को मिलेगा। वह हिन्दुस्तान की ग्रेनरी का काम कर सकता है। जिस तरह से गंगानगर में हरियाली लहलहाई तो वह राजस्थान की ग्रेनरी हो गया, उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान सारे देश की ग्रेनरी हो जायगा तो मैं आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद दूंगा। इसके लिये सही दिल से, सही दिमाग से, सही हालत को देखते हुए योजना बना कर काम करेंगे तो यह प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ चला जायगा, इसमें कोई शक नहीं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय; सातवें फाइनेन्स कमीशन को जो हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने राष्ट्रीय निधि गठित करने के लिये सुझाव दिया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देती हूं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगी कि वह भारत सरकार को इस बात के लिये प्रेरित करें कि जो राशि मानव को बचाने के लिये दी जाती है वह कर्ज के रूप में न दी जाकर अनुदान के रूप में दी जाय। हर वर्ष 7 करोड़ रुपये का कर्जा और उसका ब्याज मिलकर 12 करोड़ रुपया हो जाता है। उसका ब्याज मिलकर बढ़ता जा रहा है। हम न मालूम कब उसको चुका पायेंगे। इस तरह की आपदाओं के लिये दी जाने वाली राशि अनुदान के रूप में दी जाना उचित है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसको स्पेशल ग्रान्ट के रूप में हमें अनुदान के रूप में दें।

साथ ही मैं, यह निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो 32 मामलों को नोट किया था उनकी जांच चल रही थी। उस जांच के बारे में अब तक हमको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उन मामलों की जांच किस स्थिति में है एक तो यह मालूम हो, और इसके साथ ही अनेक मामले ऐसे हैं भ्रष्टाचार के जो कि पड़े हुए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिये। जब मुख्य मन्त्री भी विपक्ष में थे तो बराबर उनके लिये कहा करते थे। वह इनकी जानकारी में है तो उनके बारे में कदम इनकी ओर से उठाये जाने चाहिये।

चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद अकाल राहत कार्य में जो भी कार्य हुए हैं उनका काफी गलत रिकार्ड है। मेरे क्षेत्र में एक सड़क बनाने के लिये काम शुरू हुआ। वहां पर पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं, रास्ते में कि नायला से रूपवास अगर जायं तो 20 मिनट में जो रास्ता तय किया जा सकता है उसको तय होने में 90 मिनट लगते हैं। वह सारा काम जो होने वाला था वह क्यों नहीं हुआ, वह किस तरह से योजना खटाई में पड़ी? इसी तरह से पूरे राजस्थान में जो कार्य थे उनकी भी यही हालत है। लोग सड़कों के लिये जो पत्थर पड़े हुए थे उनको उठा ले गये और अपने यहां पर लगा लिया, तो जो ऐसा इन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

योजनाओं में लगने वाला था वह पैसा योजना में नहीं लगा। वहां पर सड़कें नहीं बनी और वे अधूरी पड़ी हुई हैं। राजस्थान में ऐसे कार्य जहां पर हुए हैं उनकी जांच की रिपोर्ट आनी चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक एक कार्य के दोहरे मस्टर रोल बनाये जाते रहे हैं। वह अनियमितताएं आज भी हो रही हैं। जो दोहरे मस्टर रोल बने हैं उनकी जांच होनी चहिए। बिना आदमी के पैसा दे दिया गया इस तरह के गलत काम न हों।

सभापति जी, जिस समय जैसा वातावरण था उस आवश्यकता को देखते हुए फेमिन कोड बना। वह आवश्यकताएं आज बहुत बढ़ गईं, उससे कई गुना मांगे बढ़ गई हैं तो नई नई बातें इसमें जोड़नी चाहिए जो कि मजदूरी के हित में हों और राहत कार्यों के लिए उचित हों।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मजदूरों का भत्ता काफी कम है। मजदूर कम पैसों में काम पर नहीं आते हैं. कम पैसों में उनका पेट नहीं भर सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जितना काम उतना पैसा मिले। महिलाओं और बच्चों को पैसा मिलता है, उनको काम के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है। यह जो दो किलो अनाज देने की घोषणा की गई, मैं समझती हूँ, बहुत कम है। एक व्यक्ति दिन भर काम करके अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए।

जहां पर काम शुरू हो वहां पर मजदूरों को पानी दिया जाय। वहां पर मजदूर प्यासा तड़फता रहता है। उसको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। अगर मजदूर को बुखार आ जाय तो वह इलाज के लिए शहर में आयगा उसका एक दिन मारा जायगा, इसलिए वहां पर उसको दवायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह सारी जो योजनाएं बनें वह इस तरह की पक्की योजनाएं बनाई जायं जिससे कोई स्थायी हल निकले। यह न हो कि इधर सड़क बने और उधर खतम हो जाय। जो भी सड़कें बनाई जायें या बान्ध बनाये जायें, वह पक्के बनाये जायें और अधूरे काम हों तो उनको पूरा किया जाय। जहां पर यह कार्य होते हैं वहां पर स्थानीय लोगों को बढ़ावा देकर काम कराना चाहिए।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, मेरे क्षेत्र में अधिकारीगण गये। उनकी रिपोर्ट आई है उसकी तारीख और रिपोर्ट की प्रति मेरे पास है। मेरे क्षेत्र में काम जारी नहीं हुआ है। बरसात में 70 गांवों के लोग इधर उधर नहीं जा सकते। बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। मैंने देखा है कि अभी तक काम शुरू नहीं हुए हैं। राजस्थान में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। साथ ही विलम्ब से काम हो यह उचित नहीं है। यह कार्य तो आपदाओं में अविलम्ब होने चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ से कई बन्धे टूटे। जयपुर जिले के 35 बान्धों से प्रभावित होकर 21 बान्धे जयपुर, ग्रामीण क्षेत्र में टूटे। बरसात से पहले मैंने निवे-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दन किया था कि बन्धे टूटने वाले हैं उनको ठीक करायें। मैं अपना जरूरी काम छोड़कर गई और मैंने उनसे कहा कि बन्धों को टूटने से बचायें तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। ऐसी आपदाएं जब पड़ती हैं तो उनके लिए पैसा होना चाहिए। मान लो कि 2 लाख का बान्ध टूट जाय और अगली बार उसको बनवाने में 4 लाख रुपये लगाने पड़ें तो क्या फायदा? उनको टूटने से अगर रोका जा सकता है, तो उसको रोका जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कोई ऐसी राशि अपने यहां तय की जानी चाहिए जिससे समय से पूर्व उसकी सुरक्षा कर सकें। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने पहले ही कहा था कि टूटने वाले बन्धों को बचाया जाय, किन्तु उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। सर का बन्धा मेरे इलाके के पड़ोस में लगता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह टूटा तो उसका पानी दूसरे बन्धे में गया जिसकी वजह से दूसरा बन्धा टूट गया। उसका पानी तीसरे बन्धे में गया तो वह तीसरा बन्धा भी टूटा गया। इस तरह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बन्धा टूटता गया। वहां पर पानी नहीं रहा और खेतों के कुओं में पानी की सीमा नहीं रही। केवल बरसात का सहारा ही रह गया। हम पानी को वैसे ही बहा देते हैं। अतः इसके स्थाई हल के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

इस कारण मायलीबा, खुराला, मीयालो, भालरा, भांडो का नोला, गूदाला जोगियों की ढाणी कीलनगढ गांवों और शहर के पास में गूजरघाटी बालाजी की घाटी, काना महादेव, परसराम द्वारा छीपीवाड़ा, कागजीवाड़ा, काला हनुमान आदि स्थानों में पानी आ जाने के कारण दो दो महीनों तक लोग गांवों से बाहर नहीं निकल सके। दो महीनों तक इनके निवासियों ने दुःख पाया। इस तरह के स्थानों में लोगों को सुरक्षा शीघ्र ही देनी चाहिए। इनके लिए योजना बनानी चाहिए और स्थायी हल निकालना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या; कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक दो मिनट में समाप्त करूंगी।

अधिक वृष्टि, ओलावृष्टि और इसके साथ पाला पड़ना अपने आप में अकाल है। ऐसे समय जहां खेतों में नुकसान हो जाय तो वहां तत्काल सहायता की जरूरत पड़ती है। खाद बीज आदि देने में विलम्ब हो जाय तो किसान प्रभावित होता है। तो यह सुविधा उनको तत्काल रूप से मिलनी चाहिए।

कुछ आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया है जैसे कि बिजली गिरी जयपुर में तो यह आकस्मिक घटना हुई। इसमें दो घर नष्ट हो गये लेकिन उनको कोई सहायता हमारी सरकार से उपलब्ध नहीं करा पाये। सारे राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो उनका निदान निश्चितरूप से शीघ्र ही किया जाना चाहिए। समय पड़ते ही सहायता उपलब्ध हो वह तो कोई सहायता है। बाद में देने से उसका कोई उपयोग नहीं है। इसके लिए कोई न कोई निश्चित रूप में राशि हमारी सरकार उपलब्ध कराये।

Page No 85

(85)

श्री सभापति : माननीय श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर): माननीय सभापति महोदय, कुछ समय से विपक्ष के माननीय सदस्य बार-बार यह जिक्र करते रहे हैं कि जयपुर वालों को बहुत समय दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आज उनकी इस बात का निवारण कर देता हूं। मैं आज का अपना समय माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी और शंकरलालजी को दान देता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल : माननीय सभापति महोदय, हम भीख नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो माननीय सदस्य के विचार हैं, किसी को स्वीकार हो या नहीं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आज गुल मोहम्मद जी खुद तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्यों को बोलने का समय दिया जाता है वह बोले या नहीं बोलें, अनुपस्थित रह जायें यह दूसरी बात है। लेकिन क्या यह उचित है कि वह अपना समय दूसरे सदस्य को दे दें ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। उनकी इच्छा थी वह अपना समय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को देना चाहते थे। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

माननीय श्री ओमप्रकाशजी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interference please, माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य, कृपया....

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष को समय दे दिया। क्या वह दूसरे सदस्य के समय में—

श्री सभापति : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह क्या है कि समय का दान देते हैं, और हाउस में व्यवधान कराते हैं। दान देना है तो अकालग्रस्त एरिया में जाकर देवें।

श्री शंकरलाल : ये क्या दान देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, सदस्य जो जयपुर से आए हैं, इस तरह की बातें कह कर व्यवधान पैदा करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा इस तरह की बात नहीं हो। अब इस पर कोई बहस करना शोभनीय नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी भावना व्यक्त की है, उन्होंने अपने टर्न पर नहीं बोल कर मेरे पर कृपा की है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, Be serious now.

माननीय सदस्य श्री ओमप्रकाश शर्मा !

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, हर वर्ष राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति भरतपुर में बाढ़ आई। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य पर लाखों और करोड़ों रुपयों का खर्चा किया जाता है।

श्री रामदेवसिंह (बिलाड़ा) : हर वर्ष कहां; इस वर्ष बाढ़ आई है। 1950 के बाद बाढ़ आई है।

श्री सभापति : भाषा तो हिन्दी ही है। मैं समझता हूं आपको सुनने में बाधा हो सकती है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उनमें कोई तरह की गड़बड़ियां और अनियमितताएं होती हैं। इस तरह से हमेशा अरबों रुपया खर्च होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कोई स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। बूंदी जिले के बारे में निवेदन करूं कि खास तौर से बूंदी क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। बरसात का जो पानी होता है उसी से खेती की उपज होती है। जब बरसात नहीं आती है जैसे इस वर्ष वर्षा कम हुई तो इस समय में वहां के काश्तकार भूखों मर रहे हैं। आज वहां पर मजदूरी का कोई साधन नहीं हैं, पेट भरने का कोई साधन नहीं है, अन्न के लिये लोग मोहताज हो रहे हैं। ऐसी कुछ पंचायतें हैं जिनके अन्दर अकाल राहत के कार्य हुए थे। मेरा निवेदन है कि उनको फिर से शुरू करवाया जाय तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी और पेट भरने का साधन मिलेगा।

इसी प्रकार से वर्तमान तालाबों में काम हो रहा है। मेरे क्षेत्र मे 10 तालाबों पर काम हो रहा है लेकिन वहां पर मजदूर बाहर से लिये जाते हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूर बाहर से लिये जाते हैं इसके कारण वहां के काश्तकार है, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। आप बाहर से मजदूरों को बुलाते हैं, उनको बुलाने के बजाय वहां के लोगों को काम दिया जाय तो उनको पेट भरने का साधन मिलेगा और मजदूरी भी मिलेगी।

इसी प्रकार से बून्दी क्षेत्र में भेड़ें आती हैं जो घास और फसल होती है उसको नष्ट कर देती है, घास को जड़ सहित चर जाती है और फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए वहां के काश्तकार लोग बहुत दुखी हैं और दुविधा में हैं। वे कहते हैं या तो हमारे यहां ईश्वरीय प्रकोप होता है। और नहीं होता है तो भेड़ें बाहर से आकर फसल को नष्ट कर जाती हैं। अगर भेड़ें वहां पर न जायं तो जो भी फसल होगी उससे वे अपना पेट भर सकेंगे। इसी प्रकार से जो अकाल राहत कार्य हमारे यहां पर प्रारम्भ हुए थे वे सब अधूरे पड़े हुए हैं और सड़कें अधूरी है। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। इसकी अब तक कोई जांच नहीं की गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जावे जिससे आगे भी कोई दिक्कत नहीं आवे। अधिक नहीं बोलते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बून्दी जिले में खास तौर पर लक्ष्मीपुरा, डोरा, गंवार आदि ग्रामवासी भूखों मर रहे हैं, उनके पास पेट भरने का कोई साधन

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

नहीं है। उनके लिए कोई न कोई रोजगार शुरू करवाया जाय। वर्तमान में जिन बांधों और तालाबों का कार्य चल रहा है उनको ठीक कराया जाय तो लोगों को रोजगार मिलेगा और खेतों के लिये भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही यह भी निवेदन है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है वहां पर कुए खुदवाये जायं तो वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी और काश्तकारों को रोजगार भी मिल सकेगा।

धन्यवाद !

श्री सभापति : माननीय श्री अब्दुल अजीज !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री विजयसिंहजी नदेरा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : सभापति महोदय, अकाल और बाढ़ राजस्थान में हर दूसरे-तीसरे साल आती है। इसका भयंकर प्रकोप राजस्थान की जनता के ऊपर होता है। जिस राज्य के अन्दर लाखों करोड़ों रुपये की जन-हानि और नेशनल लास अकाल के कारण और बाढ़ की वजह से होता है उसकी सरकार को और भारत सरकार को सर्वप्रथम अगर कोई व्यवस्था करनी चाहिये तो देश के अन्दर प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक इसका परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं निकाला जायगा तब तक राज्य सरकार और भारत सरकार को करोड़ों और अरबों रुपये इस समस्या को सुलझाने में खर्च करने पड़ेंगे। पिछले तीस साल में 4 या 5 अरब रुपया इन समस्याओं को सुलझाने में खर्च करना पड़ा है। वही रुपया अगर पहले इन प्राकृतिक विपदाओं पर कन्ट्रोल करने के लिए खर्च किया होता, और समाधान निकाल लिया होता तो आज जो समस्या हमारी सरकार के सामने है, उसका समाधान कभी का हो गया होता। राजस्थान में एक ओर जहां भरतपुर में हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ आ जाती है करोड़ों की फसल और जन हानि होती है, दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में हर दूसरे तीसरे वर्ष अकाल पड़ता है और 20-30 करोड़ जनता को जीवित रखने के लिये, पशुओं को हानि से बचाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई स्थाई समाधान निकाला जाए तो हमेशा के लिये यह पश्चिमी राजस्थान गंगानगर जिले की तरह सबसे अधिक पैदा करने वाला हरा भरा क्षेत्र बन सकता है, सोना उगल सकता है। राजस्थान कैनाल लिफ्ट योजना का काम कुछ कारणों से रुका हुआ है, इस पर अब खर्चा ज्यादा आयगा। जो काश्तकार गहरे कुओं से पानी निकालकर खेती करता है उस पर जितना खर्चा आता है, उससे कम खर्चा लिफ्ट सिंचाई से आएगा और यह एक स्थाई समाधान होगा। एक ओर राजस्थान की लिफ्ट स्कीम और दूसरी ओर झुन्झुनू जिले में गंगा, यमुना, जालोर में नर्मदा का पानी लाकर अकाल को कन्ट्रोल नहीं किया जाएगा तो अकाल का समाधान नहीं होगा। स्थाई समाधान यही होगा। जब तक पानी

(श्री रामसिंह विश्नाई)

पर कन्ट्रोल नहीं होगा, तब तक खेती पर कन्ट्रोल नहीं होगा। लोगों को जिन्दा रखने के लिए कोई जरिया नहीं निकलेगा तब तक प्रकृति का प्रकोप होता रहेगा। प्राकृतिक विपदाओं से जूझने के लिये खर्चा करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है कि राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी इलाके में राजस्थान कैनाल से सिंचाई के लिये चाहे ईरान सरकार से, चाहे विश्व बैंक से या भारत सरकार से, चाहे कहीं से भी अरबों रुपये उधार लेकर खर्च किया जाए। सबसे पहला सरकार प्राकृतिक प्रकोपों से बचने की व्यवस्था करे और जनता को बचाए।

अकाल के समय सड़कों के राजस्थान में जो काम हुए हैं यह सही है कि उनमें अनियमितताएं जरूर हुई हैं लेकिन जो काम हुए हैं उनसे जनता को राहत मिली है, आवागमन के साधन बढ़े हैं। सड़कों पर सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं उनकी हालत खस्ता हो रही है। अब उनकी पुन: मरम्मत करनी चाहिए। जो करोड़ों रुपये के काम किए गए हैं उनको लाखों रुपये खर्च कर ठीक करे तो बढ़िया आवागमन के साधन हो सकते हैं। जहां भी अकाल की सड़कें अधूरी है या टूटी फूटी है उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री राम करण सिंह !

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, समय समय पर राजस्थान में सूखे और अतिवृष्टि इन दोनों का प्रकोप होता रहा है। उसके लिए अपने प्रान्त के जो प्रमुख अखबार हैं चाहे वह राजस्थान पत्रिका हो, राष्ट्रदूत हो या नवज्योति हो, इनमें एडीटोरियल्स के द्वारा बहुत सुन्दर स्थायी सुझाव आते हैं लेकिन न जाने क्यों अधिकारी या दूसरे मन्त्री जी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मंत्री जी बहुत ही सजग हैं, सतर्क हैं। और जब से चर्चा शुरू हुई, तब से बैठे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा विश्वास है कि जब ये सजग व सतर्क हैं तो इनके अधिकारी भी होंगे। मैं 3-4 उपाय बताना चाहता हूं मेरा विश्वास है कि दोनों मन्त्री इस ओर कदम उठायेंगे।

पहला तो यह कि जो भी आपदायें आयें उनको समय पर ही काबू में कर लिया जाए। यह नहीं हो कि उन आपदाओं के निवारण हेतु सचिवालय में मीटिंग चल रही है, विभाग में भी चल रही है, जिले में भी चल रही है। उन मीटिंग की तरफ ध्यान न देकर जहां आपदायें आती हैं, जिन लोगों के साथ बीतती है, वहां स्पॉट पर ही सक्षम अधिकारियों या कर्मचारी को, जो वहां तक पहुंच सके, पहुंचना चाहिए और जो राहत दे सकते हैं, तत्काल देनी चाहिए। जयपुर की ही बात है, आग लगने की रिपोर्ट हुई थी स्टेट के समय में, उसके 12 साल बाद कागज निकला और सामने आ गया तो आर्डर हुआ कि बुझाई जाए। यह बात नहीं दुहरानी चाहिए, तत्काल उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरी बात, जहां करोड़ों रुपये का नुकसान होता है आप उस नुकसान को को चंद लाख में स्थाई उपाय के माध्यम से रोक सकते हैं। आप दोनों मन्त्री सक्षम हैं और उस क्षेत्र का अनुभव रखते हैं। चाहे जो भी काम करें चाहे लाख का हो, चाहे हजार का, ऐसा न करें कि हवा और पानी से उड़ जाए। आप जितना काम करें

(श्री रामकरण सिंह)

वह स्थाई होना चाहिए। जनता आपसे संतुष्ट रहेगी। जो भी काम करें स्थाई करें टेम्प्रेरी काम नहीं होना चाहिए।

तीसरी बात, जहां भी आपत्ति आए, अधिकारियों से कह दिया जाए कि सत्यता बता दें। वे सत्यता छिपाते हैं क्योंकि उनकी पोल खुलती है। जो अधिकारी सच्चाई को बात नहीं कहें, प्राकृतिक आपदाओं को छिपाने की चेष्टा करें उनको कड़ा दंड दें ताकि भविष्य में कोई दूसरा अधिकारी ऐसा काम न करे और सत्यता को न छिपाये।

बहुत सी जगह मिनी तहसीलों में अंडर ग्राउन्ड वाटर वर्क्स के जरिए अच्छी बोरिंग की जिसमें सैंकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है लेकिन विभाग वाले बोरिंग करके गायब हो जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता। इसलिये कनेक्शन दिलाकर उससे पानी देकर लोगों को अपने खेत हरे भरे करने का अवसर दें।

इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि इस बारे में जितने भी और माननीय सदस्यों के सुझाव आएं यदि उनको अच्छे ढंग से कार्य रूप में परिणत किया तो राजस्थान की जनता व माननीय सदस्य असंतुष्ट नहीं होंगे। साथ में जिन लोगों पर आपदा आती है उनमें हिम्मत आएगी और उनका मनोबल ऊंचा होगा।

तो इन चार सुझावों की तरफ आपको ध्यान देना है। इसके साथ-साथ बहुत सी जगह आपके विभाग ने आपदाओं के समय सहायता देने के लिए पंचायत समितियों को कोई रुपया नहीं दे रखा है, न एस० डी० ओ० को और न तहसीलदार को दे रखा है। एक ग्राम में आग लगती है तो उसे तत्काल सहायता चाहिए। लेकिन एस० डी० ओ० या तहसीलदार गिरदावरी की रिपोर्ट जिले में नहीं भेजता है। भेजता है तो सेक्रेटेरियट के रूटिन को आप जानते हैं, उसमें कितने दिन लगते हैं। इसलिए एक ऐसा अमाउंट तय करें जो एडहाक-तौर पर तहसील में रहे चाहे डिस्ट्रिक्ट में रहे, चाहे एस० डी० ओ० आफिस में रहे। सभापति महोदय, इसके लिये एक क्राइटेरिया बनाया जाय और अमाउन्ट तय किया जाय। यह क्या आपने किसी को 300 रुपये और किसी को 150 रुपये, किसी 100 रुपये और किसी को 30 रुपये दे दिये। मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप एक क्राइटेरिया रखें। प्राकृतिक विपदाओं के निवारण के लिये आप थोड़ा आराम से, थोड़ा तसल्ली के साथ सोच कर कोई तरीका निकालें।

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि वह मेरे सुझावों की ओर ध्यान दे।

श्री सभापति : श्री विरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ने सम्बन्धी मामले पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इसके अलावा भी मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं लेकिन प्रथम मैं प्राकृतिक आपदाओं

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

के कारण अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, बाड़मेर में 240 गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं और 67 लाख रुपये अकाल राहत कार्यों के लिये राज्य सरकार ने स्वीकृत किये हैं। सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में 866 गांव है उसमें से 327 गांव अकाल से प्रभावित हैं। जो सूचना हमें अभी मिली है अकाल सहायता विभाग के द्वारा उससे यह पता चलता है कि हमारे यहां पर अभी तक 10 कार्यों की ही स्वीकृति हुई है। सभापति महोदय, दस कार्य तो स्वीकृत कर दिये हैं परन्तु वहां पर जितने मजदूर काम करते हैं, जितनी राशि व्यय की जाती है यह बहुत कम है। सभापति महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि बाड़मेर जिले में सिर्फ 700 मजदूर काम कर रहे हैं। अगर इस वक्त कांग्रेस सरकार होती तो इस अकाल को समस्या को देखते हुए करीब 30000 मजदूर काम करते। लेकिन अभी वहां पर सिर्फ 700 मजदूर ही काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसका कारण यह है कि बाड़मेर जिले में कोई लोग अकाल राहत कार्यों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जैसी कि मुझे सूचना मिली है, सभापति महोदय, मेरे जिले में जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वहां पर अकाल राहत कार्य में काम करने वाले मजदूरों को दो किलो गेहूं और एक रुपया दिया जाता है। एक रुपया कोई नहीं ले तो उसके बदले में उसे तीन किलो गेहूं दिया जायेगा। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, गेहूं दिया जाता है वह इस तरह का सड़ा गला है कि उसको इन्सान तो खा नहीं सकता। सभापति महोदय, इस तरह का सड़ा-गला गेहूं बाड़मेर में, जहां अकाल राहत कार्यों में मजदूर काम करते हैं, वहां पर भेजा गया गया है। सभापति महोदय, एक तो वहां के लोग अकाल की वजह से वैसे ही कमजोर होते हैं फिर आप उनको ऐसा सड़ा गला गेहूं देते हैं जिसमें कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं होता तो वहां पर बेचारे मजदूर क्या काम करेंगे। किस प्रकार वह काम करेंगे? किस प्रकार उनका काम चलेगा? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज्य में अकालग्रस्त क्षेत्रों में तीन किलो गेहूं दिया गया और आज भी यही हाल है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि तीन किलो गेहूं से क्या हो सकता है? सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि मजदूरों को मिनिमम वेजेज के तहत मजदूरी दी जानी चाहिये। अगर आप भी कांग्रेस सरकार की तरह कोटा फिक्स कर देंगे कि इतना काम करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे तो फिर आप में और कांग्रेस राज्य में क्या फर्क रहेगा। अभी यह स्थिति बनी हुई है कि 50 प्रतिशत काम किया तो 50 प्रतिशत पैसा दिया जाता है और 75 प्रतिशत काम किया तो 75 प्रतिशत पैसा। मेरा निवेदन है कि बेचारे मजदूर वैसे भी कमजोर होते हैं और खाने को आप सड़ा गला गेहूं दे रहे हैं तो वह कैसे काम करेंगे। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मजदूरी करने वालों को कम से कम पांच रुपया तो देना ही चाहिये या फिर आप मिनिमम वेजेज एक्ट को वहां पर लागू करें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण कार्य में लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि रामसर से चोहटन तक की 25 मील की सड़क बनी थी उस 25 मील की सड़क को ग्रेवल रोड बनाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 25 लाख रुपये का खर्चा कर डाला। सभापति महोदय, 25 लाख रुपये में तो डामर रोड बन जाती है। उसके लिये शिकायतें भी की गयीं। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में जांच हुई। उसके बाद कई अधिकारी, जो नीचे के लेवल के थे, के खिलाफ में कार्यवाही की गई। इसमें सभापति महोदय, कई जूनियर इन्जीनियर और असिस्टेंट इन्जीनियर्स का चालान कर दिया गया लेकिन किसी भी सुपरिन्टेन्डिंग इन्जिनियर या एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का चालान नहीं हुआ। वैसे तो उस सारे कार्य के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग की मशीनरी की जिम्मेदारी होती है फिर क्या कारण है कि रामसर चोहटन रोड पर सिर्फ नीचे के अधिकारियों को ही दण्डित किया गया और बड़ों को नहीं? इसलिये मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाय। इसके अलावा अगर कोई बड़े जन प्रतिनिधि भी शामिल हों तो उनके खिलाफ में भी कार्यवाही की जानी चाहिये। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया आप अकाल-ग्रस्त क्षेत्र में अकाल राहत काम करने वाले लोगों की मजदूरी बढ़ाएं। अगर आपने मजदूरी काम के क्वान्टम के हिसाब से तय की तो उसमें फिर और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो आपने सरकारी आदेश निकाले हैं उसमें आपने वसूलियां स्थगित कर दी हैं। उसमें आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की और अनइकोनोमिक होल्डिंग जिनके पास है उनकी वसूलियां स्थगित की हैं। लेकिन, सभापति महोदय, अकाल जब पड़ता है तो सारे इलाके के लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है, फसल सभी की नष्ट होती है और सभी लोग प्रभावित होते हैं। फिर आपने सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही इसमें क्यों लिया है? आज हमारे यहां पर किसी ने 100 बीघा में और किसी ने 400 बीघा में फसल बोयी है, वह सारी सारी नष्ट हो गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इलाके में पूरी फसल नष्ट हो गई है फिर भी वसूलियां की जा रही हैं। उन्हें रोका जाय नहीं तो लोगों की हालत बद से बदतर हो जायगी। मेरे जिले में अकालग्रस्त एरिया में लोगों से वसूलियां की जा रही है। कुर्कियों....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

द्वारा वसूलियां हो रही हैं, यह उचित नहीं। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह है पानी की स्कीमों के बारे में। वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और ग्रामीण जलप्रदाय योजना पिछले पांच महीने से बन्द पड़ी है। आपको पीने के पानी की समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। वहां की हालत ऐसी हो रही है कि आपको पानी की टंकियों के द्वारा पहुँचाना पड़ेगा।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसके अलावा सूखा सम्भावित क्षेत्रों में जो प्रोग्राम चलते हैं वह भी नहीं चल रहे हैं। डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो काम होते है वह बिलकुल ही ठीक नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं आज आठ महीने हो गये हैं। जनता पार्टी का राज्य आये हुए अभी तक कोई भी काम वहां डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है। इस अधिकरण की कोई बैठक नहीं हुई है। जो भी काम हो रहा है वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के द्वारा हो रहा है। यह बात सही है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के द्वारा जो काम हो रहे हैं उनका लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

वहां पशु-पालन का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है न ही भेड़ पालन का या विकास का किसी भी काम में प्रगति नहीं हो रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत का भी काम लिया गया था लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। पानी की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। सूखा सम्भावित क्षेत्र में पहले उन कार्यों के लिये साल के लिये साढे चार करोड़ रुपये की केन्द्र से सहायता स्वीकृत हुई और अभी 6 करोड़ रुपये विश्व बैंक से मिल रहे हैं। जोधपुर में इस बारे में तय हुआ है। इसके अलावा दूसरे प्लान में विद्युतीकरण के बारे में प्रोविजन होने चाहिये वह अभी तक नहीं हुए। भेड़ पालन व दूसरे कार्यक्रम और सूखा सम्भावित क्षेत्र में जो योजनाएं क्रियान्वित होनी चाहिये थीं वह नहीं हो रही हैं। इसके अलावा 12 जिलों में से तीन जिलों की तहसीलों के लिये जो योजनाएं हैं उनके लिये एक वर्ष के लिये साढ़े चार और एक करोड़ यानि साढ़े चार प्लस वन यानि साढ़े पांच करोड़ रुपया डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड को मिल सकेगा। अधिकतर रुपये का विद्युतीकरण और ड्रिंकिंग वाटर के लिये प्रोविजन किया जायेगा मैं यह बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर अधिक प्रेशर इसके लिये डाले। इसके अलावा नेचरल केलेमिटी के लिये इस वर्ष 10.19 करोड़ रुपये दिये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। 67-68,68-69 में 18 करोड़ रुपये बाड़मेर में खर्च किये हैं। राजस्थान में कुल 250 करोड़ रुपये खर्च हुए तो 10.19 करोड़ के प्रोविजन से तो कुछ भी नहीं होना है। अकाल की स्थिति को देखते हुए यह भी काम हो रहा है वह नहीं के बराबर है। वहां पर मजदूरी कम देने से मजदूरों की हालत खराब है। इसलिये उन मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाय तथा नेचरल केलेमिटी के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रेशर डालकर और अधिक पैसा प्राप्त किया जाय। वह भी लोन के रूप में नहीं किया जाय बल्कि अनुदान के रूप में लेने की कोशिश की जानी चाहिये। इसको आप एक्जामिन करें। जितनी राशि की आवश्यकता हो उतनी राशि दी जाय। यदि नेचुरल केलेमिटीज का भार स्टेट के ऊपर पड़ा तो पहले से ही स्टेट की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब है वह और खराब होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल का इस राशि से मुकाबला कर सकेंगे यह संभव नहीं लगता है। अतः पहले से ही इसके लिये अधिक प्रोविजन किया जाये। अकाल से काफी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, ओले से भी हुए हैं। सड़कें बनाने आदि का कार्य करवाया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरड़क !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री खेतसिंह ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैंने चार कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। सर्व प्रथम संक्षेप में, मैं फेमिन के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि फेमिन कोड बहुत पुराना हो गया है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इसमें परिवर्तन लाये जायं और मजदूरों की मजदूरी की रेट को रिवाइज किया जाय। आज जो मजदूरों को मजदूरी का पैसा दे रहे हैं वह बहुत कम है। उससे मजदूरों का भरण-पोषण नहीं होता है इसलिये यह कार्यक्रम हाथ में लें।

डेजर्ट में एक फसली इलाका होने के कारण 8 महीने मजदूर घर पर बैठा रहता है। इसलिए कांग्रेस सरकार के समय में मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाया जाता था। जो मजदूर मजदूरी करना चाहते थे। वे उनको जहां कहीं सड़कों या बांधों के काम होते थे वहां पर लगाया जाता था इस प्रोग्राम को आपने खतम कर दिया जिससे परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कई मजदूर काम न होने के कारण से बेकार बैठे रहते हैं, भूखों मरते हैं। उनकी हालत नाजुक है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अन्त्योदय योजना का नाम लिया। उन मजदूरों को उससे लाभ नहीं होने वाला है। आप एक काम को हाथ में लें। सड़क का काम ले सकते हैं। एक तहसील में जितने मजदूर लगाना चाहें लगा सकते हैं। जिसको भूख होगी वह वहां काम करने के लिये आवेगा, नहीं भूख होगी तो नहीं आवेगा। इस तरह से आप कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

जल्दी जल्दी इसलिये बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप पांच से छठा मिनट नहीं देंगे।

तीसरा, जिस तरह से भारत सरकार ने पहाड़ी इलाकों के लिये स्पेशल ग्रान्ट मंजूर की है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी दावा किया था कि भारत सरकार से कोशिश करके स्पेशल ग्रान्ट ली जावेगी तो इसके लिये सदन से रिजोल्यूशन पास करवा कर भारत सरकार पर प्रभाव भी डाला जा सकता है कि डेजर्ट की जो समस्या है वह पहाड़ी क्षेत्र से किसी हालत में कम नहीं है, उस क्षेत्र से किसी भी हालत में कम नहीं है जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ तो फिर भी हरे भरे होते हैं लेकिन डेजर्ट में बारिश नहीं होती है तो बड़ी दयनीय हालत हो जाती है। लोगों का स्टेण्डर्ड गिर जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, खेरवाड़ा ये पहाड़ी क्षेत्र हैं लेकिन यहां सारे वन, सारे जंगल साफ हो गये हैं वहां जो आदिवासी हैं उनके लिये ऐसे कार्यक्रम होने चाहिये जिससे कि साल भर तक उनको रोजगार मिलता रहे, मजदूरी मिलती रहे तब ही जाकर हम समस्या का समाधान कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में निश्चित-रूप से कार्य करें।

आपने जो प्रगति विवरण सूखा संभावित कार्यक्रम के बारे में वितरित किया है उसको हमने पढ़ा है। खास कर दस जिले हैं उनमें जोधपुर भी एक आता है। यह समझ में नहीं आया है कि किस क्राइटेरिया से यह बनाया गया है। आपने तीन जिलों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

के लिये तो योजना स्वीकृत की। चूरू, बीकानेर और बाड़मेर के लिये तो आपने योजना स्वीकार की। बाड़मेर में यह समस्या है तो जोधपुर में भी कम नहीं है। जिले जिले के अन्दर यदि पक्षपात करेंगे तो अपने आप मन में बात आती है कि यह क्या बात है। उतने ही खारे कुए दूसरे जिलों में भी हैं। जालौर है, पाली है, ये सब सूखा संभावित योजना में आते हैं। तो मेरा निवेदन करने का मतलब यही था कि क्राइटेरिया के आधार पर प्राथमिकता दे कर लेना चाहिये।

गत वर्ष 12 करोड़ रुपया खर्च करने का विवरण दिया है। यह आपने कृषि पर, भू-जल पर बताया। जिन इलाकों का सर्वे हो गया है और जहां यह साबित हो चुका है कि वहां पर पानी है अन्डर ग्राउन्ड वाटर है। सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है, वर्षों तक चलने वाला वहां भू-जल है, वहां पर ट्यूब वेल्स ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको लगाने चाहिये। निश्चित तौर से यही योजना हो सकती है जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां पर सर्वे हो चुकी है। शेरगढ़ में ऐसे कई गांव हैं जिनकी तादाद 58 है। वहां पर फ्लश ट्यूब वेल योजना लागू की जा सकती है। वहां पर आपको बड़ी तादाद में ट्यूब वेल खोदने चाहिये और काश्तकारों को कन्सेशनल रेट पर पानी देना चाहिये। आपने कहा कि 15 साल में वसूल करेंगे उस के बजाय अवधि बढ़ा कर करना चाहिये क्योंकि डबल क्रोप एरिया का वह इलाका नहीं है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा अवधि करें और पानी है वहां ट्यूब वेल खोदें।

कांग्रेस सरकार ने लिफ्ट इरिगेशन की योजना मन्जूर की थी। उसके पीछे एक ही मन्शा थी कि पोकरण तक के इलाके में बड़ी कैनाल से भी पानी ले आयें तो मवेशियों के लिये विशेष लाभप्रद हो जायेगा, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु हैं। डेयरी के लिहाज से यह इलाका दूध सप्लाई करता है और मीट आदि भी यह भारत के अन्य प्रान्तों को सप्लाई करता है। इसलिये लिफ्ट योजना के द्वारा पानी ले जाइये या ट्यूब वेल के जरिये से जल पहुंचाइये जिससे अधिक से अधिक मवेशी लोग पाल सकें, दूध आदि सप्लाई कर सकें और पशुपालन के द्वारा लोग अपनी उन्नति कर सकें।

बाड़मेर, नागौर, राजगढ़, फलौदी में चिलिंग प्लान्ट को कार्यवाही कर दी। लेकिन मेरे क्षेत्र में अब तक कार्यवाही नहीं की है। इसमें क्या प्रोग्रेस की है, जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तो बताने का कष्ट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सौ-सौ हैक्टेयर्स में एन्क्लोजर्स भेड़ों के लिये रखे हैं। पहले हमने भी एन्क्लोजर्स लगाये थे। कांटे के तार भी लगाये थे। इसके लिये आप एक प्रेक्टिकल व्यू लीजिये। यह आस्ट्रेलिया नहीं है जहां पर जमीन अधिक है और आबादी कम है। यहां तो आबादी बढ़ती जा रही है। आपकी सरकार आयी उसने और छूट कर दी। आप आये इसलिये थे वरना तो आपके आने का मौका ही कहां था। इसलिये आप ऐसे कार्यक्रम को हाथ में लें जो कि प्रेक्टिकल हो। इस पर जो भी खर्चा करें, मेरी यह निश्चित

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मान्यता है कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एन्क्लोजर्स कामयाब नहीं होने वाले हैं। हमने भी लगाये थे तो लोग कांटे के तार वगैरह उखाड़ ले गये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर आप ध्यान दें।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो ट्यूब वेल खोदते हैं उसमें लघु कृषक और सीमान्त कृषक को लिया है। उनको प्राथमिकता निश्चित रूप से देनी चाहिये जिनके पास जमीन कम है। डेजर्ट में आम तौर पर एक किसान के पास में 100 बीघा जमीन मिलेगी। जैसलमेर से आये माननीय भाई किशनसिंहजी भाटी जब बोलेंगे तब आपको बतायेंगे कि 500-500 बीघा जमीन अमूमन एक किसान के पास है। उन को लघु कृषक और सीमान्त कृषक की डेफिनेशन में लेते नहीं। इसलिये इस डेफिनेशन को बदलिये। नहीं बदलें तो छूट करें। कोई भी कृषक ले लेगा। दस परिवार उस पर पलेंगे। स्थायी हल भी होगा। इसलिये बन्दिश मत कीजिये और हरएक को आप मौका दीजिये। कर्जा चुकता रहेगा लोगों को इससे लाभ भी मिल जावेगा और अकाल का स्थायी हल भी निकल आवेगा। यही सुझाव मैं संक्षिप्त में और जल्दी में रखना चाहता था।

माननीय सभापति महोदय, आपकी कृपा रही कि दूसरी दफा घन्टी नहीं बजायी। उससे पहले ही मैंने अपनी बात समाप्त कर दी।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, आज कृषि और डी० पी० ए० पी० की मदों पर विचार विनिमय हो रहा है। मैंने भी इन दोनों ही मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मान्यवर, निवेदन यह है कि झुन्झुनू और सीकर दोनों ही जिले सूखा आशंकित क्षेत्र घोषित होने चाहिए थे लेकिन यह दोनों नहीं हो सके और झुन्झुनू जिले का आधा हिस्सा ही डी० पी० ए० पी० में आ सका। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो नार्म्स आपने डी० पी० ए० पी० में शामिल करने के तय कर रखे हैं उन नार्म्स में सीकर और झुन्झुनू दोनों जिले की सभी तहसीलें आती हैं जब कि झुन्झुनू जिले में केवल आपने झुन्झुनू और चिड़ावा को ही शामिल किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दोनों ही जिले सीकर और झुन्झुनू को इस कार्यक्रम के तहत लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि डी० पी० ए० पी० के तहत झुन्झुनू जिले में सिर्फ झुन्झुनू और चिड़ावा में ही कुछ काम हुए हैं। जैसी कि मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी, पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए भी प्राविजन इसके तहत करेंगे। फिर हमारे सामने तीन तरह की चीजें हैं अकाल, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि। अतिवृष्टि से जहां नुकसान हुआ है वहां भी आपने कुछ कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। इस वर्ष ओलावृष्टि से राजस्थान के अन्दर बड़ा भयंकर नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा पूरा जिला, गंगानगर, झुन्झुनू, सीकर और चित्तौड़ इन सभी जिलों के अन्दर ओलावृष्टि से भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

ओलावृष्टि से जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है उनको राहत दी जानी चाहिए।

मान्यवर, राजस्थान बनने के बाद में यह बराबर होता आया है कि जहां अकाल पड़े और जो इलाका अकाल से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो और फेमिन वर्क्स स्टार्ट कर दिये गये हों वहां लगान की वसूली नहीं की जाती थी। लेकिन काश्तकारों से लगान वसूली इन दिनों बराबर हो रही है। काश्तकारों के पास जहां खाने के लिए कुछ नहीं है और फेमिन वर्क्स के लिए मांग कर रहे हैं वहां से लगान की वसूली और तकावी की वसूली कर रहे हैं। ऐसा आज तक कभी राजस्थान में नहीं हुआ। श्रीमन्, यह पहला वर्ष है जब कि अकाल-ग्रस्त इलाकों के अन्दर लगान और तकावी की न केवल वसूली की जा रही है बल्कि बड़ी सख्ती के साथ और बड़ी निर्दयतापूर्वक वसूलियां हो रही हैं, उसको रोका जाना चाहिए, यह मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अकालग्रस्त इलाकों के अन्दर आपने केवल सांकेतिक काम खोले हैं और छोटे छोटे काम एक-एक लाख और 50-50 हजार के खोले हैं। आपने और जिलों में खोले होंगे लेकिन झुन्झुनूं जिले की बात मैं आपको कहता हूं। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी अकाल से प्रभावित है और पूरा जिला प्रभावित है। सारे गांवों में से एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां अकाल की छाया न हो। मैं निवेदन करूंगा कि 10 लाख की पापुलेशन के आधार पर जितने आदमी आप काम के लायक समझते हैं उस आधार पर आप काम खोलिये और उसी प्रकार से आप धन का आंवटन कीजिए। मार्च का महीना समाप्त हो रहा है और अप्रेल, मई और जून सिर्फ 3 महीने अकाल के हैं। कई दफा ऐसा हो जाता है कि 15 जून के बाद बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद कोई अकाल के काम नहीं होते हैं। लोग अपने अपने खेतों में लग जाते हैं और सड़कों का काम खेतों के अन्दर जुताई होने के कारण बन्द हो जाता है। तो अप्रेल, मई और जून तीन महीनों में आप फुल स्केल पर फेमिन वर्क्स खोलने की मेहरबानी करें। अनुसूचित जाति के लोग और गरीब तबके के लोग, कमजोर वर्ग के लोग विशेष तौर से इस कार्यक्रम के लिए मुंह ताक रहे हैं और आपकी तरफ नजर लगाये बैठे हैं कि कब काम खुले और उनको रोजगार मिले। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

मैंने एक प्रश्न परसों उठाया था कि कृषि उपज मण्डियों को कृषि मन्त्री जी ने एक तरह से पंगु बनाया है और उनकी हालत खराब कर दी। कृषि उपज मण्डियों का आपने गठन कर दिया, उसके बाद नामीनेशन कर दिया। फिर आर्डिनेन्स की घोषणा कर दी और मैनेजमेन्ट भंग कर दिया......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह आज की मांग कृषि उपज मन्डी से संबंधित नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसी में है।

श्री सभापति : कृषि की कल है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : Sorry, Sir.

तो मैं फेमिन के संबंध में आपसे निवेदन कर रहा था कि पूरे जिले में फुल

(श्री रामनारायण चौधरी)

स्केल पर फेमिन वर्क्स खोलने की व्यवस्था करें ताकि रोजगार मिले। साथ ही डी० पी० ए० पी० में पूरा झुंझुनूं जिला लेना चाहिए। अभी आपने केवल उसकी दो तहसीलें ही ले रखी हैं। अभी चूरू जिला पूरा डी० पी० ए० पी० में है तो चूरू और झुंझुनूं के अन्दर कोई अन्तर नहीं है, चूरू और सीकर के अन्दर कोई अन्तर नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सीकर और झुंझुनूं दोनों जिलों को डी० पी० ए० पी० में शामिल करने की महरबानी करें।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापति जी, आज की दो मांगें हैं सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम और प्राकृतिक आपदाओं से राहत। मेरे क्षेत्र सिरोही जिले में अकाल की प्राकृतिक आपदा है। उस आपदा से बचने का प्रयास राजस्थान की सरकार को और हमारे माननीय मंत्री जी को करना है। इस आपदा से तभी बचा जा सकता है जब कि जो भी हल ढूढ़ें वह स्थाई हो और बार-बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अब तक अकाल के नाम पर जो काम खोले जाते हैं वह अस्थाई होते हैं। दो महीनों में वह जाते हैं और फिर उनका कोई लाभ नहीं होता। न लोगों को मजदूरी मिलती है और न काम मिलता है। माननीय सभापति जी, सिरोही में जो अकाल राहत समिति है उसने जो सुझाव राज्य सरकार को भेजे हैं उनमें कुछ सड़कें-बांधों के काम हैं और जो काम अधूरे पड़े हैं कन्क्रीट बिछी हुई है उनको पूरा कर दें, नालियां, पुलियायें बना दें और जहां जो टूटी हुई हैं उनको ठीक करवा दें तो बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र का होगा। सबसे पहली बात है जावाल-हरजी सड़क पर 7 बड़े-बड़े नाले हैं, वह हर साल आते हैं। उससे सड़क टूटती हैं और चार महीने रास्ता बन्द हो जाता है। उसके कार्यक्रम को हाथ में लें तो बहुत अच्छा काम होगा।

इतना ही नहीं भू-संरक्षण का काम है। बाढ़ के कारण या नदियों में पानी आने के कारण, जब नाले अपना मोड़ बदल देते है तो खेत बरबाद हो जाते हैं। कहीं बालू घुस जाती हैं और मेड़ टूट जाती हैं। मणदर सिरोही जिले में गांव है वहां 4 हजार एकड़ भूमि में अपने आप सिचाई होती थी। जिस इलाके को हम सेवज कहते हैं वह सेवज की खेती नाले के रास्ता बदलने के कारण रुक गयी है। उस नाले को इस अकाल के काम में भू-संरक्षण के मार्फत ठीक करा दें तो चार हजार एकड़ गेहूं और चने की खेती हो सकती है। उससे कितना लाभ होगा यह आप ही सोच सकते हैं।

इसी प्रकार से जालौर जिले में आप मानें या न मानें बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहां अकाल की स्थिति है। अकाल की स्थिति भीनमाल तहसील में उस भाग में है जहां सूदा नाम का पहाड़ है। वह पहाड़ मारवाड़ का आबू गिना जाता है, उसके चारों तरफ 4 नदियां हैं जैतपुरा, बड़गांव, राणीवाड़ा और सागी। इन नदियों में हम काम करायें, कुछ एनीकट्स बनायें और उसको इस ढंग से बनाया जाये कि उन नदियों के पानी का हमेशा-हमेशा के लिये उपयोग हो सके। वह एक बहुत अच्छी वैली बन सकती है सारी की सारी आबादी उस क्षेत्र में भीलों की है। भील दुखी है......

(श्री रघुनन्दन व्यास)

अगर उस इलाके में इस समय कुछ काम भी खड़ा किया तो वहां मजदूरी करने वाले लोगों, जिनको मजदूरी नहीं मिलती, माननीय सभापति महोदय, का हित होगा। उनके ऊपर जो आपदा आई हुई है उस आपदा का निपटारा होगा

सभापति महोदय, इसके साथ फेमिन कोड की बात कहूंगा। फेमिन कोड में परिवर्तन होना चाहिए। उसमें परिवर्तन कब होगा, यह भगवान ही जाने।

आज से पांच वर्ष पहले बाढ़ आई थी तब जालोर हैड क्वार्टर पानी से डूब गया था। मेरे स्वयं के मकान में 3 फीट पानी था। सड़कें थोड़ी बहुत ठीक हो गई लेकिन जो खेत थे, उन खेतों में बालू मिट्टी आकर पड़ गई। ऐसी कम से कम 10 हजार एकड़ जमीन है। कुएं पट गये। कुओं का निशान नहीं रहा। डी० पी० ए० पी० का जो कार्यक्रम है उसमें भूमि को समतल करने का कार्यक्रम लेना चाहिये। जिन किसानों के खेत प्रभावित हो गये, दो-दो फीट बालू मिट्टी आ गई उस बालू मिट्टी को बुल डोजर के माध्यम से हटाने का कार्यक्रम लेना चाहिये। इतना ही नहीं, जालोर नगर है उसके दक्षिण में 12 मील तक, पश्चिम में 12 मील तक डेजर्ट है कोई बस्ती नहीं। जंगल में एक-एक मील पर एक-एक घर है। पीने का पानी नहीं है। जालोर की स्थिति यह है कि वहां एक भी स्थान पर दो वर्षों से कोई काम नहीं खोला गया और इसलिये नहीं खोला गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और लूंगा।

इसलिये उस इलाके में, जालोर के इलाके को हम लोग बगीचों का इलाका कहते थे। वहां सारी फसल बरबाद हो गई। नीचे का जो पानी मीठा था वह खारा हो गया। ऐसी जहां की प्राकृतिक आपदा के कारण स्थिति बन गई, दिये तले अंधेरा वहां के निदेशक महोदय द्वारा, जिलाधीश महोदय द्वारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 5-6 करोड़ रुपया है वह खर्च हो जायेगा, बरबाद हो जायेगा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कम से कम निदेशक महोदय पर, इस विभाग पर जन नेताओं, चाहे विधायक हैं या नहीं है लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सबको समिति बैठाकर अंकुश लगाया जाये अन्यथा रुपया बरबाद होगा।

सभापति महोदय, सिरोही जिले के रेवदर, रहुआ आदि नाम के गांव हैं। दलपतसिंहजी 10 वर्ष तक विधायक रह चुके हैं उनके गांव में 5 वर्ष पहले बाढ़ आई। आज 400 घर का सारा गांव, आकर सड़क पर बैठा है। चार वर्ष हो गये। कोई व्यवस्था नहीं। आज भी पानी वहां खड़ा हुआ है। आपदा के संकट से चार वर्ष के पश्चात् भी उस गांव को मुक्त नहीं किया गया। उस गांव में कोई पैदल जाना चाहे आज तो 6 मील के इलाके में जाने में पांच घन्टे लगेंगे। इस प्रकार से जहां आपदा है वहां आपका एडमिनिस्ट्रेशन सजग नहीं। कोई आज मरे तो जलाने के लिये सात दिन बाद लाश को ढूंढेंगे। लाश को दीमक खा जायेगी। दुःख होता है कई बार, अपने प्रशासन को क्या कहूं।

एक प्रश्न और है जवाई नदी का। जैसे बिहार में कोसी है वैसे ही जवाई नदी जब फुल स्विंग पर आती है तो जवाई, लूणी और

(श्री रघुनन्दन व्यास)

सुकरो तीनों, जालोर जिले में मिलकर आक्रमण करती हैं, हमारे गांव उजड़ जाते हैं। 5 वर्ष पहले 30 गांव चपेट में आये लेकिन आज तक उन गांवों के खेतों को, मकानों को सुधारने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम सूखा-ग्रस्त क्षेत्र या प्राकृतिक आपदा का जो बजट है उसके माध्यम से यह जो गांव हैं–हरजी, धांवला, सणवाड़ा......

श्री सभापति : You may kindly pass it over to the Hon'ble Minister.

श्री रघुनन्दन व्यास : और इस प्रकार से सिरोही जिले के 8-10 गांवों में आप काम करवा दें तो बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी।

श्री सभापति : माननीय श्री करतारसिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, आज अकाल और सूखा आशंकित कार्यक्रम पर चर्चा की जा रही है। जिन माननीय सदस्यों ने पहले विचार व्यक्त किये हैं उन सबकी यही विचारधारा है कि शीघ्रातिशीघ्र राहत कार्य प्रारंभ किये जायें और आज जो स्थिति बनी हुई है उसको तुरन्त बदला जाये ताकि राहत मिल सके। राजस्थान में पिछले 30 वर्षों के इतिहास को देखा जाये तो केवल चार वर्षों को छोड़कर किसी न किसी रूप में अकाल की स्थिति रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य-स्तर तक आपका विभाग खुला हुआ है, जिला स्तर तक एक सीनियर अधिकारी नियुक्त कर दें, जो फेमिन रिलीफ का काम देखता रहे। आज फेमिन रिलीफ के अन्दर जो खराबी हुई है इसके लिये मुख्य रूप से किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराता हूं। आज स्टाफ की कमी है। उनको फुरसत नहीं है कि रिलीफ का काम करें। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिला स्तर पर अवश्य अधिकारी नियुक्त करें। जिन अधिकारियों से काम करवाना चाहते हैं उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया है। मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि अधिकारी लोग टालने की कोशिश करते हैं। वहां एडीक्वेट स्टाफ नहीं है इसलिये इस कार्य को टाल कर दूर कर देते हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा जितनी कमेटियां बनायें, उनमें एम० एल० एज़ को अवश्य लें। भूतपूर्व कांग्रेस शासन में जो कुछ काम हुए उन्हीं कामों को रख दिया है। इस कारण जो जरूरत के काम होने चाहिये, वे नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान राज्य में जितनी तहसीलें हैं उन सब में हमारे अजमेर जिले की पाँच तहसीलें ज्यादा प्रभावग्रस्त हैं।

श्री सभापति : पार्टली अफेक्टेड हैं।

श्री करतारसिंह : 161 गांव प्रभावग्रस्त घोषित हैं। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त आप कार्यवाही करें। यह सुझाव मैंने दिये हैं कि जिला स्तर पर अधिकारी नियुक्त करें और फेमिन रिलीफ कार्य करें। पंचायत क्षेत्रों में कार्य चालू करें।

(श्री करतारसिंह)

तीसरा सुझाव है कि जो राहत कार्य चालू करें, वे जनसंख्या के आधार पर चालू करें। यह मत सोचिये कि इस तहसील में कितने गांव हैं। किसी-किसी तहसील में दो ही गांव प्रभावग्रस्त हैं।

इसके साथ एक निवेदन और है कि आप ऐसे राहत कार्य प्रारम्भ करें जो स्थायी कार्य हों। भरतपुर अलवर जिले हैं वहां बाढ़ आती है, वहां ऐसे कार्य प्रारम्भ करें जिनसे उस बाढ़ से हमेशा के लिये रक्षा हो सके। दूसरी तरफ जहां पानी का अभाव रहता है वहां छोटे-छोटे तालाब बनवायें और उन तालाबों में मारियों का काम भी ढंग से किया जाय जिससे निश्चित रूप से लाभ मिले।

मजदूरों को जो समान वेतन देने की घोषणा की वह ठीक है लेकिन आज भी मिनिमम से कम दिया जा रहा है। उस पर विचार कर राहत प्रदान करने की कोई व्यवस्था करें।

तीसरा जो मजदूरों को रेस्ट देने की बात है, वह मजदूरों को रेस्ट दिया जाय और रेस्ट के लिये भी मजदूरी दी जाय।

इसके साथ ही फेयर प्राइस शॉप की बात कहूँगा। उसका आपके फेमिन कोड में प्रावधान है मगर आज भी मजदूरों को दूर-दूर स्थानों पर सामान लाने के लिये जाना पड़ता है। अतः फेयर प्राइस शॉप खोलकर मजदूरों को राहत प्रदान कीजिये।

इसके साथ ही जो वसूलियाँ है वह भी तत्काल रोकी जायँ। चाहे वह रेवेन्यू की वसूली हो और चाहे कोआपरेटिव की वसूली हो वह स्थगित कर दी जाय। तीसरे जिन पर डिक्री हो गई है, उसके संबंध में भी तत्काल कार्यवाही नहीं की जाय। अभी जो सरकार ने आदेश फर्माया अनुसूचित जाति के लिये तो मेरा निवेदन है मजदूरों का भी भू-राजस्व स्थगित कर दिया जाय।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण काफी नुकसान हुआ है........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री करतारसिंह : नुकसान हुआ है तो सब को हुआ है इसलिये तत्काल भू-राजस्व स्थगित करने पर भी विचार किया जाय........

(व्यवधान)

इसके साथ ही एक निवेदन और है, ओलावृष्टि से मसूदा और केकड़ी क्षेत्र में नुकसान हुआ है। उससे सारी फसल खराब हो गई है अजमेर क्षेत्र की। उसको देखते हुये भी आप अकाल राहत के काम चालू करें। मैं एक नमूना देना चाहता हूं मुझे 18 जिलों की लिस्ट मिली है उसमें जयपुर जिले के लिये 23 लाख की राशि स्वीकृत की है बाकी सबके लिये लिखा है कि स्वीकृत को जा रही हैं। इस तरह स्वीकृत करते करते 6-8 महीने निकल जायेंगे और फिर तीन महीने बाकी बचेंगे। इस तरह काम करते रहे तो मैं निश्चित रूप से आशंका करता हूं कि 2-3 महीने ऐसा सोचते सोचते बीत जायेंगे और फिर यह हो जायेगा कि कौनसा काम करें और कौनसा काम नहीं करें फिर उसमें समय लग जायगा। यह उम्मीद नहीं है कि

(श्री करतारसिंह)

बरसात के पहले स्वीकृति हो जावेगी कि नहीं। यदि समय पर स्वीकृति हो तो, मैं समझूंगा वास्तव में मंत्री महोदय ने राहत पहुंचाई है।

इसके साथ मेरा क्षेत्र अराई पंचायत समिति है उसको किशनगढ़ में शामिल किया जाना चाहिये। वह डेजर्ट एरिया है, उसमें कोई उपज नहीं होती है ......

श्री सभापति कृपया समाप्त करें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय सभापति जी, सूखा मानवकृत न होकर प्राकृतिक है सरकार कितना भी प्रयत्न करे, क्या सरकार प्राकृतिक प्रकोप जिसका असर फसलों पर होता है, रोक सकती है ? देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारा मुख्य धन्धा खेती है। जिस समय काश्तकार खेत में बीज डालता है, तब न प्रकृति की तरफ से गारन्टी है और न सरकार की तरफ से ही कोई गारन्टी है कि जो बीज खेत में डाला वह उग आयेगा या नहीं। इसलिये आज देश का काश्तकार भूखा, नंगा और पीड़ित है। रात दिन काम करने के बाद भी परेशान है। उसको, सभापति महोदय, पेट भर रोटी नहीं मिलती, तन ढकने को पूरा कपड़ा नहीं मिलता और पूरी मेहनत का उसको फल नहीं मिलता है।

मैं एक सुझाव दूंगा कि सरकार काश्तकारों को गारन्टी देकर सुरक्षित करे। जो मेहनत वह कर रहा है, खाद डाल रहा है, बीज डाल रहा है उसका किसी न किसी रूप में रिटर्न मिले–ऐसी गारन्टी सरकार दे। सभापति महोदय, अकाल का प्रभाव भी वहां ज्यादा होता है जहां फसल कमजोर होती है और जहां फसल अच्छी होती है उस पर कम प्रभाव होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार फसल का बीमा कराये तो देश में उत्पादन बढ़ेगा। इसलिये फसल का बीमा आवश्यक है।

सभापति महोदय, सूखाग्रस्त जिलों में अकाल का प्रभाव कम हो, इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं कि जो छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनायें हैं उनको हाथ में लिया जाय। जहां दो बार बरसात हुई है, तीन बार बरसात हुई है, या चार बार बरसात हुई है वहां तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाय तो निश्चित है उसका खरीफ की फसल पर प्रभाव पड़ेगा। फसलों पर प्रभाव नहीं होगा तो मवेशियों को पीने के लिए पानी तो मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटी-छोटी नालियों और छोटे-छोटे तालाब बनाये जाय। इससे जो सूखे का प्रभाव हर साल होता है वह कम होगा।

सभापति महोदय गत 30 सालों के अन्दर अकाल राहत कार्य चले, वे काम केवल राहत देने के लिये नहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिये और चुनाव जीतने के लिए हुये हैं। राहत कार्य ऐसे होते हैं कि मिट्टी डाली जाती है और बरसात आते ही मिट्टी बह जाती है। मेरा निवेदन है कि अकाल के काम स्थायी रूप से किये जायें जो सदा-सदा के लिये काम आयें।

(व्यवधान)

श्रीमती मदनकौर : अकाल राहत कार्य अकाल-ग्रस्त लोगों को जीवित रखने के लिये किया जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने सब्जेक्ट पर ही बोलें ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि अकाल-ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिये काम खोले जायं, मैं इस बात को एग्री करता हूं लेकिन लोगों ने सन् 1967 में जो चुनाव लड़ा उस समय काम खोले गये उससे पहले नहीं । पंचायत समिति मांडल विधान सभा का मैं उम्मीदवार था । वहां अकाल नहीं था फिर भी केवल 6 दिन अकाल राहत का काम करा के लोगों में अनाप-शनाप पैसा बांट कर के चुनाव जीत गये । तो चुनाव जीतने के लिये काम चालू किये गये थे । मेरा निवेदन है कि काम किये जायं लेकिन स्थायी महत्व के काम किये जायं, यही मेरा निवेदन है । जनता सरकार चुनाव जीतने को लिए नहीं वरन देश निर्माण को ध्यान में रखकर ।

श्री मदनसिंह दांता : अभी किसी मंत्रिमण्डल के सदस्य ने चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया है क्या ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैंने 1967 के लिये निवेदन किया है । जब मैं उम्मीदवार था श्री शिवचरण जी माथुर ने ऐसा किया था ।

श्रीमती मदन कौर : इस साल जितने अकाल राहत के काम खोले गये और 20 हजार लोगों को काम दिया है, वह जयपुर जिले में दिया गया है ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, भीलवाड़ा में जितने अकाल राहत कार्यों में घोटाले हुए हैं, मैं निवेदन करता हूं सरकार से चाहे वह कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जन-प्रतिनिधि हो, जो भीलवाड़ा में इस काण्ड में विख्यात है उसकी खुली जांच हो । पिछले सत्र के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने जो जांच की घोषणा की थी, वह अभी तक शुरू नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा उनकी जांच हो । उस जांच के अन्दर दो - चार हमारे विधान सभा के सदस्य भी हों ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय । सभापति महोदय, गत टाइम में अकाल राहत के काम का संचालन व भुगतान एक ही एजेन्सी के द्वारा होता था और वह पी० डब्ल्यू डी० करवाता था । मैं सुझाव देना चाहता हूं काम का संचालन एक एजेन्सी करे और पेमेन्ट का दूसरी एजेन्सी करे ताकि गबन घोटालो कि इतनी शिकायतें नहीं हो और उन पर अवश्य रोक लगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं खरीफ की फसल में कम पानी की जरूरत पड़ती है । रबी को फसल में बराबर पानी चाहिये बिना पानी के रबी की फसल नहीं हो सकती है । रबी को फसल मार्च के बाद आती है । कार्तिक तक, नवम्बर महीने तक ही काम रहता है । नवम्बर से लेकर जून महीने तक काश्तकार बेकार बैठा रहता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर वर्षा के दिनों के बाद कोई काम नहीं है, खराब फसल हो गई है; वहां राहत कार्य चालू किये जायं । रबी की पैदावार होने के बाद कई ऐसे स्थान हैं, जहां पर काश्तकार के पास कोई काम नहीं रहता है वहां पर राहत कार्य चालू किए जायं । ऐसे स्थान हैं जहां पर पीने के पानी की कमी है, लोगों को रोजगार नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पर अकाल है, अति वृष्टि हुई है,

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

ऐसे स्थानों की सूची मंगवा कर टैस्ट वर्क के रूप में वहां पर काम कराये जाएं। पंचायत समिति मांडल के गांव डमरी में पीने के पानी का संकट है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, वहां उससे फसलों को नुकसान हुआ है। ओला वृष्टि भीलवाड़ा क्षेत्र में हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में अविलम्ब राहत कार्य प्रारंभ किये जायं। मेरे पंचायत समिति क्षेत्र मांडल में ओला वृष्टि हुई है, उसके अन्दर हाथीपुरा का तालाब है। उस पर पहले दो लाख रुपया लगा दिया गया है। एक लाख रुपया और लगाकर उस तालाब को बनाया जाए। सारे गांवों के अन्दर ओलावृष्टि हुई है और उससे नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से बेमाली तालाब है। उस पर भी काम करवाया जाए। इसके साथ ही भगवानपुरा रोड है। ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति से राहत देने के लिए उस सड़क का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और वह सारी सड़क ठीक हो सकती है। यह काम ऐसा है, जिस पर पहले से करोड़ों रुपया लगा हुआ है। उसका अधिक से अधिक उपयोग हो। बेमाली भगवानपुरा रोड है, बेमाली का तालाब है, हाथीपुरा का तालाब है। मान्यवर, इन पर राहत कार्य चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात अंत में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वे कार्य पहले लिए जाएं जिन पर पहले से ही करोड़ों रुपया, हजारों रुपया लग गया है और अधूरे पड़े हुए हैं। इसलिए जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी जाए।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मैंने सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। देश का सब से बड़ा वर्ग बाढ़ और अकाल से पेरेलाइज है। पिछले तीस साल से लगातार खेती प्रकृति पर निर्भर है और आज भी खेती प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। आज जो बजट पेश किया जा रहा है उससे इन आपदाओं से छुटकारा मिल जायगा, राहत मिल जाएगी, ऐसा संकेत नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले तीस साल में अकाल राहत कार्यों के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए, काफी जनधन का नुकसान हुआ लेकिन आज तक कोई राहत नहीं मिल पाई। इसका कारण यह है कि अकाल राहत के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन अकाल रोकने के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया जाता है। जब अकाल पड़ जाता है, फसलें बरबाद हो जाती हैं, काश्तकार परेशान हो जाता है, उसके पशु मर जाते हैं, काश्तकार उजड़ने को तैयार होता है तब सरकार राहत कार्य खोल कर पैसा बरबाद करने लगती है। जितना नुकसान होता है, अगर उतना ही उस क्षेत्र के अन्दर अकाल को रोकने के लिए पहले से काम किया जाए तो अकाल की विभीषिका का खतरा न रहे। इसी

(श्री बहादुरसिंह)

प्रकार बाढ़ के क्षेत्र में बाढ़ आने से पहले सरकार एक पैसा खर्च नहीं करती है। बाढ़ आती है, गांव के गांव बह जाते हैं, फसलें बरबाद हो जाती हैं, हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, तब जाकर सरकार सहायता के लिए आती है और करोड़ों रुपया बहा दिया जाता है। इसका कोई असर नहीं होता है। इसलिए जो यह रुपया बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च किया जाता है, वह पहले से बाढ़ रोकने के लिए खर्च किया जाए तो राज्य में बाढ़ इतना नुकसान नहीं कर सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राहत कार्यों, अकाल राहत कार्यों पर खर्चा न करके अकाल को रोकने के कार्यों पर पैसा खर्च करें तो शायद अकाल से राहत मिल सकती है। बाढ़ राहत कार्यों पर जो खर्च करें वह बाढ़ को रोकने के लिए खर्च करें तो शायद बाढ़ रोकी जा सकती है और नुकसान भी रोका जा सकता है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर साल अकाल पड़ता है, उन क्षेत्रों के अन्दर अगर पहले से ही प्रबन्ध कर दिया जाए, पीने के पानी की सुविधा कर दी जाए, रेगिस्तानी इलाकों में जंगल लगा दिये जाए तो बहुत हद तक अकाल की विभीषिका से लोगों को राहत मिल सकती है। जंगलात से पशुओं को चारा मिल सकता है। पीने का पानी मिल जाए तो अकाल से किसानों के मवेशी नहीं मरेंगे और अकाल का असर उन पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार बाढ़ आने वाले क्षेत्र चिन्तित हैं और लगातार तीस साल से उन क्षेत्रों में बरबादी होती जा रही है। पानी के बहाव का रास्ता मालूम है। उस रास्ते को रोक दिया जाए, पानी का कन्ट्रोल किया जाए तो बाढ़ से नुकसान नहीं होगा और सूखे से भी नुकसान नहीं होगा। इस लिए सरकार को चाहिए कि राहत के नाम पर जो पैसा खर्च करें, वह अकाल और बाढ़ को रोकने के लिए खर्च करें ताकि इतना नुकसान देश का न हो, पैसे की बरबादी न हो और लोगों को भी राहत मिल जाए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर गंगानगर जिले के अन्दर जो रेगिस्तान है, उस क्षेत्र के पास हो नम्बर 1 व 2 मेरे नोहर क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर सीपेज की समस्या है। पानी वहां पर पड़ा रहता है। उस इलाके की बहुत सारी जमीन पानी में डूबी रहती है, सीपेज के कारण इस पानी को उस इलाके में, जो सूखे से प्रभावित हैं, नहर के जरिए लाकर सिंचाई का इन्तजाम किया जाए तो वहां के क्षेत्र को सीपेज से जो नुकसान हो रहा है, वह कम होगा और पास के क्षेत्र में जो सूखे से नुकसान हो रहा है उस नुकसान से भी बच जाएंगे और लोगों को राहत मिल जायगी। सरकार को चाहिए कि इस तरह से जो पानी से बरबादी हो रही है, उस बरबादी को रोकने के लिए उस पानी का इस्तेमाल सूखे क्षेत्र में किया जाए।

धन्यवाद

श्री सभापति : श्री ईश्वरचन्द्र ।

श्री ईश्वरचन्द्र (भिड़ावा) : सभापति महोदय अकाल और अभाव के ऊपर जो बहस चल रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोक सभा में एक बार इसी प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्न पर चर्चा हुई थी तब

(श्री ईश्वरचन्द्र)

तत्कालीन सरकार ने भूख से मरने वाले लोगों के बारे में यह कहा था कि ये कुपोषण से मरते हैं भूख से नहीं मरते हैं। कम खाए, बिना खाए मरें, इनमें क्या फर्क है ? इसका निर्णय सरकार नहीं कर सकी। हर बार जितनी भी भूख से मौतें हुई, मेल न्यूट्रेशन का सहारा लेकर भूखमरी को छिपाया है, वहां हालत हमारे अकाल और अभाव की है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अकाल और अभाव में राजनीति आ जाती है। इस कारण उस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। सभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था। झालावाड़ जिले में पिड़ावा क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जहां से मैं आता हूं वहां ज्वार की फसल होती है। जब पानी की जरूरत थी तो पानी नहीं मिला। इस कारण 89.% ज्वार की फसल खराब हो गई। मैंने मन्त्री महोदय और जिलाधीश को कहा लेकिन कोई हल नहीं निकला। पिड़ावा क्षेत्र से निरन्तर समाचार आ रहे हैं कि वहां लोग भूखों मर रहे हैं। दूसरी ओर वसूली का कार्यक्रम चल रहा है। इससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी है। दूसरी समस्या हमारे क्षेत्र की बड़ी भारी यह है कि हमारे यहां तालाबों और कुओं में पानी कम हो गया है। पानी बिल्कुल कम हो गया है इससे पिड़ावा में पानी की समस्या पैदा हो गई है कुओं में पानी सूखता जा रहा है। सभापति महोदय, इसके बारे में मन्त्री महोदय ध्यान दें वहां 8 हजार कुए हैं और 60 तालाब हैं। उनमें पानी की व्यवस्था हो जाये तो वहां की फसलों और रहने वालों को राहत मिल सकेगी। मैं निवेदन करूंगा कि पिड़ावा तहसील में कई बार अकाल पड़ चुका है, उसके बारे में निवेदन करूंगा। वहां पर 1895, 1919, 1924, 1949, 1950, 1953, 1957 और 1965 में अकाल पड़ चुके हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमेशा, हर साल वहां अकाल और अभाव की स्थिति हो जाती है। इसके लिये तुरन्त कदम उठाया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने कहा है, अकाल और अभाव की परिभाषा नहीं बनाई गई है। फेमिन कोड बदला जाये। 12 और 15 ही नहीं 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। निरन्तर अकाल और अभाव में जी रहे हैं। अभाव और अकाल का पैमाना नहीं बदला जायगा और आप पुरानी संहिता लेकर बैठे रहेंगे तो विशेष काम नहीं हो पायेगा। यह बात कह कर समाप्त करता हूं कि जब मन्त्री महोदय जवाब दें तो इसका जवाब भी दें।

एक प्रश्न और रखना चाहता हूं। जो लोग कटौती प्रस्ताव रखते हैं और जो यहां नहीं होते हैं उन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों के भी जवाब जाने चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय इस समय है, नहीं। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को यहां सदन में रहना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, यह हाउस का अपमान है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं चाहूंगा, माननीय मन्त्री महोदय को यहां होना चाहिए।

श्री सभापति : एक माननीय मन्त्री मौजूद है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सम्बन्धित मन्त्री महोदय नहीं हैं। यह हाउस का अपमान है। माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं भी इसे गम्भीर मानता हूं। अकाल और अभाव का मामला है।

(व्यवधान)

one by one। माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्रियों की तनख्वाह राष्ट्र की सम्पत्ति है। आज 16 मन्त्रियों में से एक मन्त्री बैठे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा ....

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, जब तक मन्त्री महोदय नहीं हो, हाउस की कार्यवाही बन्द होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय पधार गये हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : अकाल का मामला इतना गंभीर मामला है।

श्री सभापति : गंभीर मामला है। Now let us be serious about it.

श्री किशनसिंह भाटी : यह कोई ललित कला पर बहस नहीं है।

श्री सभापति : मन्त्रियों की जोइण्ट की रेस्पोंसिबिलिटी है। एक मन्त्री महोदय उस समय भी बैठे हुए थे।

श्रीमती मदनकौर : एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने की विभिन्न विभाग एजेन्सी हैं। अतः उन विभागों के प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित हों ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी हो। मन्त्री महोदय को सदन में होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज पंवार।

श्री किशनसिंह भाटी : यह एकेडेमिक डिस्कशन नहीं है।

श्री सभापति : Let us continue the debate.

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : सभापति महोदय, चूरू जिले में यह जो योजना डी. पी. ए. पी. के तहत चालू की गई है, बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। इससे इलाके के लोगों को जीवन मिल सकेगा। लेकिन जिस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से बजट बढ़ जायगा और योजना फेल होने की आशंका

(श्री मेघराज पंवार)

हो जायगी । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा सूखा और अभाव की योजना के तहत जो योजनाएं आती हैं उनमें, राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण देने वाली एजेन्सी के रूप में चुना जाता है। बैंक की ब्याज दरें अनुपयोगी हैं। यह दरें कम्पाउन्ड हैं और छः माह बाद मूल्य में शामिल कर दी जाती हैं एक आदमी को नोटिस दिया जाता है छपा हुआ तो उस फार्म की कीमत उसके खाते में पांच रुपये लिख दी जाती है। वसूली का नोटिस टाइप करके भेजते हैं तो 25 रुपये एक नोटिस के खर्च के उसके खाते में लिख देते हैं। अगर बैंक अधिकारी कहीं योजना के तहत में साइट इन्सपेक्शन पर जाते हैं तो 25 रु० फीस लिख देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि काश्तकारों पर अत्यधिक भार पड़ता है। बैंकों का जो व्यवहार है वह देखना चाहिए नहीं तो यहां के ग्रामीण बरबाद हो जायेंगे।

इसके अलावा एक योजना कुण्डों की बन चुकी है। वह कुण्डों की योजना बहुत ही उपयोगी है उस इलाके के लिए, जिसमें पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत ही उपयोगी है। इससे उस इलाके के लोगों को खेती करने के लिए पानी मिलेगा और जो दुधारू पशु होंगे उनको कुण्डों से यदि पानी मिलेगा तो दूध की पैदावार में 40 पर्सेन्ट वृद्धि हो जायगी। यह उपयोगिता उस योजना के सामने आ रही है लेकिन जो ब्याज की दर है उसके कारण काश्तकार लोन लेने में हिचकिचाते हैं। इस योजना में बहुत पैसा मन्जूर किया हुआ है, लेकिन काश्तकार कर्जा लेने से डरते हैं।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कुण्डों के ऊपर जो चौक बनाये गये हैं वह निश्चित तकनीकी स्पेसिफिकेशन से नहीं बने हैं। शुरू में 50 कुण्ड पानी के लिये इस तरह के बने हैं तो इस तरह की योजना से नुकसान पहुँच रहा है। इसकी निश्चित योजना बने इसमें 50 पर्सेन्ट सरकार सब्सिडी देती है। 3 हजार रुपया सरकार खर्च करती है और 3 हजार रुपया गांव वालों का खर्च होता है। जिन कुण्डों के ऊपर के चौक गिर गये हैं उनको सब्सिडी और दी जानी चाहिये, नहीं तो यह योजना फेल हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य : यह रुपया जनता का है।

श्री मेघराज पंवार : इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो चक्रवृति ब्याज और पैनल इन्ट्रेस्ट की दर है इसको समाप्त किया जाना चाहिये, और सरकारी एजेन्सी की तकावी लोन की तरह उनको रुपया दिया जाना चाहिये, नहीं तो काश्तकार-को यह ब्याज समाप्त कर देगी, और इस का कोई भी फल नहीं निकलेगा।

दूसरा, जनता में इसके प्रचार के लिये बड़े-बड़े आफिसर, कलेक्टर, एस० पी० द्वारा ग्राम सभाएं की जा रही हैं। प्रचार के लिये फोटो लिये जा रहे हैं और चैक दिये जा रहे हैं लेकिन शाम हुई कि चैक वापस ले लिये जाते हैं, और बड़े बड़े खर्चे उसमें से काट कर, प्रति व्यक्ति 60-70 रुपया खर्च होता है, वह काटा जाता है बाकी उनको दिया जाता है। उसका रिकार्ड नहीं होता है। बहुत ज्यादा खर्चा बैंकों के द्वारा इस तरह के नाटक पर होता है। मेरा सुझाव है कि तकावी रूप के मार्फत सरकारी एजेन्सी

(श्री मेघराज पंवार)
के रूप यह कर्जा दिया जाना चाहिये, नहीं तो यह कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट काश्तकारों को खतम कर देगा।

अकाल के संबंध में मुझे एक-दो बात कहनी है। चूरू हमेशा अकाल-ग्रस्त इलाका रहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और उसमें काफी काम अधूरे पड़े हुये हैं। वहां पर लाखों रुपयों का मेटेरियल पड़ा हुआ है। उन अधूरे कामों को इस वर्ष हाथ में लिया जाना चाहिये। जिससे पहले जो खर्चा किया गया है उसका सदुपयोग हो, और आगे भी उनका उपयोग हो सके। फेमिन कोड के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा। फेमिन कोड 5-7 वर्ष पहले वर्तमान सदन के नेता जब इस तरफ बैठते थे तो फेमिन कोड को बदलने के बारे में काफी गुस्सा होकर कहते थे कि यह काला कानून क्यों लागू कर रखा है। हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरा कानून क्यों नहीं लाया जाता है, आज 150 की फौज उनके साथ है और श्रीमान जी खुद मुख्तार हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें परिवर्तन क्यों नहीं लाया जा रहा है?

अकाल पीड़ित लोगों को, जो आज सहायता दी जाती है राजस्थान बनने से पहले कई स्टेट्स में उससे बेटर फेसिलिटीज दी जाती थी। आपने फेसिलिटीज सीमित कर दी है उससे काश्तकार बरबाद हो जायगा और काश्तकार की खेतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान और अकाल का चोली और दामन का साथ है।

पिछले 20 वर्षों में केवल चार साल सामान्य वर्ष रहे हैं जबकि राजस्थान सरकार को अकाल घोषित नहीं करना पड़ा और अकाल राहत कार्य चालू करने पड़ गये। राजस्थान निर्माण के बाद यदि देखा जाय तो करीब 350 करोड़ से ज्यादा रुपया अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया गया है। यदि कोई इस समस्या के स्थाई समाधान के लिये प्रयत्न किया जाता तो 350 करोड़ में बहुत कुछ किया जा सकता था।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टिप्पणी नहीं करें। आपका टर्न आये तो जो भी लीगल हो और व्यवहारिक हो वह सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : लेकिन यह बात भी सही है कि जब भी आपदा इन्सान पर पड़ी है, एक बात मैं गौरव के साथ कह सकती हूं, उसका हमने दृढ़ता से सामना किया है। यह बात सही है कि अकाल राहत कार्यों में और बाढ़ के कामों में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई होगी लेकिन यह मानव जीवन का प्रश्न है। राहत कार्यों द्वारा ही जब इन्सान को जिन्दा रखना पड़ता है तो कहां क्या काम हुआ है, क्या लीगल हुआ है, कहां मस्टर रोल में त्रुटियां है, इन सब बातों का महत्व नहीं होता है। सबसे पहले जरूरी बात यह होती कि किसी भी तरह से मानव को जीवित रखने का प्रयत्न

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

किया जाए। मैं एक बात बड़े गौरव के साथ कह सकती हूं कि राजस्थान में भयंकर से भयंकर प्रकाल पड़े, हमेशा राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने मानवीय प्रश्न पर अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से समझा सबको काम देने, प्रकाल सहायता के काम खोलने, अनाज वितरण करने और दवाओं के वितरण की समुचित व्यवस्था करने के सारे प्रयत्न किये लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि इस राजस्थान में 26 जिलों में से 19 जिले प्रकाल-पीड़ित हैं। 19 जिलों के 96 लाख आदमी आज प्रकाल से प्रभावित हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पिछले वर्ष यह कहा गया था कि यह खुरदरे हाथों का चमत्कार है और यह सत्ता उन्हीं खुरदरे हाथों ने हमें सौंपी है। मैं उन्हीं खुरदरे हाथ वालों के लिए कहती हूं कि राजस्थान में इतना भयंकर प्रकाल पड़ा हुआ है कि 26 जिलों में से 19 जिले प्रकाल से प्रभावित हैं। आज प्रश्न न केवल इन्सान के जीवन का है लेकिन राजस्थान का सबसे अच्छा पशुधन जो है उसके जीवन और मरण का प्रश्न पैदा हो गया है। मैं जनता सरकार से कहना चाहती हूं कि झुंझुनू जिले के 799 गांवों में से 691 गांवों को प्रकाल-ग्रस्त घोषित किया जा चुका है। वहां पर चारा नहीं मिलता है। कड़बी का भाव 45 रुपये क्विन्टल है। आज कुट्टी का भाव 45 रुपया क्विन्टल है। इस भाव में कुट्टी लेकर अपने पशुओं को कैसे जिन्दा रख सकते हैं? इस राजस्थान के पशुधन को रखने वाले क्या आगे आने वाले कई वर्षों तक अपने पशुधन को जिन्दा रखने के लिए प्रकाल के समय बार-बार मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में इसी तरह से जाते रहेंगे? खानाबदोश की तरह परेशान होते रहेंगे?

यह बात कहते हुए मैं याद दिलाना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, अगर वे यहां होते तो ठीक होता, जब वे विरोधी दल में थे तो कई बार सिंह गर्जना करते हुए कहते थे तो ऐसा लगता था कि यदि उनके हाथ में राजस्थान सरकार का प्रशासन कभी आयेगा तो पता नहीं क्या करेंगे? लेकिन मुझे अपनी आत्मा में दुःख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है यह कहते हुए कि प्रकाल की विभीषिका को, प्रकाल की गम्भीरता को जनता सरकार ने समझा नहीं है और प्रकृति से त्रस्त जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है।

श्री श्रवणलाल: 12 करोड़ खर्च किया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह: हिण्डौन से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आंकड़ों से........

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्य से यह कह दूं कि वह गम्भीरता से व्यवहार करें। हो सकता है कि माननीय सदस्य, जो विपक्ष में बैठे हैं, वह इस तरह से करें, लेकिन ट्रेजरी बैन्चेज पर जो बैठे हैं वह गम्भीरता से बैठें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपने आचरण में सुधार करें।

(व्यवधान)

No intervention, please.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: You learn lesson of discipline.

श्रीमती सुमित्रासिंह : बीच में माननीय सदस्यों को टोकने का हक है। यदि कोई गलत बात कही जाती है तो बीच में इन्ट्रप्शन्स कर सकते हैं। माननीय सदस्य चाहे सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए हों, चाहे हम विपक्ष में बैठे हों, यह तो सभी का प्रश्न है। आपके जिले में अकाल पड़ा हुआ है, भयंकर अकाल है, यदि इस प्रकार से सरकार की बात कहने नहीं देना चाहते, लोगों की समस्याओं को रखने नहीं देना चाहते हैं बीच में इस तरह से हस्तक्षेप करके, मैं समझती हूं, तब तो आप में मानवीय संवेदना नहीं है और खुरदरे हाथों के साथ कोई सहानुभूति भी नहीं है।

सरकार ने अब तक अकाल राहत कार्यों के लिए कुल 63 लाख 50 हजार की स्वीकृति दी है। झुन्झुनूं जिले के बारे में निवेदन कर दूं कि जहां सम्पूर्ण राजस्थान में 182 राहत कार्य चल रहे हैं और कुल श्रमिकों की संख्या 19,553 है वहां मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि जिले के अन्दर 691 गांव अकालग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं किन्तु दो काम केवल परीक्षण के तौर पर खोले गये हैं और श्रमिकों की संख्या भी नाम मात्र की केवल 200 है। क्या आप इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं? आप खुद खुरदरे हाथों के बीच में से आये हैं लेकिन आपने अकाल की गम्भीरता को समझा नहीं है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 11 करोड़ और कुछ लाख रुपये बचाये हैं। यह पैसा भारत सरकार से मिला था लेकिन सरकार इतनी अकर्मण्य है, इतनी इनएफिशियेन्ट है, इतनी इनकाम्पीटेन्ट है कि उस पैसे को खर्च भी नहीं कर पायी। एक तरफ लोगों को अकाल राहत के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है दूसरी तरफ जहां पर लोगों को जीवित रखने का प्रश्न है वहां आप अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहे हैं तो आपको शासन में रहने का हक नहीं है। वित्त विभाग की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें 11 करोड़ 11 लाख रुपये, पिछले वर्ष का बचा हुआ बताया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि यह राशि आपने कौनसे काम के लिए और किस दिन के लिए बचा कर रखी है? आज लोग भूख से पीड़ित हैं, उनके जीवन-मरण का प्रश्न है। यह रुपया आपने कौन से समय और किस दिन के लिए बचाया है? क्या आप इसका अचार डालोगे? माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार ने अकाल राहत के प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया है। सभी माननीय सदस्य भूतपूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं अकाल के कामों में भारी गड़बड़ियां हुई हैं, घोटाले हुए हैं, लोगों ने झूठे मस्टर रोल दिये हैं और अपने घर भर लिए हैं। यदि लोगों ने ऐसे काम किये हैं तो मैं उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कहना चाहती। जिसने भी पैसे खाये, मुख्य मन्त्रीजी ने खुद ने कहा है गरीब के टैक्स का पैसा जिसने भी खाया है, मैं मुंह से नहीं नाक से निकलवा लूंगा। कौन मना करता है, क्यों नहीं निकलवाते हैं? अब तक क्या प्रगति हुई है? माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं...

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : 80 प्रतिशत तो उधर चले गये, करें किसकी इन्क्वायरी?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

[redacted]

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं अभी समाप्त करती हूं। थोड़ा टाइम और—

(व्यवधान)

श्री सभापति : Please continue, No Intervention, माननीय सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्या गम्भीर विषय पर गम्भीरता से बोल रही हैं। कम से कम विरोधी दल के माननीय सदस्यों को तो इन्टरवेन्शन नहीं करना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि राजस्थान में 26 में से 19 जिले सूखा से पीड़ित हैं और सूखे के लिये 10 करोड़ 33 लाख और 71 हजार का बजट रखा है। इसमें से सात करोड़ और कुछ लाख बाढ़ सहायता के लिये है। 11 करोड़ 19 लाख आपके पास पिछले वर्ष का बचा हुआ पड़ा है। इसलिये थोड़ी उम्मीद बनती है कि पिछले साल का जो बचा हुआ है, इस तरह से कुल 21 करोड़ का प्रावधान है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि मार्च का महीना चल रहा है, वित्त विभाग में फाइलें स्वीकृति के लिये पड़ी हुई हैं और काम अभी शुरू हुए नहीं हैं। आगे आप यदि नये दृष्टिकोण से अकाल राहत के कामों को शुरू नहीं करेंगे तो आपके द्वारा चलाये गये अकाल राहत के कार्यों का भी वही अंजाम होगा जो कि पिछली सरकार के कार्यों का हुआ है। मैं अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं, वे स्वयं जिस जिले से आये हैं वहां पर पानी की समस्या है, वहां पर पशुओं के लिये खारा पानी है जिससे कई पशु मर जाते हैं, ऐसी जगहों के ऊपर जोहड़ की खुदाई का काम अत्यन्त आवश्यक है। केवल सड़कों के काम पर आप पैसा लगा रहे हैं। सड़कों की हालत यह होती है कि सड़क पर जो मिट्टी डालते हैं वह गर्मियों में हवा से उड़ जाती है और जिनका सोलिंग होता है, जहां पत्थर डाले जाते हैं वहां से लोग पत्थर उठा कर ले जाते हैं। प्लान के अन्दर सड़कें शामिल नहीं होतीं फिर न तो कुछ वर्ष भी वे चलने के काबिल रहती हैं और न पूरी होती हैं। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप नया दृष्टिकोण रखते हुए जोहड़ की खुदाई के काम को प्राथमिकता दीजिये। इससे गांवों के लोगों को काम मिलेगा और उन जोहड़ में जो पानी इकट्ठा होगा उससे पशुओं के लिये पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि…

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी कि पेयजल की समस्या बहुत से लोगों ने रखी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, गांवों के अन्दर वाटर बोर्ड के समय में कुए बनवाये गये थे। ग्रामीण और शहरी जल प्रदाय योजना में करोड़ों की तादाद में पैसा खर्च किया गया लेकिन कुओं के निर्माण की ओर भी ध्यान दीजिये। जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है, पंचायत समितियों के पास बजट नहीं होने की वजह से उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। ऐसी समस्या कई जगहों पर है।

दूसरी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ....

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या 15 मिनट से बोल रही हैं।

श्री सभापति : बोलने दीजिये। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। माननीय सदस्या ऐसे इलाके से आती हैं जहां अभाव और अकाल दोनों ही हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : बहुत अच्छा सुझाव दे रही हैं।

श्री सभापति : I have already appreciated the view.

श्री किशनसिंह भाटी : ऐसे इलाके से आने वाले माननीय सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री सभापति : प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री कौशल किशोर जैन: आधे गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह: मैं निवेदन कर रही थी कि जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत गांवों की बस्ती के दूर भूमि आवंटित हुई थी उनके लिये पानी की व्यवस्था उस समय नहीं हो सकी थी, इसलिये बस्ती बसी नहीं। अगर वहां पर कुओं का निर्माण करा दिया जाय तो लोग वहां बस जायेंगे क्योंकि जमीन पर उनका कब्जा है। आप अकाल राहत कार्यों में ऐसी बस्तियों में, जहां भू-आवंटन हो गया लेकिन पानी की समस्या है, कुएं बनवायें। आपके और मेरे जैसे इलाके में पशुओं के लिये कई दिनों तक पानी का इंतजाम नहीं हो पाता है। अभी भी आपने जो कुछ बजट प्रावधान किया है, मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली है, वह अपर्याप्त हैं। इसके आधार पर राजस्थान की समस्त अकाल से प्रभावित जनता को अकाल राहत के काम दे देंगे, मुझे संदेह है। यह 96 लाख रुपये का प्रावधान जनता के साथ खिलवाड़ है इसलिये आप इस प्रश्न की गंभीरता को समझिये। यह मानवीय संवेदना का प्रश्न है। आप इस समस्या का मुकाबला तेजी के साथ करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा आपके मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अकाल की बात हो रही है, You should be very serious in the house atleast on this issue

श्री नवरंग सिंह : राजस्थान का जो सूखाग्रस्त इलाका है, रेगिस्तान है, वहां कार्यक्रम हाथ में लिए जायं इसके लिए झुन्झुनूं जिले की दो तहसीलें झुन्झुनूं व चिड़ावा चुनी गई है। हो सकता है इसके पीछे राजनैतिक कारण हों लेकिन एक लंबी चौड़ी दलील न देकर निवेदन करना चाहता हूं कि उसके साथ में खेतड़ी व उदयपुर वाटी, जो रेगिस्तानी इलाके में पड़ती है, को भी शामिल करें और जो प्रोजेक्ट्स चल रहें हैं उनमें से उन दोनों तहसीलों को भी मिलें मुझे विश्वास है कि इस ओर आप जरूर ध्यान देंगे।

(श्री नवरंगसिंह]

राजस्थान में अकाल है। इस अकाल की स्थिति को देखते हुए कुछ काम खोल दें इससे लोगों को संतोष नहीं होने वाला है। स्थाई तौर से अकाल पर नियंत्रण हो, इसके लिए योजना बने। फिलहाल बड़े पैमाने पर कार्य चालू किए जायें। झुन्झुनूं जिले में अकाल से 9.39 लाख लोग प्रभावित हैं। परीक्षण रिपोर्ट में काफी संख्या में काम खोलने की बात कही गई है लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं है जो चल रहा है। सारे के सारे काम बंद हो चुके हैं। मैं अकाल राहत मंत्री से मिला था। जिन चार जिलों को स्वीकृति दी गई है वे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर, जयपुर व भीलवाड़ा। जयपुर के साथ में झुन्झुनूं का मामला डिसाइड हो गया। आखिरी समय पर कोई बड़ी बात नहीं है, राजनैतिक आधार पर उस फाइल को रख दिया गया। जब मैंने जानकारी की तो बताया गया कि पिछले अकाल के समय में झुन्झुनूं में काम हुए हैं और अकाल राहत के काम चले हैं। वह फाइल ऑफिस में पड़ी हुई है। इस तरह की रिपोर्ट मिली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि झुन्झुनूं जिले को उपेक्षित किया गया तो वह कोई बरदाश्त करने वाला जिला नहीं है। आपने केवल 11.34 लाख की रकम रखी है, वह अकाल राहत के लिए पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाया जाए।

श्रमिकों के बारे में निवेदन है कि तीन रुपए प्रतिदिन दिये जाते हैं, यह हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है। क्या इस महंगाई के समय में तीन रुपयों से मजदूर का पेट भर जाएगा? उनके बच्चे भी हैं और परिवार भी है इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत वेतन दिया जाए।

पिछली बाढ़ के समय झुन्झुनूं जिले में अलवर व भरतपुर को छोड़कर सबसे ज्यादा मकान गिरे उनकी संख्या 15,722 है। सभापतिजी, मुझे दुःख है कि झुन्झुनूं जिले में किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई। इसलिए इन सारे मामले पर विचार करें और जो गरीब लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता रहती है उनको मदद दिलायें।

इसके अलावा जो शेखावाटी, बाड़मेर व चूरू का रेगिस्तानी इलाका है वहां लोगों की झोंपड़ियां अकसर जल जाती हैं। उनको अकाल राहत सहायता कभी भी समय पर नहीं मिल पाती। इस लिए इस तरह के नियम बनायें ताकि उन लोगों को तत्काल मौके पर सहायता मिल सके।

अकाल राहत कार्यों को तुरन्त चालू किया जाए। विशेषकर झुन्झुनूं जिले के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कुओं का काम बहुत अच्छा हो सकता है। पिछली बार जब अकाल पड़ा तो सीकर में कुओं की योजना बनाई गई और वह बहुत सफल हुई। मन्त्रीजी खुद रेगिस्तानी इलाके से आए हैं इसलिए झुन्झुनूं जिले में जो स्कीम दें उसमें कुओं की स्वीकृति दें ताकि आम आदमी को राहत पहुंचे और पानी की दिक्कत भी मिटे और जो गड़बड़, घोटाले की बात अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, वह गड़बड़ घोटाला होने का शक सुबाह नहीं रहे।

श्री सभापति : माननीय श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कृषि मंत्री का ध्यान कृषि के अनुसंधान में लगे उन वैज्ञानिकों की तरफ दिलाना चाहूंगा.......

कई माननीय सदस्य : आज कृषि की मांग नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर: मैं अकाल राहत मन्त्री व कृषि मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आप जो न्यूनतम वेतन दे रहे हैं वह कानून द्वारा निर्धारित वेज से कम है। हम आपके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करवा सकते है, यह जुर्म है। अगर किसी मजदूर को डेली वेजेज पर लगाते हैं व निर्धारित मजदूरी से कम देते हैं तो हम आपको अदालत के कटघरे में खड़ा करेंगे। आप सोच लें। आपकी घोषणायें इस सदन के बाहर कोई नहीं सुनता अधिकारी परवाह ही नहीं करते। खासतौर से किसानों के लिए जो आप घोषणायें करते हैं उनका पालन नहीं होता। हाल ही में मुख्य मन्त्री में घोषणा की थी, हमने तमाम किसानों की कुर्कियों के आदेश बंद कर दिए। उसके बाद मेरे पास दरखास्त आई है जिसमें कई लोगों के दस्तखत किए हुए हैं। उनका सामान 17-3-78 को कुर्क कर लिया गया है। उनकी भैंस, पाड़े, गाय, बकरी इत्यादि कुर्क कर लिए और सारे गांव को घेर लिया गया। आपकी घोषणाओं की कीमत क्या रह जाएगी, अगर इस तरह से अधिकारी उनकी उपेक्षा करेंगे? मुख्य मन्त्री होते तो खुशी होती। अगर मुख्य मन्त्री की बेइज्जती हो गई तो आपकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। या तो घोषणायें बंद करें या जो घोषणायें करते हैं उनको इम्पलीमेंट करें।

सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा कर दी उसके बाद में भी जिस अधिकारी ने उनके आदेशों की अवहेलना करके कुर्की निकाली उस अधिकारी के खिलाफ में सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत मन्त्री जी से कि आप गांवों में डिपोज खुलवा देते हैं और डिपोज के जरिये आप उनको गेहूं बिकवाना चाहते हैं। किन्तु आपका दुकानदार गेहूं नहीं बांटता जिससे भाव चढ़ते हैं। भाव ऊपर न जावें इसलिए आप मार्केट में गेहूं का ढेर लगादें। इससे किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी मजदूर व किसान सारा गेहूं एक साथ नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास पैसे होते नहीं हैं वह तो तीन बार में खरीदेगा इसलिये मेहरबानी करके आप इस बारे में व्यवस्था करावें। पहले भी होता था ऐसा, एफ० सी० आई० वाले लोग वहां पर गेहूं का ढेर लगा कर बेचते थे इसलिये ज्यों ही मार्केट में गेहूं की रेट ऊपर जावे आप बाजार में गेहूं के ढेर लगावें। इस प्रकार की कार्यवाही से बनिये को गड़बड़ करने की गुन्जायश ही नहीं रहेगी। गड़बड़ करने की गुंजाइश खतम हो जायगी पर आप ऐसा करते नहीं है। क्या करें? आपको राहत तो देनी नहीं है। वरना पहले जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था आप भी शहरों और तहसील स्तर पर शुरू कीजिए जिससे कि भाव डाउन हो जावें। मेहरबानी करके आप इस ओर ध्यान दें।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृषि मन्त्री जी, वह तो माननीय वित्त मन्त्री जी से सम्बन्धित है इसलिये ....

श्री सभापति : इसके लिये तो बेहतर है कि आप सप्लीमेंन्ट्री डिमान्ड्स के दिन ही वित्त मन्त्रीजी से बात करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अच्छा साहब उस दिन ही करूंगा ।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, कुर्की बन्द करने के विषय में आदेश क्यों नहीं पहुंचे ? हमारे सीकर जिले में तो आर्डर पहुंच चुके हैं और दूसरी जगह आदेश नहीं पहुंचे, इसका क्या कारण हो सकता है?

श्री सभापति : यह तो मन्त्री महोदय का काम है, वह शोध करेंगे। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने फर्माया कि अभी तक राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों पर साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का खर्चा किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय सदस्या से, यह 350 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी आज अकाल की समस्या यों की यों क्यों बनी हुई है ? आखिर साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च करने के बाद में आपने अकाल की समस्या का क्या स्थायी हल किया ? आज विश्व में, सभापति महोदय, रेगिस्तान बढ़ रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो रेगिस्तान के बढ़ने के कारण बहुत बड़ा संकट विश्व में आने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और कहूंगा कि विश्व के अन्दर रेगिस्तान बहुत ही तेजी से निरन्तर बढ़ रहा है। अगर इसका इसी तरह विस्तार होता रहा तो विश्व में बहुत भारी संकट आ जायगा। सभापति महोदय, अकाल राहत कार्यों के लिये राजस्थान सरकार ने 350 करोड़ रुपया खर्च किया। इतना खर्च करने के बाद भी रेगिस्तान रुका नहीं बल्कि वह बढ़ रहा है। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व का एक छोटा सा देश इजराइल है हालांकि नीति के मामले में हम उस देश के विरोधी हैं लेकिन फिर भी 1945-46 में जो देश इस विश्व में पैदा हुआ, जिसकी आबादी सिर्फ 26 लाख थी उसने/पांच सालों में ही सन् 1951 में विश्व के रेगिस्तानी इलाके को बढ़ने से रोक ही नहीं दिया बल्कि उसने रेगिस्तानी भाग का विकास करके रेगिस्तान को हरियाली में बदल दिया। आज वह विश्व में, सभापति महोदय, हरियालीस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। सभापति महोदय, यह आंकड़ों की बात हो सकती है किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च करके भी रेगिस्तान को क्यों नहीं घटा पायी।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : सभापति महोदय, मैंने तो मेरे क्षेत्र की बात की 96 लाख रुपये की। माननीय सदस्य गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

Page No 116

(116)

श्री कौशलकिशोर जैन : जब माननीय सदस्या बहुत भारी रीएक्शनरी हैं । सभापति महोदय...

(व्यवधान)

माननीय सदस्या ने अपने क्षेत्र को बात कहीं । उनके क्षेत्र में 691 गांव अकाल-ग्रस्त थे और जो क्षति हुई वह 111 लाख की फसल की क्षति हुई है । मेरे जिला भीलवाड़ा में 576 गांव अकाल से प्रभावित हुए थे, उसमें 77 लाख रुपये की फसलों की क्षति हुई है । यह कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है । लेकिन बड़ी खुशी की बात है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : कितना ? More than one.

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बीच में व्यवधान नहीं करें । कहने दीजिये ।

श्री कौशलकिशोर जैन : सभापति महोदय, यह जो रिपोर्ट है, यह राजस्थान अकाल सहायता विभाग की 77-78 वर्ष है, 50वां प्रतिवेदन है, जो कि 26-2-78 को प्रकाशित हुआ है । इसमें या तो प्रेस की गलती हो सकती है कि भीलवाड़ा जिले के गांवों की संख्या सही नहीं है या कोई दूसरी बात है । तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, इसमें यह दिया हुआ है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने सहायता कोष से चार हजार रुपये दिये । मैं पूछना चाहता हूं कि किसको अकाल राहत कोष से चार हजार रुपये दिये ? अगर मरने वाले के परिवार वालों को दिया तो वहां कोई नहीं मरा क्योंकि रिपोर्ट में दिया हुआ है कि भीलवाड़ा में कोई नहीं मरा । तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह भीलवाड़ा में अनुदान किसको दिया गया है

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपका क्या ख्याल है किसको रुपये दिये ?

श्री कौशल किशोर जैन : यह तो वित्त मन्त्री जी का शोध का काम है, वह पता लगावें कि किसको चार हजार रुपये दिये ।

सभापति महोदय, यह राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि सन् 52-77 के बीच में सिर्फ चार साल, अकाल नहीं पड़ा बाकी निरन्तर हमारे यहां अकाल पड़ा है । बार बार अकाल पड़ने पर अकाल राहत कार्य खोले गये लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अकाल का कोई भी स्थायी हल नहीं निकाला गया । वैसे अकाल एक प्राकृतिक विपदा है । इस प्राकृतिक विपदा का कांग्रेस सरकार की हुकूमत से कोई भी स्थायी हल नहीं निकाला गया । मैं जनता पार्टी की सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस अकाल का स्थायी हल निकाल कर एक आदर्श हमारे देश में स्थापित करे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बीच में व्यवधान नहीं करें ।

श्री किशनसिंह भाटी : These are the Complements to each other.

श्री कौशल किशोर जैन : सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल राहत कार्य खोलने के लिये जो नियम बने हुए हैं ।

(श्री कौशल किशोर जैन)

उसके अन्तर्गत अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं। वह नियम ऐसे बने हुए हैं जिसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर पहले कलेक्टर के पास रिपोर्ट जाती है कि किन किन क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय। कलेक्टर राज्य सरकार को वह रिपोर्ट भेजने के लिये अपने नीचे एस० डी० ओ० से रिपोर्ट मांगता है। एस० डी० ओ० अपने नीचे के तहसीलदार से रिपोर्ट मांगता है, तहसीलदार अपने नीचे के गिरदावर से रिपोर्ट मांगता है और गिरदावर अपने नीचे पटवारियों से रिपोर्ट मांगता है अपने क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये। बाद में इस विषय पर जो पटवारी रिपोर्ट दे देता है वह रिपोर्ट फाइनल हो जाती है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकालग्रस्त क्षेत्र डिक्लेअर करने की जो बात है वह बहुत ही डेलिकेट है। यह बात पटवारियों पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये। मैं, सभापति महोदय, मेरे ही भीलवाड़ा जिले की तहसील की बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारे भीलवाड़ा की तहसील में 32 गांव अकाल राहत कार्य के लिये अकाल ग्रस्त घोषित हुए हैं मैं पूछना चाहूंगा किये किस आधार पर डिक्लेअर किये गये हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता है यह विषय आपने पटवारी की मर्जी पर कैसे छोड़ा? सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 32 गांवों में से भी भीलवाड़ा में चार जगहों पर परीक्षण के तौर पर कार्य प्रारम्भ किये हैं, सिर्फ चार जगह पर। आज 22 मार्च हो गयी 31 मार्च तक कितने काम प्रारम्भ होंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा इस विषय में कि इस सरकार को ध्यान देना चाहिये राजस्थान में 19 जिले हैं, 12,240 गांव हैं और 92 लाख की आबादी आज अकाल से ग्रस्त है। उन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति, जन-जाति और अनइकोनामिक होल्डिंग जिनके पास हैं उनका लगान स्थगित हो गया। उस क्षेत्र में उन्हीं स्थानों पर दूसरे लोग जो इस परिधि में आते हैं उनका लगान भी माफ किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। जहां जहां राहत के काम प्रारम्भ किये गये हैं राजस्थान सरकार ने वहां पर 136 रुपये क्विंटल में गेहूं देना तय किया है। राहत कार्य जहां जहां शुरू हुए हैं शहरों की बात नहीं करता, गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति की भी यह केपेसिटी नहीं है कि एक महीने का गेहूं राशन में राशन की दुकान से उठा ले। नहीं उठा सकता। गांव में कोई भी राशन खरीदने योग्य नहीं है यह उन लोगों के लिये खोलते हैं जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिनको तगारी उठानी पड़ रही है, मिट्टी डालनी पड़ रही है। सात दिन की मजदूरी का भुगतान एक बार होता है तो कितना होता है। मैं कहूंगा अकाल सहायता मन्त्री जी से इस व्यवस्था को आप बदलिये। एक महीने का राशन लेने को किसी की ताकत नहीं है। आप राशन की दुकान खोलिये। एक दो रुपये का गेहूं अकाल राहत पर कार्य करने जाने वाले को मिलना चाहिये। एक महीने की पाबन्दी बन्द होनी चाहिये।

आपका आभारी हूं, सभापति महोदय, आपने मुझे इतना समय प्रदान किया।

यह जो आंकड़े आये हैं कि राजस्थान

(श्री कौशल किशोर जैन)

में 105 मनुष्य इस साल के अन्दर अकाल के कारण मर गये ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री कौशल किशोर जैन : 442 लाख रुपये की सहायता दी गयी, इस प्रकार का कदम उठाने के लिये राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन जिस मात्रा में लोग मरे हैं, प्रभावित हुए है, अनावृष्टि और अतिवृष्टि के शिकार हुए उसको देखते हुए यह सहायता अपर्याप्त है। राजस्थान की हुकूमत को अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ करने चाहिये और सहायता देनी चाहिये ।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोवसिंहजी दीवान ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, गांवों के अन्दर जब जाते हैं तो देखते हैं कि डी. पी. ए. पी. छाप लगी जीप गाड़ियां दौड़ रही हैं। कितने ही साल हो गये आखिर ये कर क्या रहे है ? यह डिपार्टमेंट कर क्या रहा है ? मैंने अफसरों से पूछा कि क्या कर रहे हैं ? उन्होंने कहा, सर्वे कर रहे हैं। उनको 3 साल हो गये सर्वे करते हुए। कहने लगे कि सर्वे करके रिपोर्ट हमने जयपुर भेज दी है लेकिन अभी काम चालू करने की सैंक्शन नहीं हुई। इतना भारी खर्चा इन पर हो रहा है फिर भी सूखा प्रशंकित क्षेत्र का अभी पूरा सर्वे नहीं कर पाये हैं। न जाने कब होगा ? जितना सर्वे हो चुका हो उसे तो पूरा करवाइये और आगे दूसरे काम में आप लगाइये जिससे दूसरे एग्रीकल्चर आदि का काम कर सकें और पैसा सही काम में आवे।

हमारा एरिया ऐसा है कि जहां पर ज्यादा बरसात होती है तब भी तकलीफ रहती है और कम बरसात होती है तब भी तकलीफ रहती है। इस साल अधिक वर्षा होने के कारण सारी की सारी जमीन खारी हो गयी है। जमीन के अन्दर का नमक ऊपरी सतह पर आ गया इतना ज्यादा खारा हो गया कि फसल कोई पैदा होने की नहीं। इस जमीन को तब ही इम्प्रूव कर सकते हैं जब कि जिप्सम लाकर काश्तकारों को सब्सिडाइज्ड कीमत पर सप्लाई की जाय ताकि वे उस जमीन का सुधार कर सकें।

कुएं ज्यादातर खारे हैं। साल्टी हो गये हैं। हमारे एरिया में खास कर पिछले कुछ वर्षों से दूध का विकास हुआ है। डेयरी का विकास हुआ है। आज 70 पर्सेन्ट गांव ऐसे हैं जहां पर दूध उपलब्ध होते हुए उसको उठाने के साधन नहीं हैं। डेयरी वालों से बात करते हैं तो कहते हैं कि क्या करें दिल्ली वाले दूध नहीं उठाते हैं। वे नहीं उठाते हैं तो आप दूसरी स्टेट्स में उसको भेजें। दूध ही वहां ऐसा साधन है जिससे साल भर तक हर मौसम में लोग काम चला सकते है और अकाल के टाइम में उनका खर्चा चल सकता है।

दूसरा यह है कि फेमिन में काफी काम हुए हैं और पैसा भी खर्च हुआ है। उस समय की बनी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं या अधूरी पड़ी हैं। बांध अधूरे रहे हैं। जब उनको पूरा करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि जब फेमिन पड़ेगी तो पूरे होंगे। फेमिन हो तो पटवारी और एस. डी. ओ. रिपोर्ट नहीं देते हैं और रिपोर्ट नहीं देते तो अकाल घोषित नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको डी.पी.

(श्री माधवसिंह दीवान)
ए. पी. फण्ड अलाट करवा कर पूरा करने के लिये आर्डर दिलायें।

मरु विकास आयोग बने हुए काफी साल हो गये हैं। उसके द्वारा क्या काम हुआ है, किसी को पता नहीं। तीन साल से क्या काम कर रहे हैं यह भी अभी प्रकाश में नहीं आया है। इसलिये मरु विकास आयोग की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवा कर पेश करें।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे एरिया यानि राजस्थान में सबसे बड़ी तकलीफ है सिंचाई के सम्बन्ध में। यहां बड़ी नदियां नहीं है। आप देखिये सिंचाई के मद में आज तक कितना खर्चा हुआ है। इम्बल है, राजस्थान कैनाल है उस एरिया में करीब 80 प्रतिशत तक खर्च हुआ है। जोधपुर के पास सिर्फ जवाई बांध है और कोई बड़ा बांध बने यह आशा भी नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है उसके अन्दर कोई नहर लगने वाली भी नहीं है। सारी बड़ी सिंचाई योजनाएं पूर्वी राजस्थान की ओर चली गई हैं। डेयरी योजना लगायेंगे। आज भी प्रायोरिटी सिंचाई योजना तथा बिजली पर खर्च करने की है। फेमिन के टाइम में तो आप हमारे इलाके में कम से कम पानी की व्यवस्था कर सकें। सर्वे तो होता रहेगा। पीने के पानी की व्यवस्था करें ताकि फेमिन पड़े तो पीने के पानी का अभाव न मालूम पड़े।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, अकाल की समस्या राजस्थान के लिये कोई नई नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि हर साल अथवा कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार साल में अकाल पड़ते रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि जनता पिछड़ गई है और पानी दुर्लभ हो गया है।

मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके द्वारा मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। वैसे तो मेरे क्षेत्र की ओर मन्त्री महोदय के क्षेत्र की दो तरह की समस्याएं नहीं हैं। उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी और मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी मिलती है। वे तो मन्त्री हैं। मैं एक विधायक के नाते मेरे क्षेत्र की समस्यायें निवेदन करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अप्रेल महीना आने को है फिर भी अकाल राहत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। मई के अन्त में और जून के फर्स्ट वीक में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये जायेंगे। अप्रेल का महीना आने को है फिर भी अकाल राहत कार्यों की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

झुन्झुनू जिला शत-प्रतिशत अकाल से प्रभावित है। जहां के लोगों का सारा रहन-सहन, मवेशी और बच्चों को पढ़ाई आदि सब कुछ खेती पर निर्भर है उनकी क्या दशा है यह आसानी से सोचा जा सकता है। यही नहीं खेतीहर मजदूर बिलकुल खेती पर निर्भर करते हैं, जब खेत में अनाज होता है तो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं। उनकी आज भयंकर स्थिति है। उनको आज दो वक्त पेट भर भोजन नहीं मिलता। ऐसी सूरत में, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह शीघ्रता-शीघ्र युद्ध स्तर पर अकाल राहत कार्य शुरू

(श्री शीशराम ओला)

करें। हमने झुन्झुनूं जिले के कलेक्टर से बात की। झुन्झुनूं कलेक्टर ने कहा कि 4 तहसीलों में काम शुरू कर दिया गया था उनके लिये थोड़ा पैसा आया था, वह खर्च कर दिया। अब मेरे पास राज्य सरकार ने राशि नहीं भेजी है इसलिये मैं कार्य चलाने में असमर्थ हूं। यह कलेक्टर साहब ने हमको कहा है। ऐसी सूरत में अप्रैल का महीना आ गया फिर भी चार काम भी पूरे नहीं चले। अकाल की समस्या काफी भयंकर और विकट है, माननीय सदस्य अकाल राहत कार्यों के बारे में कहते रहे हैं। मैं वकालत तो नहीं करता कि कहां गबन हुए कहां नहीं हुए, यदि कहीं हुए हैं तो उनकी जांच करा लें और दोषी व्यक्तियों को सजा दें। लेकिन यह उचित नहीं है कि कागजों तक अकाल राहत कार्य सीमित रहें और वास्तव में शुरू नहीं कराये जायें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक लगान स्थगित नहीं किया गया है। चाहे लगान की वसूली हो या तकावी की वसूली हो, सारी की सारी वसूलियां कुर्की से वसूल का जा रही हैं। एक तरफ लोगों के सामने समस्या है अपने बच्चों को पालने की अपने मवेशियों को जिन्दा रखने की और दूसरी तरफ उनके सामने बड़ी भारी विकट समस्या है कि उनके मकान और खेती को कुर्क करके लगान वसूल किया जा रहा है। यह राज्य सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आप चाहे तो मैं आपको इसके उदाहरण दूंगा।

हरियाणा में कभी अकाल नहीं पड़ते इसलिए नहीं पड़ते कि वहां पर नहरें हैं, बिजली और सड़कें हैं हमारा इलाका बिलकुल हरियाणा से मिला हुआ है। हम विकास के मामले में बहुत पीछे हैं और हरियाणा विकास में बहुत आगे है। कोई गांव बिना सड़क और बिजली के नहीं हैं। ऐसी सूरत में हमें दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा के रहने वाले यहां आते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारी सरकार ने क्या किया तुम्हारे एम० एल० ए० ने क्या किया ? हमारे पास यह सुविधाएं हैं और आपके पास क्या है ? कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश के लोगों के पास निर्वाह के साधन तक नहीं हैं। इसलिए वहां हमारे लोग मजदूरी के लिए जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में अभी ओलावृष्टि से थोड़ा सा नुकसान हुआ और वहां $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया तत्काल राहत के लिए दे दिया। जितनी भी चने की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हुई उसका मुआवजा देने के लिए तत्काल वहां की सरकार ने पैसे मंजूर किये। यही नहीं, 6 महीने के लिए सब प्रकार के ड्यूज सस्पेंड कर दिये। हमारी सरकार कहती है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब यह सरकार है इसके वक्त में भी कुछ नहीं हो रहा है। पहले की सरकार भी कहती थी और यह सरकार भी कहती है कि हमारे पास धन की बहुत कमी है। मैं समझता हूं कि धन की कमी क्या इसी बात के लिए है ? सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी ओलावृष्टि होते ही हरियाणा सरकार ने तत्परता से और जल्दी युद्ध स्तर पर इस कार्य को हाथ में लेकर वहां लगान रोक दिया, दूसरी तकाबियां रोक दीं और अकाल राहत के काम शुरू कर दिए

(श्री शीशराम श्रोला)

हमारे यहां इतने भयंकर अकाल पड़े और अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करें यह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारे यहां 19 जिलों की जनता अकाल से प्रभावित है । या तो खेतिहर मजदूर या खेती पर निर्भर करने वाले लोग प्रभावित हैं । यों कहना चाहिये कि बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान का अकाल से प्रभावित है लेकिन हमारी सरकार सोई हुई है, हमारी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है । अप्रेल का महीना आने को है लेकिन कहीं भी अकाल राहत कार्य शुरू करने की बात नहीं है । मैं नहीं समझता कि राजस्थान की असहाय जनता, जिसके सामने कोई राहत कार्य नहीं, दूसरा कार्य नहीं को कब तक आप इस तरह से टालते रहेंगे ? क्या आप उसके भूखों मरने देंगे ? सारे मवेशीयां उनकी खत्म हो जाय, क्या आप यह पसन्द करोगे ? सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य शुरू किये जायें । इस प्रकार के अकाल राहत कार्य शुरू किये जायें जो कि पक्के हों, स्थाई हों। पहले सड़क के काम होते थे तो केवल अर्थ वर्क ही होते थे । अर्थ वर्क में सड़कों पर मिट्टी डाल दी जाती थी । यह मिट्टी हमारे यहां सड़कों पर डाली जाती थी । सारी की सारी मिट्टी उड़ कर दिल्ली चली जाती थी जिससे नुकसान पहुँचता था । इसलिये इस प्रकार के कार्य नहीं हो जिससे हमारे प्रान्त को नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों को भी नुकसान पहुँचे । जो भी काम हों वह पक्के हों और स्थाई हों मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सरकार ने कुओं के लिये 3½ हजार और चार हजार रुपये की सब्सिडी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी और उतना ही पैसा बड़ौदा बैंक से या जो भी उस क्षेत्र का बैंक है उससे कर्ज के रूप में राज्य सरकार की गारन्टी के साथ मिला तो उन कुओं के होने से जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी उनको मजदूरी मिली काश्तकार अपने ऊंट और बैल से पत्थर लाया और हमेशा हमेशा के लिये अकाल को रोकने का एक छोटा सा कार्य हुआ इस प्रकार से जो भी काम हों वह पक्के हों ताकि पैसों का दुरुपयोग नहीं हो और हमेशा के लिये अकाल की समस्या का हल हो ।

इसके साथ ही साथ में विशेष तौर से मैं निवेदन करूंगा कि झुन्झुनू जिले की समस्या कैसे हल हो सकती है । झुन्झुनू और चूरू जिला दोनों में ही यह समस्या है । हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू केनाल बैरास गांव, जो कि हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले का है, तक आकर रुक गया यदि वह केनाल राजस्थान में झुन्झुनू जिले के कांकड़ गांव तक पहुँचे तो उस नहर से दो हजार क्यूसेक वाटर राजस्थान के झुन्झुनू और चूरू जिले को मिल सकता है । राज्य सरकार की लिखित में मेरे पास सूचना है लेकिन वह नहर अब केवल हरियाणा में ही आकर रुक गया है । राजस्थान में इस कार्य को शुरू करने के लिये न तो पहली सरकार ने पहल की और न आज की सरकार कर रही है । अगर यह नहर नहीं आई तो अकाल को हमेशा के लिये रोकने की कोई बात नहीं होगी । यह अकाल हमेशा पड़ता रहेगा और झुन्झुनू जिले में फिर कभी भी नहर आने की सम्भावना नहीं हो सकेगी ....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शीशराम ओला : दो मिनट। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

नहर आ जाये तो न केवल अकाल की समस्या हल होगी बल्कि हमारे प्रदेश के अन्दर एक बहुत बड़े भाग, जिसमें रोष है, बेचैनी है, उदासीनता है, को भी लाभ मिलेगा और वहां के लोग निश्चित रूप से अपने क्षेत्रों में अच्छी तरह से निर्वाह कर सकेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने लिफ्ट् योजनायें बन्द करने की बात कही। कुछ दिन पहले घोषणा की कि फिर से विचार करेंगे। सभापति महोदय, कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि समुद्र से काफी ऊंचे हैं वहां पर जब तक लिफ्ट् इरिगेशन नहीं होगा तब तक नहर नहीं आ सकती। चूरू और झुन्झुनू केवल 40 या 50 फीट ही ऊंचे हैं। जब हरियाणा के बोर्डर पर नहर आ गयी तो हमारा इलाका उससे ज्यादा ऊंचा नहीं है। हमारी सरकार ने जितना पैसा आज तक खर्च किया उससे चौथाई हिस्सा भी यदि खर्च करे तो वहां नहर आ सकती है। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय के इरिगेशन मिनिस्टर श्री सम्पत रामजी ने हिन्दुस्तान के इरिगेशन मिनिस्टर को लिख दिया कि राजस्थान के अन्दर यह योजना नहीं ला सकते क्योंकि इसमें पैसा लगेगा। वहां के लोगों ने, वहां के एम० पी० ने बहुत भर्त्सना की है। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजस्थान केनाल से ही इस समस्या का हल है। राजस्थान केनाल सीकर और झुन्झुनूं की समस्यायें हल हो जायेंगी। अकाल की समस्या समाप्त हो जायगी।

इन्हीं बातों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री बन्शीलाल सारस्वत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य-सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय प्रस्तुत मांगों के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कि प्रस्तुत मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

मांगे पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 28 व 34 पर विचार

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, कुछ वर्षों पहले, करीब एक शताब्दी पहले एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था "Life in India is gambling of Mansoon".

भारत ने इस सम्बन्ध में प्रगति की हो लेकिन कम से कम राजस्थान में आज भी वही स्थिति है। यह स्वत: निकल पड़ती है। "Life in Rajasthan is gambling of Mansoon."

यह कहना गलत नहीं होगा और विषयान्तर नहीं होगा कि पिछले 30 वर्षों में

(श्री वंशीलाल सारस्वत)

इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रयास किया गया है, चिन्ता जरूर की गई है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जितनी कोशिश की जानी चाहिये थी और जिस वेदना से, जितनी गम्भीरता से विचार करना चाहिये था उतनी वेदना और गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। यह जरूर है कि हम स्थिति ऐसी भी नहीं चाहते, जैसे कि कुछ वर्षों पहले लोग यहां कहते थे वैसे ही चतुर चालाक आदमी, राजनीतिज्ञों के पास रहने वाले व्यक्ति यह कहना शुरू कर दें कि हमारे ऊपर कोई ऋण है तो अकाल आने वाला है, अकाल पड़ जायेगा उस वक्त मुक्ति मिल जायेगी, हम ऋण चुका देंगे। यह बात नजरअन्दाज नहीं की जा सकती। तो इस तरह की हालत को हम नहीं चाहते। पर दुःख है, यह स्थिति है। राजकीय खजाने को, राजकीय कोष को केवल चन्द आदमियों के सहारे हम नहीं छोड़ सकते। इस तरह की छूट नहीं दे सकते कि वे अपने खाते चुकायें अकाल के पैसों से। मगर इसके साथ साथ यह भी गम्भीरता से देखना है की कौनसा तरीका रखें, क्या रास्ता अपनाया जाय जिससे अधिक से अधिक लाभ हो।

मैं सबसे पहले सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में जो कार्यवाही और जो स्कीम सरकार की ओर से चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा।

लोगों की सामान्य नागरिकों की, काश्तकारों की आम राय यह है कि जो योजनाएं हैं इन योजनाओं में न तो सरकार के जो अधिकारी हैं उनका और न जनता के प्रतिनिधि है उनका माकूल पार्टीसिपेशन है न पूरी तरह जागरूक, सजग है कि इसके तहत पूरा लाभ पहुंचाया जाय। विश्व बैंक से मगर लोन मिल रहा है तो उसके तहत लाभ किस तरह से अधिक से अधिक उठाया जा सकता है यह सब के लिए सोचनीय प्रश्न है मगर जितना खर्चा स्टाफ पर, रख-रखाव और गोष्ठियों में होता है उतना सही रूप में काश्तकारों को लाभ नहीं मिलता। इसलिए यह जरूरी है कि अधिक से अधिक काश्तकारों को लाभ मिले। उनको जो ऋण और जो भी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिये, वह किसी भी तरह से ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को मिलनी चाहिये। स्टाफ में, गोष्ठियों मे, जीपों पर कम खर्चा होना चाहिये।

मेरे क्षेत्र के अन्दर भेड़ों के विकास के लिये चरागाहों को स्थापित करके उनमें विकास करने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भेड़ों के लिये चरागाह का विकास होना चाहिए मगर साथ-साथ जो दूसरा पशुधन है उसकी कीमत पर नहीं होना चाहिये। यह सारे सदस्य; विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के सदस्य यह मानते हैं, कई जगह ऐसी समस्यायें आई हैं और हमने इन बातों को पेश भी किया है कि गोचर एवं पंगोर भी हमारे अर्थ तंत्र का महत्वपूर्ण एक अंग है; उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिये। दूसरे जानवरों के चरने के लिये गोचर भूमि है, दूसरे जानवरों के लिये भी चरागाह ढूंढे जाने चाहिये। गांव में भेड़ विकास चरागाह स्थापित किये जाने चाहिये। मगर कितने गांव हैं, आप बता सकते हैं? फलोदी क्षेत्र में और अन्य भी कई जगह ऐसी समस्याएं आई हैं जो माकूल समस्याएँ हैं, उनका निराकरण करना चाहिये

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

अन्यथा जिस इकानामी में हम चलना चाहते है उस अर्थतन्त्र का नाश हो जायेगा, उसका विकास नहीं होगा।

दूसरा मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सिंचाई के संबंध में जो नल कूप बन रहे हैं या ओपन वैल बन रहे हैं या जो भी कोशिश की जा रही है उसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी, दिक्कत यह है कि सही रूप में सर्वेक्षण नहीं हो रहा है। नागौर में तीन पंचायत समितियां हैं मूण्डवा जोयला और नागौर पंचायत समितियां है। मूण्डवा पंचायत समिति में कुचरा ऐसा गांव है जहां 100 कुएं हैं। कई कुए ऐसे हैं, ओपन वेल ऐसे हैं जिनसे 200-300 बीघा तक जमीन सिंचित की जा सकती है। उनकी जो कुछ सेम्पल सर्वे के आधार पर रिपोर्ट पेश की है, वह पर्याप्त नहीं है। हमने इसमें संशोधन करने के लिये निवेदन किया जिलाधीश जी की रिपोर्ट आई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको सही नहीं मानते। इसका पुनः सर्वेक्षण कराया जाये। उसके बावजूद कोरसपोण्डेन्स पिछले 6 महीने से चल रही है। जिला समितियां तय करके रिकमन्डेशन दे चुकी है। हम कई बार लिख चुके हैं और दरख्वास्तें पेश कर चुके हैं। उसके बाद जिलाधीश से भी मिले हैं। उसके बावजूद भी जो एक्सपर्ट हैं, चीफ इन्जीनियर ने यह लिखा है इतने लाख रुपये दिये जायें तो सर्वेक्षण करेंगे। इसका सर्वेक्षण सही रूप से होना चाहिये ताकि प्रगति हो सके।

यह जो दीगर हमारी स्कीमें हैं, उन स्कीमों के साथ-साथ उद्योग को भी साथ चलना पड़ेगा। उसको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। शुरू में निवेदन किया था कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मूंज, आक, खीप, कुम्भट और सीणीया वगैरह ऐसी चीजें है जिनका उपयोग सही तरीके से किया जाय तो बहुत बड़ा सहयोग होगा। चाहे छोटे रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे। तो सूखा ग्रस्त क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में मदद मिल सकेगी। इनकी जांच में भी जांच कराई गई थी, उसमें फाइन क्वालिटी का टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज में काम आ सकता है। और दूसरी इन्डस्ट्रीज में काम आ सकता है। यदि हमारे अधिकारी कहते हैं कि इसके कटने से रेगिस्तान फलेगा तो मैं यह मानता हूं कि उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। दो या तीन महीने बाद यह ठीक हो जायेंगे इसलिये इसमें गड़बड़ी होने वाली है।

दूसरी जो नेचरल केलेमिटी हैं इनके संबध में विडम्बना पूर्ण तथा यह कि नागौर में 75 में बाढ़ आई थी किन्तु यह तय शुदा बात है दो साल तक कोई प्रयास नहीं किये गये। ज्यों ही भैरोंसिंह जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हुए, उसी दिन दरख्वास्त दी, यह बात तो भूल गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरे आते ही याद आ गई आपको।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मुख्य मन्त्री जी ने तत्परता से विशेषज्ञों की टोली तत्परता से भेजी और योजना भी बनी पर पिछले 8 मास से रिपोर्ट पड़ी है अधिकारियों के पास बन पड़ा हिस्सा नागौर का सारा जीर्ण-शीर्ण हो गया है और पौन किलोमीटर में पानी भरा पड़ा है। पुनः किसी समय भी विनाश लीला हो सकती है।

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

तो इस पर विचार किया जाना चाहिये और इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये। रेगिस्तानी क्षेत्र में ..

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बन्शीलाल सारस्वत: सड़कों पर अब तक ज्यादा खर्च करते रहे। अब सड़कों के बजाय पानी पर अधिक खर्च किया जाय और जो कुये, तालाब, नालियां हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। रेगिस्तानी क्षेत्र में इनकी खुदाई को प्रधानता दी जाकर युद्ध स्तर पर कार्य हो तो उत्तम है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बातें करें तो आहिस्ता करें। आसन तक सुनाई न दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आसन के कान ज्यादा तेज हैं।

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल सारस्वत : मेरा निवेदन था कि जानवर जो आवें तो उन्हें बिना प्रयास के पानी तो मिले जानवरों के लिये कुओं से पानी निकालने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र में आपको छोटे-छोटे बहुत तालाब मिलेंगे, उनकी पुन: मरम्मत कराने की व्यवस्था करवा कर उन्हें काम में लिया जाय तो पश्चिमी क्षेत्र को बहुत मदद मिलेगी। सभापति महोदय, पिछले 15 वर्षों में एक तालाब को भी मिट्टी नहीं निकाली है वे सब आज सरकार पर आश्रित हैं मेरा निवेदन है सरकार एक्सपेरीमेन्ट करे तो अकाल में रोजी भी लोगों को मिलेगी और पानी की समस्या का स्थाई हल भी मिल जायेगा। मैं समझता हूं जो पानी के ज्यादा नल बिछाने की योजना है उसमें तो मुझे संशय है आशंका है जो पानी की समस्या का समाधान है, वह कुछ हद तक सुन्दर तालाबों से दूर हो जायगी।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह

(अनुपस्थित)

श्री रंग जी :

(अनुपस्थित)

श्री आलम अली :

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल :

(अनुपस्थित)

श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : सभापति महोदय, मैं फलोदी तहसील के सूखा सम्भावित क्षेत्र की कठिनाइयों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। फलोदी अकाल की चपेट में रहा है और इस साल भी अभावग्रस्त है लेकिन उसे अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। अत: जो सुविधायें सूखा पीड़ितों को मिलनी सम्भव थी, उससे हमें वंचित रख दिया गया है अत: मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से विचार करके फलोदी तहसील, जो जोधपुर जिले में है और जो इसके पास वाले रेतीले दूसरे क्षेत्र हैं नजदीक के, को सूखा सम्भावित क्षेत्र घोषित करें और अकाल राहत में जो लाभ दूसरे इलाकों को दिया जा रहा है वह हमारे इलाके को भी मिले।

126

(श्री बालकृष्ण थानवी)

सूखा सम्भावित क्षेत्र होने के कारण हमारी तहसील में पानी की विशेष तंगी जो कि हमारे यहां पर हर साल रहती है। कई गांवों में पानी नहीं है, पानी के कुए सूख गए हैं इस लिए बहुत दूर-दूर से पानी लाने के लिये जाना पड़ता है, पूरा दिन और पूरी रात अधिकांश परिवारों को पानी ढोने में ही बीत जाती है। इसलिए आपकी मार्फत मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि फलौदी तहसील के उन सारे कुओं का सरकारी खर्च से ड्रिलिंग करवाया जाय जिनमें कि पानी कम हो गया है। इसी तरह जिन गांवों में कुआ नहीं है और तालाब सूख गये हैं तथा पानी की कोई व्यवस्था नहीं है उनमें टंकी के जरिये से पानी पहुँचाया जाय यह मेरा निवेदन है।

जहां तक उपयोगी कामों का सम्बन्ध है यह निश्चित है कि अकाल राहत कार्यों के सन्दर्भ में जो भी काम हो, वे पूरे उपयोग के हों और समाज को उनका लाभ मिले।

हमारी फलौदी तहसील को कोलायत रेल्वे से जोड़ने के लिये बहुत पहले और कराया गया था और पिछली पाकिस्तान-भारत की लड़ाई में यह बनवाने का फैसला भी कर लिया गया था। इसके बाद रोक दिया गया। अगर राजस्थान सरकार भारत सरकार के रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर दबाव डाले और रेल निर्माण की यह योजना इस अकाल के सन्दर्भ में शुरू करवायें तो हजारों मजदूरों को काम मिल जायगा। यह देश के लिये और समाज के लिये उपयोगी भी होगो। ऐसे ही उपयोगी काम अकाल राहत में करवाने चाहियें।

फलौदी तहसील में जगह-जगह मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है। पूर्व अकालों में जिन सड़कों का निर्माण कराया था अब वे टूटी-फूटी पड़ी है और कई जगह अधूरी हैं अतः उन्हें भी अकाल राहत कार्य के तहत लिया जा सकता है जो तालाब नाडियां आदि है उनमें भी खनन का काम शुरू करवाया जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक ज्यादा पानी मिल सके और जिससे ग्रमीण जनता लाभान्वित हो सके इस वास्ते यह करवा दीजिये तो अच्छा रहेगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान कुछ अन्य समस्याओं की ओर भी दिलाना चाहूंगा और वे यह हैं कि फलौदी का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें दूर-दूर तक रेगिस्तान है। जैसे कि मैंने निवेदन किया हमारे क्षेत्र में पानी की भयंकरता है इसलिये अकाल को स्थाई रूप से रोकने के लिये नल कूपों का जाल बिछाना चाहिये। इसी तरह भादरिया (जैसलमेर) में नल कूप वर्षों से बन्द पड़ा है उसको भी वापस शुरू करवाने की व्यवस्था करें ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

घोलिया से भादरिया तक 9 साल में 7 किलोमीटर सड़क बनी है और दो किलोमीटर शेष रह गई है। उस अधूरे काम कोभी पूरा करवाया जाय। साथ ही साथ बरसाती नदियां जैसे फलौदी क्षेत्र की पोकरण तहसील की लोडियावळी की नदी कानसिंह की शिडवाली नदी व भोला नदी, है उनको बांध कर विकास के लिये स्थायीतौर से काम किया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार गभीरता से सोचे, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल परमार ।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत कार्य और दूसरे विषयों पर यहां चर्चा चली । सब से बड़ी बात अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमारे मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज इस अकाल के समय गांवों की स्थिति क्या है ? हम लोग इस एयरकन्डीशन असेम्बली भवन में बैठकर बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं । आज गरीब झोंपड़ी में रह कर मजदूरी करने जाते हैं, जो कुछ टैस्ट वर्क की दृष्टि से काम कराये जाते हैं, उनमें मजदूरी करने जाते हैं उनको मजदूरी का कितना पैसा मिलता है । जो दिन भर टोकरा डालते हैं ...... (5-11 म. प.)

(श्री मंजूरअली, सभापति, पदासीन)

उनको नगती से मजदूरी नहीं मिलती है । 60 पैसा और सवा रुपया उनको दिया जाता है । इसमें उनका पेट कैसे भरेगा, वह अपने बाल बच्चों को क्या खिलायेंगे ? गांवों के गरीब लोगों की स्थिति क्या है ? इस बात को देखना पड़ेगा , इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी । मैं हमारे समस्त मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में कैम्प लगाए जायें, गांवों की स्थिति को देखा जाए, वहां जो भी स्थिति हो उसके अनुसार वहां का सर्वे किया जाए और उस सर्वे के अनुसार वहां पर अकाल के अन्दर या आपात स्थिति के अन्दर जब कभी ऐसी समस्या आवे, राहत कार्य खोलें ताकि लोग अकाल का मुकाबला कर सके । ऐसे कारगर कदम उठावें ।

सभापतिजी, मैं आपको बताऊं राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर जिला है । वह पहाड़ी क्षेत्र है । लोग घाटी में बसते हैं । उनके पास छोटे-छोटे खेती के टुकड़े हैं । सघन नाले हैं, सघन नदियां हैं । वहां पर ऐनीकट्स बांध जा सकते हैं और छोटे-छोटे बांध बांधे जा सकते हैं । उनसे आदिवासियों का भला हो सकता है । 80 प्रतिशत लोग इन एनीकटस् द्वारा लिफ्ट इरिगेशन से अपनी खेती की आमदनी को बढ़ा सकते हैं । लेकिन आज यह नहीं होता है । वह क्यों नहीं होता है ? इसका मूल कारण यह है कि हमारी प्लानिंग उन क्षेत्रों को देख कर नहीं किया जाता है । ऊपर से बनती है बड़ी नदियों पर बांध बनाये जाते हैं उसका आधा पैसा तो इन्जीनियर खा जाते हैं । कुछ ऊपर तक भी जाता है परन्तु उनको भगवान बख्शेगा नहीं, यह ध्यान रखें । वे गरीब को बरबाद कर रहे हैं, और गरीबों का शोषण कर के·······

श्री मदनसिंह दांता । सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, इन्जीनियर खा जाते हैं, तो क्या सारे इन्जीनियर खाते हैं ? यह सदन को बतावें, क्या सारे राज्य कर्मचारी पैसा खाते हैं? He must not say things like this. it is a vague charge.

श्री सभापति : आप सुनिए । आप सुनिए माननीय सदस्य ।अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इल्जाम हो तो मैं रूल्स के तहत मना कर देता । यह एलीगेशन जनरल फीलिंग अगेन्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा यह व्यक्तिगत आरोप नहीं है ।

Page No 128

(128)

श्री मदनसिंह दांता : व्यक्तिगत आरोप होता तो मैं जनरल बहस करवाता। आज सारे इन्जीनियर्स खाते है, यह बिलकुल गलत हैं। सारे मिनिस्टर पैसा खाते हैं, मैं यह कहूं तो आपको कैसा लगेगा। कोई प्रोटेक्शन तो सर्विसेज का होना चाहिए।

श्री सभापति : सारे इन्जीनियर्स खाते हैं, यह जनरल फीलिंग, स्टेट आफ अफेयर्स के बारे में है।

श्री मदनसिंह दांता आप शब्द देख लीजिए प्रोसिडिंग्स में।

श्री अमृतलाल परमार : सभापति महोदय मैंने जो कुछ कहा है, वह सही कहा है। गलत नहीं कहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गैर जरूरी बात न कहें तो मुनासिब होगा।

श्री अमृतलाल परमार : सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुःख है और खेद है कि सही बात कहने में रोक होती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सही बात कहने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। ईश्वर सब को देखता है।

मैं आज डूंगरपूर जिले के अन्दर जो सही स्थिति है, वह बताऊंगा। डूंगरपूर बांसवाड़ा जिला और उस क्षेत्र के उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ का भाग ट्राइबल सब प्लान में है। इस ट्राइबल सब-प्लान में काफी भारी मात्रा में रुपया है। इसका पैसा उपयोग में लाया जाए। यह योजना हमारी सरकार की बनानी है कि ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत जो भारी मात्रा में रुपया खर्च होना है, वह कैसे हो। वहां यह हो रहा है कि जो अफसर हैं वे अच्छे दफ्तर लगा रहे हैं। ट्राइबल क्षेत्र में वहां कोई दफ्तर नहीं है और दूर ले जाकर एयर कंडीशन्ड कार्यालय लगा रहे हैं। इस तरह से ट्राइब का भला होने वाला नहीं है। अनुसूचित जाति और जन-जाति का भला आप नहीं कर रहे है। उनके नाम का रुपया आप भारत सरकार से ला रहे हैं और अफसर मजा ले रहे हैं सभापति महोदय, आप उदहरण चाहेंगे तो मैं देने को तैयार हूं हमारे मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस प्लान को, इस योजना को सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसका प्लानिंग ठीक कर बनावें। जो ट्राइब पहाड़ों में बसे हैं जिनके पास पानी है, जिनके पास जमीन है ऐसे लोगों को मदद करने के लिए काफी मात्रा में पैसा पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि उस पैसे का सही उपयोग हो।

श्री सभापति श्री मनोहर सिंह : मेहता।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ) सभापति महोदय, अकाल का जंगलों से गहरा सम्बन्ध है। अच्छा होता माननीय जंगलात मन्त्री यहां पर विराजमान होते। जहां-जहां पर जंगलों का सत्यानाश हुआ है, वहां पर अकाल पड़े हैं। मुझे डर यह है कि कहीं मुझे भी यह निवेदन नहीं करना पड़े कि मेरे क्षेत्र में अकाल की घोषणा की जाए। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में जंगल बरबाद हो गये हैं। फिर से वापस वे हरे भरे हो जाए (5. 11सांय)

(श्री मंजूरअली, सभापति पदासीन)

इसलिए अकाल राहत मन्त्री जो कम से कम जंगलात मन्त्री महोदय से यह निवेदन करें कि इन जंगलों को हरा भरा करें।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि और गाय का सम्बन्ध है। आप अगर इन्सान को बचा सकते हैं तो गाय का बचाना जरूरी है। गाय नहीं बचेगी तो इन्सान नहीं बचेगा। उसके लिए आपको फोडर बैंक की व्यवस्था करनी होगी मेरे क्षेत्र में दो हजार बीघे का दीगोद के पास एक बीड़ है। मांडलगढ़ रेंज का यह बीड़ है। उनको आप पंचायत में देते हैं नाम मात्र में। मेरा निवेदन है कि अकाल राहत मन्त्री जी अपने विभाग में इन बीड़ को ले लें। आधी पांती में कटावें। आधा किसान ले जाएगा। फिर आधा भाग बचता है उसमें चौथाई जरूरतमंद को भेजे और एक चौथाई की गंजिया लगावे। इस तरह से गंजिया लगाते रहेंगे तो जब कभी अकाल होगा उस समय गाय को मरने से बचा सकेंगे।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नदियों का सवाल है, बांध का सवाल है, इसके बारे में इरिगेशन की मांग के मौके पर निवेदन करूंगा। जहां-जहां कुएं बहुत गहरे हैं, नाले बहुत हैं, वहां पर एनीकट बनाइये। यह एनीकट बनाएंगे तो कुओं का वाटर लेवल ऊंचा होगा। वाटर लेवल ऊंचा होगा तो जो जमीन उपजाऊ है, वह खेती के लिए पर्याप्त उपज दे सकेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र माण्डलगढ़ में ऐसे गांव हैं जहां कि पानी बहुत गहरा है। मेरे यहां काछोला गांव में इतना गहरा पानी है, कि जो जिला हैड क्वार्टर रहा है, वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता है, इसके पास एक कुण्डया खाल है, वहां पर एनीकट बांधा जाए तो वहां के कुओं का जल स्तर ऊंचा होगा इसी प्रकार जंजोला के पास सोन नदी पर एनीकट बांधा जाय तो लोगों को सुविधा होगी। लोगों को पानी की सुविधा होगी और सन्तोष होगा। एनीकट बनने से यहां का वाटर लेवल ऊंचा होगा। जो नाले, नदी हैं, उन पर एनीकट बांधे जावें तो लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह से चोपरियास के पास, नोलप नदी पर एनीकट तथा बाघरोल की घाटी पर एनीकट बांधे जा सकते हैं, इससे लाभ होगा। कृपा करके आप यहां का सर्वे करवाइये, जहां-जहां पर कुए गहरे हैं, एनीकट वहां पर बांध सकते हैं। एनीकट बनने से पैदावार होगी। यही मेरा आप से निवेदन करना है।

यह बात कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री आर० डी० यादव !

(अनुपस्थित)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह !

(अनुपस्थित)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं, कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रतिवेदन क्या है ? उसे आप पढ़ दीजिए।

श्री नवनीत पालीवाल : कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन।

(श्री नवनीत पालीवाल)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक 22 मार्च, 1978 को अपराह्न 3–00 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि गुरुवार दिनांक 23 मार्च, 1978 को सदन को बैठक मध्याह्न पूर्व 10 बजे से सायं 5 बजे तक रखी जाय। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात् बैठकों का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाय :—

शनिवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1978। रविवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1978।	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1978	संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक, 1977 का अनुसमर्थन करने संबंधी संकल्प
मंगलवार, दिनांक 4 अप्रेल, 1978	राजस्थान वित्त विधेयक, 1978 पर विचार उसका पारण।

समिति की आगामी बैठक दिनांक 31 मार्च, 1978 के अपराह्न 3–00 बजे रखने का निश्चय किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

मांग संख्या 28 व 34 पर विचार

श्रीमती मदन कौर ।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सूखा और अकाल से सदैव प्रभावित रहा है। ऐसे क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये वहां जनसाधारण को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से अकाल राहत का कार्यक्रम अपनाया गया है। भारत सरकार ने सूखा सम्भावित क्षेत्रों में कार्यक्रम और मरुस्थल सुधार कार्यक्रम स्वीकार किये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले वर्षों में जो धन राशि केन्द्र से राजस्थान राज्य को प्राप्त हुई, उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका है। इसके अभाव मे ऐसे क्षेत्रों के जन-साधारण को जो अपेक्षित लाभ इन कार्यक्रमों से मिलना था, वह नहीं मिल सका। सभापति महोदय, अकाल वित्त व्यवस्था से भारत सरकार इन कार्यक्रमों के मद में एक बड़ी राशि उपलब्ध करा रही है। ऐसा संकेत भी किया है कि आने वाले कम से कम 5 वर्षों तक इन कार्यक्रमों के संचालन के लिये केन्द्र से धन उपलब्ध होता रहेगा। मैं इतना तो मानती हूं और यह भी सच भी है कि जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे मरुस्थल क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास तो नहीं हो सकेगा। लेकिन फिर भी राशि बड़ी है। यदि इसका समुचित उपयोग किया जाय तो मेरा विश्वास है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिये एक सुदृढ़ और सुनिश्चित कार्यक्रम की आधारशिला रखी जा सकेगी। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक निश्चित दिशा मिल सकेगी। लेकिन वर्तमान सरकार की कछुवा चाल

(श्रीमती मदनकौर)

शासन प्रणाली और अस्पष्ट नीति के फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं की दुर्गति हो रही है उसे देखते हुऐ इस कार्यक्रम के सफल संचालन के संबंध में शंका और संदेह होना स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम के संचालन का काम योग्य अनुभवी और आस्थावान लोगों के हाथों में सौंपा ही नहीं जा सकेगा। यह कार्यक्रम तो केवल मात्र विभिन्न विभागों में पदोन्नतियों का माध्यम बन कर रह जाएगा। सभापति महोदय, पदोन्नति भी किसकी? इस कार्यक्रम से संबंधित योग्य अधिकारियों की नहीं अन्य ही अधिकारियों की पदोन्नति, नियुक्ति और पद स्थापन के बाद का कार्यक्रम साधन जुटाने के बाद चलेगा। आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय, साधन का भी इस कार्यक्रम से सीधा संबन्ध रहने वाला नहीं है। आलीशान मोटर गाड़ियां, कीमती फर्नीचर पर्दे, रिहायशी बंगले, दफ्तर और इसी तरह के बहुत से आइटम इन्फ्रास्ट्रक्चर के जुटाये जायेंगे और साल भर बाद प्रगति विवरण मिलेगा कि बजट कितना मिलेगा। वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ ही रख-रखाव के लिये नये पदों का सृजन और पदोन्नति का एक और दौर शुरू होगा। सभापति महोदय, सरकारी आडम्बर और औपचारिकताओं के बीच इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गौण हो जायेगा। मरुस्थल ज्यों का त्यों पहले जैसा ही नहीं उससे भी बदतर हालत में होगा और उस क्षेत्र का जन साधारण, जिसकी हालत सुधारने का यह कार्यक्रम है, एक न एक दुर्भिक्ष का शिकार बनेगा। मैं सुझाव देना चाहती हूं, मान्यवर मरुस्थलीय विकास जैसे गम्भीर, जटिल और महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम का संचालन एक ऐसी मशीनरी के हाथ में सौंपें जो निश्चित रूप से ठोस परिणाम देने की क्षमता रखती हो। इस कार्यक्रम की सफलता का सरल और सीधा माप-दण्ड यही होना चाहिये कि उस क्षेत्र में पीने के पानी की, आवागमन की, चरागाह सुधार की, दुग्ध उत्पादन की और उसके विक्रय की स्थिति में कोई सुधार आया है और उस क्षेत्र मूल निवासी की आर्थिक स्थिति में कोई निश्चित सुधार आया है। केवल मात्र वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति ही को ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मूल्यांकन का आधार नहीं बनाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में पूरा कर लूंगी।

माननीय सभापति जी, पश्चिमी मरु प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्व के अनेक रेगिस्तान ठोस कार्यक्रमों से उपयोगी बने हैं।

यह सर्वविदित है कि उत्तरी अमेरिका रूस के गोबी भाग, इज्राइल के, मरुस्थल सुदृढ़ और निश्चित कार्यक्रमों के संचालन से उपयोगी बनाये गये हैं। मैं उन विकसित देशों की हमारे प्रदेश से तुलना नहीं करती हालांकि की जा सकती है। आखिर कमी किस चीज की है? देश में क्या नहीं हो सकता है? तकनीकी जानकारी हमारे पास है। केन्द्र सरकार दे रही है और इसके लिये फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स में उन से धन उपलब्ध हो सकता है। फिर भी मैं उन विकसित देशों से राजस्थान की तुलना नहीं करती, लेकिन हमारे पड़ोसी प्रदेश गुजरात से तो की ही जा सकती है। गुजरात में डेयरी

(श्रीमती मदनकौर)

विकास और चरागाह सुधार के कार्यक्रम जिस प्रभावी ढंग से लागू किये गये वे हमारे लिये अनुकरणीय हैं।

इसी सन्दर्भ में, श्रीमान् मैं राज्य सरकार का ध्यान राजस्थान नहर से प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। राज्य सरकार के इन लिफ्ट योजनाओं की ओर परिवर्तित दृष्टिकोण से समस्त पश्चिमी जिले, जो इन लिफ्ट योजनाओं से लाभान्वित होने थे, एक तरह से चिंतित है। किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पानी के अभाव में नहीं किया जा सकता। वर्तमान सरकार का रवैया इन लिफ्ट योजनाओं को त्याग देने का निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राज्य सरकार को सावधान करना चाहती हूं यदि सरकार इन लिफ्ट योजनाओं का त्यागने का विचार रखती है तो जो मांगे पृथक मरु प्रदेश की की जा रही हैं उसकी ज्वाला को भड़काने की यह सरकार दोषी होगी।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल जी वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने तीन महीने पहले जिन गावों को अभावग्रस्त घोषित किया था उन गावों में आज भी आपने अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं। यह कितनी गैर जिम्मेदारी की, कितनी बेहूदा और कितनी भद्दी बात है, आज वह गरीब किसान आपकी तरफ मोहताज होकर देख रहा है, सभापति महोदय, मैंने चार पांच बार निवेदन किया है मेरे भिनाय क्षेत्र में तीन तहसील हैं, सब-डिविजनल ऑफिसर है उस क्षेत्र के अन्दर एक-एक गांव अभावग्रस्त है, लोग वहां पर भूखे और नंगे हैं, वहां पर कोई धन्धा नहीं है, वे अपने गावों को छोड़ कर दूसरे गावों के अन्दर जा रहे हैं। आज उनके मन में यह भावना हो रही है कि राम भी हमसे रूस गया लेकिन वे राज से आशा कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : शरीर से वाकई भूखे दिखाई दे रहे है....

श्री रतनलाल वर्मा : लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पांच अप्रेल तक अगर माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी ने फेमिन के कार्य नहीं खोले तो रतनलाल सबसे पहले आमरण अनशन के ऊपर बैठेगा परवाह नहीं है कि उसका नतीजा क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री मदनसिंह दांता : I will join him

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interference, please.

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, यह मेरी बिलकुल खुली चुनौती है कि वहां पर गरीबों की हालत देखी नहीं जा सकती। लोग रंग और गुलाल से होली खेलेंगे। गरीब आदमी के पेट में अन्न नहीं है और लोग हलवा पूरी खायेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में अकाल राहत मंत्री इसी सदन के अन्दर यहां अकाल राहत कार्य खोलने की घोषणा करेंगे। मेरे ही जिले की बात नहीं है मैं तो कहता हूं कि पूरे राजस्थान में जिन

(श्री रतनलाल वर्मा)

गांवों को आपने अभावग्रस्त घोषित किया है; आपका फर्ज है कि वहां पर अकाल राहत कार्य खोलें। आप कह सकते हैं कि पैसों का अभाव है । मैं पूछना चाहता हूं जो लोग बड़ी-बड़ी हवेलियों में रहते हैं, जो करोड़पति हैं, उन पर क्यों नहीं आपने टैक्स लगाये ? कौन मना करता है आपको । एक छह मन्जिल पर बैठा हुआ आदमी झोंपड़ी वाले की तरफ किस निगाह से देख रहा है ? जो आदमी भूखा है, उसका मखौल उड़ाया जा रहा है, यह कहां तक चलेगा । सभापति महोदय, आज 22 तारीख हो चुकी है, विधान सभा का सत्र चलते हुये 23, 24 दिन हो चुके हैं । मुझे अचरज हो रहा है कि बातें सभी कर रहे हैं, गांवों की दयनीय दशा पर विचार सभी कर रहे हैं । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 23 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज तक उनको चार्ज शीट नहीं दी गई है । कितनी भद्दी बात है । मैं कहता हूं आप सस्पेंड करिये चार को या छ: को लेकिन उनके खिलाफ आप क्या करना चाहते हैं ? उनके खिलाफ आप कार्यवाही करके उनको अन्दर करिये जिन्होंने गरीबों के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे आने वाले समय में तो ऐसा नहीं हो । मैं निवेदन करूं कि गांव गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है । मैं मानता हूं कि सभी जगह आप नहीं कर सकते लेकिन जहां पर कुए हैं उनको तो गहरा करा दीजिये ताकि डोलची रस्सी से लोग पानी भर सकें ट्यूब वेल खुदवा दीजिये ताकि खेती के लिये भी पानी मिले। पाताल तोड़ कुए खुदवा दीजिये । उसका सर्वे कराइये । आपका सिंचाई विभाग काम नहीं करता, पी० डब्ल्यू० डी. सड़कें नहीं तैयार करवाता सड़कें क्यों नहीं बनाता ? इसका कारण साफ है जो कार्य आपने खोले हैं फेमिन के अन्दर जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके मस्टररोल फर्जी तैयार किये जाते हैं उनसे पर्सेन्टेज नहीं मिलता तो सिंचाई और पी. डब्ल्यू डी. का काम नहीं होता । क्या कारण है आज गरीब आदमी को काम नहीं मिलता ? कलेक्टर साहब से बात करते हैं तो कहते हैं कि एस.डी.ओ. से रिपोर्ट नहीं आई । एस. डी. ओ. से बात कहते हैं तो कहते हैं कि तहसीलदार से रिपोर्ट नहीं आई । तहसीलदार से बात करते हैं तो कहते हैं कि गिरदावर की रिपोर्ट नहीं मिली । गिरदावर कहता है कि गिरदावरों की जांच हो रही है । समझ में नहीं आता रिपोर्ट क्यों नहीं आती ? आखिर ये अधिकारी किसलिये हैं? हम तो दूसरों को दोष नहीं देते, हम तो मन्त्री जी को दोष देते हैं । किसानों के लड़के और उनके परिवार भारी मुसीबत में हैं इस बात को समझिये, उनके बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनट ।

जो लोग आज भूखे हैं उनको भूखों किसने मारा ? इस वन विभाग ने वन विभाग के अधिकारियों और कारिन्दों ने, जितनी वनों की बरबादी राजस्थान के अन्दर हुई है उतनी हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं नहीं हुई । जब से यह विभाग बना 51-52 से वन विभाग कायम हुआ, लेकिन....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Page No 134

(134)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं तो यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे थोड़े से शब्दों को ज्यादा समझें और तत्काल राहत कार्यों की घोषणा करें और एक तारीख के पहले कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा करें नहीं तो स्थिति गंभीर हो जायगी और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री सभापति : माननीय श्री मथुरादासजी माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय; राज्य सरकार द्वारा बताये हुए आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त राजस्थान के 80 लाख मर्द-औरत अकाल ग्रस्त हैं। यह अकाल भयंकर है। हमारे प्रान्त में पानी की कमी से पानी का अकाल होता रहा है, फीडर की कमी से और चारे के अभाव से फीडर और चारे का अकाल होता रहा है और धन की कमी से धान का अकाल होता रहा है। आज धान के अकाल की परिस्थिति नहीं है क्योंकि भारत सरकार के पास अनाज का बहुत बड़ा भण्डार है, जहां जरूरत हो वहां भेज सकते हैं और लोगों को धान उपलब्ध करा सकते हैं। धान तो उपलब्ध करा देंगे मगर लोगों की क्षमता जब तक धान खरीदने की नहीं होगी लोग धान नहीं खरीद सकेंगे। इसलिए बार बार सदन में इस ओर उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य एक ही मांग करते हैं कि लोगों को मजदूरी दी जाय जब बिहार में अकाल पड़ा था तो वहां पर फ्री किचन मुफ्त के रसोड़े खोले गये थे वहां पर दलिया बांटा जाता था और लोग अपने खप्पर में ले जाते थे, और खाते थे, मुफ्त में खाते थे। मगर राजस्थान का एक चरित्र रहा है। राजस्थान का कोई नागरिक मुफ्त में धान मांगता, मुफ्त में दलिया नहीं मांगता जो नागरिक पश्चिमी राजस्थान में रहता है, अकाल ग्रस्त है, वह एक ही चीज मांगता है कि हमें मजदूरी दी जाए, हमको धान खरीदने की क्षमता दें, पर्चेजिंग पावर दें। हम महनत करने को तैयार हैं। उस पर भी 80 लाख आदमियों में से जो पूरे राजस्थान में लेबर फोर्स हैं, जिनको काम खोलकर विभिन्न जिलों में काम देते हैं, उनकी संख्या मुश्किल से एक लाख भी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : 20 हजार ....

श्री मथुरादास माथुर : तो आज वायदे आपने किये थे वह गलत निकले। हमारे यहां पर ग्रेचुटस रिलीफ कुछ बूढ़े आदमियों को देते हैं। अकालग्रस्त क्षेत्र में जो रहने वाले हैं चाहे पश्चिमी राजस्थान के हों, चाहे पूर्वी राजस्थान के जहां-जहां अकाल पड़ता है वहां पर हमारे 8-9 साल के बच्चे काम करते हैं। धूप व गर्मी में काम करते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और हमारा आने वाला भविष्य बिगड़ता है मैं मांग करता हूं अब समय आ गया है कि बूढ़े आदमियों को ग्रेचुटस रिलीफ देने के बजाय 10 साल की उम्र के जितने बच्चे हों उनको दें चाहे काइन्ड में चाहे केश में। उन छोटे बच्चों से मेहनत कराकर उनकी तन्दुरस्ती न बिगाड़ें।

दूसरी बात, मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेटर्निटी के अन्दर जब महिलायें जापे में हों तो उनको ग्रेचुटस रिलीफ दिया जाए

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं तो 8-8 दिन का बच्चा गोद में लेकर वे तगारी उठा कर सड़क पर काम करती हैं। हमको मानवता का खयाल रखना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसा नहीं है। छठे वित्त आयोग ने 51 करोड़ रुपये दिये थे। क्या मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि वह 51 करोड़ रुपये खर्च कर दिये ? आज भी 51 करोड़ में से कुछ रुपया बचा हुआ है। जब छठे वित्त आयोग से नेचरल केलेमिटोज को फेस करने के लिये यह ग्रांट मिली है तो उस रुपये को खर्च करें। किन्तु आप पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए।

आपने प्लानिंग कमीशन से एडवान्स प्लान के नाम पर 15 करोड़ रुपये लिये, किन्तु कहीं पर कुछ काम, कहीं पर कुछ काम शुरू किए हैं और प्लान में लाने की कोशिश की है। अगर 51 करोड़ रुपये खर्च नहीं करेंगे तो सातवें वित्त आयोग को हम कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। नेचरल केलेमिटीज देश में किसी भी कोने में हो चाहे आंध्र प्रदेश में साइक्लोन हो, चाहे राजस्थान में अकाल हो, असम में बाढ़ हो भारत सरकार की जवाबदारी है। जिस तरह से हमारे संविधान की एक स्कीम बनी हुई है, उसमें हम लोगों के पास में साधन बहुत कम हैं, सिवाय सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के कोई साधन नहीं है और वह भी प्रोहिबिशन के बाद कम हो जायगी। खास तौर से लैंड रेवेन्यू राजस्थान में 5 करोड़ पड़ता है। राजस्थान में ढाई साल के बाद अकसर अकाल पड़ता है, कुछ एग्जेम्पशन्स होते हैं, सस्पेन्शन्स होते हैं, 10-12 करोड़ इस तरह चले जाते हैं। जमाना अच्छा हो तो 5 वर्षों में एक प्लान पीरियड में मुश्किल से क्या पड़ता है ? क्या हमारी आमदनी है ? भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी नेचरल केलेमिटोज को भारत सरकार सैल्फ-फाइनेन्स करे। उनके अपने फार्मूलाज हैं, कुछ लोन्स हैं, कुछ असिस्टेंस है, वर्षों तक फैसले नहीं होते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा डेबिट हो जाता है, नान-प्लान एक्सपेंडीचर में ठीक दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि नान-प्लान से मीट करते हैं। एक कर्जा लेकर दूसरा कर्जा चुकाते हैं, इस तरह कर्ज पर कर्जा बढ़ता जाता है।

मरुप्रदेश में एक तिहाई से ज्यादा एरिया में अकाल पड़ता है। नेचरल केलेमिटिज आती हैं। आंध्र में 5 साल में अकाल पड़ता है। देश में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां दो ढाई साल में एक अकाल तो पड़ ही जाता है। 7 सालों का एवरेज निकाल कर आंकड़े देखेंगे तो 5 साल में एक भयंकर अकाल पड़ता है, एक छोटा मोटा पड़ता है, एक जमाना अच्छा होता है और एक मामूली जमाना होता है। ऐसी हालत में भारत सरकार पर दबाव डालें, हम सब इधर बैठने वाले आपके साथ हैं, नेचरल केलेमिटोज में खास तौर से हमारे वहां के इलाके में बाढ़ आती है वरना अकाल तो आता ही रहता है, इसके लिये सेंट परसेन्ट केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिये।

जब हमारे यहां अकाल पड़ता है तब भारत सरकार को राजस्थान सरकार लिखती है कि अकाल पड़ गया, हमने कुछ काम शुरू कर दिए हैं, हमें पैसा दो। एक दो महीने बाद सरकार की आंख खुलती है,

(श्री मथुरादास माथुर)

वह कमेटी भेजती है वह 10-15 दिन यहां घूमती है। फिर रिपोर्ट देती है, दो तीन महीने इसमें निकल जाते हैं माननीय सदस्य, जो सामने बैठे हैं, भूख हड़ताल की बात करते हैं। शासक दल में होते हुए भी भूख हड़ताल की बात करना इस बात का सबूत है कि यह समस्या कितनी भयंकर है, कितना दर्द लोगों के दिल में है। अकाल पार्टी का सवाल नहीं है, इन्सान को बचाना है, राजस्थान को बचाना है। भारत सरकार की जवाबदारी है कि वह सेंट पर्सेन्ट केन्द्रीय सहायता दे, बाकी 51 या 55 करोड़ हम नहीं चाहते।

इसके अलावा स्थाई रूप से नेचरल केलमिटीज का निपटारा करने के लिए बोर्ड बिठाना चाहिये जिसमें राजस्थान के प्रतिनिधि हों और जिन राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा होती है वहां के प्रतिनिधि हों। जब सरकार अकाल की घोषणा करे तो वह कमेटी फौरन यहां आ जाए और काम शुरू हो जाने चाहिए। कमेटी आती नहीं है, आती है तो देर से आती है, सैंक्शन नहीं मिलती हैं, काम शुरू नहीं होते, विधायक चिल्लाते हैं, मन्त्री कुछ नहीं कर सकते। नतीजा यह होता है कि टैस्ट वर्क्स शुरू करवा कर आंसू पोंछना चाहते हैं।

अब सातवां वित्त आयोग बैठा हुआ है। वह नान-प्लान खर्चे को देखेगा। इसलिये हमारी पुरजोर शब्दों में मांग होनी चाहिये कि पूरे का पूरा भारत सरकार ग्रान्ट दे लोन न दे क्योंकि हम चुका नहीं सकेंगे। बोर्ड का गठन होना चाहिये और सरकार को निर्णय करना चाहिये कि छोटे-छोटे बच्चों से मजदूरी नहीं ली जाएगी, उनको ग्रेचूटस रिलीफ दिया जायगा।

अब एक प्रश्न और पैदा होता है, वह यह कि राजस्थान नहर के लिये माननीय सदस्या ने कहा और भी माननीय सदस्यों ने कहा। जब हम लिफ्ट इरिगेशन की बात करते हैं तो कास्ट बेनीफिट रेश्यो की बात पहले भी होती थी, फिसकल की भी होती थी, अभी आपने प्लान के अन्दर सोशल बेनीफिट कास्ट रेश्यो का विषय इन्ट्रोड्यूज किया है। मेरे पास किताब नहीं है, वरना पढ़कर सुना देता। वह यहां भी इन्ट्रोड्यूज करना पड़ेगा। वे वर्क आउट करके देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन रिजेक्ट कर देगा। लिफ्ट इरिगेशन की नागौर व फलौदी की दो-चार स्कीम्स सर्वे हो चुकी हैं, एक्सपर्ट्स ने सर्वे किया है, आप लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम को लागू कीजिये। आप एक प्रतिशत और चार प्रतिशत के चक्कर में नहीं पड़े। वैसे भी अगर आप देखें कि हम भाखरा से जिस एरिया में पानी नहीं लेते हैं उसका भी पेमेन्ट कर रहे हैं और वह भी सिंचाई की रेट के हिसाब से। तो अगर आप इन एरिया में लिफ्ट योजना को चालू कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो आज आपका रेगिस्तान है वह हरियाली में बदल जायगा। नहीं तो आप देखते हैं कि हर साल हमारे यहां से, जैसलमेर, बाड़मेर से लोग अपनी औरतों और बच्चों के साथ मालवा, जिसको कि मध्य प्रदेश कहते हैं, की तरफ जाते हैं। औरतें एक बच्चा पेट में, एक बच्चा गोदी में लिये हुए और एक की अंगुली पकड़े हुए जैसलमेर, बाड़मेर से 400 मील लम्बी यात्रा पैदल करती हैं। वहां पर तीन चार महीने रह वापस

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्डो मार्च करते हुए अपने घर को आती हैं। यह आप लोग नजारा देखते होंगे। आप से छिपा हुआ नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, राज्य सरकार इस ओर विशेषरूप से ध्यान दे। आजादी के बाद तीस साल हो गये हैं, फिर भी यह सिलसिला बन्द नहीं हो पाया है। यह सही है कि हम भी इस बात को नहीं कर पायें लेकिन आप चूंकि ज्यादा प्रगतिशील हैं और गरीबों के हमदम होने का ज्यादा दावा करते हैं इसलिये चाहे यह लिफ्ट इरिगेशन कितनी ही महंगी क्यों नहीं है आप इसको बना कर इसका फायदा तो देखिये। वैसे भी आपने राजस्थान कैनाल पर 100 करोड़ रुपये तो खर्च कर दिये हैं और आप खर्च कर दो तो आपको उस एरिया में पशुओं के लिये पाश्चरलैण्ड मिल जायगा और यह सारा का सारा इलाका जो अब रेगिस्तान है, हरियाली में बदल जायगा।

इसके साथ-साथ, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को योजना में सिर्फ फाइनेन्शियल गेन ही नहीं देखना चाहिये बल्कि कभी-कभी सोशल बेनेफिट भी देखना चाहिये। लिफ्ट इरिगेशन की आपकी तीन-चार स्कीम से यह इलाका, जिसमें कोलायत, नागौर, पोकरण और फलौदी का एरिया है, पूरा हरा-भरा हो जायगा और इस इलाके का रंग ही बदल जायगा। आज आप अकाल के नाम पर इन इलाकों पर करोड़ों रुपया हर साल खर्च करते हैं, फिर भी इसका पूरा हल नहीं निकाल पाये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमेशा के लिये अकाल को खतम करने के लिये हमें इसको करना होगा।

दूसरे राजस्थान नहर जहां नहीं जाने वाली है जो पश्चिमी इलाका राजस्थान का है वहां पर सर्वे करने पर पता लगा कि वहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर है, इसलिये वहां पर आपको ट्यूब वैल्स खुदवाने चाहियें। अगर वहां पर एक आदमी कुआ खुदवाता है तो वह इकानोमिकल नहीं पड़ता है, इसलिये आपको जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में ट्यूब वैल्स से पानी की योजना बनानी चाहिये। पहले हमने कुछ किया था लेकिन बाद में उधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वहां पर ट्यूब वैल की स्कीम लागू कर दे। इससे भी वहां पर काफी एरिया में हरियाली हो जायगी। लोग अपना फार्म बनवा लेंगे और पशुओं के खाने के लिये फोडर पैदा कर लेंगे और कैटल्स के लिये पाश्चर लैण्ड भी तैयार हो जायेंगे। हर साल आपकी कैटल राजस्थान से बाहर जाती है और कुछ मर जाती हैं। इससे कैटल का बाहर जाना बन्द हो जायगा। इसलिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

इसके अलावा यह सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन आ गया है। मैंने भी अपने सुझाव वहां रखे हैं। राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप उसको यह प्रेसराइज करें कि हमें वह अनुदान के रूप में राशि दे। इस अकाल के बारे में तो आप कहें ही, अगर आपने लोन लिया तो

(श्री मथुरादास माथुर)

लोन का तो आप ब्याज भी नहीं चुका सकेंगे।

दूसरे आपने जितना काम उनसे पैसे की बात की तो आप मान कर चलिये इसमें वापस भ्रष्टाचार हो जायगा। तीन रुपये से अगर फिर कम कर दिया डेढ़ रुपया तो यह तो सारा मामला करप्शन का ही होगा, क्योंकि भूखे पेट तो व्यक्ति क्या काम कर सकेगा?

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री किशनसिंह भाटी !

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आ गये काल के घर।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : हां साहब, हम तो काल के घर ही हैं।

सभापति महोदय, हमारा इलाका तो दोनों तरफ काल का घर ही है। मैं इसे स्वीकार भी करता हूं क्योंकि हमारे यहां की कहावत भी है कि—

पग पूगल धड़ कोटड़े, बाहां बायड़मेर,
जोयो लाधो जोधपुर, ठावो जैसलमेर

तो I admit it. हमारे यहां तो अकाल एक परमानेन्ट फीचर है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इस खेमे में बैठने वाले हों चाहे उस खेमे में बैठने वाले हों हमारे यहां के अकाल के मसले को कोई राजनैतिक मसला नहीं समझे। इसको गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिये। मेरी ऐसी मान्यता है कि इस अकाल को किस प्रकार अरेस्ट किया जाय, इस बारे में विचार करना होगा। हमारा जिला जैसलमेर जो है वह मरुस्थल का इलाका है। उसके लिये हालांकि राज्य सरकार ने पहले भी थोड़े बहुत काम शुरू किये और एक मरु विकास बोर्ड की स्थापना भी की थी और डी०पी०ए०पी० के प्रोग्राम भी शुरू किये थे लेकिन, सभापति महोदय, यह जो भी प्रोग्राम शुरू किये गये थे वह सभी प्रोग्राम्स डिफेक्टिव ढंग से क्रियान्वित करने के कारण उनका सही लाभ जो मरुस्थल के क्षेत्रों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिला। जैसा कि झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, यह योजनाएं जो क्रियान्वित की जा रही हैं वे खुरदरे हाथों वाले लोगों के लिये की जा रही हैं किन्तु उन्हें लाभ क्यों नहीं मिलता। मेरा कहना है कि वे मासूम हाथों से वातानुकूलित सचिवालय में बैठकर बनायी योजनाएं हैं। वे लोग खुरदरे हाथों वाले के हाल को क्या जानें। जितनी भी योजनायें बनती हैं वह सारी आपके सेक्रेटरियेट में बैठने वाले सेक्रेटरी और जो जिला स्तर पर जिलाधीश बैठते हैं उनके मासूम हाथों से बनती हैं उनको क्या पता कि अकाल में क्या स्थिति हो जाती है इन खुरदरे हाथों वालों की यही कारण है कि खुरदरे हाथों की जो योजनाएं मासूम हाथों से बनती हैं, वे हमेशा डिफेक्टिव बनती हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में जो चरवाहे हैं उनके पैरों में कांटा भी नहीं लगता है वह लोग ऊंट की तरह बिना पानी पिये एक दो दिन तक चल सकते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर अकाल के समय जिस अकाल

Page No 139

(139)

(श्री किशनसिंह भाटी)

में ऊंट और दूसरे जानवर भुरट और सेवण की फली खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसी तरह जैसलमेर के ग्रामीण लोग, आप सच नहीं मानेंगे एक महीने में एक पाव आटे से अपना गुजर कर लेते हैं। इनके मवेशी भुरट, सेवन की फली वगैरह खाते हैं वही खाकर वे अपना पेट पालते हैं इसलिये यह मासूम हाथ खुरदरे हाथों की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति । आप जल्दी समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : थोड़ा समय लूंगा; सभापति महोदय। बहुत ही अहम मसला है मेरे निर्वाचन क्षेत्र का। मैंने कट-मोशन दिये हैं। मैं उन्हीं को साथ में लेकर बोल रहा हूं

जैसलमेर में डी०पी०ए०पी में प्रोग्राम्स चलते हैं वह मन्थर गति से चल रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं श्रीमान को पहले ही निवेदन कर चुका हूं। मैं थोड़ा समय लूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी सुझाव मैं दूंगा वह व्यावहारिक दूंगा। उन सुझावों को अगर हमारे मन्त्री महोदय गलत कह देंगे तो मैं, सभापति महोदय, इस सदन में आगे आने वाले वर्षों में कभी नहीं बोलूंगा। जो भी आंकड़े मैं दूं उनकी तरफ आप गौर करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे कहने से होना जाना तो कुछ नहीं है लेकिन दिल की भड़ास तो निकाल ही दूं।

मासूम हाथों से खुरदरे हाथों का भला होना नहीं है। इसलिये आपने हमारे यहां पर डी०पी० ए० पी के प्रोग्राम शुरू किये वह बहुत ही डिफेक्टिव ढंग से और बहुत ही मन्थर गति से चल रहे हैं पर कोई सुनवायी नहीं होती है। जहां पर पानी की समस्या है वहां पर बाढ़ आने के थोड़ी ही देरी में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी कहने लग जाते हैं चार महीने हो गये हैं कोई काम नहीं हो रहा है। वे त्राहि त्राहि करने लग जाते हैं। वहां पर बाढ़ के कार्य के लिए 75 करोड़ रुपये तक केन्द्रीय सरकार दे देती है लेकिन जहां पर खारा पानी है जहां पर ट्यूब वैल्स से पानी आता है तो खारा ही निकलता है वहां की कोई सुनवायी नहीं होती वहां पर ललित कला अकादमी के लिए और कत्थक कला के 51-51 रुपये जो लोग देते हैं उन लोगों को क्या पता कि अकाल की विभीषिका कैसी होती है। वैसे तो हमारे यहां पर सदन में एक होड़सी लगी रहती है। कोई भी योजना अगर राज्य सरकार चालू करने लगती है तो हर सदस्य चाहता है कि वह योजना उनके क्षेत्र में भी शुरू की जाय। वह यह नहीं समझते कि वह योजना वहां पर सफल होगी या नहीं। जैसे बजट में अगर यह कह दिया जाय कि मत्स्य पालन की योजना शुरू की जा रही है तो मेरे भाई यहां आकर कह देंगे कि वह योजना हमारे यहां चालू की जाय अब, सभापति महोदय, मेरा निर्वा०

(श्री किशनसिंह भाटी)

वन क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर पानी नहीं है चार मेंढक-तालाबों में मिलेंगे तो मत्स्य पालन कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार के जमाने से ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गयी थी। मैं लोगों कि हर योजना उनके यहां भी लागू हो। यह प्रवृति रही कि जितना बजट अपने इलाके में खींचा जाय उतना थोड़ा है। सभापति महोदय, जहां पर राजस्थान में 220 करोड़ रुपये फेमिन में खर्च हु। वहां पर जैसलमेर में उसका 28.2 प्रतिशत भाग ही खर्च हुआ। यह तो, सभापति महोदय, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है जैसा कि चूरू जिले से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा भी है वह भी अकालग्रस्त है जब कि चूरू जिले और पूंगल दोनों एक ही हैं तो यह चूरू जिला जो कि जैसलमेर के पूंगल इलाके से लगता है वह आपके इन मासूम हाथों में कैसे आये।

हमें परम्परावादी नहीं होना है रूढ़िवादी नहीं होना है, कांग्रेस को गाली दे देने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमको अकाल का स्थायी हल ढूंढना होगा, उसका परमानेन्ट इलाज करना होगा। बिहार के अकाल मात्र ने तहलका मचा दिया दुनिया में उसका प्रोपगण्डा करके मदद के लिये आह्वान किया। विचार कीजिये जहां पर परमानेन्ट अकाल है राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उस पर कोई विचार नहीं होता। क्यों नहीं होता। थोड़ा सा पैसा दे दिया। बगारी चलवा दी। दो एक कुन्ड बनवा दिये। बस हो गया अकाल राहत कार्य। इस तरह का बजट, अकाल का बजट रूढ़िवादी बजट है। यह आपका रूढ़िवादी है केवल अकाल का बजट। बाकी तो अच्छा बजट है और सिद्धान्तवादी बजट है।

श्री सभापति : आप सुझाव दे दीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : कहने का अभिप्राय यह है कि बजट का एक हैड है डी०पी० ए०पी० का बजट, जैसलमेर में 27 लाख का बजट है और उसको भी आप यूटिलाइज नहीं कर सके। वह लेप्स हो गया। इसलिये मैंने कहा था कि यह मासूम हाथों से बनाया हुआ बजट है और आपको इस पर पुन: सोचना चाहिये। इसको नौकरशाही नहीं कहूं तो क्या कहूं? यह खुरदरे हाथों से बनाया हुआ बजट होता तो यह लेप्स नहीं होता। विषय की गम्भीरता को तो आंकिये। कवि की उक्ति के अनुसार आपको यकीन न हो तो आप यू०एन०ओ० के एक्सपर्ट्स को बुलाइये, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स को बुलाइये और मास्को यूनिवर्सिटी के एक्सपर्टस को बुलाइये, मैंने कहा भी कि जैसलमेर को अकालग्रस्त नहीं कहा तो एक सिंगल कोड़ी नहीं लूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पैसे को 20-25 जिलों में मत बांटिये। आप अकाल के स्थायी हल के लिये, यह परमानेन्ट फीवर न हो जाय इसके लिये इसका स्थायी उपाय कीजिये। अकाल इन्द्रजनित नहीं है यह मनुष्य निर्मित है। सिन्ध में दो तीन इन्च बरसात होती है जैसलमेर में पांच सात इन्च बरसात हो जाती है। जिन ब्रिटिशर्स को गाली देते हैं, जिस अंग्रेजों को गाली देते हैं उन्होंने सिन्ध में सक्कर का बांध बना कर हमेशा हमेशा के लिये फेमिन को विदाई दे दी। पाकिस्तान के अय्यूब खां

(श्री किशनसिंह भाटी)

को चाहे गाली दें कि उसने भारत पर अटेक किया, हमला किया, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान के निर्माता जनरल अय्यूब खां ने नौ साल के अन्दर भी भावलपुर व रहीमयार खां में इन्डोगिल नहर की तरह दूसरी नहर लाकर अकाल का स्थायी हल दिया। क्या वजह है कि जनरल अय्यूब के पाकिस्तान में सिन्ध का रेगिस्तान लहलहाती फसलों से आपूरित है जब कि जैसलमेर जो कि उससे लगता हुआ है, वहां लहलहाती फसलें तो दूर रही मीलों तक पानी पीने का भी नहीं है ? इसकी क्या वजह है ? क्या पाकिस्तान ज्यादा धनवान है और आप ज्यादा धनवान नहीं हैं ? उनके पास क्या ज्यादा स्किल हैं और आपके पास नहीं ? यू. एन. ओ. की रिपोर्ट है यूनेस्को की रिपोर्ट है, इजराइल की रिपोर्ट है कि जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में ट्यूब वैल के जरिये से अकाल का स्थायी हल हो सकता है। वहां पर ट्यूब वैल का जाल बिछा दिया जाय और जल विद्युतिकरण किया जाय जिससे अकाल का स्थायी हल हो सके। इससे वहां मवेशी स्थायी रूप से रह सकता है, वहां पर वेटरनरी हास्पिटल्स हो सकते हैं, वहां पर आदमियों को जिन्दा रखा जा सकता है और जैसलमेर और रेगिस्तानी इलाका इजराइल से बढ़ कर गल्ला और अंगूर पैदा कर सकता है। इसको डेनमार्क बनाया जा सकता है। मूंगफली उत्पादन में यह गुजरात से आगे निकल सकता है। जैसलमेर की पट्टी में यदि खजूर उगाये जायं तो यह अरबों को पीछे छोड़ सकता है। लाल बहादुर शास्त्री को इस विषय में कहा गया था। कहने का मतलब यह है कि इस जैसलमेर के रेगिस्तान को दूसरा हरियाणा बनाया जा सकता है। चाहिये इसके लिए मानस, चाहिये इसके लिये इच्छा शक्ति। जो भी कार्य शुरू किये जायं वे स्थाई और उपयोगी कार्य हों। राहत कार्य भी हों तो उपयोगी राहत कार्य होने चाहिये, परीक्षण के तौर पर नहीं। वहां पर एक आध कुन्ड बना दिया जाय तो इससे समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है और न यह कोई स्थायी हल है। आप ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं, फलौदी में आप शुरू कर सकते हैं, आप बाड़मेर में शुरू कर सकते हैं और जैसलमेर में कर सकते हैं। क्यों नहीं आप इस को हाथ में लेते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशनसिंह भाटी : कहने का मतलब यह है कि इच्छा शक्ति चाहिये करने की, वहां ड्राई फार्मिंग हो सकती है। स्थायी काम होने पर इस अकाल की समस्या को हल किया जा सकता है।

अकाल के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि बहुत भ्रष्टाचार है। मैं आपको एक बहुत ही उपयोगी सुझाव देता हूं। हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट कहलाती है। इसमें शोषण की कोई गुन्जाइश नहीं होनी चाहिये। वेलफेयर स्टेट में शोषण किस बात का ? जागीरदारों को समाप्त किया, भू-पतियों को समाप्त किया लेकिन आपके पास कोई सही अकाल संहिता नहीं है। अकाल के समय जो भी मिलियन्स टोलिंग मासेज हैं, जो चरवाहे हैं या गड़रिये हैं इस सोशलिस्टिक स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में

(श्री किशनसिंह भाटी)

भी उनके काम की एवज में ठेकेदारों से भी कम पैसा देते हैं। आपका बाबा आदम के जमाने का फेमिन कोड है उसको आप बदलो। फेमिन इलाके में मजदूर 100-रु० की मिट्टी खोदकर देता है, आप भी कर लेते हैं और पी० डब्ल्यू० डी. कहता है कि 100 रु० की मिट्टी खोदी है लेकिन आपका डिफेक्टिव शिड्यूल है, इस कारण उसको 70 रु० 80 रु० और 85 रु० ही दिये जाते हैं जब कि वही काम ठेकेदार से करवाते हैं तो उसको 115 रु०-130 रु० देते हैं। यह कहां का न्याय है?

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : आधा मिनट और दीजिये। The entire house is. with me. No person will speak from my party.

श्री सुरेश कुमार : I will speak.

श्री किशनसिंह भाटी : You will-speak because you are from Bharatpur.

श्री नारायण सिंह : I can sacrifice my time for him.

श्री किशनसिंह भाटी : इसलिये, श्रीमन्, इस वेलफेयर स्टेट में इस बाबा आदम के जमाने के शिड्यूल में परिवर्तन करो।

श्री सभापति : मुझे सुनिये। मैं सम्माननीय सदस्यों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कन्वेन्शन हाउस में नहीं रहा है कि जो सदस्य नहीं बोलना चाहें वे अपना टाइम दूसरों को दे दें। फाइनेन्शियल बिजनेस को समय पर पूरा करने के लिये बहुत से माननीय सदस्य नहीं बोलते हैं। यदि यह कन्वेंशन डाल दिया गया तो जो नहीं बोलते हैं वे अपना समय दूसरों को देने लग जावेंगे। इसलिए मैं उनके समय को माननीय सदस्य को देने में असमर्थ पाता हूं।

श्री किशन सिंह भाटी : वे समय नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसा कन्वेन्शन जरूर देख रहा हूं कि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, तो एक दो मिनट उसको अधिक भी दे दिये जाते हैं यदि आवश्यकता हो तो।

श्री सभापति : आप 15 मिनट बोल चुके हैं। एक मिनट और बोल सकते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : If It is so; I shall never speak in this Assembly.

श्री मदनसिंह दांता : रोका नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : इतने में तो मैं खत्म ही कर देता। Why do you appease? He is neutral. He is gudge.

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं वे अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में तो कहना चाहेंगे। समय नहीं देंगे तो किस प्रकार से वे अपनी बात रख सकेंगे? दूसरे चाहे जितना बोलें और विपक्ष को मौका ही न मिले।

श्री सभापति : No interruption.

श्री किशनसिंह भाटो : इतना ही अर्ज करना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम हमको बराबर तो दें ।

इतना ही अर्ज करना है कि आपको कम से कम कुछ न कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिये तो अकाल के स्थायो हल की व्यवस्था करनी होगी । आज भी आप वहां पर वसूली कर रहे हैं । हमारी यह मान्यता है कि जयपुर में यदि अकाल पड़ता है तो आप यहां पर छूट दें हमको आपत्ति नहीं है लेकिन जहां जैसलमेर में परमानेन्ट ही अकाल रहता है वहां कम से कम आप वसूली तो मत कीजिये । जब पाकिस्तान के युद्ध के समय वहां पर बमबारी हुई थी भूखे नर कंकालों व मृत गायों के बी० बी० सी. ने फोटो लिये थे और आपने वहां पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे । एक तरफ तो आप उन पर प्रतिबन्ध लगाते हैं और दूसरी तरफ आप उनके लिये स्थायी हल भी नहीं निकालते, उनको सहायता भी नहीं देते हैं और अकाल के समय भी वसूली करते हैं 7 साल के लगातार अकाल के कारण से कल्टीवेशन वहां नहीं है । आने वाले 20सालों की इकोनोमी को भी अकाल ने नष्ट कर दिया फिर भी आप वसूली कर रहे हैं जब कि 8 वें साल भी बेकारी हो तो कम से कम वसूली तो मत कीजिये । फिर भी किसी प्रकार स्टेट हूवती हो तो किश्तों में वसूली कीजिये । यही प्रेक्टिक्ल सुझाव देना चाहता हूं ।

दूसरा मैं यह सुझाव दूंगा कि राजस्थान सरकार अगर फसल बीमा योजना लागू कर दें तो नेचुरल केलेमिटीज वाले इलाकों का बहुत बड़ा फायदा होगा । नेचरल डेथ, नेचरल चीजें और मोटर आदि सबका इन्श्योरेन्स होता है । यह वैज्ञानिक युग की चीज है । इन्शोरेन्स हुआ करता है । जैसलमेर का इलाका है और राजस्थान सरकार भारत सरकार से मिलकर फसल बीमा योजना इस रेगिस्तानी क्षेत्र में लागू कर दे । वहां फसल तैयार होती है । लेकिन कटाई के पहले एक बारिश नहीं होती है तो बिलकुल सत्यानास हो जाता है । इसलिए वहां फसल की बीमा योजना लागू हो जाय तो यह मानवता की बहुत बड़ी सेवा की योजना हो सकती है और सारे लोगों को फायदा मिल सकता है ।

अंत में एक पाइन्ट कहूंगा । केन्द्रीय सरकार से हम आर्ग्यूमेन्ट करते हैं कि राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर आदि बैकवर्ड इलाके हैं उनके लिए हमको पैसा दीजिए । सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जितना भी भारत सरकार पैसा देती है उस का मेजर पोर्शन, 50-60 पर्सेन्ट बैकवर्ड इलाके के नाम से आता है । चाहे वह डूंगरपुर का इलाका हो, चाहे जैसलमेर और झुंझुनू का इलाका हो । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप दो स्टेन्डर्ड मत रखिये । भारत सरकार के सामने पैरवी करके अगर 60 पर्सेन्ट बजट, हमारे मुख्य मंत्री जी ने माना है गाडगिल फार्मूला के तहत तो कृपा करके बटवारे के लिए यह आधार आप जिलों को माने । यह नहीं हो कि पैसा तो आये हमारे जिलों के लिए और आप खर्च दूसरे जिलों में कर दें । मैं प्रार्थना करूंगा कि जो यह आग्यूमेन्ट भारत सरकार को देते हैं और इसके आधार

(श्री किशनसिंह भाटी)
पर स्टेट को पैसा मिलता है तो वह पैसा आप हमारे जिलों में ही खर्च करें। यह आग्र्यूमेन्ट गलत नहीं है। नहीं तो हम भारत सरकार से कह सकते हैं कि हमको न्याय दिलाया जाये। लेकिन आप ऐसी बात नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। इतना ही कहूँगा कि रोटेशन से जमीन की जहां खेती होती है जहां तीसरे साल खेती उड़ जाती है और जहां हरिजनों के पास 100-150 बीघा जमीन है वहां व्यक्तिगत कुएं खुदवाने वाला फार्मुला लागू नहीं किया। जैसलमेर में किसी की स्थिति नहीं हैं ऐसे कुए खुदवाने को वह फार्मूला खेतसिंह जी ने लागू कराया था। मेरा निवेदन है कि पर्सनल ट्यूबवैल वाला फार्मुला न हो। मेरा मानना है कि ट्यूबवैल स्टेट की तरफ से खोदे जाने चाहिए।

लिफ्ट इरिगेशन के बारे में एक बात कहूंगा कि उससे पूर्व मुख्य नहर को पूरा करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है कृपया मुझे सुनिये।

माननीय श्री खंगार सिंह !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : पैसे की कमी है। अतः पहले सारा पैसा मुख्य नहर पर लगा कर उसे पूरा करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री किशनसिंह भाटी : XXX

श्री सभापति : श्री खंगारसिंह !

श्री खंगारसिंह (खारची) : सभापति महोदय, पाली जिले को डी० पी० ए० पी० में लिए हुए 3 साल हुए हैं किन्तु तीन साल के अन्दर पाली जिले में कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसका कारण है कि जहां डी० पी० ए० पी० के तहत कई जगह ट्यूबवैल खोदे गये हैं वह नदियों के किनारे पर खोदे गये हैं। नदियों के किनारे पानी की मात्रा बहुत होती है। जब ऑफिसर्स आते हैं तो कहते हैं कि नदी के पास ही हम ट्यूबवैल खोदेंगे। इसका कारण यह है कि वहां पानी नजदीक में मिल जाता है। नदी के किनारे जो कुएं हैं उनमें पानी मीठा है। मेरा निवेदन करना यह है कि इन कुओं को यदि दूर खोदा जाये तो खारे पानी वाले इलाकों में भी लोगों को मीठा पानी मिल सकता है और उसका फायदा काश्तकारों को मिल सकता है लेकिन कुए अधिकारी लोग वहीं खोदते हैं जहां नदी का किनारा हो क्योंकि वहां पानी जल्दी से मिल जाता है और उनको मेहनत कम करनी पड़ती है। डी० पी० ए० पी० के जो प्रोग्राम तीन साल से चल रहे हैं हमारे पाली जिले में उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ है लेकिन उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हुआ है और काश्तकार को फायदा मिल रहा है। जितने भी डी० पी० ए० पी० के तहत प्रोग्राम बनते हैं सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं और वह प्रोग्राम अभी तक क्रियान्वित नहीं हुए हैं। उनसे जाकर पूछते हैं तो बताते हैं कि जो प्लान बनाये गये वह अभी क्रियान्वित

XXX सभापति महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खगारसिंह)

नहीं हुए हैं। हमने प्लान बनाकर भेज दिये हैं जयपुर।

सभापति महोदय, हमारे पाली जिले में नदियां और नाले बहुत बहते हैं परन्तु उन पर अभी तक किसी भी जगह एक पैसे का भी काम डी० पी० ए० पी० के तहत नहीं हुआ है। वहां पानी नीचे होने के कारण कुएं जो बनते हैं वह पथरीली जमीन होने के कारण बहुत महंगे पड़ते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा डी० पी० ए० पी० के तहत एनीकट या बांध बनाये जायें तो पाली जिले के काश्तकार आराम से रह सकते हैं। वह पहाड़ी इलाका है वहां पर पानी सीपेज के द्वारा कुओं में आवेगा और अच्छी तरह से विकास हो सकेगा। ऑफिसर यह करते हैं कि अपनी जीपों में बैठे हुए टी०ए०डी०ए० पकाते हैं। अभी तक तीन साल से प्लान तक पूरा नहीं बना। ऐसी पोजीशन है

इसके अलावा हमारे क्षेत्र में इस साल भी अनावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि भी बाड़मेर में हुई है। फिर भी इसको फेमिन के अन्दर नहीं लिया गया है। सामूहिक फसल की गिरदावरी में 50-60 परसेंट हमारी खारची तहसील में फसल खराब हुई है पाली में दो तहसीलों को अकालग्रस्त इलाके मे लिया गया। इसके अलावा जहां 50-60 परसेंट फसल नष्ट हुई है, रबी की फसल पर ओले पड़ गये वहां राहत कार्य खोले जायें और पब्लिक को राहत दिलाई जाए।

इसके अलावा हमारे खारची एरिया में 7-8 ट्यूब वैल दिये गये हैं। उनको अभी तक इलेक्ट्रिक देकर कामयाब नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक वाले तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। यह समस्या बड़ी विकट है। गावों को इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया जाता है, पांच दस कनेक्शन कर दिये जाते हैं और जब ट्यूब वैल बनता है तो लोग ट्यूबवेल निराशा लिये बैठे रहते हैं।

इसके अलावा जीमन गांव में पिछली बार बारिश के अन्दर बाढ़ आ गयी थी। उसके लिए प्रस्ताव भी दिया था। उसका आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उस कार्य को जल्दी कराया जाए क्योंकि बरसात का समय नजदीक आने वाला है

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और बरसात आने पर वही स्थिति होने वाली है जो पहले बारिश में हुई थी।

बस !

श्री सभापति : श्री गोविन्दसिंह शक्तावत

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदय, बजट पुस्तिका में मैंने पढ़ा कि 12,200 गावों को अकालग्रस्त घोषित किया गया। मैंने भी सोचा कि चलो मेरी तहसील का भी कल्याण होगा लेकिन मुझे खेद है कि मेरी आमेट तहसील के 446 गावों में से 130 गावों में आज भी अकाल की स्थिति बनी हुई है। वहां के लोग एक तरफ तो प्रकृति के प्रकोप से अकाल की चपेट में आये हुए हैं और दूसरी तरफ अकालग्रस्त घोषित करवाने के लिए जिन अधिकारियों को प्रमाण-पत्र चाहिए वह अभी तक नहीं पहुँच पाया है। क्यों नहीं इस तरह की जानकारी उदयपुर

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

कलेक्टर के पास पहुँच पाई है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि यदि वह चाहें तो देख लें, इस तहसील के लिये तीन माह पूर्व विकास अधिकारी ने लिखा है कि वहां कुओं में जितना पानी है वह सूख जायेगा। यह रिपोर्ट जिलाधीश को भेजी थी। उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां पर जमीन की यह हालत है कि इस विधान सभा भवन, जिसमें माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, जितनी जमीन में चार खेत बने हुए हैं। अभी यह मापदण्ड बना हुआ है कि खराबा 60 प्रतिशत होगा तो अकालग्रस्त घोषित किया जायेगा। वहां एक फसल होती है और जो बीज खेत में डालते हैं वह भी वापस मिल सकेगा या नहीं, यह आशंका बनती है। उस क्षेत्र के लिये यह मापदण्ड कहां तक उचित है ? मेरे इलाके से मिलता हुआ इलाका देवगढ़ का है वह पहाड़ी इलाका है वहां 30 वर्ष पहले जितनी वर्षा होती थी, लगातार जंगल साफ हो जाने से आज 30 वर्ष पूर्व से आधी भी वर्षा नहीं होती। अभी माननीय सदस्यों ने बताया 5-6 इंच वर्षा होती है। उदयपुर जिले के अन्दर वर्षा होती है लेकिन कोटड़ा आदि तहसीलें ऐसी हैं जहां 250-300 साल पहले मेवाड़ के किसी सामन्ती राजा के समय तालाब बनाये गये किन्तु वहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि कोई तालाब ऐसा नहीं जिसमें साल भर पानी शेष रहता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना है मारवाड़ से नदियां निकलती हैं, पूरे क्षेत्र में कहीं नाले नहीं हैं। इस क्षेत्र में कुम्भलगढ़ तहसील के अन्दर केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लिया गया है। उस क्षेत्र के अन्दर छोटे छोटे किसानों को दो हजार की, तीन हजार की सहायता दी जा रही है। कुछ एनीकट बना दिये हैं। ऐसे ही गोमती नदी पर 9 एनीकट बने हैं वे सचमुच सराहनीय हैं। सौभाग्य से एक अफसर, बिहारीलालजी, योग्य अधिकारी मिले हैं जिनके कारण गांवों वालों ने उस योजना से लाभ उठाया है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

वह सराहनीय है। एक एस०एफ० डी० स्कीम पेश हुई है, सभापति महोदय, छोटे किसानों को राहत देने के लिये। लेकिन उसके लिये 22.16 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। मैं किसानों को कई बार कह चुका हूं, इस स्कीम के मार्फत आपको लाभ मिलेगा। जैसा बताया गया शायद यह स्कीम है, इसमें लिया जायेगा। आज भी डीडवाना, राछेटी, खाखरमाला, झोल, लिकी साकरोदा, बीकावास, पेनोतियां, दौवड़ा आदि पंचायतों में पानी की समस्या हो गई है। पीने के लिये पानी नहीं है। भेड़ बकरियां होती हैं दूर चली जाती हैं। इस पहाड़ी इलाके के अन्दर मेरा आपसे निवेदन है कि डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम को लागू करके छोटे-छोटे स्थानों पर एनीकट्स बनाये जायं ताकि उस इलाके के लिये पानी का उपयोग अच्छा हो सके। सिंचाई के लिये बांध पर 12 लाख 95 हजार रुपया सरकार खर्च कर रही है किन्तु 50 एकड़ भूमि की केवल सिंचाई होती है। अगर छोटे छोटे एनीकट्स के ऊपर पैसा लगाया जाय तो पूरे इलाके के अन्दर पिलाई की व्यवस्था होगी।

इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य श्री मथुरादास जो ने अकाल की गम्भीरता के बारे में व अकाल की वजह से लोगों की जो स्थिति भयानक हो जाती है उसके मिटाने के लिये विचार प्रस्तुत किये थे। अतः उन बातों की ओर न जाकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के समय जो मजदूर को काम की मजदूरी 3 रुपया देते हैं वह थोड़ी है। आप मिनिमम वेजेज देना नहीं चाहते हैं। इसके बारे में महुं करें। मंहगाई को देखते हुए उतना पैसा मिलना चाहिये जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। इसके साथ एक निवेदन करना चाहूंगा। अकाल पीड़ितों में से जो अकाल राहत कार्य पर काम करते हैं उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस और उनको किताबों की मुफ्त व्यवस्था करें। वैसे भी वे गरीब हैं, खाने पीने के साधन उनके पास कुछ हैं नहीं, अकाल राहत का जहां कार्य होता है वहां जब वे काम करने जाते हैं तो क्या बच्चों को साथ ले जायें ? पर ऐसा नहीं हो सकता और अगर ऐसा करना पड़े तो उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। कम से कम इनके लिये किताबों और फीस की व्यवस्था हो तो उनकी पढ़ाई हो सके अन्यथा घर पर रह कर पढ़ सकें।

पिछले वर्षों में जो अकाल राहत कार्य हुए हैं अक्सर देखा है उनमें जो लोग काम करते हैं उनको पूरा पैसा मिलता नहीं, उसमें कटौती हो जाती है। आप पूरी मजदूरी के पैसे नहीं देकर 3 रुपये देते हैं और उसमें भी कटौती हो जाती है तो आप बतायें मजदूर अपना जीवनयापन कैसे करें। मैं अपने जिले के अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में, जिसकी कि मैं पूर्ण जानकारी रखता हूं, निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो अकाल राहत कार्य हुए थे उनका अभी भी पैसा बाकी है। अकाल से पीड़ित लोग मजदूरी न मिलने से कम पैसा लेकर काम करते हैं फिर भी उनको समय पर मजदूरी नहीं मिलती है तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। अतः निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी पुराने भुगतान अकाल राहत कार्यक्रम के पड़े हुए हैं उनका आप भुगतान कराने की कृपा करें।

पिछले वर्षों में अकाल के साथ अतिवृष्टि का प्रकोप भी रहा और उस कारण बाढ़ें आईं; तबाही हुई। जगह-जगह नई नदियां व नई झोलें बन गयीं। इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा मेरे इलाके में जहां पर कई झोलें बन गई थीं, मीलों पानी भर गया था; वहां एक दो स्थान पर तो अब भी चार पांच स्क्वायर मील में पानी खड़ा है। नागौर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में झोलें बन गईं, यह बात आपके मानने में नहीं आयेगी। पर अब भी वहां चार पांच स्क्वायर मील में पानी पड़ा हुआ है। अब जब इतना पानी आया; सड़कें टूट गईं, रास्ते टूट गये, तो जितना प्रावधान उनकी मरम्मत का हम करने जा रहे हैं वह थोड़ा है। जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें इनकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें।

अब मैं आपका ध्यान सूखाग्रस्त क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगा। जितना सूखा संभावित क्षेत्र है वहां जिला समितियों का गठन किया हुआ है, जिलाधीश उसके अध्यक्ष हैं। जिले में इस योजनान्तर्गत होने वाले सब कार्यों की वहां चर्चा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

होती है, निर्णय लिये जाते हैं। कुछ नीति के निर्णय राज्य सरकार करती है। यह उसी का प्रतिवेदन जो हमको मिला है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले पशुधन और श्वेत क्रान्ति के बारे में विवरण दिया गया है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक चिलिंग प्लाण्ट मेड़ता में चल रहा है। मैं उसकी व्यक्तिगत जानकारी भी रखता हूं। इस प्रवशीतन केन्द्र पर कुछ सहकारी समितियां बनाई गई हैं। इनका लक्ष्य यह था कि पिछले वर्ष में करीब 40 सोसाइटीज बने। आपने 45 बनाईं। 45 सोसाइटीज में से कार्य कर रही है सिर्फ 20 समितियां। अब जरा आप गौर करिये सिर्फ 20 सहकारी समितियां ही क्यों कार्य कर रही हैं तथा बाकी 25 समितियां बन्द क्यों हो गयीं? इन कारणों को अगर आप देखें तो एक ही बात सामने आती है और वह सही भी है कि विभागीय व्यक्तियों का सहयोग नहीं है। अपने लालच-वश इन समितियों को तंग करते हैं। फेट पर्सेंटेज कम करना, कमीशन मांगना, समय पर भुगतान पैसे का न करना, आदि कारणों से तंग आकर दूध देना बन्द कर दिया। अब घटते-घटते 20 समितियां ही रह गयीं। यही तरीका रहा और विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो वो दिन भी दूर नहीं जब यह समितियां कतई बन्द हो जावेंगी। इस प्रवशीतन केन्द्र की दूध को ग्रहण करने की 20 हजार लीटर की क्षमता है। दूध कितना आया? एवरेज सिर्फ 3500-हजार लीटर प्रतिदिन आया। अब बताएँ कहां तो 20 हजार लीटर प्रतिदिन आना चाहिए था और कहां साढ़े तीन हजार की प्राप्ति हुई। इससे होने वाले नुकसान का कौन जिम्मेदार है सरकार ध्यान दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी तीन मिनिट ही नहीं हुए।

इसमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं डिटेल में तो जिस दिन एनीमल हस्बेन्डरी की डिमाण्ड होगी उस दिन पेश करूंगा आपका यह जिला विकास अधिकरण जो पैसे खर्च कर रहा है उसकी भी ड्यूटी है कि उसकी प्लानिंग व देखभाल ऐसी हो कि इन होने वाली तकलीफों की ओर ध्यान रहे। जिसकी योजना की शुरूआत में ही यह हालत है तो बाद में क्या होगा। इस प्रवशीतन केन्द्र का यह लक्ष्य था कि 4400 पशु खरीदने हेतु ऋण दिया जावेगा लेकिन पशु खरीदवाए हैं 134 उनका यह लक्ष्य कि 30 हजार टन दूध आयेगा आता है साढ़े तीन हजार टन सूखा-सम्भावित क्षेत्र में आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके किन्तु वह समय पर काम नहीं कर सकें तो उससे क्या फायदा होता है। जो सोसायटी बनाते हैं, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। 45 सोसायटी बनी लेकिन 20 काम कर रही है बाकी ने काम बन्द कर दिया। कभी कहते हैं दूध फट गया, कभी कहते हैं क्या हो गया और इसलिये दूध बन्द कर देते हैं मेड़ता में जो यह प्रवशीतन केन्द्र उसके बनाने में 28 लाख खर्च किये हैं। वह प्रवशीतन केन्द्र ठीक नहीं चल रहा है। अब आप दूसरे 28 लाख खर्च करने जा रहे हैं।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

खर्च कीजिये लाभ की स्कीम है लेकिन जिस तरह मेड़ता में चल रहा है, उसी तरह नागौर में चलने लगेगा तो किसानों को और दूध वालों को कोई फायदा होने वाला नहीं है और अवशीतन केन्द्र भी नुकसान में जायगा।

इसके साथ ही भू-जल विकास के लिये निवेदन करूंगा। यह एक बहुत बड़ा विभाग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्यूब वैल्स बनाते हैं उनकी यह ड्यूटी है कि ट्यूब वैल बनाने के बाद पानी टैस्ट करें और उसमें बिजली फिट करके किसान को सुपुर्द करें। मैं प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि विभाग ने ऐसा नहीं किया व बिना टैस्ट किए कुए दिये मैं एक गांव मुन्दलोता तहसील डेगाना जिला नागौर का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं कि वहां 35 हजार में ट्यूब वैल बना कर दिया जबकि उसकी लागत थी 29 हजार जब उनको बताया गया कि इतनी ज्यादा धनराशि कैसे ले ली तो कहने लगे, हां गलती हो गई, अब 5000 रुपया वापस दे दिये जायं। आज एक साल हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : अब आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : एक मिनट

श्री सभापति : अच्छा एक मिनट में समाप्त करदें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह भी पांच हजार रुपये ज्यादा ले लिये वह वापस किसान करने को है लेकिन विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया है। पानी खारा है उससे फसल होती नहीं है। उससे जमीन खराब हो गयी। इतना बड़ा अमाउन्ट है जो कि एक कर्ज है। किसानों को ट्यूब वैल इसलिये बनाकर दिये हैं कि उनको फायदा होगा लेकिन इस तरह से तो सभापति महोदय, बरबाद हो जायेंगे। समझ में नहीं आता विभाग ने बिना पानी की जांच कराये किसानों को कैसे दे दिये। किसान के साथ धोखा करके उसे दरिद्र बनाया, इसका जिम्मेवार कौन है? डीडवाना में ट्यूब वैल बनाया गया, ट्यूब वैल चला नहीं। बार-बार शिकायत की किन्तु उस शिकायत पर गौर नहीं किया गया है। उस किसान से 30 हजार रुपये लिये गये थे ट्यूबवैल और मशीन के लिए। उसकी सुनवाई हुई नहीं, उसका ट्यूबवैल चला नहीं और उस पर 30 हजार रुपये के ऋण का बोझ अलग हो गया। उस गरीब किसान को वही खुला कुंआ खोदना पड़ा तथा उन मशीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ। क्यों किसानों के साथ खिलवाड़ करते है, क्यों बरबाद करते हैं गरीबों को? इस पैसे का सदुपयोग हुआ कहां, इस विभाग की ओर धान्धली देखिये जितनी मशीन लगाई हैं मैं चैलेंज करता हूं 50 परसेंट उनमें पुरानी है। एक पर दूसरे को दूसरे पर तीसरे की टोपी रखने व मात्र मरम्मत कराकर मशीन लगा देने से काम नहीं चलता। मेरे पास प्रमाण हैं मन्त्री महोदय चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

इसके बाद जहां गावों को इस अधिकरण के द्वारा विद्युतीकरण करना था, वहां गलत तरीके से कार्य किये गये एवं राजनैतिक आधार पर विद्युतीकरण किया

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गया। मैं खुद जिलाधीश से भी मिला हूं; जिला विकास प्रधिकरण प्रधिकारी से मिला हूं। उनको बताया कि जहां अधिक कुए हैं या जिन गांवों के नजदीक बिजली निकली है वहां पर बिजली लगाइये। मैंने नाम बताये हैं सतानी, सनेड़िया, जावा जहां 30-30 कुए चल रहे हैं। इनमें से किसी गांव में विद्युतीकरण करे कनेक्शन नहीं दिया गया। सब जगह राजनैतिक पक्षपात एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस तरह का काम न हो, बिजली उन लोगों को दी जाए। जहां किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें वहां बिजली लगाने में व गावों में विद्युतीकरण करने में कम खर्चा आवेगा

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये 13 गांवों की लिस्ट है........

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह लिस्ट दे दीजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपने जितनी भी इस प्रधिकरण के अन्तर्गत योजना बनाई है नागौर जिले में वह एक भी योजना अभी तक स्पष्ट रूप से उन गावों में लाभदायक नहीं है। कोई भी योजना बनाते वक्त पहले उस पर गंभीरता से विचार कर लिया जाय ताकि फिजूल खर्चा न हो। लघु सिंचाई योजना में और वन विकास में आपने कोई काम नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : कट मोशन है नहीं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : लघु सीमान्त कृषक को लोन देने के सम्बन्ध में मैं पुनः कहता हूं मेरे यहां जितने तहसीलदार हैं, वह कमीशन लेते हैं. बिना कमीशन के लोन मिलता नहीं है। भेड़ पालकों को 1400 की ग्रान्ट-इन-एड देते हैं तो उसमें आधा-आधा हिस्सा होता है। तब लोन मिलता है किन्हीं माननीय सदस्यों को भेजें तो मैं उन लोगों को दिखाकर, उन लोगों को मिलाकर साबित कर सकता हूं।

इतना कहते हुए कि बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार है, माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा जो जिला विकास प्रधिकरण बनाया है, इसका वही काम है जो अलग-अलग विभाग काम करते हैं। आपके सारे जिलों का हिसाब लगाया जावे तो 70-80 लाख रु० वार्षिक खर्च प्रशासन का होता है यह सारा फिजूल का खर्चा है जितने काम जिले में चल रहे हैं वे सब विभागों को दे दीजिये और इसका पैसा डाइवर्ट कर दीजिये। इससे 70-80 लाख की बचत तो कीजिये कम से कम।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूंडी।

श्री राम नारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल पड़ रहा है या राजस्थान प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त है, उस पर आज सदन में चर्चा हुई है। जो गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये वे भी साढ़े बारह हजार गांव हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग अकाल से ग्रस्त है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि जोधपुर प्रभावग्रस्त क्षेत्र में नहीं लिया गया। अकाल के लिए जैसल मेर वालों

Page No 151

(१५१)

(श्री रामनारायण डूडी)

ने कहा और माननीय सदस्यों ने कहा किन्तु जोधपुर के लिये किसी ने नहीं कहा। आज उस क्षेत्र की सही हालत यह है कि 60-70 गांव, बिलाड़ा से लूनी तक का जो भू-भाग है, जो रेगिस्तानी इलाके में आता है उसमें आज भी अकाल भयंकर रूप से है। वहां के सारे लोग अकाल की चपेट में हैं मगर एक भी अकालराहत कार्य नहीं खोला गया। सरकार तहसीलवाइज अकाल घोषित कर सकती है। इस मामले में जोधपुर शहर के अलावा सारे उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और उपेक्षा करके उन लोगों को राहत नहीं पहुँचाई। विशेष तौर से ऐसे कितने ही अभावग्रस्त गांव हैं जो इन तहसीलों में आते हैं। इसलिये अकाल मंत्री जी से कहूँगा उन गांवों की लिस्ट मंगवायें जहां पर अतिवृष्टि से अकाल पड़ा हुआ है। अतिवृष्टि से जहां पुल टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत के लिए अकाल राहत फंड से व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, वहां से कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत कर आए, क्या इसी कारण उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है? वहां जनजीवन की हालत खराब है। मेरा निवेदन है कि अकालग्रस्त गांवों के अन्दर अकाल राहत कार्य खोले जायें। वहां पर लोग अकाल से प्रभावित हैं।

इसी प्रकार सूखा-संभावित क्षेत्र की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां पर बिजली जाने की कोई संभावना नहीं है, खनिज उद्योग नहीं हैं, किसी प्रकार के कुएं नहीं हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि उस क्षेत्र का सर्वे करा कर उसे प्राथमिकता दी जाए और वहां पर कार्य किए जायं।

सभापति महोदय, आज डेयरी विकास के लिये भी पैसा दिया जाता है। गाय, भैंस खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। जब गांव में डेयरी वाले ऋणों को साथ लेकर गाय, भैंस खरीदने जाते हैं तो एक हजार की गाय के दो हजार रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जो डेयरी के लिये गाय खरीदना चाहते हैं उन लोगों को सीधा ही लोन दे दिया जाए ताकि उन लोगों को दुगुना पैसा नहीं देना पड़े।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में डेयरी का दूध आता है वह बिलाड़ा से आता है। मेरा निवेदन है कि बिलाड़ा व पीपाड़ में चिलिंग सेन्टर खोलने की व्यवस्था की जाए ताकि काफी मात्रा में दूध उपलब्ध हो सके और कम खर्च में। दूध लोगों को मिल सके।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सूरजपालसिंह।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, सूखा संभावित क्षेत्र के विषय में मैंने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं, उस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सब से पहले अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जालोर जिले के अन्दर अकाल की स्थिति है, उसके सम्बन्ध में जालोर जिले के तीनों विधायकों से मिल कर बातचीत की थी। आपने आश्वासन दिया था कि मैं शीघ्र ही जालोर जिले में फेमिन डिक्लेयर कर दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि जब सरकारी पक्ष की तरफ से जवाब हो तो इस सम्बन्ध में संतोष दिलावें तो ज्यादा उचित होगा।

(श्री सूरजपालसिंह)

सभापति महोदय, सहायता विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसके अन्दर मैंने यह पढ़ा है कि इस वर्ष बाढ़ से क्षति हुए कुओं की संख्या 2500 है। इतने कुए क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें 29 लाख का नुकसान होना बताया है। इस प्रतिवेदन के पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि किसानों की समस्या को समझना इस सरकार के लिए संभव नहीं है। 2500 कुओं के निर्माण में अगर पांच हजार रुपया प्रति कुआं लागत भी लगायी जाए तो 1 करोड़ 25 लाख रुपये होता है। जहां इतने कुए क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहां भूमि का भी कटाव हुआ होगा, बरबादी हुई होगी और फसलें खराब हो गई होंगी। इन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। पिछले साल जालोर जिले में बाढ़ आई थी। पिछले साल ही नहीं 1973 में और उसके बाद भी, निरन्तर चार, पांच वर्षों से बाढ़ का प्रकोप रहता है। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, विशेष तौर से मेरे क्षेत्र में सूंपड़ी, बढ़ोती, लूणी इन सारी नदियों का प्रभाव है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से प्रतिवेदन देते रहे, आते जाते रहे और बाढ़ की जो भयंकर समस्या है, व कटाव की जो समस्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया उसके कारण मैं आपको बताऊं, चैनपुरा, टंगलिया, मड़ला, बोली, बमपुरा, कांकरी, रामपुरा, इन सारे गांवों को कम से कम 60-70 हजार बीघा जमीन बरबाद हो चुकी है। मैंने पिछले सत्र में भी उस ओर ध्यान आकर्षित किया था। मैं पुरजोर शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि आप इसकी तरफ ध्यान दें। यह क्षेत्र बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। लाखों मन गेहूं का उत्पादन वहां पर होता है। वहां भूमि के कटाव की स्थिति से खेती निरन्तर प्रभावित होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, यह क्षेत्र रेगिस्तान होता जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई ठोस प्रोग्राम बनाया जाए। डी० पी० ए० पी के तहत गांवों के अन्दर जो बांध बना था। पाटेरा, जिसके ऊपर ढाई लाख रुपया खर्च किया गया, डूंगलियां, डोम, बम्बोरा में दस लाख रुपया खर्च किया गया था, ये सारे के सारे बांध भीषण बाढ़ की वजह से टूट गये हैं। इनके पुर्ननिर्माण के लिए कोई योजना सरकार नहीं बना रही है। मैं चाहूंगा कि बाढ़ के अन्दर जिन बांधों का नुकसान हुआ उनकी मरम्मत के कार्य को डी०पी०ए०पी० के अन्तर्गत लिया जाए जिला विकास अधिकरण द्वारा भी इन बांधों के निर्माण की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए अन्यथा यह बहुत बड़ा क्षेत्र, जो पोटेंशियल क्षेत्र है, धीरे-धीरे एक रेगिस्तान के अन्दर परिवर्तित हो जाएगा। इसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें। डी०पी०ए०पी० की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। चरागाह विकास की जो योजनाएं जालोर में शुरू की गई हैं, उनका हमारे क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। आधे गांव में यह जो रखी गई है, यह जहां भी रखी गई है, वहां पर इसका विरोध हुआ है मवेशी के चरने के लिये वहां जगह नहीं है। जैसलमेर जैसी जगह में ट्यूब वैल बना कर

(श्री सूरजपाल सिंह)

वहां पर चरागाह का विकास सफल हो सकता है परन्तु हमारे यहां यह उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह !

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : सभापति जी, उस पक्ष में बैठने वाले बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिदेव जोशी ने पिछली विधान सभा में इस पक्ष में बैठ कर बहुत ही जोरदार शब्दों में यह घोषणा की थी कि हम गंगा के पानी को ऊंचा उठाकर पश्चिमी राजस्थान के उत्तर से दक्षिणी धाराओं में ले जाना चाहते हैं और हम पश्चिमी राजस्थान के विकास की कामना करते हैं। उनके इन पुरजोर शब्दों के भाषण से इस सदन के माननीय सदस्यों में और पश्चिमी राजस्थान के आम लोगों में विश्वास पैदा हुआ था।

आपके पहले कांग्रेस शासन से लोग पीड़ित रहे। दुर्भाग्य है कि पिछले 25 वर्षों तक कांग्रेस के लोगों ने नारा लगाया। उसी की पूर्ति बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने की। दरअसल में पश्चिमी राजस्थान की स्थिति इस प्रदेश को एक चुनौती है! चाहे कोई भी सरकार हो, पश्चिमी राजस्थान की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। लोगों के दुःख को समझकर निश्चित रूप से उसको दूर करने का काम किया जाये। यदि ऐसा किया जाये तो इस समस्या का समाधान करना कोई असम्भव नहीं है। सभापति जी, एक फैशन हो गया है, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने का, योजना का प्रारूप तैयार करने का और फिर बड़े जोर शोर से इस सदन में और सदन के बाहर आश्वासन देने का हम कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को इस समस्या का समाधान करना होगा। इतना लम्बा समय मिलने के बाद, मैं यह तो नहीं कहता कि समस्याओं का निश्चित समाधान हो जायेगा लेकिन हम एक ऐसी स्थिति में अवश्य पहुंच सकते थे, जिसमें कांग्रेस सरकार नहीं पहुंच सकी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Please.

श्री मूलचन्द डागा : आज की बात करो। पिछली बात क्या कर रहे हो ?

श्री गोपालसिंह : मैं जनता सरकार को यह बात कहना चाहता हूं, हमें समस्याओं के प्रति रियलिस्टिक होना चाहिये। हमारी सही एप्रोच होनी चाहिए ताकि समस्याओं का वास्तव में समाधान हो सके। समस्याओं के समाधान के लिए मैं चाहूंगा कि भले ही हमें और खर्च कम करने पड़ें मगर इस डेजर्ट एरिया की समस्या को समाप्त करना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के बारे में एक फेज प्रोग्राम बना कर उसे हमें पूरा करना चाहिए। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के अलावा मध्य राजस्थान में भी जहां सूखा और अभाव की स्थिति होती है, जिन क्षेत्रों से नदियां बहकर रेगिस्तान में जाकर सूख जाती हैं

(154)

(श्री गोपालसिंह)

उन क्षेत्रों में नदी के पानी को रोकने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। अगर इस पानी को छोटे-छोटे पैमाने पर लोकेलाइज किया जाता तो यह सरकार मध्य राजस्थान को इस समस्या से मुक्त हो सकती थी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से पानी बहकर आता है और आगे रेगिस्तान में जाकर सूख जाता है। उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं कहता कि कोई बड़ी योजनाएं लें। लेकिन इस पानी को रोका जाना चाहिए। दो-दो नदियों के किनारे पर, जैसा कि यू. पी. में हरियाणा में किया गया, बांध बनाये जाते तो सीकर, झुंझुनूं और जयपुर, अलवर, ये हरियाणा ही होते नदियों के किनारे पर ट्यूब वैल्स बनाये जाते तो यह लैण्डमार्क साबित होता। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिये, सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति को व्यापक रूप से देखा जाय। जगह-जगह पानी रोकने की योजना बनाएं। नदियों के किनारे पर ट्यूब वैल बनाकर क्षेत्र को सिंचित करने की कोशिश करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो अकाल को रोक सकेंगे। यह मेरी धारणा है।

माननीय सभापति जी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं ड्राई फार्मिंग के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं मैं इसको अनरियलिस्टिक नहीं मानता हूं। इसलिए हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस क्षेत्र को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, मैं प्राकृतिक आपदाओं से राहत के बारे में एक दो बातें कहूंगा। मैं दुविधा में पड़ा हुआ हूं। एक तरफ यह फ्लड आ रहा है दूसरी तरफ पानी के अभाव में हम अपने खेतों का उत्पादन बढ़ा नहीं पाते हैं। जहां ऐसे क्षेत्र हैं, उनकी योजना बनाकर, कार्यक्रम बनाकर, क्रियान्वित करें तो जिन क्षेत्रों में फ्लड आता है उसका भी समाधान होगा और दूसरी तरफ सिंचाई के माध्यम बढ़ेंगे।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सारे गांव डूब में आने लगते हैं, जैसे प्रीतमपुरा, खण्डेला, सिपाला ऐसे स्थान हैं, जहां बरसात में ऐसी स्थिति होती है कि फ्लड आ जाता है। करीब 12 वर्ष पहले की बात बताना चाहता हूं। खण्डेला में अचानक फ्लड आया। सारा खण्डेला डूब गया। 13 आदमियों की जानें चली गई। बड़ा आश्वासन देकर आये उन दिनों में। हम यह बनायेंगे। इरिगेशन स्कीम बनायेंगे लेकिन आज तक वह स्कीम पूरा नहीं हो पाई है। वहां के लिये योजना बनाई जानी चाहिये।

मैं, सभापतिजी, सिर्फ एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। भरतपुर की भी ऐसी ही स्थिति रही है। हरियाणा ने पानी नहीं रोका इस कारण भरतपुर के लोग तबाह हो गये हैं, हमारे जिले के लोग बरबाद हो गये हैं। मैं

Page No 155

(155)

(श्री गोपालसिंह)

आरोप नहीं लगाता हूं किन्तु कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया है। नतीजा यह है कि आज भरतपुर वाले तबाह हो गये हैं। आखिर यह हमारा देश है। यदि हम और कोई योजना नहीं बना सकते हैं तो हम हरियाणा का पानी तो ला सकते हैं। इसकी ऑथोरिटी होनी चाहिये थी।

इसलिये, सभापति महोदय, मैं इन सब बातों के साथ में मेरी बात को एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हम जो कहें उसका निश्चित रूप से क्रियान्वयन होना चाहिये, तभी मैं समझता हूं कि इन विपदाओं से हम बरी हो सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री रणजीतसिंहजी राठौड़ !

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) : सभापति महोदय, आज अकाल चर्चा का विषय बना हुआ है। यह राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है कि कहीं अतिवृष्टि है और कहीं सूखा क्षेत्र है, अनावृष्टि है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण चाहे अनावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो उससे सरकार हमेशा अपने सीमित साधन जुटा करके निपटना चाहती है। आज जिस स्थिति को हम देखते हैं वह 30 वर्ष से चली आ रही है। आश्वासन पहले की सरकार ने भी दिये लेकिन उनको पूरा नहीं कर सकी। वर्तमान सरकार भी उसको पूरा नहीं कर सकेगी, क्योंकि धन का अभाव है। पहले की सरकारों के समय में कितने ही भयंकर फेमिन पड़े हैं पश्चिमी राजस्थान में, पर हमको मरने नहीं दिया परन्तु पूरा जीने भी नहीं दिया गया। न तो हम मरे और न हम पूरे जिये, यानि न तो मवेशियों को हम पूरा बचा सके और न मवेशियों को पूरा मार सके। अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जैसलमेर के मुकाबले में दुनिया में कोई भी जिला नहीं है जो कि इतना विशाल हो। उसका एक ही कारण है कि वह हमेशा मवेशियों पर निर्भर रहते हैं, और कभी भी खेती की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान न देने का यह कारण है कि न तो वहां अच्छी वर्षा होती है और न कोई खेती होती है, लोग सिर्फ मवेशियों पर निर्भर हैं, वहां के मवेशियों की आदत विशेष होती है। दिन में तो मवेशी बैठे रहते हैं और रात को चरते हैं इसलिये वहां के आदमी भी इतने आराम तलब हैं कि दिन में तो सोये रहते हैं या अपनी गायों का दूध निकाल कर अपना भरण-पोषण करते हैं। आज कल थोड़ी बहुत खेती भी करने लगे हैं, पर उनका निर्वाह मवेशियों पर ही निर्भर रहता है और अकाल के वक्त के अन्दर आपने देखा है कि मवेशी पहले नजदीक के इलाकों में जाते हैं। पहले भरतपुर के बीड में जाते है और फिर कभी कमी हुई तो हरियाणा के अन्दर जाते है। पहले मवेशियों को वहीं लिये पड़े रहते थे, उनको मार देते थे और मवेशियों को लेकर बाहर नहीं निकलते थे। मवेशी बाहर जाते हैं तो कितने वापस आते हैं, कितने मर जाते हैं और कितनी तकलीफ सहन करते हैं, इसका कोई ज्ञान नहीं। राजस्थान सरकार वहां पर सड़कों के काम खोलती है क्योंकि वहां

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

सड़कों के काम के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है। सड़कों के काम पर आप कितने आदमियों को खपाते हैं? जिनको खपाते है वे मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको कितना पैसा मिलता है, उसका चित्रण मुझे यहां करने की जरूरत नहीं है। जो माननीय सदस्य उस इलाके के रहने वाले हैं या भरतपुर और धौलपुर के रहने वाले माननीय सदस्य किसी कमेटी के जरिये वहां गये हैं, उनको पता है कि वहां के आदमी किस प्रकार से निर्वाह करते हैं।

हमेशा पश्चिमी राजस्थान के बारे में पूर्वी राजस्थान की शिकायत रहती है। वह शिकायत ठीक है। जब पश्चिमी राजस्थान अकाल से जूझता है, तो हम अपना पैसा वहां पर खर्च करते हैं। उसकी पूर्ति पूरे राजस्थान के लोग करते हैं। क्योंकि यह सामूहिक समस्या है इसलिए पैसे का प्रबन्ध राजस्थान सरकार को करना पड़ता है। टैक्स लेते हैं तो किसी तरह से उस पैसे की भरपाई तो सब को करनी पड़ती है। इसलिए आम शिकायत रहती है। शिकायत के बावजूद हम आप लोगों पर भार बने रहे, उसका कोई समाधान नहीं निकल सका। आज भी यदि यही स्थिति रही तो हमको आपको पालना पड़ेगा, गरीब के बच्चों को पालना पड़ेगा, गरीब तबके को पालना पड़ेगा और उसका खर्चा सारे राजस्थान को वहन करना पड़ेगा। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनके साथ मेरे सुझाव उस इलाके का वाशिन्दा होने के नाते जो मेरी सूझबूझ है उसके अनुसार देना चाहता हूं।

पहले की सरकार में अकाल मंत्री थे वह पश्चिमी राजस्थान के थे। वह उस इलाके की सारी तकलीफों को जानते थे। आज जो अकाल मंत्री हैं वह भी उस इलाके के हैं जहां हमेशा अकाल पड़ता रहता है। अकाल के समय मौके पर सहायता देते हैं तो वह कारगर होती है। मौके पर सहायता नहीं हो पाती है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 15 साल में एक फाइल ऊपर आये और उस पर डिसीजन लें तो..

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आखिर में मैं ही हूं। मेरे बाद तो जवाब आयेगा, सभापति महोदय। वहां के सदस्य आज मन्त्रिमण्डल में हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जैसलमेर का इलाका है, नागौर और फलौदी का इलाका है जहां कि लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई हो सकती है उस इलाके को हमेशा के लिये अकाल से बचाया जाय। हालांकि इसमें बड़ा खर्चा होगा लेकिन इतना ही खर्च होगा जितना खर्च करने के बाद में आज भी शिकायत वही की वही है और भविष्य में भी वही रहेगी। हम चाहते हैं कि वह शिकायत न रहे और अकाल को जड़-मूल से खत्म किया जाय। इसके लिये जरूरी है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में लिफ्ट इरिगेशन से पानी लाया जाय। पहले भी यह निर्णय हुआ था और आज भी घोषणा की गई है। उसकी स्कीमें भेजी थीं और स्कीम भेजने के बाद वह स्कीम राजस्थान के अन्दर आई नहीं। पैसा खर्च हुआ नहीं और वैसे ही गंगा का पानी वहां जा रहा है। जालौर तक नर्मदा की स्कीम है। बाड़मेर को लिफ्ट इरिगेशन से सिंचित किया जा सकता है।

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

उसके बाद में जो इलाके बचें तो हमारे इलाके के अन्दर काफी भू-जल है उसका सर्वे किया जा चुका है। भू-जल का जो महकमा है उसके तहत आज दिन तक सिवाय सर्वे के कोई उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। पैसा जो खर्च हुआ है सर्वे पर उसका क्या नतीजा निकला है। उस इलाके में क्या-क्या चाहिये ? उसमें किस किस तरह के काम चाहिए ? अगर आदमी केवल सर्वे पर निर्भर रहे तो आगे आने वाले समय में जनता उसको बख्शेगी नहीं। अब आवाज गरीब की ऊपर उठती जा रही है। जब गरीब की आवाज ऊपर उठेगी तो क्रांति होगी। गरीब से आती है क्रांति। गरीब आदमी से जब क्रांति आती है तो वह कोई न कोई रंग लाती है। आपके सामने उदाहरण मौजूद है कि उधर बैठने वाले इधर आ गये हैं, वह गरीब की वजह से आये हैं। गरीब को तंग किया गया तो गरीब ने मौका आने पर हाथ बताया। यह नहीं हो कि आप यह कहते रहें कि 30 साल में कांग्रेस ने क्या किया ? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया केवल हमें जिन्दा रखा है। न मरने दिया है और न आगे बढ़ने दिया है, लेकिन आप तो कुछ दान कीजिये, आप तो आगे बढ़ाइये।

तो वह जो इलाका है वहां अन्डर ग्राउन्ड वाटर है वहां पर आप क्लस्टर ट्यूब वेल की स्कीम खोलिये। वह क्लस्टर ट्यूब वैल कितना बडा है, किस तरह से वह चलेगा। हमारे इलाके में पानी है ट्यूबवैल बनने के बाद अगर उनकी जमीन वापस नीलाम नहीं होती तो मेहरबानी की बात है। वह गरीब की स्कीम नहीं है अगर गरीब की स्कीम नहीं है तो सरकार को अपने बूते पर चलना चाहिये। एक कुएं पर 35-40 हजार से कम खर्चा नहीं होने वाला है, वह भी बिजली दें तब चलेगा बिजली जहां पर नहीं है वहां अगर क्लस्टर ट्यूब वैल लगाये जायं तो एक कदम आगे चल ही नहीं सकते। पानी राष्ट्र की सम्पत्ति है। सरकार अपने हाथ में लेकर क्लस्टर ट्यूब वैल खोले और सरकार उस स्कीम को चलाये। राजस्थान कैनाल पर जो खर्चा आता है और राजस्थान कैनाल के अन्दर जो खुदाई होती है, तो वहां का आदमी खर्चा अदा नहीं करता है पूरे राजस्थान के आदमी खर्चा अदा करते हैं। उसी प्रकार से क्लस्टर ट्यूब वैल खोदकर एक अमाउन्ट फिक्स कर दें कि इतना पैसा लगेगा तो वह स्कीम कामयाब हो सकती है। ताकि आपका डेजर्ट हरा भरा बन सके और हमेशा के लिये यह समस्या मिट सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फेमिन के अन्दर भ्रष्टाचार की बात की गई। अब पहले वाली बात तो नहीं है....

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : उतना नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, आधा मिनट में।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : पहले तो मस्टर रोल बनाने वाली पार्टी ही पेमेन्ट करती थी अब वह बात नहीं है। अब जो गरीबों के बच्चे हैं वह मजदूरी पर नहीं जावें तो खायेंगे क्या ? इसलिये उनको आप सब्सिडाइज कीजिये।

उनके बारे में एक ही निवेदन करता हूं। गांवों में आगजनी बहुत होती है,

Page No 158

(158)

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)

हमारे उधर गांव अधिकतर ढाणियों में बसे हुए है। जहां पक्के मकान नहीं हैं वहां पर आगजनी अकसर हो जाती है उनका हर्जाना देने के लिए और उनको रिलीफ देने के लिये आपके पास कोई पैसा नहीं है। मामूली सा पैसा.......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ : मैं तो अब खत्म कर ही रहा हूं।

उसके लिए दो चार हजार रुपये जिलाधीश के पास होते हैं। आप को ज्यादा पैसा रखना चाहिए जिससे आगजनी हो तो राहत दी जा सके।

श्री सभापति : मेजर श्री फतहसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री माधोसिंह जी !

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल : रिप्लाई होने दीजिये।

श्री सभापति : माननीय श्री नारायण सिंह जी।

(उपस्थित)

माननीय श्री अब्दुल हादी '

श्री अब्दुल हादी (चोहटन) : सभापति महोदय, अकाल के मुतल्लिक काफी साहबान ने........

श्री नारायणसिंह (डिग्गी) : सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था ?

श्री सभापति : पुकारा था, लेकिन मैं समझा आप बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री नारायण सिंह : मैं तो इन्तजार कर रहा हूं। बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब पहले हादी साहब बोल लें। फिर आप बोल लीजिये।

श्री अब्दुल हादी : अकाल के मुतल्लिक काफी साहबान ने अपने विचार रखे, मैं उन सबकी तफसील में नहीं जाना चाहता। सभापति महोदय, मैं बाड़मेर जिले के अकाल के बारे में कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारा बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के अन्दर अकाल का हा-हाकार मचा हुआ है, चार साल में तीन साल वहां पर अकाल होता है। इस साल बाड़मेर जिला अकाल की चपेट में आया हुआ है मगर अफसोस यह है कि वहां के अफसर साहबान ने पटवारी, एस. डी. एम. तहसीलदार ने पूरे बाड़मेर जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। खास तौर से जो मेरा इलाका चोहटन है वह बिलकुल अकाल में आया हुआ है मगर उस इलाके के चन्द गांव ही अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं, जिन गांवों के लोगों ने पटवारी, तहसीलदार को पैसा खिलाया उनको तो जरूर अकालग्रस्त घोषित किया और जिन्होंने यह नहीं किया उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। जहां पर कोई काम नहीं खोले गये। वहां के लोग बड़े परेशान हैं। काफी लोग अकाल की वजह से गुजरात चले गये, कुछ पंजाब चले गये,

मैं खास तौर से यह गुजारिश करूंगा कि वहां पर लोगों को सरकारी वसूली

[redacted]

159

(श्री अब्दुल हादी)

के लिये बड़ा तंग किया जा रहा है । जिस गरीब के पास ऊंट, घोड़ा या गधा है उसी को कुर्की के जरिये सख्ती के साथ वसूली की जा रही है, उसको तंग किया जा रहा है । मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से पुरजोर शब्दों में गुजारिश करूंगा कि आप बजाय उनको राहत देने के तंग कर रहे हैं; वसूली में जो सख्ती की जा रही है कम से कम वह नहीं की जाय ।

इतना ही अर्ज करता हूं क्योंकि टाइम की पाबन्दी निहायत जरूरी है । मैंने यही बात कही है कि बाड़मेर जिला अकाल ग्रस्त है । इसलिये जितना ज्यादा हो सके काम खुलवाये जायं और सरकारी वसूली सख्ती से न की जाय। सरकारी वसूली मेहरबानी करके बन्द कर दी जाय ।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह !

श्री नारायणसिंह (डिग्गी) : सभापति महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे टाइम दिया गया। मैं आपके माध्यम से अपने इलाके की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा इलाका काठेड़ा का इलाका है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के जो माननीय सदस्य आये उन्होंने अपने-अपने एरिया की समस्याएं आपके सामने रखीं । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां सब-सोइल वाटर है। अगर सरकार उचित प्रबन्ध करे तो ट्यूब वेल्स लगाये जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहां तो सब सोइल वाटर भी नहीं है, पानी का निशान नहीं है । हमारे बुजुर्ग बहुत काबिल थे उनको प्रेक्टिकल काम की जानकारी थी। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि इजराइल के डेजर्ट की तरह हमारा डेजर्ट हरा-भरा नहीं होता ? हमारे बुजुर्गों ने भी यह देखा कि काठेड़ा के इलाके में कैसे लोगों को रोटी-रोजी मिल सकती है। उन्होंने छोटे-छोटे तालाब बनवाये और गरीब काश्तकारों के लिए रोजी-रोटी का इन्तजाम किया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से स्वतन्त्रता भारत देश के अन्दर आई तब से लेकर के जितने भी यहां मुख्य-मंत्री बने उनके समय के अन्दर कितने ही करोड़ रुपया भारत सरकार का और हमारी राज्य सरकार का खर्च हुआ। अगर उसका लेखा-जोखा किया जाय तो आपको मालूम होगा कि जो पैसा जैसलमेर और बीकानेर के लिये दिया गया वह न मालूम कहां पर खर्च किया गया। जहां तक मेरी जानकारी है वह पैसा बांसवाड़ा और उदयपुर के इलाके में लगाया गया। वहां पर सड़कें और बंगले बनाये गये। कुछ अलवर और भरतपुर में खर्च किया गया, वहां पर डाक बंगले बनाये गये। जहां तक मेरा खयाल है शाह कमीशन में यह बात आ रही है। जो करोड़ों रुपया अकाल राहत के लिये दिया गया वह कहां गया, इसको छानबीन की जा रही है। कुछ हमारे साथी, जो राज कर चुके हैं, शायद कटघरे में खड़े होंगे। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो पैसा जिस काम के लिए आये वह उसी काम और उसी जगह पर लगाया जाय वरना कहीं आपको भी कटघरे में खड़े नहीं होना पड़ा। जिस जिले का पैसा हो उसी में खर्च किया जाय। बाड़मेर का हो तो उसमें, जैसलमेर का हो तो उसमें खर्च किया जाय, इसमें मुझे कोई रंजिश नहीं है। मगर उचित तरीके से और जिस काम के लिये हो उसी पर खर्च

(श्री नारायणसिंह)

हो, न की कोठियां बनाने के लिये और एयर कण्डीशन के लिये, न कि डाक बंगले बनाने के लिये खर्च हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस पैसे को आप उचित काम में लायें वरना जिस तरह से कमीशन आज बैठा है, ऐसे कमीशन आपके लिये भी बैठ सकते हैं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य आपने प्रारम्भ कर दिये। मेरे इलाके में नहीं खोले गये हैं। केवल कागजों में ही हैं, ये कब तक प्रारम्भ किये जायेंगे भगवान ही जाने। ऐसी बात नहीं हो कि पैसा आप खर्च नहीं कर पायें और लैप्स हो जाय। मेरा निवेदन करना यह है कि इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा जहां भी आप पैसा खर्च करना चाहते हैं उसके आर्डर अभी तक नहीं निकले हैं। ऐसा नहीं हो कि इसमें छः महीने लग जायं और पैसा लैप्स हो जाय। लोग भूखे ही रह जायेंगे तो आपको दुनिया गालियां देगी और बदनाम करेगी। मैं आपको चेता देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, डेयरी डेवलपमेंट में हमारे यहां चिलिंग प्लांट खुला है। आप बिना इत्तला दिए हुए कभी आयें। आप बिना इत्तला आयेंगे तो भी हम आपका स्वागत करेंगे, आप को इत्तला देने की जरूरत नहीं है। आप उस चिलिंग प्लांट का इन्सपैक्शन करें। वहां पर मक्खियों व मच्छरों का घर बना हुआ है। वह दूध जयपुर में बेचते हैं और जयपुर से दिल्ली भी जाता होगा। कृपया आप जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। ऐसी व्यवस्था करें कि जो मक्खियां व मच्छर या दूसरे कीटाणु डेयरी में आते हैं, वह प्लांट तक न आयें। आप खुद इन्सपैक्शन करेंगे तो आपको मालूम हो जायगा।

झगड़ा तो है कृषि का और डेयरी डवलपमेन्ट का लेकिन बीच में जो गरीब अधिकारी आए हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं; वे मारे जाते हैं। डेयरी डवलपमेंट व पंचायत के मंत्री यहां विराजमान हैं। जो अभी स्कीम निकली है उसके द्वारा जो डवलपमेंट के अंदर विकास अधिकारी बनाये गए थे, वे उच्च पदों पर चले गये थे। आपने उनको विथड्रा किया है, आपने नियम बना दिए हैं, उनके अनुसार वे उन पदों के योग्य नहीं रहेंगे तो कहां जाकर टिकेंगे? जो आर० ए० एस० केडर में चले गए हैं, 5-10 प्रतिशत पद तो उनके लिए रिजर्व रखें ताकि जो आपके नियमों के अंदर नहीं आते हैं उनका जीवन बना रहे नहीं तो वे बरबाद हो जायेंगे। इसलिए दोनों मंत्रियों से निवेदन है कि कम से कम 5 या 10 प्रतिशत रिजर्वेशन रखें ताकि जो डवलपमेंट के अंदर पंचायत विभाग में विकास अधिकारी बन चुके हैं, जो उनकी क्वालीफिकेशन्स में नहीं आते हैं, उनको खपा सकें।

टाइम हो गया है इसलिए बाकी समय मैं अपने साथी के लिए सेक्रीफाइस करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेश कुमार !

श्री माधोसिंह(रेवदर) : मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति : You have lost the chance.

श्री माधोसिंह : मुझे आशा है आप 5 मिनट देंगे ।

श्री रतन लाल वर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें । श्री सुरेश कुमार जी ।

श्री माधोसिंह : इसके बाद मुझे समय दें ।

श्री सभापति : No interruption, please.

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें से अकाल व बाढ़ राहत विभाग से मुझे सबसे कम शिकायत है । विभाग से पिछली बार बाढ़ के समय में भारी मदद दी थी । हो सकता है कुछ कमियां रह गयी हों, कुछ योजनायें अभी तक खटाई में पड़ी हों, उनके आदेश जारी न हो पाये हों, यह दूसरी बात है । मैं समझता हूं विभाग पूरी तरह से ध्यान देगा और जो योजनायें भरतपुर की पड़ी हुई हैं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा ।

इस सदन में बड़ी आवाज उठाई गई मरुस्थल के विकास की, मरु प्रदेश की लेकिन मुझे ताज्जुब है कि पिछले 30 वर्षों तक मरु प्रदेश व मरुस्थल के लोग सरकार पर काबिज रहे लेकिन फिर भी वे अपने इलाके का समाधान नहीं कर पाए । जब मैं गहराई में गया तो पता लगा कि इस मरु प्रदेश के लोगों का जो रुपया विकास के लिए गया था, वह इन्होंने अपने चुनाव के खर्चे में ले लिया और गलत तरीकों से जीपों को खरीद कर अपने चुनाव में लेकर रुपये को बरबाद किया । मुझे हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि मरुस्थल का विकास हो । जैसे जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मरुस्थल का विकास करो, मैं भी चाहता हूं । पता नहीं यह जानते हैं या जानकारी छिपाते हैं, करीब 4 महीने इनकी भेड़ों को हम पालते हैं । बाढ़ के गम मे हमारी चांद गंजी कर दी । मरुस्थल की भेड़ों ने हमारी सारी जमीन गंजी कर दी, हमारे सारे खेत चर जाती हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : सारी खाल आप ले लेते हैं ....

श्री सुरेशकुमार : इसलिए इनकी भेड़ों को हम पालते हैं ।

श्री टीकमचन्द कांत : भेड़ें खाद देती हैं ।

श्री सुरेशकुमार : समेट कर ले जाओ आप अपनी खाद ।

श्री सभापति : मैं अपने रिपोर्टर्स को यह व्यवस्था देता हूं कि यदि बीच में कोई माननीय सदस्य इन्ट्रप्शन करें या कोई अल्फाज बोलें उनको दर्ज न किया जाए । अगर दर्ज हो जाय तो कार्यवाही से एक्सपंज किया जाय ।

श्री सुरेशकुमार : हमें मरुस्थल के लोगों के साथ भाईचारा निभाना चाहिए परन्तु पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात है । हम तो उन के मरुस्थल के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन वह हमारे बाढ़ नियंत्रण के लिए आवाज नहीं उठाते । मेरे इलाके का तो जो कुछ होगा देख लिया जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका विकास जरूर हो । इस के लिए मेरा सुझाव है कि

(श्री सुरेशकुमार)

राज्य सरकार डेजर्ट डवलपमेन्ट अकादमी की स्थापना करे जिसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि डेजर्ट या रेगिस्तान को कैसे मिटाया जाए। जैसे इजराइल और अन्य देशों ने किया उसको देखने के लिए राज्य सरकार तकनीकी विशेषज्ञों को इजराइल भेजे और चाहे तो मुझे भी साथ भेज दे ताकि मैं वहां से सीखकर आऊं कि मरुस्थल को कैसे मिटाया जा सकता है।

मेरा निवेदन है कि भरतपुर की जो योजनायें हैं, अभी तक क्रियान्वित नहीं की गई है, उनको मेहरबानी करके शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयास करें ताकि जो केंद्र से रुपया आया है वह कहीं लैप्स न हो जाए और फिर मजबूर होकर इस सदन में, मैं इस विभाग से जो अच्छा नाता रख रहा हूं वह नाता तोड़कर मुझे कुछ और बात न कहनी पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मुझे केवल 5 मिनट दें।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह : दो मिनट।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह !

(अनुपस्थित)।

माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आपने जो यह रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट को मेहरबानी कर के आप हाउस में पेश मत करिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। साहब; यह मूलचन्दजी डागा पहले तो दिन में इधर उधर चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं और घर जाकर नींद लेते हैं। फिर बाद में आकर बोलते हैं....

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बिराजिये। मैंने इनका नाम बोला है वह इस वक्त सीनियोरिटी से बोला है।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा : तो सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्ट आप इस सदन में बिलकुल पेश नहीं करें। खैर, आपने यहां तो पेश कर दी तो कोई बात नहीं लेकिन अगर इस रिपोर्ट की कॉपी हिन्दुस्तान के दूसरे इलाके में चली गयी तो फिर भगवान जाने इसका क्या असर होगा ? आपने इस रिपोर्ट में पेज चार पर दिया है कि अगर किसी के मकान का नुकसान होगा तो 25 रुपये का अनुदान दिया जायगा। सभापति महोदय, मकान क्षतिग्रस्त होने पर आपका यह डिपार्टमेन्ट सिर्फ 25 रुपये का अनुदान देता है। अब आप सोचिये 25, रुपये में क्या हो सकता है ? इसमें स्पष्ट दिया है कि मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 25 रुपये क्षतिपूर्ति के लिये दिये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसी प्रकार आगे 19 पेज पर लिखा है कि पाली के लिये 30 लाख 30 हजार रुपये दोनों सालों के लिये देने का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है। यह आपकी रिपोर्ट है। इस प्रकार का काम आपके फेमिन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मैं माननीय सदस्यों, जो इधर बैठते हैं या उधर बैठते हैं, को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं पर अकाल पड़ता है तब या सदन में यह रिपोर्ट मार्च में पेश की जाती है कि यह दोनों सालों के लिये विचाराधीन है। समापति महोदय, इसी रिपोर्ट के पेज दस पर दिया है कि फेमिन में काम करने वाले को दो किलो सड़ा हुआ गेहूं भी दिया जायेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कहां लिखा हुआ है कि सड़ा हुआ दो किलो गेहूं दिया जायेगा।

श्री सभापति : No interruption, please. कृपया माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, यह गेहूं ऐसा है जो कि बरसात में भीगा हुआ होगा या लेवी के अन्दर लिया हुआ दस-बारह साल पुराना होगा। उस गेहूं को अगर बाजार में आप बेचें तो कोई एक रुपया भी नहीं देगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन क्षेत्रों में अच्छा गेहूं पहुंचाना चाहिये।

इसके साथ-साथ ही आपके जो फेमिन कोड में दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, फेमिन कोड में सिर्फ पांच चेप्टर हैं। जनता पार्टी, को सरकार और उसके सदस्यगण, जो अपने आपको काफी प्रगतिशील मानते हैं, ने फेमिन कोड की बुराई की ओर, कहा कि यह तो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है इसको बदलना होगा। पर आज तक इस कोड को बदलने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सभापति महोदय, फेमिन कोड में एक सूची दी है। उसमें सेक्शन 152 में दिया हुआ है, (a) the aged and infirm who are incapable of earning their living.

(b) the blind, crippled, insane and idiots.

(c) all persons whose attendance on the sick or an infant children at their own home is absolutely necessary."

महरबानी करके आप बतावें कि किन-किन लोगों को आपने यह दी है? आप राशि बता सकते हैं कि कितने लूले-लंगड़ों को आपने राशि देने की व्यवस्था की? कितने वृद्ध लोगों को राशि देने की व्यवस्था की? इसी तरह, सभापति महोदय आपका जो टिनेन्सी एक्ट है, उसमें रूल 127, 11 में लिखा है,

"Remission or suspension of rent in agricultural calamities.

इस मामले में हर बार आप फेमिन डिक्लेअर करते हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर

(श्री मूलचन्द डागा)

के जिलों में, जहां कि अकाल है आपने रिकवरी बन्द नहीं की। इसके हिसाब से आप दो साल तक रिकवरी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक रिकवरी बन्द कर दी तो आपकी दूसरी रिकवरीज चालू रहती हैं। कभी आपकी कोआपरेटिव की रिकवरीज चालू रहती हैं तो आप उसके साथ पंचायत समितियों की दूसरी रिकवरीज चालू रखते हैं। आप उन्हें बन्द नहीं करते हैं। फिर आपने क्या परिवर्तन किया? हमने कांग्रेस शासन के तीस सालों में ही किया और आप भी यही कर रहे हैं। तो फिर आप क्या परिवर्तन कर रहे हैं? इसका मतलब है आपने इन आठ महीनों में कुछ नहीं किया। आपकी जनता पार्टी की सरकार थोथी घोषणायें ही करती है। सभापति महोदय, जनता पार्टी के उन सदस्य की तारीफ करूंगा जिन्होंने इस सदन में यह कहा कि अगर मेरे क्षेत्र में काम नहीं किया गया तो मैं अनशन कर दूंगा। यह एक चुनौती है जनता पार्टी की सरकार के लिये। यह सिद्धान्त की बात है, सभापति महोदय! सिद्धान्त के मामले में एक माननीय सदस्य को पार्टी से ऊपर उठ कर, काम करना चाहिये। इसमें पार्टी के संकुचित दायरे से काम नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, होता यह है कि फेमिन जब होता है तब जो सरकारी अधिकारी, ओवरसीयर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, और दूसरे लोग काम करते हैं उनकी चान्दी हो जाती है। जैसे गांव में कोई भयंकर बीमारी फैलती है तो डाक्टरों की चान्दी हो जाती है उसी प्रकार फेमिन डिक्लेयर होते ही उन अधिकारियों की और कई बार फेमिन में राजनीतिज्ञों की भी चान्दी हो जाती है। तहसीलदार, ओवरसीयर, और इन्जीनियर्स लोग फेमिन के अन्दर लाखों रुपये इधर-उधर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राजनीतिज्ञ लोग भी अपना इसमें भविष्य बना लेते हैं। यह फेमिन जो है वह सरकारी अधिकारियों के लिये एक बून है। इसमें कई बार ठेकेदार लोग भी अपना घर बनाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार परिवर्तन करना चाहती है और आप इस तरह की रिपोर्ट देते हैं तो फिर आपकी क्या तो समग्र क्रान्ति है और क्या आपकी जनता पार्टी की नीतियां हैं। सन् 78 में आप की इस प्रकार की रिपोर्ट आती है यह एक आपके लिये बहुत ही शर्म की बात है। जिस प्रकार आप हम भ्रष्ट कांग्रेस जनों की आलोचना करते हैं, कांग्रेस जनों की आप आलोचना करते है यह आपका गलत तरीका है।

श्री नारायणसिंह : सभापति महोदय, ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो भ्रष्ट कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है वह कहीं एक्सपन्ज नहीं हो जाय। यह व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस वालों पर लगाये जाते हैं तो उनकी आलोचना करना ही आपका काम है। आप झूठी

(श्री मूलचन्द डागा)

झूठो आलोचना ही करते हैं व आपसे काम होता है नहीं। थोथी घोषणायें ही करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपने जो यह रिपोर्ट दी है, मेहरबानी करके आप यह न दें तो अच्छा है। यह क्या आपकी प्रगति है? यह तो आपकी माई-माई छालिया वाली बात है। अपने-अपने एरिया में तो स्वीकृति दी और बाकी को नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरणसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित)

श्री उगमराज मेहता !

एक माननीय सदस्य : नहीं बोलेंगे। अब रिप्लाई शुरू करा दें।

(व्यवधान)

श्री नूरा : सभापति महोदय, आज यहां पर सदन में अंग्रेजों को लोग बुरा कहते हैं, अंग्रेज चले भी गये लेकिन, सभापति महोदय; अभी तक अंग्रेजों का भूत हमारे ऊपर से उतरा नहीं है। वह भूत अभी तक हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यह भूत जो अंग्रेजों का है वह न केवल राजस्थान में ही बल्कि हमारे देश के सिर पर अच्छी तरह से सवार है।

हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद भी भारत के रोजी-रोटी की बात तो दूर रही पीने का पानी भी हम लोग हमेशा नहीं दे के। पीने का पानी भी नहीं दे सकी वह सरकार गई, उसकी बात छोड़ करके दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि अब अगर यह हालत रही, फेमिन में यह हालत रही, इसकी ताजा मिसाल है कि अकालग्रस्त हुए काफी समय हो गया है लेकिन जनता पार्टी के राज में भी सरकार फेमिन रिलीफ वर्क्स के लिये इन्तजार करा रही है। सरकार कहती है कि रोजगारी की व्यवस्था हो रही है, काम सेंक्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़े से टेस्ट वर्क होकर; वह बात ठंडी हो गई। अकाल समाप्त हो जाता तो पूंजीपतियों और पैसे वालों का धन बढ़ना समाप्त हो जाता। पूंजीवादी सरकार कायम होती है, तो वह पैसे वालों को पनपाने के लिये अकाल को खत्म नहीं करेगी। अकाल खतम नहीं होगा तब तक पैसे वाले लोग महंगाई बढ़ायेंगे। हर चीज की महंगाई बढ़ा कर जो राहत के नाम पर पैसा मिलेगा उसको भी उठा कर ले जावेंगे लेकिन गरीब को न पहिनने को कपड़ा मिलेगा और न खाने को अन्न मिलेगा। जाने वाली सरकार ने अकाल खतम नहीं किया तो उसको रवाना कर दिया। दूसरी आने वाली आपकी सरकार का भी वही हाल होगा। आप राज कर रहे हैं, उसको गरीब नजदीक से देख रहे हैं कि हमें राहत मिलेगी या हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। पहाड़ से पानी बह कर जाता है, जिस जगह से वह पानी बह कर जाता है वहां पर उसको न बांधने से अकाल पड़ता है और लोग पानी के लिये उस इलाके में तरसते हैं। क्या हम उस पानी को रोक कर लोगों को नहीं दे

(श्री नूरा)

सकते हैं ? पहाड़ से आने वाले पानी को रोक कर जनता को दे नहीं सके वह सरकार ज्यादा टिक नहीं सकती।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी आयगी....

श्री नूरा : थोड़े दिन के मेहमान हो आप।

माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं सोवियत संघ की ओर। साइबेरिया के इलाके में सोवियत संघ ने लिफ्ट से पानी पहुँचा कर पहाड़ को हरा-भरा करके दिखाया है। मैं कह सकता हूं कि जो पूंजीवादी शासक है वे अपने हाथ पांव को बचाते हैं। यह साम्यवादी ही कर सकते हैं। मुझे दिखता नहीं है कि आप अकाल को समाप्त कर सकेंगे। आप तो लोटरी खुली ऊपर से आ गये। न कोई आपकी योजना है न कोई दिशा है। खुली हुई लोटरी की भांति है। कब तक राज चलायेंगे इस तरह से ? आपका राज अधिक नहीं चलने वाला है। आप मुझे कहें उसके बजाय आप अपनी जिम्मेदारी निभाकर राजस्थान के उन इलाकों को राहत देने के स्थाई कार्य करें जो अकाल से पीड़ित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं। अकाल राहत मन्त्रीजी से बात करने का मौका मिला। 75 पर्सेन्ट नुकसान जिसका हुआ उसको एक क्विन्टल अनाज देंगे तो एक साल कैसे निकालेगा ? आगे बारिश होगी या नहीं, कोई भरोसा नहीं। इस अकाल को समाप्त करने के लिए एक ही काम को हाथ में ले लेंगे एक कागज लिखने वाला एक ही लिखे तो वह पूरा हो जाय, ढेर सारे लिखते हैं तो पूरे नहीं होते। अकाल की समस्या राजस्थान में बनी हुई है, उससे सबको मुक्ति दिलायें।

अजमेर जिला ऐसा इलाका है कि जहां से लोग बाहर जाते हैं। फेमिन रिलीफ के काम खुलने का इन्तजार करते हुए रह गये। कोई रामगंज मन्डी गया, कोई कोटा गया। वे भी ढेर सारे परिवार को एक साथ नहीं निभा सकेंगे। राहत देने के लिये कोई स्थायी हल निकालें स्थायी योजना बनायें ताकि अकाल से पिंड छूटे।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजयसिंह !

श्री हरिसिंह यादव : सभापति महोदय, अलवर जिले में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यगण को सूचित करना चाहूंगा कि मैं अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना उचित नहीं समझता कि किसी को टाइम दूं और किसी को न दूं। पूरी लिस्ट बोलना चाहूंगा। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें और न बोलना चाहें न बोलें।

माननीय श्री शिवचरणसिंह, माननीय श्री जयनारायण सालोदिया, माननीय उगमराज मेहता, माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद, माननीय श्री गंगाराम चौधरी, माननीय श्री कल्याणसिंह, माननीय श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं कुछ बोलूंगा नहीं लेकिन एक निवेदन करूंगा।

(श्री माणकलाल ठाकोर)

माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय नोट कर लें कि बून्दी क्षेत्र में नैनवा में ओले पड़े थे। अकाल पड़ा हुआ है उसकी रिपोर्ट मंगा कर आप राहत कार्य करायें।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपाल पचेरवाल, माननीय श्री हीरा लाल आर्य, माननीय श्री काशीनाथजी गुप्ता माननीय श्री नाथूरामजी, माननीय श्री भैरवलालजी माननीय श्री जगदीशसिंहजी, माननीय श्री गम्भीरलालजी, माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया, माननीय श्री कुन्जीलालजी, माननीय श्री बत्तीलालजी, माननीय श्री प्रबला रामजी, माननीय श्री चुन्नीलालजी, माननीय श्री हरिसिंहजी यादव।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री का ध्यान 30 साल के कांग्रेस सरकार ने जो बस्ते बांध रखे हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन बड़े बड़े बस्तों को हटा दें। उनके अन्दर जो भ्रष्टाचार, जो कुनबा परस्ती, जो बुराइयां जो अव्यवहारिक कार्य पिछले शासन ने बांध कर रखे हैं उनकी जांच करायें! अकाल के समय जब इन्सान अकाल की चपेट में है तो उनको अकाल से छुटकारा दिलायें। जब आवश्यकता थी अकाल राहत की तब कांग्रेस शासन की दी हुई देन के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप कार्य नहीं किया। इस तरीके को बदला जाय। राजस्थान में अकाल को रोकने के लिये कारगर काम करने के लिये और राजस्थान को प्राकृतिक विपदाओं और अकाल से बचाने लिये कदम बढ़ायेंगे और कुछ निश्चित योजना काम में लायेंगे इसी कामना के साथ अलवर जिले के उस क्षेत्र की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ जहां पिछले दिनों बरसात में साबी नदी की बाढ़ ने फसल उजाड़ दी। इस वर्ष ओला वृष्टि अलवर जिले में उसी इलाके में हुई जहां बाढ़ आयी थी। वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। कलेक्टर की रिपोर्ट में उन्होंने अलवर जिले को राहत कार्य के लिये, उस इलाके को रोजी रोटी मुहैय्या करने के लिये 1 करोड़ की तजवीज की है। मैं इस बात के लिये राजस्थान सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, फ्लड के टाइम में जो अलवर जिले में काम हाथ में लिये गये वे काफी हद तक पूरे हुए हैं। वे एक लम्बे समय तक वहां के समाज के लिये लाभदायक होंगे।

मान्यवर एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि हमारे जिले का पानी भरतपुर जिले में जाता है और भरतपुर जिला हर बार पानी में डूबता है। इसलिए अलवर से जो पानी भरतपुर में जा रहा है उसको बांधने की योजना, उसको रोकने की योजना इस प्राकृतिक विपदा विभाग के जरिये करनी चाहिए। मिट्टी का बारा है वहां उसको रोका जाना चाहिए और भरतपुर को भी अभाव के समय में पानी दे देना चाहिए।

इसी प्रकार साबी नदी के ऊपर जो तटों को बांधने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है वह मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। साबी नदी में काफी जल जाता है जिससे हरियाणा राजस्थान और दिल्ली तबाह होता है। उसको उपयुक्त स्थान पर बांध

(श्री हरिसिंह यादव)

कर उस पानी का सदुपयोग राजस्थान के सिंचाई क्षेत्रों के लिए होना चाहिए ।

इसी के साथ निवेदन है कि अलवर जिले में जहां-जहां भी भारी नुकसान हुआ है वहां किसानों का लगान माफ होना चाहिए और राहत कार्य अविलम्ब शुरू करने चाहिए ।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल !

(अनुपस्थित)

श्री हनवंतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री हरि कृष्ण !

(अनुपस्थित)

श्री सुखलाल !

(अनुपस्थित)

श्री मनीराम !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद जहूर !

(अनुपस्थित)

श्री लाल शंकर !

(अनुपस्थित)

श्री जीयिग !

(अनुपस्थित)

श्री अय्यूबखां !

(अनुपस्थित)

माननीय प्रभारी मंत्री जी ।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत 66 कट मोशन्स माननीय सदस्यों ने दिये । अधिकतर जो कट मोशन्स दिये गये वह या तो स्थाई हल के सम्बन्ध में थे या मन्थर गति से प्रोग्राम चल रहा है उसके सम्बन्ध में थे। कुछ जिलों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में और कुछ जिलों की उपेक्षा कर दी गयी इस सम्बन्ध में थे ।

सभापति महोदय, जहां तक डी.पी.ए.पी. के प्रोग्राम का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव दिये हैं और जो कमजोरियां या जिस प्रकार की कमियां रही हैं उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं ।

डी. पी.ए.पी. प्रोग्राम के लिए यह कहा गया कि यह प्रोग्राम ठीक चल नहीं रहे हैं और इनके अन्दर कमियां हैं । इसके साथ साथ कटमोशन के जरिये माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में भी इस बात का उल्लेख किया कि हमारे जिले या हमारी तहसीलों को नहीं जोड़ा गया तो यह इस बात का सबूत है कि डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम वाकई में ठीक है अन्यथा यह अपने जिले या तहसील को जोड़े जाने की बात नहीं कहते ।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ यह कहा गया है कि डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत सिर्फ 10 जिले और 3 तहसील उदयपुर जिले की, एक तहसील अजमेर जिले की और दो तहसील झुन्झनू जिले की ली गयी हैं । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम इस वर्ष का बनाया हुआ नहीं है । यह प्रोग्राम 1973 का था । उस समय की सरकार आपकी सरकार थी । किन कारणों से इन

(श्री दिग्विजयसिंह)

10 जिलों को या उदयपुर जिले की 3 तहसीलों, अजमेर जिले की एक तहसील और झुन्झुनूं जिले कि दो तहसीलों को ही रखा गया इसके लिये आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने बाकी और 16 जिलों को किसी न किसी स्कीम में शामिल कर दिया है। डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम है जिसके अन्तर्गत हमने 3 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया है। एस.एफ.डी. सेन्टर से जो हमें मिल रही है उसके अन्तर्गत 6 जिलों को और एस. एफ.डी. स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से दी जायगी उसमें 7 जिलों को शामिल किया है। इस तरह से समस्त 26 जिले किसी न किसी स्कीम के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये हैं।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि डी०पी०ए०पी-प्रोग्राम के अन्तर्गत जो मुख्य कार्यक्रम हैं, वह है कृषि, भूजल तथा लघु सिंचाई योजना भेड़ व चरागह विकास, वन विकास, विद्युतीकरण और मार्गों का सुधार इत्यादि। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है उसके अन्तर्गत सभापति महोदय, जो कुछ खास कार्यक्रम हैं वह है प्रिपेरेशन आफ वाटर शेड्स। काश्तकारों के जो खेत हैं उनके ऊपर किस तरह से नालियां बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, वह उसको समझाया जाता है। उसको सब्सिडी बैंक की तरफ से दी जाती है यह सब्सिडी 15से20 परसेन्ट तक वेरी करती है यह स्माल फार्मर्स को दी जाती है स्माल फार्मर वह हैं जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है और मार्जिनल फार्मर एक हैक्टेयर वाले को माना जायेगा उसके अलावा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट सूखा सम्भावित एरिया में मार्जिनल फार्मर्स 0 से 1 हैक्टेयर और स्माल फार्मर 5 से 10 हैक्टेयर का है। इसी प्रकार से डी.पी.ए.पी के डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर की एक तहसील ब्यावर और उदयपुर और झुन्झुनूं में स्माल फार्मर 1,5 से लेकर 2 हैक्टेयर का है और और मार्जिनल फार्मर्स 0 से1,5 हेक्टयर तक का है इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत ड्राई लैण्ड फार्मिंग के सम्बन्ध में भी समझाया जाता है उसके अन्तर्गत एक पाइलेट प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है जो कि पंचायत समिति मेड़ता डेगाना, नागौर, डिस्ट्रिक्ट और पाली, रायपुर में चल रहा है।

इसी के साथ, माननीय सभापति जी, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की सराहना की कि जो चूरू के अन्दर कुंड का प्रोजैक्ट चल रहा है वह काफी लाभदायक सिद्ध रहा है। उसके अन्तर्गत हम फार्मर को 3 हजार सब्सिडी देते हैं और बैंक से 6 हजार रुपये का लोन उनको मुहय्या कराया जाता है। इस प्रकार से 9 हजार की लागत से एक कुंड बन कर तैयार होता है। इस कुंड का लाभ, सभापति महोदय, काश्तकार पशुओं को मीठा पानी पिलाने में ले सकता है। उसके साथ ही साथ कृषि में भी काम में ले सकता है। इसके अन्तर्गत जो टार्गेट्स हैं वह जो गत वर्ष था हजार कुंड बनाने का था उसमें से हम 522 बना चुके हैं। तो हजार की स्कीम हमारे पास चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिये बनी हुई है जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपया ए० आर० सी० से प्राप्त होगा।

(श्री दिग्विजयसिंह)

इसी के साथ साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट्री का भी प्रोग्राम इसके अन्तर्गत चलता है। इसके अन्तर्गत उन जगहों को लिया गया है जहां टीबे खेतों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और खेतों का नुकसान हो रहा है। तो उस जगह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से फोरेस्ट्री का कार्यक्रम लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि ग्रास लगानी है या क्या करना है।

इसके साथ-साथ जो कैनाल एरिया है, उसमें इस वर्ष के जो टार्गेट्स थे वह टार्गेट्स हमने अचीव कर लिये हैं। अगले वर्ष के टार्गेट्स इस प्रकार हैं:—

मिक्स्ड प्लान्टेशन 3000 हैक्टेयर के अन्दर।

सेंड ड्यून स्टेबलाइजेशन 3000 हैक्टेयर के अन्दर।

रोड साइड प्लान्टेशन 3000 हैक्टेयर के अन्दर।

फोडर बैंक 3000 हैक्टेयर के अन्दर।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि डी०पी०ए०पी० का जो प्रोग्राम है, निश्चित रूप से अकाल क्षेत्र में काम कर के उसको चैक करना है। उसके अन्तर्गत यह प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी के अन्तर्गत कैटल का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कैटल का प्रोग्राम इस इलाके के लिये लाभदायक है और अच्छा भी चल रहा है। एक दो जगह पाइंट आउट किया है जितना दूध वहां पर कलेक्ट हुआ है उसमें क्या करना चाहिये। मैं इसके सम्बन्ध में जानकारी कर लूंगा या माननीय सदस्य से इस बात को पर्सनली पूछूंगा, क्या बात है क्यों कलेक्शन कम हो रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, कम कलेक्शन का कारण रोड्स का न होना है। केन्द्रीय सरकार से रोड्स के लिए 4.87 करोड़ देने के लिये निवेदन किया है जिससे 561 किलोमीटर रोड बन सकेगी। सभापति महोदय, अभी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई इस प्रकार का संकेत नहीं मिला है कि स्वीकार कर देवेंगी या नहीं···

एक माननीय सदस्य : कर दी जायेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसी संभावना है कि केन्द्रीय सरकार पुनर्विचार कर रही है, हो सकता है न मिले, रोड्स के लिये अलग से कहना पड़े।

इसके साथ-साथ कलेक्शन हमारा इस डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम के अन्दर 1.21 लाख डेली है। को-आपरेटिव सोसाइटीज गठित की गई हैं। 540 कोआपरेटिव सोसाइटीज इस वक्त कार्य कर रही हैं।

इसके साथ-साथ आर्टीफीशियल इन्सेमिनेशन का प्रोग्राम है, उसका लाभ भी कृषकों को मिल सकेगा। जैसे कि सबसे मुख्य बात जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई, जैसलमेर का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्य रूप से सारे क्षेत्र में जालोर, बाड़मेर, पोकरण, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है उसके अन्दर वैसे पानी की कोई कमी नहीं है। अन्दर ग्राउन्ड वाटर काफी है

(श्री दिग्विजयसिंह)

दिक्कत जो खास सामने आई, जहां तक मैं समझ पाया हूं बिजली की व्यवस्था न होने के कारण पानी को कैसे बाहर निकाला जाये, उसकी अड़चन थी। डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर जालोर, सिरोही, बीकानेर, बांसवाड़ा इन जिलों को डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत लिया गया है। वहां पावर का कार्यक्रम चलाया गया है जिसके अन्तर्गत 37 करोड़ रुपये कास्ट पावर की आयेगी। इस वक्त लाइनें बिछाई गई हैं जोधपुर से पोकरण, जालोर से बालोतरा, सिरोही से जालोर, जालोर से मुकतसर, सिरोही से भीनमाल, रतनगढ़ से बीकानेर, झामनगढ़ से बांसवाड़ा सागवाड़ा से बांसवाड़ा। सभापति महोदय, यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं इस पावर लाइन के जाने के बाद वहां पर जितनी वाटर की पोटेंसियलिटी है, उसका सही उपयोग कर सकूंगा। इसलिये डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम के अन्तर्गत जो वहां लाइनें खोली गईं उसके फलस्वरूप जो पानी बेकार पड़ा हुआ था उसका वहां का काश्तकार उपयोग कर सकेगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ कुछ एक मुद्दे शीप और पास्चर के सम्बन्ध में रखे गये हैं। उसके बारे में चर्चा उठाई गई है। उसके अन्तर्गत कार्यक्रम चलते हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 100 हैक्टेयर का एक ब्लाक निर्धारित किया है जिसके अन्तर्गत क्रास-ब्रीड और उस तरह के पशु लाये जायेंगे, सोसाइटीज बना कर उनको बाहर से लाने दिया जायेगा। कई जगहों पर इस बात के लिए गांव वालों में सोसाइटी बनाने में झगड़े हुए। जैसा कि सारस्वत साहब ने बताया कि कैटल को इग्नोर करके शीप ब्रीड फार्म बनाना उपयुक्त नहीं होगा। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह सब जगह की स्थिति है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी फरमा रहे थे। मनोहर सिंह मेहता फरमा रहे थे 100 एकड़ में पास्चर बनाते हैं तो मैं समझता हूं सब को लाभ होगा। उनको ऊन; मटन और फैट की कीमत अच्छी मिल सकेगी।

इसके अन्तर्गत जो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं वह, सभापति महोदय, लघु सिंचाई का है। इस माइनर इरिगेशन के अन्तर्गत इस समय कुल हमारे कार्यक्रम थे वे 109 थे फोर्थ प्लान के एण्ड तक और 56 नये काम फिफ्थ प्लान के एण्ड तक थे, आउट आफ विच 31 काम 77-78 के लिए स्वीकृत हुए इसके अलावा 214 इरिगेशन वर्क्स सिक्स्थ प्लान के लिए हमने तैयार करके भेजे हैं। इन सबके कम्पलीट होने के बाद 32000 हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी और 9062 हैक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी मीडियम वर्क्स के अन्तर्गत जो खर्चा सब योजनाओं में आयेगा वह 6.94 करोड़ का आयेगा, मीडियम वर्क्स पर 4 करोड़ आयेगा। वर्क्स जो हमारे कम्पलीट हो गये हैं, वह 107 कम्पलीट कर दिये हैं और बाकी इस वर्ष तक कम्पलीट कर दिये जायेंगे।

इसके साथ-साथ एक सूचना माननीय सदस्य, जो भीम से आते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं। उनका जो प्रोजेक्ट है मायला का, उसकी योजना भारत सरकार से स्वीकृत होकर आ गई है। उसका कार्य शीघ्र चालू हो जायेगा सभापति महोदय,

(श्री दिग्विजयसिंह)

इसके अलावा भी कई फैसेलिटीज हैं, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सही भी है, स्माल-फार्मर्स डवलपमेंट एजेन्सी जैसलमेर के लिए वैसी को वैसी रहती है तो गलत है। उसके लिये भारत सरकार को कह सकते हैं। वहां जैसलमेर में स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजेन्सी है, उसमें स्माल फार्मर्स को 5 से 10 हैक्टेयर्स में रखा है और मार्जिनल एण्ड अदर को 0 से 5 हैक्टेयर में। इस प्रकार जैसलमेर के अन्दर स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजेन्सी में लिया गया है। चूरू, बीकानेर और बाड़मेर इन तीन जिलों में एक डी० डी० पी० योजना रखी गई है जिसके अन्तर्गत 3.45 करोड़ का खर्चा आयेगा, 82 विलेजेज लाभान्वित हो सकेंगे और 50 हजार की जनसंख्या को लाभ होगा।

मैं अब आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तगर्त 11 डिस्ट्रिक्ट्स सम्मिलित किये गये हैं। जैसा मैंने अर्ज किया उन 11 डिस्ट्रिक्ट्स के लिये 78-79 के लिये 11 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं, और डी० पी० ए० पी में 12 करोड़, 77-78 में 4.5 करोड़ वे इस वर्ष हमारे पास हैं। वह रकम भी इसी में सम्मिलित की जावेगी। जो 11 जिले हैं वे इस प्रकार हैं, जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चुरू, झुन्झुनू, सीकर, नागौर इन जिलों के अन्दर उसको खर्च किया जायगा।

अन्त में, मैं निवेदन करूंगा जिन माननीय सदस्यों ने कोई स्पेसिफिक कट मोशन के जरिये किसी बात के लिये संकेत दिया है तो यहां अभी सब का उत्तर देना तो सम्भव नहीं है लेकिन मैं उन सबका उत्तर माननीय सदस्यों के पास भिजवा दूंगा ताकि उनको उत्तर प्राप्त हो जाय और तसल्ली हो जाय। अन्त में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मांग को पारित किया जाय।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मन्त्री) : माननीय सभापति जी, आज माननीय सदस्यगण ने जो कटौती प्रस्ताव राहत कार्यों के सम्बन्ध में रखे हैं उनमें काफी वजनदार सुझाव आये हैं। मैं समझता हूं जो आपके सामने तथ्य प्रकट कर रहा हूँ और जो नीति है राज्य सरकार की राहत कार्य करने के लिये उससे काफी प्रभाव पड़ेगा। माननीय सदस्यगण ने जो सुझाव दिये हैं और जो अहसान प्रकट किया हैं उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। उनसे मुझे काफी बल मिलेगा।

कट मोशन के माध्यम से जो प्रस्ताव आये हैं उनको देखते हुए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। अभाव स्थिति की घोषणा करने में गड़बड़ियां हुई, तथा लगान को स्थगित करने में गड़बड़ियां हुई। ओला वृष्टि के बारे में सुझाव आये हैं, कुछ व्यवस्था ठीक न होने के कारण गड़बड़ियां हुई। इन सब के बारे में माननीय सदस्यगण के सुझाव-आये है और कुछ सुझाव कार्यों को किस प्रकार किया जाय, और किस प्रकार नहीं किया जाय, पुख्ता काम किया जाय या और किस प्रकार के कार्य किये जायं-इस प्रकार के सुझाव योजनाओं

(श्री जयनारायण पूनिया)

को लागू करने के लिये तथा समस्या का स्थायी हल करने के लिये दिये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह माना गया है कि वर्षा के अभाव में 2, 2½, 3 साल में अकाल होता है। ऐसी स्थिति में हमारा इलाका काफी पिछड़ा हुआ रह जाता है और हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती है। इन हालात को देखते हुये राजस्थान में जो कुछ कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभाव की स्थिति घोषित करने के लिये एक माप दन्ड निर्धारित किया गया है। उसके लिये जिला स्तर पर कमेटियों का निर्माण किया गया है, उस कमेटी में माननीय सदस्यों को भी बुलाया जाता है, जन प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है। उस कमेटी में अभाव की स्थिति पर काफी विचार किया जाता है। गांवों में गिरदावरी हुई है या नहीं हुई है, या पटवारी ने कोई गलती की है, इनका वहां पर अवलोकन किया गया है और कौनसा कार्य लिया जाय और कौनसा कार्य नहीं लिया जाय, उन कमेटियों के माध्यम से जो प्रस्ताव आये हैं, वे राहत विभाग में पहुंचाये गये हैं ....

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय मंत्री जी, सब जिलों में तो इस प्रकार की कमेटियां नहीं हैं, जैसा आप फर्मा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मंत्री महोदय को शान्तिपूर्वक सुने। बीच में व्यवधान न करें।

श्री रतनलाल वर्मा : बिलकुल झूठी बात है, कोई कमेटी नहीं है।

श्री सभापति : जो बातें हैं, आप उनसे मिलकर कह सकते हैं।

श्री जयनारायण पूनिया : सभापति जी, हो सकता है....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : मंत्री महोदय ने कहा हर जिले में कमेटियां हैं और वे तय करेंगी अभाव की स्थिति को। इस तरह की कोई कमेटी नहीं है जन प्रतिनिधियों की ....

श्री सभापति : मैं समझता हूं मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर देंगे। जहां कमेटी नहीं है, बना दी जायगी।

श्री जयनारायण पूनिया : जो जिले अभावग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं, वहां पर अभावग्रस्त कमेटी काम नहीं कर रही हो, लेकिन बनाई गई थी ....

श्री ईश्वरचन्द्र : जो अभावग्रस्त घोषित हो गया वहां क्या होगा ? उस कमेटी का मतलब ही नहीं है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य गण, इस तरह मंत्री महोदय, के बयान में व्यवधान करना ठीक नहीं है। इस तरह बयान का सीलसिला मन्कता हो जायेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है जहां फेमिन एरिया नहीं था, वहां कमेटी नहीं बनी है। अब जो फेमिन एरिया घोषित हुआ है, मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट कर देंगे कि उस एरिया में अब कमेटी बना दी जाय।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण पूनिया : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह जाहिर किया है कि इस प्रकार की कमेटी नहीं है। जहां इस प्रकार की कमेटी नहीं है, मैं देखूंगा किस कारण भूल रही है....

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, कमेटी का निर्णय तो हो चुका है लेकिन यह हो सकता है कि किसी जिलाधीश ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई हो। उसको चैक-अप करने के आदेश और जारी करवा दिये जायेंगे कि वहां के विधायकों को बुलाकर इस विषय पर मंत्रणा कर लें और कमेटी का काम शुरू कर दें।

श्री जयनारायण पूनिया : सभापति महोदय, अभावग्रस्त घोषित करने के लिये जो गिरदावरी की जाती है, उसके आधार पर और जो काश्त की जाती है, उसको देखते हुये इस प्रकार के आंकड़े बनाये गये थे कि अलग-अलग इलाकों में फसलों की स्थिति क्या है ? जो गिरदावरी जिस इलाके में होती है उसके लिए गांव के आदमियों के साथ में जाते हैं, गिरदावर मौके पर जाता है, एस० डी ओ० जाता है। गिरदावरी के अन्दर भी इस प्रकार की चैकिंग होती है और सबको मालूम हो जाता है कि गिरदावरी हो रही है। यह भी तय किया जाता है कि इस गांव में इतना खराबा हुआ है। खेत पर ही इस बात का विरोध न हो जाता है लेकिन किसी अधिकारी ने गलती कर दी हो, आंकड़े ठीक न बनाये हों और जिलाधीश ने रिपोर्ट नहीं बनाई हो, इस प्रकार के आंकड़े जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं, लेकिन इस प्रकार के केसेज बहुत कम मिलेंगे। जहां फसल में आठ आना खराबा है, उसको अभावग्रस्त घोषित किया जाता है। आठ आने से नीचे फसल में खराबा है उसको अभावग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। इस प्रकार के जो आंकड़े हैं 19 जिलों में वे उपलब्ध हुए हैं, 12 हजार 240 अभावग्रस्त क्षेत्र आये है उनका अभावग्रस्त घोषित किया है। इन गांवों में कौनसा काम शुरू करवाया जाय यह सब जिला स्तरीय कमेटी के सामने लावें। वहां के जिलाधीश व जो अन्य अधिकारी हैं उन्होंने लिखकर जन-प्रतिनिधियों को बुलाया है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह हो सकता है किसी जिले में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यगण से फिर प्रार्थना करता हूं कृपया मंत्री महोदय के वक्तव्य को शान्तिपूर्वक सुने। कोई इन्ट्रप्शन न करें और आपस में बात भी न करें।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, जो काम हमारा है, वह ये कर रहे हैं।

श्री जयनारायण पूनिया : सभापति महोदय, जो जिलाधीश से प्रस्तावित होकर कार्य आए हैं उन कार्यों की तरफ मैं मान-

(श्री जयनारायण पूनिया)

नीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अधूरे कार्य थे, उनको प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है। उन अधूरे कार्यों को किस प्रकार पूरा किया जाए, उसके लिये मार्च के महीने में 1 तारीख को मीटिंग हुई थी। यह तय किया गया है कि जो कार्य किये जावें वे पुख्ता किये जाएं। उसके लिए जो जिला कार्यालयों से प्रस्ताव आए थे; उन प्रस्तावों को मद्दे नजर रखते हुए, जिनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, उनका सर्वे कराया और क्या लागत होगी, यह भी पूछा गया। कितना काम हो सकता है, यह ध्यान में रख कर रिपोर्ट मांगी गई। जांच करने में विभाग को कुछ समय लगा। कुछ कार्यों के प्रस्ताव आए थे उनको स्वीकृत कर दिया गया है परन्तु अभी उन पर वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं हुई है। कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी उनकी स्वीकृति हो जाएगी। प्रत्येक जिले के अनुसार जो कार्य होंगे, उनकी लिस्ट माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनको भी दे सकता हूं। इस लिस्ट के अनुसार प्रत्येक जिले में कार्य किये जाएंगे और जो प्रभावित गांव हैं, वहां पर ये योजनाएं ली जायेंगी। उस क्षेत्र के अन्दर, गांव के अन्दर जो प्रभावग्रस्त जनता है, उसको अधिक से अधिक जनता को राहत कार्यों पर लगाया जाएगा और ये कार्य गांव के नजदीक ही रखे जाएंगे जिससे कि उन लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और रोजगार मिल सके।

जिला लेवल के ऊपर जो कार्य लिए गए हैं, वह वहां की स्थानीय स्थिति को देखते हुए सही प्रकार से जांच करने के लिए लिये गए हैं जिससे राहत कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन न हो। जो राहत कार्य दूर पड़ते हैं उनको नहीं खोला गया है। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।

सदन में फेमिन कोड के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, यह भी बताया है कि जो घोषणा प्रभावग्रस्त गांवों की जाती है, वह करने में काफी देरी होती है, इस प्रक्रिया के कारण समय पर घोषणा नहीं हो पाती है। इससे जो इलाके प्रभावग्रस्त हैं, वे रह जाते हैं। इसलिए इस कोड में सुधार किया जाय ताकि समय पर राहत कार्यों को चालू किया जा सके, राहत कार्य खोले जा सकें। इसके लिए माननीय सदस्यों का सुझाव है, मैं उसको ठीक समझते हुए यह स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं इस मामले को, कोड में संशोधन करने के मामले को मंत्रि-मंडल में रखूंगा कि किस प्रकार से इसमें संशोधन किया जाए।

माननीय सदस्यों ने यहां पर यह बात भी कही है कि किसानों से लगान की वसूली हो रही है। प्रभावग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर लोगों से जबरन वसूलियां की जा रही हैं। उनकी कुर्कियां की जा रही हैं। ये सारे जितने भी लगान हैं, कर्जे की वसूलियां हैं, इनको स्थगित करना चाहिए था, यह माननीय सदस्यों की भावना थी। यह भी कहा गया कि फेमिन कोड के मुताबिक यह होना चाहिए था। मैं सदन का इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राहत कार्य खोलने के लिए, मजदूरी दिलाने के लिए वह जरूरी है जो आदमी है, जो मनुष्य है जो वहां की जनता है, जिनको राहत की जरूरत है अभावग्रस्त इलाके के अन्दर उनके लगान की

(श्री जयनारायण पूनिया)

वसूली स्थगित करना जरूरी है। परन्तु यह सारे इलाके के अन्दर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही काश्तकार किसी प्रकार का पेमेन्ट न कर सकते हों। जो पेमेन्ट करने की स्थिति में हो सकते हैं, उनके लिए कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है। यह ही स्थगन करने का मकसद था। जो हार्ड केसेज हैं, उनके लिए सख्त रुख नहीं अपनाया गया है। किसी प्रकार से कुर्की नहीं लगाई जाएगी। किसी प्रकार से वसूली में सख्त कार्यवाही या दबाव का तरीका नहीं अपनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि जो देने की स्थिति में हैं, वे तो देंगे ही। जो लोग समृद्ध हैं और दे सकते हैं, अगर वे देते हैं तो इसमें माननीय सदस्यों को एतराज नहीं होना चाहिए। जो वसूलियां पम्पिंग सैट, कुए के लिए लोन से संबन्धित हैं, वे वसूलियां की जाएंगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह पीरियड रिकवरी का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपने जो बात बतायी है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अकाल घोषित करने के बाद क्या रिकवरी ?

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्यों ने यह विचार सदन में प्रकट किए हैं कि आज परिस्थितियां कितनी भयंकर हैं। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल पड़ता है। इस बार यह जो अकाल पड़ा है यह अतिवृष्टि के कारण हैं। वहां पर इतनी इन्टेन्सिटी नहीं है कि चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जरूरत पड़े, चारे के लिए झुंझुनूं जिले से और पानी के लिए बाड़मेर जिले के प्रस्ताव आए थे। बाकी जिलों से किसी प्रकार के पानी और चारे के लिए प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं। वहां पर इतनी इन्टेन्सिटी नहीं है। झूंझुनूं जिले के लिए चारे का प्रबन्ध कर दिया गया है। वहां पर 25 हजार क्विंटल चारे की जरूरत थी वहां भेज दिया गया है। उसकी कीमत 40-50 रुपये क्विंटल के हिसाब से अदा की जायेगी और वसूली किसानों से 18/– रुपये क्विन्टल की दर से होगी यानी हम इसमें किसानों को 6-50 रुपये फी क्विन्टल पर सब्सिडी दे रहे हैं।

पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी बाड़मेर में जरूरत है। वहां पर इसकी व्यवस्था कर दी गई है। कुछ टैंकर्स वहां पर भेजे हुए हैं। पानी की सप्लाई हो रही है। 60-70 गांवों की रिपोर्ट है। इन गांवों को टैंकर्स से पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। कलेक्टर को 20,000 रुपये की अग्रिम राशि दे दी गई है पानी की व्यवस्था करने के लिए ......

श्री मूलचन्द डागा : इससे क्या होगा ?

श्री जयनारायण पूनिया : यह तो इमर्जेन्सी के लिए है। पानी की व्यवस्था के लिए बाकी मांग की जा सकती है और वह दी जाएगी।

माननीय सदस्यों का एक जनरल विषय राहत कार्यों में दी जाने वाली मजदूरी के सम्बन्ध में था। मजदूरी के बाबत में जो भी विवेचन किया गया है, उसके लिए मैं आपको यह अर्ज करना चाहूंगा कि

(श्री जयनारायण पूनिया)

फेमिन कोड और मिनिमम वेजेज एक्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है। फेमिन कोड लोगों को राहत देने के लिए है। जिनको राहत दी जानी जरूरी है, उसके लिए उस क्षेत्र में मजदूरी जुटाने का उसमें प्रावधान है। अपना राजस्थान पिछड़ा हुआ है। पिछड़े हुए इलाके में काफी बेरोजगार हैं। इसलिए रोजगार की माकूल व्यवस्था के पहले अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य खोल कर उनको मजदूरी देना जरूरी होता है ताकि लोग संकट के अपने दिन बिता सकें। इसलिए इन क्षेत्रों में मजदूरी मिनिमम वेजेज एक्ट के मुताबिक नहीं दी जा सकती है। राहत कार्यों की मजदूरी और इसमें काफी फर्क है फेमिन इफेक्टेड लोगों को संकट से उबारने के लिए फेमिन कोड के अनुसार मजदूरी दी जाती है। उन पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। यह एक्ट तो पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अच्छी खुराक देकर उनसे अच्छा काम लो। वरना भिखमंगे बन जाएंगे........

श्री सभापति : आप कृपया बीच में न बोलें।

श्री जयनारायण पूनिया : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों का यह कहना था कि इन कार्यों पर जो मजदूरी दी जाती है, वह काफी कम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मजदूरी उनको मजदूरी के हिसाब से नहीं दी जाती है। पहले तो जो काम करने वाले होते हैं वे कोई अनस्किल्ड मजदूर नहीं होते। वे काश्तकार होते हैं। उनसे लेबर की तरह कार्य नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसमें यह मंशा होती है कि उन से कम काम करवाया जाए। जो काम लेबर को करना होता है, उसके तहत विचार करके यह तय किया गया है। बीस पर्सेन्ट कम काम लिया जाए। याने लेबर के मुकाबले राहत कार्य में मजदूर को 80 पर्सेन्ट ही काम करना पड़ेगा और सभी को तीन रुपये मजदूरी के दिए जाएंगे चाहे वह बच्चा हो, औरत हो या मर्द हो। पहले डिफरेन्ट मजदूरी की दरें थी वह बदल कर प्रत्येक के लिए 3/– रुपये के हिसाब से कर दी गयी हैं। इस प्रकार पिछली रेट के मुताबिक इसमें बढ़ोतरी की गई है। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह प्रश्न पहले भी यहां पर आया था। इस प्रकार से मजदूरी तीन रुपये कर दी गई है और इसमें एक प्राविजन यह और कर दिया गया है कि प्रति व्यक्ति को दो किलो अनाज और एक रुपया केश में दिया जाएगा। वैसे एक किलो अनाज की दर 1.36 रुपये है। इस सुविधा के मुताबिक काफी मदद की गई है। काफी बढ़ोतरी की गई है यह प्रत्येक मजदूर को मिलेगा। इसके कारण किसान अच्छी तरह से रह सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। यहां पर यह पाबन्द किया गया था इतने काम पर इतनी रेट से देंगे, उसको मद्दे नजर रखते हुए, यह सोच समझ कर कार्य-वाही की गई थी। इसलिए माननीय सदस्यों को यह भी सोचना हो सकता है कि एक स्कीम के लेने के बाद दूसरी स्कीम के आदमी हैं वह काम करना पसन्द करेंगे। तो उन मजदूरों की जो मदद की जा सकती है वह

(श्री जयनारायण पूनिया)

यही है कि वह वहां आ सकते हैं, उनको नया काम दिया जा सकता है। वह आदमी दूसरा काम कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यह मजदूरी की व्यवस्था की गई है।

ओलावृष्टि के बाबत अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले से सूचना के लिए आदेश दे दिये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में तुरन्त विशेष गिरदावरी कराने के आदेश दिये गये हैं। 75% या इससे अधिक नुकसान के क्षेत्रों में जिलाधीशों को तुरन्त परीक्षण राहत कार्य आरम्भ करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। जैसी की सूचना 12-13 जिलों से आई है, मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आफिसर जो जिलों में लिस्ट बना रहे हैं, उनको वह जाकर देख लें और उन्हें अपने सुझाव दें जिससे कि किसी प्रकार की शिकायत नहीं आये। जो परिवार अभावग्रस्त हो रहे हैं या जिनकी फसल 100% नष्ट हो गई है ऐसे परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए हम 1 क्विटल अनाज दे रहे हैं। जिलाधीशों को इस प्रकार के आदेश दे रहे हैं कि उनको तुरन्त राहत दे दी जाय। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद और व्यवस्था की जाएगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वहां पर आप उनको लोन दिलाने की व्यवस्था कीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रूल्स में ऐसा प्राविजन नहीं है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय को बोलने दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह प्राविजन है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लाकर दिखा दूंगा। ये सारी गलत रूलिंग हो रही है।

श्री नवनीत पालीवाल : भाषण के बीच में हस्तक्षेप होता है।

श्री सभापति : रिप्लाई के वक्त At the proper reply of the Minister?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर बहुत से लोगों की ऐसी प्राब्लम है तो उनके लिए लोन की व्यवस्था कराई जा सकती है, मैं निवेदन करूंगा, लोग पागल हो गये हैं। उनका सब कुछ खतम हो गया है।

श्री नूरा : आप उनको इतना पैसा दे दें कि वह 6 महीने या तीन महीने का अनाज खरीद सकें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, इस सदन में ऐसी परम्परा रही है, मन्त्री महोदय जब जवाब देते हैं तो उनसे प्रश्न किये जा सकते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, माननीय मन्त्री महोदय के रिप्लाई के वक्त दखलन्दाजी नहीं करें।

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सभापतिजी, जो राहत कार्य लिये जा रहे हैं, वह सारे शुरू करवाये जा रहे हैं। उसके बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो पुराने कार्य लिये गये हैं वह इसलिए लिये गये हैं कि पहले वह कार्य अधूरे रह गये थे। उनको पूरा करने के लिए वह लिये गये हैं। जहां ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्र हैं जिनमें पहले का काम अधूरा नहीं था, उनके अन्दर नये कार्य लिये गये हैं। अधूरे कार्यों को जहां तक पूरा कराना है, उनके

(श्री जयनारायण पूनिया)

लिए यह बता दिया गया है कि लेबर कम्पोनेण्ट 40% और मैटीरियल कम्पोनेन्ट 60% हो, इस प्रकार यह मैटीरियल कम्पोनेण्ट होने से भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। जो मिसयूज होता था, वह नहीं होगा। शिकायत नहीं आयेगी और यह सुविधा भी रहेगी। इससे कार्य भी अच्छे होंगे जो आदमियों को राहत देने के लिए होंगे। इसमें मजदूर भी लगेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए लगाया है कि वह सारा पुख्ता काम होगा। कोई ऐसा बोगस काम नहीं होगा। गलत मस्टर रोल भरे गये और पहले गलत काम हुए। ऐसा काम नहीं होगा जो दिखाई नहीं दें। ऐसी सड़क नहीं बनेगी जो आंधी में उड़ जाय या वर्षा में बह जाय। इससे एक बात यह भी होगी कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अकाल राहत के कार्य में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं, उन शिकायतों पर कार्यवाही की गई। हर प्रकार से लोगों ने भ्रष्टाचार से काफी पैसा कमाया था। इस प्रकार के इन्सटान्स जब मिल जाते हैं तो उनको कण्डम करने के मोटिव से यह है। उनका रास्ता बन्द होगा। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुईं, उनमें से कुछ के केस अदालत में चल रहे हैं। उन्हें मैं अभी पूरी तौर से देख नहीं पाया हूं। लेकिन अगर कोई शिकायत होगी तो उसके बारे में कदम उठाया जायगा। जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाये गये हैं, उनके लिए आदेश दे दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि ये काम होते हैं वहां जन-प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को भी मौजूद होना चाहिए जिससे काम करने वाले लोग हैं, वह भी समय पर काम करें। इस बारे में ऐसा किया गया है कि उनकी जो भी शिकायतें होंगी, उन पर ध्यान दिया जायगा। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काफी कदम उठाये गये हैं उसकी वजह से राहत मिलेगी। उनमें जो ऐसे दूसरे आदमी हैं, उनका रास्ता भी बन्द होगा। वैसे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : खतम करें, अब।

श्री जयनारायण पूनिया : ऐसी योजनाएं ली जायें जिससे अकाल की स्थिति में भी लोगों की आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़े। इन योजनाओं के बनाने में धनराशि उपलब्ध कराने का प्रश्न है, क्योंकि अकेले राज्य सरकार के बलबूते पर काम नहीं हो सकता। इसलिए स्थायी कार्यों के लिए थोड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के सामने यह मामला रखा है और 7वें वित्त आयोग के सामने भी रखा है। पिछले सालों में जो परिस्थिति रही है जो कमजोरी बढ़ी है, उसको संभाल नहीं पाते हैं। उनके ऊपर विचार करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : वित्त आयोग ने आपको क्या कहा है ?

श्री जयनारायण पूनिया : मैंने निवेदन किया, कुछ माननीय सदस्यों ने राय प्रकट की है, किस इलाके में क्या करवाना है। मैं निवेदन करूंगा जो काम जिला स्तर पर किये जायें उनका माननीय सदस्य ध्यान रखें। उनकी दृष्टि में और काम किया जाना आवश्यक है तो उस पर विचार किया जायगा। जहां तक पूर्ण राहत देने का प्रश्न

(श्री जयनारायण पूनिया)

है, हर प्रकार की मदद दी जा रही है। उनके अनुसार काफी राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति वंचित नहीं रहे, सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात बता दीजिये कि सिक्स्थ और सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने आपने क्या-क्या सुझाव रखे हैं ? यह बता दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, राज्य सरकार की पालिसी थी कि हर सूबे में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। अकाल के मामले में क्या हुआ ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : ओलावृष्टि की बहुत शिकायतें आई हैं। इसके लिए डेपूटेशन भी आये हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।

श्री नूरा : ओलावृष्टि के बारे में बहुत सी दरख्वास्तें दी गई हैं और प्रार्थना भी की गई हैं, किन्तु सहायता नहीं पहुंची है। अभी मुख्य मन्त्रीजी भी मौजूद हैं, इस बात को खुलासा करें कि कब तक यह सहायता पहुंच जायगी।

श्री अब्दुल अजीज : जो अकाल पीड़ित क्षेत्र हैं वहां पर अधिकारी रिकवरी ऑफ-लोन्स के बारे में किसको मालदार मानें और किसको गरीब मानें ? यह एम्बीगुअस आदेश है आपका, यह नहीं होना चाहिए।

श्री ताराचन्द : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया 3 रु० प्रतिदिन बच्चे, औरत या मर्द को दिया जायगा और बीस पर्सेन्ट कम मजदूरी देकर 80 पर्सेन्ट काम किया जायेगा। इससे तो मजदूरों की रेट गिर जायगी। जो लोग जमीदारों के यहां काम करते हैं, उनकी रेट अच्छी है वह भी घटकर 3 रु० हो जायगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय का रिप्लाई हो चुका है। इस तरह से तो इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी कि फिजिकल काम करने के लिए 3 रु० दिये जा रहे हैं क्या वह पर्याप्त है ? मैं समझती हूं कि यदि यह पर्याप्त है तो विधायकों को भी तीन रु० रोज मिलना चाहिए। जो लोग दिन भर अपने सिर पर मिट्टी ढोयें केवल 3 रु० उनको मजदूरी मिलती है, यह तो कल्याण-कारी योजना नहीं कही....

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं समझता हूं कि इसका अन्त नहीं है। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं। सदन के माननीय नेता बोलना चाहते हैं, आप कृपया उनको सुने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने यह कहा कि विधायकों को 3 /– रुपये देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों की मांग है कि मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार 5/– रुपये मिलने चाहिए। मैं माननीय विधायक से निवेदन करूंगा कि वे जरूर 3 रु० की जगह 5/– रुपये लेकर उदाहरण प्रस्तुत करें।

माननीय श्योपतसिंहजी ने ओला-वृष्टि के बारे में कहा, यह बात सही है, यह एक विकट समस्या भी है। इसके लिए क्या किया जाय, बैंकों से कर्ज लेने की योजना

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

बनाई जाय, इसके बारे में जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेंगे और जो कुछ हो सकता है किया जायगा दिक्कत यह है कि आलरेडी जो बकाया है वह जब तक क्लियर नहीं हो तब तक बैंक कर्जा नहीं देता है। फिर भी कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे उनको तत्काल राहत मिल सके।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रिकवरी के लिए भी जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां सभी के लिए।

माननीय सदस्य डागा जी ने मांग की कि फाइनेन्स कमीशन के सामने किस प्रकार की मांग की गई है और डी. पी. ए. पी. में और डेजर्ट प्रोग्राम के अन्दर किस प्रकार से रिप्रेजेन्टेशन किया है। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि हमने वित्त कमीशन को कहा है कि इसको नेशनल केलेमिटी मानकर नेशनल केलेमिटी फण्ड बनाया जाय जिसमें स्टेट गवर्नमेन्ट और भारत सरकार का कन्ट्रीब्यूशन हो। मैं इस समय तो कुछ निश्चित नहीं कह सकता कि उनका क्या रिएक्शन है। यह तो उसकी रिपोर्ट आने से ही मालूम होगा। साथ ही हमने यह मांग की है कि राजस्थान का डवलपमेन्ट करना है और कुछ पैसा बचाना है तो नेचरल केलेमेटीज के कारण अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्डीचर करना पड़ेगा, उसकी भारत सरकार को हण्ड्रेड पर्सेन्ट जिम्मेदारी लेनी चाहिये। जहां तक डी. पी. ए. पी. और डेजर्ट प्रोग्राम का सम्बन्ध है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर दो प्रोग्राम नहीं लिये जा रहे हैं, ड्रिन्किंग वाटर और मिल्क सेन्टर्स तक पहुंचने के लिए मार्गों का निर्माण। इसके लिए भी कोशिश की जा रही है और कुछ स्कीम्स मन्जूर भी हुई हैं। कुछ वित्त कमीशन के सामने रखी गई हैं, हमने यह कहा है कि डी. पी. ए पी. और डेजर्ट प्रोग्राम के अन्दर पीने के पानी और मिल्क के प्रोगाम को भी शामिल किया जाय जिससे लोगों को पानी मिल सके और हम बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पायें। इन सारे प्रश्नों के ऊपर विचार चल रहा है। वित्त कमीशन की रिपोर्ट में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, ऐसी आशा करनी चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय,

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है, मुझे सुनिये। कृपया मुझे सुनिये।

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12 करोड़ रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाला व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 10,33,74000 रु० तक राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

श्री मूलचन्द डागा : कम है, और ज्यादा होना चाहिए।

श्री सभापति : मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 23 मार्च, 1978 प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-49 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 23 मार्च 1978 के म. पू. 10.00 तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 437 की सूची)

सूची

झुन्झुनू जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेडों के अध्यापकों के निम्नलिखित पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं:—

		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	द्वितीय वेतन श्रृंखला	600	598	2
2.	तृतीय वेतन श्रृंखला	1801	1799	2
		2401	2397	4

(183)

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

चयनित वेतन श्रृंखला

1. श्री छोगालाल कंवारिया (अनु०जाति) (दिनांक 5-2-77 से सेवा निवृत्त)	आज्ञा सं० प० 1 (11) कार्मिक/क-5/75 दिनांक 13-3-75	
2. श्री शंकरलाल ढोलीवाल (अनु०जाति)	,,	,,
3. श्री प्रभातीलाल मीना (अनु० जन-जाति)	,,	,,

वरिष्ठ वेतन श्रृंखला

1. श्री भंवरलाल वर्मा, (अनु० जाति)		,,	,,
2. श्री गोपाल दास	,,	,,	,,
3. श्री भोमाराम	,,	,,	,,
4. श्री रोशनलाल	,,	,,	,,
5. श्री थानसिंह	,,	,,	,,
6, श्री रामचन्द्र जेफ	,,	,,	,,
7. श्री रतनलाल बैरवा	,,	,,	,,
8. श्री कुरडा राम मीना (अनु० जन-जाति)		,,	,,
9. श्री डालूराम मीना	,,	,,	,,

———

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 439 की सूची)

वर्ष 1970-71 से राजस्थान में जिलेवार व वर्षवार हरिजनों को गृह निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान की सूची

क्र०सं०	नाम जिला	वर्षवार हरिजन परिवारों की संख्या जिनको गृह निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया				
		1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	योग
1.	जयपुर	43	16	1	7	67
2.	सीकर, झुन्झुनू	27	48	–	45	120
3.	भरतपुर	51	16	–	30	97
4.	टोंक/बून्दी	62	6	4	3	75
5.	कोटा	25	22	27	–	74
6.	नागौर	3	14	–	13	30
7.	अजमेर	5	17	–	1	23
8.	बांसवाड़ा	6	1	–	54	61
9.	पाली	5	–	2	19	26
10.	अलवर	1	–	1	–	4
11.	चित्तौड़	3	19	–	11	33
12.	जोधपुर	15	3	–	33	51
13.	गंगानगर	13	8	–	–	21
14.	बाड़मेर/जैसलमेर	4	1	–	32	37
15.	सवाई माधोपुर	4	10	–	8	22
16.	उदयपुर	4	7	–	–	11
17.	डूंगरपुर	–	19	–	–	19
18.	बीकानेर	–	13	6	–	19
19.	भीलवाड़ा	–	10	–	–	10
20.	सिरोही	–	23	–	14	37

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

नगर परिषद्, अजमेर की प्रति व्यक्ति औसतन चुंगी

440. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर नगर परिषद् की (दिसम्बर, 1977 में) एक व्यक्ति पर औसतन कितनी चुंगी लगती है और इस प्रकार जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा आदि बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति कितनी चुंगी लगती है ?

उत्तर

नगर परिषद् अजमेर की प्रति माह (दिसम्बर 1977) एक व्यक्ति पर औसतन 2-04 चुंगी से आय है जब कि जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर व भीलवाड़ा की क्रमशः 2-64, 4-13, 3-52, 3-21 व 2-91 चुंगी से प्रति व्यक्ति प्रति माह (दिसम्बर 1977) आय है ।

चिकित्सा अधिकारी, नागौर द्वारा जिले का दौरा

441. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला चिकित्सा अधिकारी नागौर ने जिले का दौरा किया है यदि हां, तो 1 जनवरी, 1977 से लेकर अब तक कहां कहां का दौरा किया और उसमें क्या-क्या कार्य किया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त दौरों में कितना-कितना खर्च राज्य सरकार द्वारा किया गया ?

(3) उक्त दौरों में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी उनके साथ रहे और उन पर कितना-कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां 1 जनवरी, 1977 से 1-3-78 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा नागौर जिले का दौरा किया व कार्य किया गया का विवरण संलग्न है ।

(2) रुपये 5804-40 खर्च किया गया ।

[redacted]

(186)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(3) जो अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त दौरों में उनके साथ रहे का विवरण निम्न प्रकार है एवं उन पर हुआ खर्चा उनके सम्मुख अंकित है:—

(क)	डॉ० डी०डी० पुरोहित	65-00
(ख)	डॉ० एस० डी० चौधरी	110-00
(ग)	श्री नन्दलाल बोहरा डॉ० के० एन० दवे डॉ० एच. एल. नागपाल श्री मोहरदीन श्री आसाराम	80-00
(घ)	श्री सुमेरसिंह (मेल नर्स)	85-00
(ङ)	श्री रामेश्वरलाल (व. लि.)	8-50
(च)	श्री रामरतन (क. लि.)	76-50
	योग	445-50

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुनास जलप्रदाय योजना का कार्य

442. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुनास जलप्रदाय योजना कितने वर्षों में पूरी की जा सकेगी इससे प्रति वर्ष कितने-कितने गाँवों को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा ? इस योजनान्तर्गत स्वीकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) तहसील डेगानान्तर्गत ग्राम चारनावास व जावा, जिनका पानी लोगों को कुबड़ा कर देता है, को कोतलसर जल प्रदाय योजना से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

(3) गोरेडी–करना गांव को अभी तक भी पानी उपलब्ध नहीं है जो कि डेगाना जंक्शन का ही एक अंश है और जहां जल प्रदाय योजना कार्यरत है ? क्या राज्य सरकार इस अंश को अविलम्ब पानी उपलब्ध कराना उचित मानती है ? अगर हां, तो कब तक पानी उपलब्ध हो सकेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) ग्राम डेगाना पंचायत समिति डेगाना जलप्रदाय योजना से ग्रामवासियों को कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायगा ?

(जन-स्वास्थ्य मन्त्री)

उत्तर

(1) पुनास जल प्रदाय योजना वर्ष 75-76 में 8.77 लाख रु० की धन राशि की लागत की स्वीकृत की गई थी। इसमें 7 ग्राम सम्मिलित है। वर्ष 77-78 में इस योजना के ग्राम पुनास, कारा सोड़ा को जल उपलब्ध कराया गया है। तीन और ग्रामों को इस वर्ष के अन्त तक जल उपलब्ध करा दिया जायेगा। शेष दो ग्रामों को 78-79 वर्ष में जल वितरण करने की सम्भावना है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नागौर जिले की आयोजना समिति के वर्ष 77-78 के लिए प्राथमिकता सहित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक ग्राम चारणवास एवं जावा, जिनका कि पानी पीने योग्य नहीं है, को कीतलसर जलप्रदाय योजना से जोड़ने का प्रश्न है, नागौर जिला आयोजना समिति के अंतिम प्रस्ताव मय प्राथमिकता के प्राप्त होने पर ही इन गांवों को कीतलसर जलप्रदाय योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में जांच कर विचार किया जा सकेगा।

(3) डेगाना जंक्शन (गोरेडी चाचा) की जलप्रदाय योजना चालू है लेकिन इस योजना के ग्राम गोरेडी करना को पानी नहीं दिया जा रहा है। यह गांव एक पृथक राजस्व ग्राम है अतः इस गांव के जंक्शन का अंश होने का प्रश्न नहीं है। जहां तक इस ग्राम को जल उपलब्ध कराने के औचित्य को स्वीकार करने का प्रश्न है, आयोजना समिति की प्राथमिकताएं प्राप्त होने पर जांच करके ही सरकार कुछ कहने की स्थिति में होगी।

(4) जिला आयोजना समिति, नागौर से 77-78 के लिए प्रस्ताव प्राथमिकता सहित प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम	तहसील	स्वीकृति वर्ष	लागत (लाखों में)	सम्मिलित ग्राम	जन संख्या
1.	क्षेत्रीय जल योजना पूनास	डेगाना	1975-76	8.77	1. पुनास	529
					2. खारीयाकलान	579
					3. खारीया खुर्द	112
					4. चालीवास	311
					5. पुनास विश्नोई	286
					6. बच्चावास	248
					7. कारासोडा	249
					योग....	2314

सोम-कागदर परियोजना का कार्य

443. श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सोम-कागदर परियोजना खण्ड का मुख्य कार्यालय उदयपुर में बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हाँ। सोम-कागदर परियोजना के अधिशासी अभियन्ता मात्र का कार्यालय ही उदयपुर में स्थित है। सहायक अभियन्ताओं का जो परियोजना का कार्य करवा रहे हैं; मुख्यालय रिखबदेव एवं डेम साइट पर ही है।

अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय भी रिखबदेव या खेरवाड़ा किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। फिलहाल अधिशासी अभियन्ता कार्यालय ही उदयपुर में निम्न कारणों से रखा हुआ है।

(1) परियोजना की दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों एवं कार्य की प्रगति से जिला अधिकारियों, अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य अधिकारियों को अवगत कराते रहने के लिए,

(2) जयपुर एवं अन्य सम्बन्धित स्थानों से वांछित सम्पर्क सुविधापूर्वक बनाए रखने के लिए।

(3) आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कार्यालय उदयपुर में स्थित रहना अत्यन्त आवश्यक समझा गया है। उपरोक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त 25 कर्मचारियों के स्टाफ के लिए रहने-सहने की सुविधा रिखबदेव अथवा डेम साइट पर अत्यन्त दुर्लभ है एवं उचित कार्यालय भवन, जिसमें 7-8 कमरे हों, का मिलना भी उक्त स्थानों पर सम्भव नहीं है। सहायक अभियन्ताओं, जिनका मुख्यालय साइट पर रखा गया है, को भी निवास एवं कार्यालय स्थान सम्बन्धी अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु कार्य की प्रगति व प्रबन्ध को दृष्टिगत करते हुए इन्हें रिखबदेव या डेम साइट पर ही रखा गया है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति का मापदण्ड तथा कांस्टेबल का वेतनमान

444. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस विभाग में उप-महानिरीक्षकों के कितने स्थान हैं और उप-महानिरीक्षकों के वर्तमान में कितने स्थान रिक्त हैं ? क्या राज्य सरकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

(2) राज्य में पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तरक्की देने का क्या माप दण्ड है ? सन् 1977-78 में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की गई ?

(3) राज्य में कांस्टेबल का वेतनमान क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिस के सिपाही को दीगर कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में पुलिस के सिपाही के वेतन में वृद्धि करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में पुलिस उप-महानिरीक्षकों के कुल 10 पद हैं। इन पदों में दो पद रिक्त हैं जो उप-महानिरीक्षक आर. ए. सी; मुख्यालय जोधपुर व उप-महानिरीक्षक, कोटा रेन्ज के पद हैं। इनमें से उप-महानिरीक्षक कोटा रेन्ज के पद पर श्री जी. पी. पिलानिया का पदस्थापन कर दिया गया है। भारत सरकार से परावर्तन पर वे इसी माह के अन्त तक लौटेंगे व कार्यभार संभाल लेंगे। उप-महानिरीक्षक आर. ए. सी. के पद की पूर्ति में समय संभावित है।

(2) पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तरक्की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही दी जाती है जिसका आधार वरिष्ठता व योग्यता है। वर्ष 1977-78 में कुल 15 अधिकारियों एवं 685 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है।

(3) राजस्थान राज्य में कान्स्टेबल का वेतनमान 250-4-270-6-300-8-340-10-360 है। पद के लिये योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही यह वेतनमान निर्धारित है व कम नहीं है।

जोधपुर--जैसलमेर–132 के. वी. की लाइन

446. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर से तिवटी देधू पोकरण होती हुई 132 के. वी. की लाइन जैसलमेर पहुंच चुकी है ? यदि हां, तो इस लाइन को चालू कब किया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि देधू पर इस बड़ी लाइन को स्टेप डाउन कर इसी वर्ष वहां सब-स्टेशन बनाया था ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है और अब कब तक यह कार्य पूरा कर दिया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि देधू से 11 के. वी. की लाइन डी. पी ए. पी. प्रोग्राम के तहत रखने की धन राशि मण्डल कार्यालय में जमा हो चुकी है मगर लाइन खोलने का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब इस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

लाइन को खींचने का कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा ?

(4) क्या तहसील का मुख्यालय होने के नाते शेरगढ़ ग्राम का भी विद्युतीकरण इस वर्ष किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस देचू सब-स्टेशन से फलौदी शहर व नमक के कुओं को भी विद्युत दी जायगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जैसलमेर तक 132 के. वी. लाइन की योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यद्यपि जोधपुर से तिवरी-देचु होती हुई पोकरण तक 132 के. वी. लाइन की योजना पर कार्य चालू है। पोकरण तक की 132 के. वी. लाइन अगले वर्ष के अन्त तक 132 के. वी. पर चालू होने की आशा है।

(2) जी हां, अक्टूबर, 1978 तक देचु ग्रिड स्टेशन चालू होने की सम्भावना है।

(3) जी हां, योजना के अनुसार 33 के. वी. लाइनों और सब स्टेशनों का कार्य पहले किया गया है। 11 के. वी लाइनों का सामान एकत्र किया जा रहा है। शेरगढ़ पंचायत समिति के ग्राम देचू, असरलाई, बुरकिया कालां, खियासरिया, चोरडिया, जेठानिया तथा फलौदी पंचायत समिति के ग्राम पीलवा, दयाकोड, कुशलावा, कोलू राठोरा एव बामन ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम (डी. पी. ए. पी.) की विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हैं।

(4) हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा शेरगढ़ पंचायत समिति के लिये स्वीकृत हुई योजना में शेरगढ़ का विद्युतीकरण सम्मिलित है ? योजना पर कार्य वर्ष 1978-79 में आरम्भ होगा।

(5) अक्टूबर 78 में देचू पर 132/33 के. वी. सब-स्टेशन के चालू होने पर फलौदी शहर को विजली इस सब-स्टेशन से मिलने लगेगी। नमक के कुओं के विद्युतीकरण की अभी कोई योजना नहीं है।

रावतभाटा में आर. ए. सी. की बटालियन

447. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के स्थान पर आर. ए. सी. की बटालियन रखना आवश्यक है ? यदि नहीं; तो रावतभाटा में आर. ए. सी. की बटालियन किन कारणों से रखी गई है ?

(श्री एच. एन. शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं पर सेन्ट्रल सिक्योरिटी फोर्स रहती है? अगर हां, तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार को रावतभाटा में सी. एस. एफ. रखने की सिफारिश कर आर. ए. सी. की बटालियन हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) व्यवस्थापक, राजस्थान अणु शक्ति परियोजना, रावत भाटा की मांग राज्य सरकार को प्रस्तुत होने पर आर. ए. सी. की एक टुकड़ी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अणु शक्ति परियोजना के सर्वे पर लगा रखी है।

(2) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धौलपुर के लाइसेन्स होल्डरों से रिनुअल फीस की वसूली

448. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह नवम्बर व दिसम्बर, 1977 व जनवरी, 1978 में धौलपुर के एक्टिंग ए. डी. एम. ने बन्दूक के लाइसेन्स होल्डर से रिनुअल्स के समय हर लाइसेन्स होल्डर से 100, 200, 50, 25 रुपये वगैरह रसीद के वसूल किये हैं? अगर हां, तो किसके आदेश से व क्यों और फीस की रसीद क्यों नहीं दी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि यह रकम जबरन वसूल की गई? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस मामले की फौरन जांच करायेगी व दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(i) धौलपुर के कार्यवाहक अतिरिक्त जिलाधीश ने रुपया 27030 का चन्दा 1202 व्यक्तियों से प्रदेश में तूफान से पीड़ित लोगों के लिये एकत्रित किया और पर्याप्त मात्रा में रसीदें उपलब्ध न होने से सम्मिलित रसीदें काटीं।

(2) राज्य सरकार इन आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से करवा रही है।

जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पर पदोन्नति

449. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आर. पी. एस. सी. में सी. ए. एस. से जूनियर Specialist के Promotion के लिए Postgraduation के बाद 5 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है?

(श्री कौशल किशोर जैन)

(2) क्या इस पदोन्नति के लिए विभागीय स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएशन के पश्चात् किसी प्रकार का कार्य अनुभव आवश्यक है ?

(3) यदि नहीं, तो सरकार इस विसंगति को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

(4) क्या केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का कार्य अनुभव ही पदोन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है ?

उत्तर

(1) सीधी नियुक्ति आर. पी. एस. सी. के द्वारा किए जाने के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के आधार पर 5 वर्ष का कार्यानुभव पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद जरूरी है।

(2) जी हां। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के अनुसार पदोन्नति से नियुक्ति हेतु पोस्ट ग्रेजुएशन पास किये जाने के पश्चात् 3 वर्ष का उस विषय का कार्यानुभव अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता एवं 8 वर्षों का सी.ए.एस. के पद का कार्यानुभव आवश्यक है।

(3) नियमानुसार इसमें कोई विसंगति नहीं है, अतः दूर किए जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी नहीं। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाता है।

झालावाड़–भवानी मण्डी रोड पर चलने वाली बसें

450. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ से भवानी मण्डी रोड पर जो बसें चलती हैं उनमें शिकायत पुस्तिका नहीं रहती है ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? क्या राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(2) क्या राज्य सरकार इस रोड पर चलने वाली बसों को नियमित रूप से चलाने हेतु कोई आदेश वहां के डिपो को देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। झालावाड़ आगार में प्रत्येक परिचालक को व्यक्तिगत रूप से शिकायत पुस्तिका जारी की गई है, जिसे वह अपने साथ मार्ग पर ले जाने के लिये

(193)

(यातायात मंत्री)

नियमानुसार बाध्य है। शिकायत पुस्तिका साथ में नहीं रखने बाबत कोई मामला बताये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(2) वाहन संचालन नियमित रूप से करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आगार प्रबन्धक की है। उन्हें इस विषय में पुनः निर्देश दे दिये जाएंगे।

मेडिकल फार्मेसिस्ट का रजिस्ट्रेशन

451. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मेडिकल फार्मेसिस्ट के लिए कोई कोर्स चालू कर रखा है? यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें हैं?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पूर्व में जो व्यक्ति किसी दुकान अथवा डाक्टर के पास काम करते थे उन्हें अनुभव के आधार पर फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र देती थी? यदि हां, तो इसे बन्द करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता प्रथम वर्ष टी. डी. सी. साइन्स बायलोजी या समकक्ष हो।

(2) जी हां, फार्मेसी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय) अधिनियम संख्या 9 सन् 1948 की धारा 30 की उप धारा (2) के अधीन राज्य सरकार ने निहित शक्तियों के आधार पर अनुभव के आधार पर पंजीकरण की अन्तिम तिथि 23-2-75 निर्धारित की थी। इसके बाद इसी एक्ट के तहत बन्द कर दिया गया।

पंचायत समिति, सूरतगढ़ के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध दर्ज मामला

452. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सूरतगढ़ के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 का अभियोग थाना पुलिस सूरतगढ़ में जुर्म संख्या 45 सन् 1963 में दर्ज हुआ था? यदि हां, तो क्या वांछित अभियोग चलाये जाने को राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 19-9-77 को एफ. आर. स्वीकार कर ली गई थी? राज्य सरकार की स्वीकृति न देने का क्या कारण था? क्या राज्य सरकार वांछित स्वीकृति देने पर विचार कर रही है अथवा नहीं?

(2) क्या यह सही है कि 1972-73 में बीरबल,प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़ पर थाना पुलिस, सूरतगढ़ में 13/14 फारिनर्स एक्ट का अभियोग दर्ज हुआ? अगर हां, तो उस अभियोग का क्या नतीजा रहा?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, इस अभियोग में अनुसंधान फिर से करने के आदेश तत्कालीन गृह मन्त्रीजी ने तारीख 4-11-77को दे दिये हैं और तफतीश पूर्ण हो जाने पर चालान करने की अवस्था में स्वीकृति देने हेतु जब राज्य सरकार के पास मामला आवेगा तो स्वीकृति देने पर उचित विचार किया जावेगा।

(2) जी हां, सबूत के अभाव के कारण मुकदमे में दिनांक 31-5-73 को एफ. आर. अदम सबूत दी गई।

केन्द्र तथा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति

453. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कॉलिज विद्यार्थियों को पिछले वर्षों में केन्द्र तथा समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्तियां दी जाती रही हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि अब समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्रावासों तथा अलग रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति में अन्तर है ? यदि हां, तो कितना तथा क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार समाज कल्याण की स्टेट छात्रवृत्ति को शीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयत्न करेगी तथा इस हेतु क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1967-68 से 1974-75 तक कॉलेज स्तर के अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं राज्य सरकार की अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाती थी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों में अंकित हैं। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति की दर निम्न प्रकार थी:—

1. कॉलेज स्तर	40 रु० प्रति माह 10 माह के लिये
2. मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग के डिग्री कोर्सेज	50 रु० प्रति 10 माह के लिये
3. मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज	30 रु० प्रति माह 10 माह के लिये

(2) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये केन्द्रीय सरकार के नियमों में एक छात्र द्वारा दो छात्रवृत्तियां प्राप्त नहीं कर सकने के नियम के कारण तथा इसी नियम के अन्तर्गत

Page No 195

18 (195)

(समाज कल्याण मंत्री)

महालेखाकार, योजना आयोग एवं भारत सरकार द्वारा आपत्ति करने तथा वर्ष 1974-75 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा वृद्धि कर दिये जाने के कारण वर्ष 1975-76 से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई है।

(3) जी हां, छात्रावासों तथा अपने घर पर रह कर अध्ययन करने वाले छात्रों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों में अन्तर है जिसका विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियमों के नियम V में अंकित है। अन्तर का कारण छात्रावासों में रह कर अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रावास का अतिरिक्त व्यय भार उठाना होता है। यह अन्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है जो नियम देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू हैं।

(4) जी नहीं।

चांदेरा बांध का सर्वे

454. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या विभाग द्वारा चांदेरा बांध के लिए पूर्व में कोई सर्वेक्षण किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध का एस्टीमेट भी लगाया जा चुका था ?

(3) क्या राज्य सरकार इस गांव को बनवाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

योजना का संशोधित तखमीना वर्तमान दरों के अनुसार बनाया जा रहा है। स्वीकृति होने पर व आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जावेगा।

गोगुन्दा अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य

455. श्री मूरालाल (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गोगुन्दा में सरकारी अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य जनता ने पी. डब्ल्यू. डी. को हैण्ड ओवर कर दिया है और सरकार के पास चिकित्सा-

(श्री भूरालाल)

लय भवन के निर्माण कार्य के लिए 40,000 रुपया पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं ।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पाली नगर में अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध कार्यवाही

456. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली नगर के किस-किस व्यक्ति के कौन-कौन से अवैध निर्माण कब-कब किस-किस मशीनरी द्वारा किन कारणों से वर्तमान सरकार के शासन के पश्चात् गिराये गये और वे अवैध निर्माण कब बन चुके थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अवैध निर्माण के गिराने से किस-किस व्यक्ति को कितने धन की हानि हुई ? और क्या उनको गिराने के पहले नोटिस दिये गये ?

उत्तर

(1) पाली नगर में 12 अवैध निर्माण नगर सुधार न्यास द्वारा गिराये गये हैं। पूर्ण विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अवैध निर्माण के हटाने में किसी व्यक्ति को कोई हानि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई क्योंकि ये अवैध निर्माण पट्टियां खड़ी कर कांटेदार बाड़ लगा कर, कच्ची ईंटों आदि से किया था। उक्त निर्माण को गिराने से पूर्व सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भी दिये गये थे।

नागौर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन

457. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितनी छात्र-बालिकाएं एवं कितने सेक्शन हैं और कितने कमरे कक्षाओं के लिये बने हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्राय: सभी कमरे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और स्कूल के लिए भवन अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या नया

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
भवन बनवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार कोई समुचित राशि नये भवन निर्माण में सहायता के रूप में देने को तैयार है ?

उत्तर

(1) 358 छात्र बालिकाएँ एवं कक्षाओं के 11 सेक्शन हैं। तथा 11 ही कमरे हैं।

(2) जी हां। नये भवन बनाने की अभी कोई योजना नहीं है। सहायता पर विचार किया जावेगा।

मेजा बांध की लेफ्ट केनाल

458. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेजा बांध की लेफ्ट कैनाल गत बीस वर्षों पूर्व बनी थी और जिस पर लगभग 5000 एकड़ से अधिक सिंचित क्षेत्र है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस ढंग से नहर की डिजाइन बना था उस मुताबिक नहर नहीं बनी है ?

(3) क्या यह सही है कि उससे सिंचित भूमि में जितना समय लगना चाहिए उससे दुगुना समय लगता है जिससे पानी अधिक खराब ही नहीं होता बल्कि पीछे जिस जमीन के पास नहर निकली है वो जमीन भी खराब होती है ?

(4) क्या इसके सफाई व नहर को कम्पलीट कराने बाबत पहले भी जनता की मांग आई थी ? अगर हाँ, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या किया ? सरकार इसके लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मेजा बांध योजना के आधुनीकरण प्रस्तावों के अन्तर्गत नहर को पूर्णतया डिजाइन के अनुसार बनाया जावेगा।

कमलगढ़ के पास मानव बस्ती जयपुर में रहने वाले व्यक्तियों को बसाने की योजना

459. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् द्वारा दिनांक 17-10-76 को जयपुर की तालकटोरा रोड पर स्थित कमलगढ़ के पास की मानव बस्ती के निवासियों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़कर उन्हें परशुराम द्वारा आमेर रोड, जयपुर में बसाया गया था ? यदि हां, तो उन्हें कब तक भूमि आवंटित कर योजनाबद्ध तरीके से बसा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। (जयपुर नगर परिषद द्वारा ताल कटोरा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दिनांक 17-9-76 को की गई थी। हटाये गये व्यक्तियों को आमेर रोड पर स्थित परशुराम द्वारा योजना से लगी हुई भूमि में बैठाया गया था।) नगर विकास न्यास द्वारा विधिवत आवंटन की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है।

दांतारामगढ़ क्षेत्र की जलप्रदाय योजना

460. श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दूदवा, पंचायत समिति, दांता रामगढ़ में ग्रामवासियों के लिये नल योजना चालू कर रखी है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम वासी नल योजना राज्य सरकार के सुपुर्द करना चाहते है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इसे कब तक लेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि दांतारामगढ़ क्षेत्र में कई ग्राम जल प्रदाय योजना के कार्य चालू हैं ? अगर हां, तो वहां पर कब से योजना चालू कर दी जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ क्षेत्र की जल प्रदाय योजना राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु आती है ? अगर हां, तो कौन से ग्राम की तथा कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि दांतारामगढ़ क्षेत्र में जल प्रदाय योजना चालू है ? अगर हां, तो कहां कहां जिन ग्रामों की हरिजन बस्ती में पाइप लाइन नहीं है वे कौन से ग्राम है तथा उनमें पाइप लाइन कब तक डाल दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(199)

(जन-स्वास्थ्य मंत्री) उत्तर

(1) हां, यह सही है कि ग्राम दूदवा में निजी तौर पर जल योजना चालू है। यह योजना कब से चालू है इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जिला आयोजना समिति सीकर द्वारा वर्ष 77-78 में दांतारामगढ़ तहसील की पांच जल प्रदाय योजनाएँ प्रस्तावित की है जिसके अन्तर्गत आठ ग्रामों को सम्मिलित किया गया है जिसकी सूची संलग्न है। प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् धन की उपलब्धि एवम् प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

(5) तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम रामगढ़, दांता, बाय, रानोली, खोड. बानोड़ा, कोधर, सवाईपुर, लोसल, धीलासरी. पुनियाना, रघुनाथपुरा, दुली, खाचरियावास में जल प्रदाय योजना चालू है। इन सब ग्रामों में आंशिक तौर पर हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन डाल दी गई है। ग्राम लोसल, दांता और खोड में इस वर्ष के अन्त तक हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन पूर्ण होने की आशा है।

संकलित सूची (जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 77-78 के लिये प्रस्तावित योजनाएं)

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	जनसंख्या सन् 1971	
61	शिशु	दांतारामगढ़	शिशु	4459	
1	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कुली खाचरियावास पेज 11	,,	चक गोपीनाथपुरा	1582	अतिरिक्त सूची जो प्राप्ति हुई उसमें प्रस्तावित है
2	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, आलेदा	,,	1 डकिया	1600	
			2 सामेद	913	
			3 सांवलपुरा	488	
			4 भगवानपुरा	487	
				3488	
22	गनोड़ा	,,	गनोड़ा	937	
24	भारीजा	,,	भारीजा	2675	

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लागत लाख रु.में	गांवों के नाम	आबादी 1971	जहां 1977-78 से पहले जल वितरण चालू किया	जहां वर्ष 1977-78 में जल वितरण किया गया	जहां वर्ष 1978-79 में जल वितरण करने के प्रस्ताव है। धन की उपलब्धि के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पाइप्ड रामगढ़	1963–64	1.31	रामगढ़	4075	रामगढ़		
2.	पाइप्ड दांता	1963–64	1.91	दांता	8022	दांता		
3.	पाइप्ड बाय	1965–66	1.51	बाय	5016	बाय		
4.	पाइप्ड रानोली	1971–72	2.22	रानोली	7033	रानोली		
5.	पी. एण्ड टी. खोड़	1970–71	1.24	खोड़	3985	खोड़		
6.	क्षेत्रीय कोचर सवाईपुरा	1972–73	1.03	कोचर सवाईपुरा	2130	कोचर सवाईपुरा		
7.	पाइप्ड लोसल	1973–74	6.37	लोसल	11129	लोसल		
8.	क्षेत्रीय धीलासारी पूनियाना	1976–77	2.125	धीलासारी	458	मारेला	धीलासारी	
				तुनियाना	366		पुनियाना	
9.	विस्तार कोचर रघुनाथपुरा	1976–77	1.24	रघुनाथपुरा	409	—	रघुनाथपुरा	
10.	क्षेत्रीय दांतला	1976–77	3.145	दांतला	493			दांतला
				खारियावास	151			खाचरियावास
				भगवानपुरा	487			भगवानपुरा

Page No 201

(201)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	बनोड़ा यह योजना वर्ष में इस विभाग को हस्तांतरित की गई	1976–77				बनीड़ा	बनोड़ी	-/.
12.	क्षेत्रीय कुली खाच-रियावास	1976–77	3.62	कुली	1958		कुली	
				खाचरियावास	3629		खाचरियावास	चक गोपीनाथ
				चक गोपीनाथ	1562			
13.	क्षेत्रीय मण्डा सुरेरा	1977–78	3.913	मण्डा	2493			मण्डा
				सुरेरा	1627			सुरेरा
14.	क्षेत्रीय अकोड़ा खाटू	1977–78	11.00	अकोड़ा	1675			अकोड़ा
				खाटू	4061			खाटू
15.	पलसाना मंडी	1977–78	7.649	पलसाना	5685			पलसाना
				मंडी	922			अन्य तहसील के
				गोरधनपुरा	—			गांव हैं।
				23+2 अन्य तहसील		9	5	0

परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि से अलंकृत सैनिक अधिकारियों एवं सैनिकों को भू-खण्डों का आवंटन

461. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :—क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारतीय सेना के अधिकारियों व सैनिकों को, जिन्हें 'परमवीर चक्र,' अशोक चक्र आदि से अलंकृत किया गया है, को राजस्थान के प्रमुख नगरों जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा अजमेर आदि में मुफ्त आवासीय भूखण्ड दिये गये ?

(2) अगर हां, तो किन-किन को किस किस शहर में दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के कुछ आवेदन-पत्र अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? अगर हां, तो इन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा। निश्चित तारीखें दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। केवल जयपुर नगर में दिये गये हैं। ये भू-खण्ड नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा आंवटित किये गये थे। सम्बन्धित नियमों में इस प्रकार भू-खण्ड आंवटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त भू-खण्ड तो जयपुर नगर विकास न्यास ने विशेष प्रस्ताव पारित कर आंवटित किये हैं।

(2) जयपुर शहर में तीन शौर्य पदक प्राप्तकर्ताओं को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड आंवटित किये गये है जिनके नाम ये है :—

1–ले० कर्नल मेघसिंह, (वीरचक्र) प्लाट नं० बी–1 शैतानसिंह कॉलोनी।

2–रिसालदार मोहम्मद अयूब (वीरचक्र) प्लाट नं० बी–2 शैतानसिंह कालोनी।

3–श्री नरपतसिंह पुत्र मृतक मेजर शैतानसिंह (परमवीर चक्र) प्लाट नं० बी–3 शैतानसिंह कालोनी।

(3) कोई आवेदन पत्र राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सिरोही नगर में नियुक्त कर्मचारी

462. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही नगर में कितने चिकित्सक कम्पाउन्डर, सिरोही नगर के ही निवासी हैं और नौकरी लगने की तिथि से सिरोही में ही हैं ?

(श्री रघुनन्दन व्यास)

(2) क्या यह सही है कि मलेरिया, परिवार नियोजन एवं चेचक उन्मूलन के सम्बन्धित अधिकारी भी सिरोही नगर के ही रहने वाले हैं, जबकि राजपत्रित अधिकारी वहीं का वहीं नहीं रहना चाहिए ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सिरोही नगर में निम्नलिखित चिकित्सक, कम्पाउन्डर सिरोही के ही रहने वाले हैं व नियुक्ति तिथि से सिरोही में ही कार्य कर रहे हैं :—

(1) डा० ए० के० तातेड़, उप मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया)

(2) डा० निर्मला तातेड, प्रभारी भ्रमणशील (ग्रुप) इकाई (प० क०)

(3) कम्पाउन्डर, गनपत सिंह

(2) डा० जी० एस० गहलोत, उप मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), डा० ए० के० तातेड, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) तथा प्रभारी भ्रमणशील लघु इकाई (परिवार कल्याण) के अधिकारी डा० निर्मला तातेड/डा० सुधा गहलोत, कनिष्ट विशेषज्ञ (गायनोकलोजी) सिरोही के ही रहने वाले हैं। चूंकि श्रीमती डा० तातेड उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) की पत्नी व डा० सुधा गहलोत डा० ए० एस० गहलोत की पत्नी है और इसी कारण पति पत्नी को एक स्थान पर रखा गया है।

राजस्थान नहर की प्रस्तावित लिफ्ट योजना

463. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की प्रस्तावित लिफ्ट योजनाएं कोलायत, गजनेर, पोकरण, फलोदी व नोहर सांवा को भारत सरकार के योजना आयोग व राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि कोलायत व गजनेर लिफ्ट कैनाल योजनाओं का सर्वे कार्य चालू हो कर काफी काम पूर्ण हो चुका है ? इनके प्रस्तावित क्षेत्र में जगह-जगह सर्वे के बोर्ड व निशान आदि लगा दिए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना ने राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना कोलायत व गजनेर लिफ्ट कैनाल के सर्वे डिविजन तोड़ कर कार्य बन्द कर दिया ?

(4) इन दो लिफ्ट कैनाल योजनाओं कोलायत व गजनेर पर अब तक कितना धन सर्वे आदि पर खर्च किया जा चुका है ?

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री) उत्तर

(1) पिछली राज्य सरकार ने मन्त्रि मण्डल की आज्ञा संख्या 214/76 दिनांक 17-12-76 के द्वारा पांच लिफ्ट योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन भारत सरकार के योजना आयोग की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। कोलायत व गजनेर लिफ्ट योजनाओं का सर्वे कार्य प्रारम्भिक रूप में ही शुरू हुआ था। जहां तक जगह-जगह सर्वे के बोर्ड व निशान आदि का सम्बन्ध है ये निशान कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा के लिए लगाये गये थे।

(3) जी नहीं।

(4) कोलायत व गजनेर लिफ्ट योजनाओं पर अब तक सर्वे आदि पर क्रमश: 4.18 व 3 51 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

पिपाड़ सिटी पाली मार्ग पर चलने वाली बसें

464. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिपाड़ सिटी से पाली बस रूट वाया तिलासनी भावी का परमिट कितने वर्षों से किस बस मालिक को दिया हुआ है व इस रूट पर कितनी बसें किस-किस समय पर आती-जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस रूट पर बस परमिट मिलने के बाद से बस मालिक ने आज तक कोई बस नहीं चलाई ? अगर हां, तो बस मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या विभाग अब इस रूट पर पुराना परमिट रद्द कर नया परमिट देना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस मार्ग पर वर्तमान में कोई परमिट प्रभावशील नहीं है। अतः इस मार्ग पर कोई बस नहीं चलती।

(2) इस मार्ग पर पहिले तीन परमिट दिये हुए थे जिनमें से दो परमिटों की अवधि 1974 में व एक परमिट की अवधि जनवरी, 1977 में समाप्त होने के बाद इन परिमिट धारियों ने अपने परमिटों का नवीनीकरण नहीं कराया। अत: इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं रहा।

(3) जी हां, आर० टी० ए० ने अपनी दिनांक 20-1-78 की बैठक में पाली पिपाड़ सिटी बलून्दा मार्ग का एक परमिट 60 दिन में बस लगाने की शर्त पर दिया था जो उठाया नहीं गया है।

तहसील फलासिया की जलप्रदाय योजना

465. श्री सोमूदास (फलासिया) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील फलासिया जिला उदयपुर में किसी भी ग्राम में जल प्रदाय योजना चालू नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार इस पिछड़ी तहसील में शीघ्र ही कोई जलप्रदाय योजना चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। फलासिया तहसील के तीन ग्राम झाड़ेला, फलासिया एवं ओगेना में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की गई है एव कार्य प्रगति पर है।

(2) नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर धन की उपलब्धि, तकनीकी उपयुक्तता एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की जाती है। वर्ष 77-78 के लिए जिला आयोजना समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उसमें तहसील फलासिया का एक भी गांव सम्मिलित नहीं किया गया है।

पंचायत क्षेत्र खानपुर का विद्युतीकरण हेतु सर्वे

466. श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानपुर पंचायत क्षेत्र में विद्युतीकरण योजना का सर्वे कब किया गया था?

(2) उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ करने में अब कितना समय लगेगा?

(3) क्या यह सही है कि खानपुर विद्युतीकरण योजना को चालू करने में भी मन्त्रिमण्डल की बैठक कोटा में मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि एक माह में विद्युतीकरण योजना का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

(4) यदि हां, तो आश्वासन के अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं? इस योजना के अनुसार कितने गांवों को बिजली दी जा सकेगी? उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1975 में सर्वे के पश्चात् इस क्षेत्र की एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना बनाई जाकर निगम को प्रेषित की गई थी। अन्तिम रूप से संशोधन करने के पश्चात् योजना जनवरी, 78 में निगम को प्रस्तुत की गई।

(विद्युत मंत्री)

(2) निगम से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के साथ ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

(3) जी हां। मन्त्रीमन्डल की बैठक के निर्णय के अनुसार ही योजना निगम को प्रेषित की गई थी। योजना क्षेत्र का निरीक्षण निगम के अधिकारियों द्वारा हो चुका है और योजना की स्वीकृति प्रदान करने के लिये यह निगम के पास प्रस्तुत की जा चुकी है।

(4) योजना में पंचायत समिति खानपुर के 99 ग्राम विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित किये गये हैं; जिनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

पंचायत समिति खानपुर की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित ग्रामों की सूची

1. अकावद कलाँ
2. अकावद खुर्द
3. आलनपुर
4. अम्बाला
5. बांगमडसी
6. बनी
7. बरबेली
8. बरेड़ा
9. बेसार
10. भगवानपुरा
11. भरतपुर
12. भील खेड़ा
13. भोजू खेड़ी
14. भूमरी
15. बोहरा
16. बोर खेड़ी
17. बुखारी
18. चण्डलिया
19. चापांखूर
20. चितावा
21. दादिया
22. दही खेड़ा
23. दौलतपुरा
24. देदिया
25. देवपुरा
26. देवरी
27. दोलड़ा
28. डूंडा
29. डूंडी
30. डूंगरपुर
31. गाडरवाडा डूंडी
32 घघरावता
33. गोलाना
34. गोल्या खेड़ी
35. गुलखेड़ी
36. गुढ़ा
37. गुरजेनी
38. हाली हेड़ा
39. हवाई खेड़ा
40. हतोला
41. हतोली
42. इरली
43. जगदीशपुरा
44. जरगा
45. जठेडी
46. जिठाना

207

47. जोलपा
48. कडी खेड़ा
49. कालारेवा
50. कंवलदा
51. कवरपुरा मडवालियान
52. करणवास
53. खमावदा
54. खंडी
55. खाताखेड़ी
56. खटावदा
57. खेड़ी
58. खेरखेड़ा
59. खुंजा
60. कोटक्यां
61. कोलू खेड़ी
62. कुन्जेड
63. लाखा खेड़ी
64. ललावता
65. लीमी
66. लोढ़ा
67. माहिरा
68. महुम्रा खेड़ा
69. मालनवासा
70. मालूनी
71. मेहदड़द
72. मोहनपुर
73. श्रोघपुर
74. पचीपला
75. पामीया
76. पखराना
77. पनवाड़
78. फुंगाहेड़ी
79. पिपलाज
80. पोदूखेड़ी
81. रामपुरा
82. रान्या खेड़ी
83. रुपाहेड़ा
84. समरौल
85. सांगाहेड़ा
86. सरायता
87. सरखडिया
88. सारोला कलां
89. सारोलाखुर्द
90. सिमलखेड़ी
91. सेवनिया
92. श्योनगर उर्फ ढाणी
93. सिगोला
94. सोजपुर
95. सुनारिया
96. सुवाल्या
97. तारज
98. ठीकरिया
99. उमरिया

स्थगित प्रश्न

दिनांक 8 मार्च, 1978

अलवर टी. बी. सेनोटोरियम के पास जंगलात की भूमि का ठेका

106. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि अलवर के टी. बी. सेनीटोरियम के पास की जंगलात की भूमि जिसमें एक पक्का कुआ तथा तिवारा बना हुआ है जिसका पुराना खसरा

(श्री गंगासहाय)

नम्बर 285 है और नया 164 है, को सरकार ने श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभुदयाल को ठेके पर दी थी ? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर दी थी ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अब श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रभुदयाल के खाते हो गये हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण, जो इसमें स्थित कुएँ से टी. बी. सेनीटोरियम को पानी सप्लाई करने का 126) 60 पैसे प्रति माह वसूल करते हैं ? यदि हां, तो यह वसूली कब से की जा रही है ?

उत्तर

(1) (अ) जी हां।

(ब) यह ठेका 15-7-55 को दिया गया था।

(स) शर्तों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां, बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत खातेदारी दे दी गई प्रतीत होती है। विभाग इसे खारिज कराने बाबत कार्यवाही कर रहा है।

3. जी हां। यह सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण इसमें स्थित कुएं से टी. बी. सेनीटोरियम को पानी सप्लाई करते हैं जिसका 126-60 रु. प्रति माह वसूल करते हैं। यह वसूली फरवरी, सन 1965 से की जा रही है।

वन विभाग राजस्थान सरकार

फर्द शरायत नीलाम रकबा बागर; कुटीर हाउस, रेंज-अलवर

1. यह ठेका महज रकबा बागर कुटीर हाउस का दिया जाता है जिसमें ठेकेदार घास काट सकता है, मवेशी चरा सकता है व काश्त कर सकता है और घास रोक कर फरोख्त भी कर सकता है। अलावा उक्त बातों के और कोई चीज पैदा करने का हक ठेकेदार को नहीं होगा।

2. मयाद ठेका तारीख से 30-6-56 तक होगी।

3. बोली खत्म होने पर ½ रकम ठेकेदार को उसी वक्त जमा करानी होगी। बाकी रकम वक्त दखल एक मुश्त जमा करानी होगी।

4. रकबा सिर्फ बागर का है जो जंगलात के अधीन है।

(209)

5. अगर ठेकेदार किसी शरायत को खिलाफ वर्जी करेगा तो हाकिम साहब जंगलात को मुनासिब जुर्माना करने का हक होगा।
6. अगर ठेकेदार मन्जूरी होने पर वक्त पर दखल नहीं लेगा तो ठेका दुबारा नीलाम किया जायेगा। और जो कमी रहेगी ठेकेदार को पूरी करनी होगी।
7. अगर राज्य के लिये इस जमीन की जरूरत हुई तो एक माह पहले नोटिस दिया जाकर ठेके को बेदखल कर दिया जावेगा और जमीन में फसल खड़ी होगी तो फसल काटने का हक ठेकेदार को होगा।

ह०
वन विस्तार अधिकारी,
अलवर।

ह०
लक्ष्मीनारायण

ह०
डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर,
भरतपुर।

वन विभाग राजस्थान सरकार

फर्द शरायत नीलामी भूमि काश्त कुटीर हाउस, रेंज अलवर

1. यह ठेका महज रकबा काश्त मुतलका का दिया जाता है जिसमें ठेकेदार काश्त कर सकता है और घास काट सकता है। मवेशी चरा सकता है। उक्त बातों के अलावा ठेकेदार और कोई चीज पैदा नहीं कर सकता है।
2. मयाद ठेका तारीख मन्जूरी से 30-6-56 तक होगी।
3. बोली खत्म होने पर ठेकेदार को 1/4 रकम उसी वक्त जमा करानी होगी। बाकी रकम वक्त सात एक मुश्त जमा करानी होगी।
4. अगर ठेकेदार किसी शर्त की खिलाफवर्जी करेगा तो हाकिम सहायक जंगलात को मुनासिब जुर्माना करने का अधिकार होगा।
5. अगर ठेकेदार मन्जूरी होने पर वक्त पर दखल नहीं लेगा तो ठेकादुबारा नीलाम किया जावेगा। खिसार ठेकेदार को देना होगा।
6. अगर राज्य के लिये इस जमीन की जरूरत होगी तो ठेकेदार को एक माह पहले नोटिस दिया जावेगा और अगर काश्त खड़ी हुई होगी तो काटने तक का हक ठेकेदार को होगा।

ह०
लक्ष्मीनारायण ठेकेदार

ह०
वन विस्तार अधिकारी, अलवर

ह०
डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर, भरतपुर

परिशिष्ट संख्या—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची)

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक परि./पी० डी०/ परिपत्र संख्या 68/75

समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय,
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
जिला परिवहन अधिकारी,

परिपत्र

विषय:—वाहनों के निरीक्षण एवं क्षेत्रीय दौरों के सम्बन्ध में।

वाहनों के कर एवं यात्री एवं माल कर की चोरी रोकने एवं राजस्थान मोटर अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों को सुचारू रूप से पालना करवाने की दृष्टि से नियमित रूप से वाहनों को चैंकिग का कार्य किया जाना आवश्यक है। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि जिला परिवहन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले निरीक्षकगण नियमित रूप से वाहनों की चैंकिग करते रहें एवं इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं मुख्यालय से अधिकारीगण समय-समय पर अपने स्तर पर भी वाहनों की चैंकिग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाहनों की चैंकिग का कार्य वास्तव में सही रूप से हो रहा है। जिला परिवहन अधिकारी एवं निरीक्षक को इसके लिये ट्यूर डायर भी रखना आवश्यक है ताकि जब भी उनके कार्य का निरीक्षण हो या सुनिश्चित हो सके कि इस सम्बन्ध में जो नाम निर्धारित किया गया है उसके अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं ? जिला स्तर पर कार्य को इस तरीके से किया जाना आवश्यक है कि जिले के पंजीकृत वाहनों का एक निश्चित अवधि में निरीक्षण सम्भव हो सके क्योंकि यह पाया गया है कि बहुधा किसी एक क्षेत्र विशेष की गाड़ियों का चैंकिग हो जाता है परन्तु अन्य क्षेत्रों में यह कार्य कभी नहीं हो पाता। अतः जिला परिवहन अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने जिले के सभी रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों की चैंकिग का कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित करें कि प्रत्येक रूट पर चलने वाली गाड़ियों का माल में कम से कम दो बार चैंकिग अवश्य हो जाय। इसके अतिरिक्त जिन मार्गों पर नियमों की अवेहलना एवं करों की चोरी के बारे में अधिक शिकायत रहती है उनका अधिक चैंकिग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक माह एवं तिमाही के अन्त में उन वाहनों की सूची तैयार कर ली जानी चाहिये। जिनके कि वाहन स्वामी समय पर कर राशि जमा नहीं कराते। राजस्थान यात्री एवं माल कर अधिनियम

211

के अन्तर्गत इस प्रकार के यात्री वाहनों के सम्बन्ध में अस्थाई कर निर्धारित भी किया जा सकता है एवं इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली राशि को तुरन्त वसूल करने का प्रावधान है। राजस्थान वाहन कर अधिनियम के अन्तर्गत भी बगैर कर की अदायगी किये चलने वाले वाहनों को तब तक रोके रखने का प्रावधान है जब तक कि वे कर की अदायगी नहीं कर देते। इसके अतिरिक्त दोनों स्थितियों में कर के अलावा शास्ति आरोपित की जा सकती है एवं सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरुद्ध अभियोग भी चलाया जा सकता है। जब तक इस प्रकार के कड़े कदम नहीं उठाये जाते तब तक समय पर कर की अदायगी होना कठिन है। अतः सभी जिला परिवहन अधिकारियों के लिये आवश्यक है कि वे उक्त कार्यवाही किये जाने की ओर पर्याप्त ध्यान दें। इस सम्बन्ध में वाहनों की चैकिंग एवं उन दौरों के लिये निम्नांकित नार्म निर्धारित किये जाते हैं एवं यह अपेक्षा की जाती है कि इसके अनुसार ही अपना कार्य सम्पन्न करेंगे। निर्धारित नार्म के अनुसार कार्य न होने पर सम्बन्धित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित किये जाने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। जिला परिवहन अधिकारी भी अपने स्तर पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्य करने वाले निरीक्षक गण निर्धारित नार्म के अनुसार दौरा एवं वाहनों की चैकिंग उनके द्वारा बनाये कार्यक्रम के अनुसार करते हैं या नहीं एवं जहां इस प्रकार के पालना में शिथिलता जाहिर हो वहां सम्बन्धित निरीक्षकगण के विरुद्ध कार्यवाही के लिये मुख्यालय को लिखेंगे ताकि उनके अनुसार उसके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही सम्भव हो सके। निरीक्षकगण एवं जिला परिवहन अधिकारी के लिये निम्न नार्म निर्धारित किया जाता है:—

दौरे का नार्म

	दौरा	रात्रि विश्राम
निरीक्षकगण के लिये	150 दिन वर्ष भर में	75 रात्रि वर्ष भर में
जिला परिवहन अधिकारी के लिये	90 ,,	40 ,,

उपरोक्त दौरे के दिनों का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिये कि प्रत्येक निरीक्षकगण सप्ताह में कम से कम दो दिन अवश्य दौरे पर रहें। जिला परिवहन अधिकारी को दौरे का कार्यक्रम भी इस प्रकार बनाना चाहिये कि वह प्रत्येक माह में कम से कम सात दिन अवश्य दौरे पर रहें। जिन जिला परिवहन अधिकारियों के क्षेत्र में चैकपोस्ट हैं वे प्रत्येक चैकपोस्ट का प्रति माह अवश्य निरीक्षण करेंगे व प्रत्येक माह में एक रात्रि अवश्य वहीं बितायेंगे।

वाहन चैकिंग का नार्म

जिला परिवहन अधिकारी,

जहां एक ही जिला परिवहन अधिकारी है, वे जिले में पंजीकृत कुल वाहनों में से यात्री वाहनों का 25 प्रतिशत व भार वाहनों का निम्न अनुपात में चैकिंग करेंगे:—

1.	जिले जहां 1000 से कम वाहन हैं	50 प्रतिशत वाहनों का
2.	जहां 1000 वाहनों से अधिक है	500 वाहन

जहां एक से अधिक जिला परिवहन अधिकारी हैं वहां यह नार्म निम्न प्रकार से होगा:—

1. जहां एक ही निरीक्षक या उप-निरीक्षक है	(अ) सभी यात्री वाहन दो बार (ब) सभी पंजीकृत भार वाहनों की संख्या के बराबर वाहन
2. जहां ऐसे अधिक निरीक्षक या उप-निरीक्षक है	(अ) प्रत्येक निरीक्षक/उप-निरीक्षक सभी यात्री वाहन दो बार (जिला परिवहन अधिकारी रूट्स का निरीक्षण में विभाजन करेंगे
(जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व गंगानगर को छोड़कर)	(ब) 500 भार वाहन प्रत्येक निरीक्षक उप-निरीक्षक
3. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व गंगानगर	(अ) सभी यात्री वाहन दो बार (ब) सात सौ भार वाहन

लाइट वाहनों का कोई नार्म स्थापित नहीं किया गया है पर समय-समय पर निरीक्षकगण उनकी भी चैकिंग करेंगे व इसकी संख्या व वाहन नम्बर का इंद्राज अपनी डायरी में करेंगे।

जिला परिवहन अधिकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षक माह के अन्त में चैक किये वाहनों को जिला वार सूची तैयार करेंगे व उसे मासिक गोश्वारे के अन्त में दर्ज करेंगे चैक किये गये यात्री वाहनों में निरीक्षकगण के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 20 प्रतिशत वाहन एवं जिला परिवहन अधिकारी के लिये 10 प्रतिशत अवश्य होने चाहियें। दौरे का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जावे कि वर्ष भर में क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग निरीक्षण के अन्तर्गत आ सके। निरीक्षकगण का कार्यक्रम का जिला परिवहन अधिकारी अनुमोदित करेंगे एवं जिला परिवहन अधिकारी के यात्रा कार्यक्रम

कर अनुमोदन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा किया जावेगा। जिला परिवहन अधिकारी अपने कार्यालय का विस्तृत निरीक्षण वर्ष में दो बार अवश्य करें।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारीगण भी अपने क्षेत्र का नियमित रूप से दौरा करें साथ ही वाहनों की चैंकिंग की ओर पर्याप्त ध्यान दें यह आवश्यक है। उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को जिनके कि क्षेत्र में तीन जिलों से अधिक जिले हैं उन्हें प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय का वर्ष भर में एक बार विस्तृत निरीक्षण करना चाहिये। सभी जिला जहां तीन जिले हैं उन्हें वर्ष में दो बार विस्तृत निरीक्षण करना चाहिये सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के लिये वर्ष भर में 60 दिन दौरा एवं 300 वाहनों का निरीक्षण करना आवश्यक है। इसी प्रकार मुख्यालय के अधिकारीगण को भी चाहिये कि वे भी जिला परिवहन कार्यालयों का निरीक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित करें कि मुख्यालय स्तर से प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में दो बार आवश्यक निरीक्षण हो जाये। इस संबंध में आगामी वर्ष के लिये उनको अपने कार्यक्रम हेतु रोस्टर तैयार किया गया है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए उनको अपना कार्यक्रम बनाना चाहिये। जिस समय पर वह निरीक्षण में जायें उस समय वाहनों के चैकिंग भी करने की ओर ध्यान दें ताकि यह ज्ञात करना सम्भव हो सके कि वाहनों के निरीक्षण का कार्यक्रम किस सीमा तक प्रभावपूर्ण हो पाया है। इसके अतिरिक्त उनके निरीक्षण से विशेष रूप से पाई जाने वाली कमियां भी दृष्टिगत हो सकेगी एवं उसके आधार पर आवश्यक निर्देश जारी करना सम्भव हो सकेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि अपर परिवहन आयुक्त एवं उप-परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं उप-परिवहन आयुक्त (कर) वर्ष भर में 200 वाहनों का निरीक्षण अवश्य करेंगे। वाहनों के निरीक्षण करते समय वे भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कुछ वाहनों का निरीक्षण अवश्य करेंगे। वाहनों के निरीक्षण के परिणाम से वे परिवहन आयुक्त को अवश्य अवगत करेंगे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के निरीक्षण का कार्य परिवहन आयुक्त अथवा अपर परिवहन आयुक्त द्वारा ही किया जावेगा। वाहनों का निरीक्षण विस्तृत रूप से किया जाना आवश्यक है।

यह भी पाया गया है कि फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता जब कि इसका मुख्य कार्य ही क्षेत्र में जाकर वाहनों को चैंकिंग करना एवं कमियां पाई जाने पर सामयिक कार्यवाही करना है। जब तक फ्लाइंग स्क्वाड से सक्रिय नहीं किया जावेगा तब तक करों की चोरी के रोकने के कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित नहीं हो सकता। अत जिन अधिकारियों के अन्तर्गत यह फ्लाइंग स्क्वाड कार्य करते हैं उनके लिये आवश्यक है कि वे समुचित उपयोग की ओर पर्याप्त ध्यान दें। इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर पर फ्लाइंग स्कवेड के भेजने का कार्यक्रम तैयार करें एवं यह ध्यान रखना चाहिये कि फ्लाइंग स्कवेड के द्वारा कम से कम वर्ष में 200 दिन दौरा किया जावे एवं 5000 वाहनों का निरीक्षण किया जावे। फ्लाइंग स्कवेड के प्रभारी इस बारे में नियमित रूप से भ्रमण डायरी रखेंगे।

ह०

अपर परिवहन आयुक्त

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची)

STATEMENT SHOWING DISTRICT WISE PROGRESS IN STERILISATION OPERATION FROM APRIL TO DECEMBER, 1977

District	Sterilisation Operation April, 77	December, 77
1	2	3
1. Beawar, Medical College	382	
	461	
2. Alwar	155	
3. Bharatpur	107	
4. Dholpur	32	
5. Jaipur I	612	
6. Bureau Medical,	216	
College	967	
7. Sikar	166	
8. Jhunjhunu	601	
9. Tonk	53	
10. S. Madhopur	36	
11. Bikaner, Bureau Medical	93	
College	394	
12. Ganganagar	341	
13. Churu	290	
14. Nagaur	204	
15. Jodhpur,	130	
Bureau Medical College	524	
16. Jalore	88	
17. Barmer	49	
18. Jaisalmer	4	

1	2	3
19. Pali	265	
20. Sirohi	289	
21. Kota	317	
22. Bundi	34	
23. Jhalawar	166	
24. Udaipur,	135	
Bureau Medical College	501	
25. Chittorgarh	247	
26. Bhilwara	192	
27. Dungarpur	222	
28. Banswara	289	
RAJASTHAN	8812	

Progress of Family Welfare Activities during National Family Welfare Fortnight from 16th December to 21st December, 1977

S.No.	District	Voluntary Sterilizations Male	Female	Total	I. U. D.	Nirodh Distributed	Oral Pils Cycles	M. T. Ps. done
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ajmer	11	17	28	9	6880	10	NR
2.	Alwar	7	11	18	4	3330	10	26
3.	Bharatpur	3	11	14	10	13061	65	12
4,	Dholpur	2	32	4	—	3136	7	—
5.	Jaipur I	3	35	38	17	21540	42	46
	Jaipur II	7	12	19	12	66390	51	11
6.	Sikar	—	9	9	2	22739	—	—
7.	Jhunjhunu	—	49	49	64	14207	47	—
8.	Tonk	1	1	2	3	2345	6	2
9.	S Madhopur	5	1	6	6	10776	16	—
10.	Bikaner	18	43	61	19	13085	27	24
11.	Ganganagar	10	13	23	31	114721	31	83
12.	Churu	5	16	21	1	3956	11	—
13.	Nagaur	3	13	16	24	15000	25	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Jodhpur	7	26	33	18	7747	130	13
15.	Jalore	1	15	16	15	2760	26	—
16.	Barmer	4	8	12	28	6304	10	—
17.	Jaisalmer	—	—	—	—	—	—	—
18.	Pali	4	22	26	108	10565	42	12
19.	Sirohi	5	35	40	111	11994	11	—
20.	Kota	8	10	18	163	67569	107	35
21.	Bundi	1	8	9	2	8000	20	—
22,	Jhalawar	1	10	11	7	12044	15	5
23.	Udaipur	13	46	59	17	—	—	—
24.	Chittor	1	8	9	37	4226	11	9
25.	Bhilwara	11	9	20	41	4000	9	—
26.	Dungarpur	2	22	24	6	5820	2	4
27.	Banswara	10	27	37	5	6047	3	4
	Total:—	143	479	621	760	458242	734	286

Note:—The drive observed from 1st Oct., to 15th Oct., 77 was in education drive hence physical achievements were not separately evaluated.

Progress of Educational Activities during National Family Welfare Fortnight From 16th December to 31st December, 1977

District	New item relesaed	Leaf let distributed	Mike publicity	Flim shows	Slide	Cul. shows	Exhi- bition	Gen. meetings	Group meetings
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ajmer	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
2. Alwar	5	3500	—	52	5	6	2	—	1811
3. Bharatpur	—	—	—	26	—	2	—	—	164
Dholpur	—	1000	—	—	—	—	—	—	199
4. Jaipur I	4	6000	—	6	11	—	6	7	206
Jaipur II									
5. Sikar	8	—	—	19	4	—	13	22	276
6. Jhunjhunu	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
7. Tonk	—	22975	—	21	9	3	—	—	60
8. S. Madhopur	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
9. Bikaner	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
10. Ganganagar	—	83875	185	42	4	5	35	106	1173
11. Churu	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
12. Nagaur	4	4700	—	19	6	—	17	20	—
13. Jodhpur	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Jalore	4	2575	—	16	3	—	—	—	—
15. Barmer	7	2000	—	28	—	—	15	27	165
16. Jaisalmer	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
17. Pali	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
18. Sirohi	8	3000	—	16	3	—	—	—	265
19. Kota	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20. Bundi	1	1550	—	8	—	—	1	—	14
21. Jhalawar	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
22. Udaipur	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
23. Chittor	3	35800	—	16	8	2	1	20	—
24. Bhilwara	—	20000	—	6	—	—	40	3	1000
25. Dungarpur	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
26. Banswara	—	5600	—	17	12	2	11	17	508
TOTAL....	44	192575	185	292	65	20	141	221	5841

Progress of Immunization Activities during National Family Welfare Fortnight From 16th December to 21st December, 1977

	District	D. P. T.	D. T.	T. T.	IRON-FOLIC ACID-TAB. Mothers	IRON-FOLIC ACID-TAB. Children	Vitamin 'A' Solution
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	315	392	81	300	66	—
2.	Alwar	237	—	143	480	—	—
3.	Bhratpur	574	483	54	326	440	3925
	Dholpur	338	271	50	1032	1810	67
4.	Jaipur I						
	Jaipur II	535	901	66	427	118	2221
5.	Sikar	569	396	176	349	—	3639
6.	Jhunjhunu	96	14275	3	—	—	3286
7.	Tonk	70	175	30	803	416	432
8.	S. Madhopur	208	671	26	107	42	130
9.	Bikaner	105	32	22	—	—	—
10.	Ganganagar	1204	473	263	48960	7330	5710
11.	Churu	194	256	105	107	103	306
12.	Nagaur	559	554	119	428	104	2254

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Jodhpur						
14.	Jalore	627	305	37	111	71	625
15.	Barmer	168	119	25	12900	5970	579
16.	Jaisalmer						
17.	Pali	491	455	149	1125	526	2056
18.	Sirohi	215	102	87	17537	5600	850
19.	Kota	512	567	136	1385	689	—
20.	Bundi	150	6	75	200	175	250
21.	Jhalawar	222	108	62	144	67	1695
22.	Udaipur						
23.	Chittor	155	60	60	8210	612	871
24.	Bhilwara	224	78	225	3620	—	1000
25.	Dungarpur	559	186	201	335	244	696
26.	Banswara	495	230	188	10430	3393	310
	TOTAL....	8823	21095	2403	109316	27776	30902

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 176 का विवरण)

माहरिया बांध पर मस्टर रोल की चैकिंग का विवरण

क्र०सं०	अवधि	गैंग नं०	मस्टर रोल	चैकिंग का नाम	चैकिंग का दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	16/3/75 से 31/3/75	1	326351-55	श्री पी० के० जोशी	25/3/75	
		2	326356-60	,,	,,	
		3	326361-65	,,	,,	
4.	16/3/75 से 30/3/75	4	326348-50	श्री सुरेन्द्र कुमार, क० अ०	19/3/75	
5.	1/4/75 से 14/4/75	3	326336-37	श्री पी० एन०, रा० स० अ०	9/4/75	
6.	,, ,,	4	326638-42	,,	,,	
7.	1/5/75 से 15/5/75	2	328396-98	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	8/5/75	
		4	329504-87	,,	,,	
		9	329501-83	,,	,,	
		2	329521-25	,,	,,	
		2	529526-30	,,	,,	
		8	32544-45	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
8.	16/5/75 से 31/5/75					
		1	328912-14	श्री जी० पी० माथुर, स० प्र०	19/5/75	
		3	328918-19	,,	,,	
		7	328928-39	,,	,,	
		9	328950-33	,,	20/5/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० प्र०	26/5/75	
		2	328954-56	,,	19/5/75	
		3	328957-58	,,	26/5/75	
		4	328959-61	,,	,,	
		5	328962-65	,,	19/5/75	
		6	328966-67	,,	20/5/75	
		7	328968-69	,,	26/5/75	
		8	328970-71	,,	,,	
		9	328977-79	,,	,,	
		10	328974-76	,,	19/5/75	
		11	327972-73	,,	26/5/75	
		12	328981-83	,,	,,	
		13	328984-85	श्री जी० पी० माथुर	19/5/75	
		2	178888-90	श्री एन० सी० गुलाटी, क० प्र०	5, 7 एवं 8/6/75	
				श्री जी० पी० माथुर, स० प्र०	7/6/75	

	3	178891-93	श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	5,7 एवं 8/6/7
			श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	7/6/75
	4	178894-95	श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	5,7, एवं 8/6/75
			श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	7/6/75
	5	178896-99	श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	5,7, एवं 8/6/75,
			श्री जी० सी० माथुर, स० अ०	7/6/75
	6	178900-01	श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	5, 7 एवं 8-6-75
			श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	7-6-75
	7	178902-03	श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	5, 7 एवं 7-6-75
	8	178904-05	,,	,, 8-6-75
	9	178906-07	,,	,, ,,
	10	178908-10	,,	,, ,,
	11	178911-14	,,	,, ,,
	12	178915-17	,,	,, ,,
o	13	178918-20	,,	,, ,,
			श्री जी० पी० माथुर स० अ०	7-6-75
16/6/75 से 30/6/75	2	395245-51	,,	17/6/75
			श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75
	3	395252-54	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75
			श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75

Page No 225

225

1	2	3	4	5	6	7
		4	395255-57	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75	
		5	395258-59	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75	
		6	395260-63	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/65	
		7	395264-67	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75	
		8	395268-69	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, स० अ०	24/6/75	
		9	395278-73	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75	
		10	395274-75	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75	
		11	395276-77	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	17/6/75	
				श्री एन० सी० गुलाटी, क० अ०	24/6/75	
	1/7/75 से 15/7/75	1	395671-73	श्री भंवर लाल, क० अ०	1,2, 5 व 8/7/75	
		2	395674-75	,,	,,	
		3	395676-78	,,	,,	
		4	395679-81	,,	,,	
			395732-33			

1	2	3	4	5	6	7
		5	395636-37	,,	,,	
		6	395634-35	,,	,,	
		7	395626-37	,,	,,	
		8	395638-39	,,	,,	
		9	395690-92	,,	,,	
		10	395693-95	,,	,,	
	16/7/75 से 31/7/75	1	435505-07	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75	
				श्री भंवर लाल परमार, क० अ०	23, 24 व 26/7/75	
				श्री अतिरिक्त जिला विकास अ० डूंगरपुर	22/7/75	
		2	435505-09	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75	
				श्री भंवर लाल, क० अ०	23,24, 26 व 29/7/75	
				श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22-7-75	
		3	435510-12	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75	
				श्री भंवर लाल, क० अ०	21,24 26 व 29/7/75	
				श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22/7/75	
		4	435513-14	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75	
				श्री भंवर लाल, क० अ०	23,24, 26 व 29/7/75	

			श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22/7/75
16/7/75 से 21/7/75	1	435490-92	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75
			श्री भंवर लाल, क० अ०	24/7/75
			श्री अतिरिक्त जिला विकास अ० डूंगरपुर,	22/7/75
	2	435492-93	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75
			श्री भंवर लाल, क० अ०	24, 25/7/75
			श्री अतिरिक्त जिला विकास अ० डूंगरपुर	22/7/75
	3	445494-95	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75
			श्री भंवरलाल, क० अ०	24,257/75
			श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22/7/75
	4	435496-97 एवं 435500	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/ 7/75
			श्री भंवर लाल, क० अ०	24,25/7/75
			श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22/7/75
	5	435498-99	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75
			श्री भंवर लाल, क० अ०	24/7/75

		श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22/7/75
6	435501-04	श्री जी० पी० माथुर, स० अ०	28/7/75
		श्री भंवर लाल, क० अ०	24,25/7/75
		श्री अतिरिक्त जिला विकास अ०, डूंगरपुर	22/7/75

अधिशाषी अभियंता
सिंचाई खण्ड, डूंगरपुर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	विद्युत आवेदन प्राप्त दिनांक	अनुमानित समयावधि या दिनांक कनेक्शन दिये जाने की
1	2	3	4
	कोसाणा		
1.	श्री रेखचन्द्र पुत्र केवलचन्द्र	19-2-77	'एल' फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री गुटाराम	22-7-77	
	चोकड़ी कलां		
1.	श्री बालुराम पुत्र पेमाराम	16-1-74	फिटिंग पूरी करने के पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री गुदड़राम	16-1-74	
3.	श्री लुम्बाराम	16-1-74	एल फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया था फिटिंग पूर्ण होने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
4.	श्री ठा० सज्जनसिंह	2-1-78	
	बासनी चौलावला		
1.	श्री रेवतराम	13-3-73	'एल' फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री बक्साराम	13-3-73	
3.	श्री अनूनाराम	13-3-73	
4.	श्री गणेशदान	13-12-77	
5.	श्री कानदान	13-12-77	
6.	श्री सुमेरदान	16-12-77	
7.	श्री पाबूदान	10-1-78	फिटिंग पूरी करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
	अरटिया खुर्द		
1.	श्री प्रतापराम	5-4-73	'एल' फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री भूराराम	2-4-78	

1	2	3	4
		उस्तरा	
1.	श्री भोपालसिंह	6-2-73	फिटिंग पूरी करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। 'एल' फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता
2.	श्री गोपालराम	6-2-73	
3.	श्री भैरूलाल	23-11-77	
4.	श्री सुमेरसिंह	30-6-77	
5.	श्री मोतीसिंह	9-9-77	
6.	श्री पाबूराम	20-9-77	
7.	श्री श्रीराम	20-9-77	
		बीराणी	
1.	श्री गंगाराम	27-12-77	मांग-पत्र जारी कर दिया गया है, जिसकी अन्तिम तिथि बाकी है। कंज्यूमर द्वारा मांग पत्र की राशि एवं एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले समयावधि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। (3) फिटिंग पूरी नहीं है।
2.	श्री रामरख	17-9-77	
3.	श्री लादूराम	16-7-77	
		सलावास	
1.	श्री केसाराम	21-1-78	मांग-पत्र जारी कर दिये गये हैं मांग-पत्र की राशि एवं एल फार्म प्राप्त होने से पहले कुछ नही कहा जा सकता।
2.	श्री थानाराम	21-1-78	
3.	श्री भंवरदान	21-1-78	
		भोपालगढ़	
1.	श्री कानाराम	29-12-72	सर्विस कनेक्शन आर्डर 2-3-78 को जारी कर दिया गया है। कनेक्शन इस माह देने की सम्भावना है।

(231)

1	2	3	4
2.	श्री भोजाराम	9-1-73	सर्विस कनेक्शन आर्डर 28-2-78 को जारी कर दिया गया है। कनेक्शन इस माह देने की सम्भावना है।
3.	श्री बालाराम	16-5-73	फिटिंग पूरी होने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता
4.	श्री ओमप्रकाश	31-12-73	सर्विस कनेक्शन आर्डर 28-2-78 को जारी कर दिया गया है। कनेक्शन इस माह देने की सम्भावना है।
5.	श्री अमराराम	8-1-74	,,
6.	श्री किशनाराम	8-1-74	,,
7.	श्री चुनाराम	11-2-75	सर्विस कनेक्शन आदेश 2-3-78 को दे दिया गया। कनेक्शन इस माह में देने की सम्भावना है।
8.	श्री जोगाराम	23-11-77	'एल' फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
9.	श्री भवराम	6-12-77	फिटिंग पूरी करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
10.	श्री गुटाराम	6-12-77	,,
11.	श्री अमराराम	2-1-78	,,
12.	श्री वेबरराम	2-1-78	,,
13.	श्री कुनाराम	2-1-78	,,
14.	श्री दयाराम	21-1-78	,,

1	2	3	4
15.	श्री गोपालराम	24-1-78	एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
16.	श्री बलदेव राम	27-1-78	--
17.	श्री हरदेवराम	17-12-77	फिटिंग पूरी करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
18.	श्री रतनलाल	10-1-78	
19.	श्री गणेशराम	10-1-78	
	घोरू		
1.	श्री मोहनलाल	11-3-77	फिटिंग पूरी करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री भोजाराम	8-11-77	
3.	श्री जालाराम	4-1-78	
	दिया		
1.	श्री सवाईसिंह	9-5-73	सर्विस कनेक्शन आदेश 2-3-78 को दे दिया गया। कनेक्शन इस माह में देने की सम्भावना है।
2.	श्री आसूराम	18-7-77	मांग-पत्र जारी कर दिया गया है मांग-पत्र की राशि व एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
3.	श्री चतरसिंह	6-10-77	
	घोडावट		
1.	श्री अम्बादान	19-1-78	मांग-पत्र जारी कर दिया गया है मांग-पत्र की राशि व एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
	खवासपुरा		
1.	श्री जीवणराम	28-12-73	एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री मालाराम	19-2-74	

233

1	2	3	4
	आर. ई. सी. आसोप		
1.	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामजीवण	17-2-77	एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
	गादेरी		
1.	श्री लालूराम पुत्र श्री तेजाराम	4-3-77	फिटिंग पूरी करने से पहले कुछ कुछ नहीं कहा जा सकता।
2.	श्री गोपालराम	4-3-77	
3.	श्री खीयांराम	4-3-77	
4.	श्री शिवदास	18-3-77	
5.	श्री मोडाराम पुत्र तुम्बाराम	18-3-77	
	रजलानी		
1.	श्री हरिसिंह	3-10-77	एल फार्म प्रस्तुत करने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता।

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची)

दिनांक 1-1-76 से 15-3-78 तक सिंचाई उप-खण्ड द्वारा प्रश्न में अंकित फर्मों से खरीदे गये सामान के सम्बन्ध में सूचना

क. सं.	दिनांक जब सामान खरीदा	खरीदे गये सामान का मूल्य	स्थान जहां पर सामान काम आया
1	2	3	4
		नरसिंग इलेक्ट्रिकल्स, एम० आई० रोड, जयपुर	
1.	4-3-76	248–00	विश्राम गृह, रामगढ़
2.	,,	,,	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
3.	,,	95–25	,,
4.	27-4-76	1261–76	,,
5.	17-6-76	496–36	,,
6.	25-6-76	618–00	,,
7.	26-6-76	567–00	विश्राम गृह, फागी
8.	26-8-76	197–00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
9.	,,	186–00	,,
10.	27-8-76	540–00	,,
11.	28-6-76	562–00	विश्राम गृह, साक्सू
12.	20-11-76	378–00	विश्राम गृह भवन
13.	31-3-77	2095–00	विश्राम गृह, मोजमाबाद
14.	23-5-77	847–50	केश सेटलमेन्ट कपाउन्ड अधीक्षक अभियन्ता सिंचाई कार्यालय
15.	19-8-77	788–98	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
16.	13-9-77	67–50	विश्राम गृह, भरायना
17.	,,	178–50	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
18.	,,	246–75	,,
19.	,,	396–00	,,

235

1	2	3	4
20.	13-9-77	569–65	बाढ नियन्त्रण बस भवन
21.	12-10-77	517–00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
22.	13-10-77	685–00	विश्राम गृह, मोजमाबाद
23.	1-11-77	792–00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
24.	30-12-77	491–70	विश्राम गृह, रामगढ़
25.	31-12-77	586–40	,,
		मेटिल किंग, झोटवाड़ा	
26.	13-2-76	888–10	खरड बंध
27.	,,	583–15	ढ़ालसी बंध मोरी की मरम्मत हेतु
28.	,,	337–85	,,
29.	30-3-76	535–00	मेवटा बंध
30.	30-3-76	2222–98	कनाडा बांध का दरवाजा
31.	26-7-76	140–00	विश्राम गृह, चाकग/नेवटा
32.	,,	500–00	विश्राम गृह, मानसागर
33.	,,	224–15	विश्राम गृह, कुकस
34.	16-3-77	160–30	,,
35.	31-3-77	750–00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
36.	,,	725–00	,,
37.	,,	620–00	,,
38.	,,	630–00	विश्राम गृह, बादेरा
		राजपूताना क्लाथ स्टोर, पांच बत्ती, जयपुर	
39.	31-3-77	430–20	मेस सेटलमेन्ट अकाउन्ट, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई कार्यालय
		नेशनल क्रोकरी, पाच बत्ती, जयपुर	
40.	29-4-77	495–80	विश्राम गृह, नरायना
41.	,,	414–00	विश्राम गृह, मोजमाबाद
42.	,,	310–00	,,

1	2	3	4
43.	13-2-78	415-00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
44.	14-2-78	450-00	,,
		खन्ना ब्रादर्स, राजमार्ग, जयपुर	
45.	16-1-78	380-00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
		ओ० के० पेन्ट हाउस, जयपुर	
46.	19-10-77	292-00	विश्राम गृह, छापरवाड़ा
		दीवान स्टोर, पांच बत्ती, जयपुर	
47.	20-7-76	475-00	केस सेटलमेन्ट अकाउन्ट अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यालय
		आनन्द नर्सरीज, जयपुर पुगलिया फार्म	
48.	22-3-77	360-00	वृक्षारोपण विश्राम गृह छापरवाड़ा
49.	12-4-77	120-00	गुढा नर्सरी
50.	13-12-77	182-00	,,

इसके अतिरिक्त जो भी फर्म/एजेन्सी प्रश्न में अंकित हैं से कोई सामान नहीं खरीदा गया है ।